भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

2024 का प्रतिवेदन संख्या-8

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	**पृष्ठ संख्या**
प्राक्कथन		vii
अध्याय I-विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.2	1
अभिस्वीकृति	1.3	8
अध्याय II-अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर लेखापरीक्षा	2.1	9
महिला एवं बाल विकास विभाग		
टेक होम राशन पर लेखापरीक्षा	2.2	67

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	चयनित पैकेज और सड़क/एल.एस.बी. के नाम का विवरण पत्रक	123
2.1.2	चरण-II में सड़कों के गलत चयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	132
2.1.3	विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी के कारण छोड़े हुए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	133
2.1.4	सलाहकारों द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	136
2.1.5	तकनीकी कर्मचारियों के विलंब और कम तैनाती के लिए शास्ति नहीं अधिरोपित करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	139
2.1.6	अपर्याप्त निष्पादन प्रतिभूति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	141
2.1.7	बकाया रॉयल्टी डिपाजिट का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक (31 मार्च 2021 की स्थिति में)	144
2.1.8 (अ)	चयनित पी.आई.यू. में प्रगतिरत परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	146
2.1.8 (ब)	निष्पादन में विलंब और परिनिर्धारण हर्जाना अधिरोपित करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	147
2.1.9	ठेकेदारों द्वारा बिटुमिन के संदिग्ध क्रय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	150
2.1.10 (अ)	चयनित पी.आई.यू. में दो पैकेजों में उपयोग किए गए समान चालान (बिटुमिन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (05.09.2020 से पहले)	165
2.1.10 (ब)	चयनित पी.आई.यू. में दो पैकेजों में उपयोग किए गए समान चालान (बिटुमिन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (05.09.2020 के बाद)	176

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
2.1.11	पूर्णता तिथि के बाद बिटुमिन (वी.जी.-30) की क्रय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	192
2.1.12	अशासकीय रिफाइनरियों से बिटुमिन के पैकेजवार क्रय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	194
2.1.13	आर.सी.सी. ह्यूम पाईप (1000 मिमी व्यास) पर अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	199
2.1.14	टैक कोट पर अनियमित व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	201
2.1.15	गतिरोधक के निर्माण, सावधानी संकेतक बोर्ड और प्रतीक चिन्ह को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	203
2.1.16	विद्युत कार्य हेतु विलंबित निविदा आमंत्रण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	206
2.1.17	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	207
2.1.18	राज्य शासन द्वारा विलंब से राज्य/केन्द्रीय अंश जारी करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	220
2.1.19 (अ)	विविध जमा शेष को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	221
2.1.19 (ब) (i)	विविध जमा के ठेकेदारो के शीर्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक	225
2.1.19 (ब) (ii)	ओ.एम.एम.ए.एस. में विविध जमा के O: शीर्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक	244
2.1.20	कार्यालय भवन के किराये के मद में भुगतान की गई राशि दर्शाने वाला विवरण पत्रक	245
2.2.1	चयनित जिलों, परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण	246
2.2.2	बाड़ी संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद	249

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
	टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	
2.2.3	धार संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	251
2.2.4	मण्डला संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	252
2.2.5	रीवा संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	259
2.2.6	सागर संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	261
2.2.7	शिवपुरी संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण	262
2.2.8	उन चालानों का विवरण जिसमे उल्लिखित ट्रक संख्या अस्तित्व में नहीं हैं	265
2.2.9	उन चालानों का विवरण जिसमे उल्लिखित वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल में उपलब्ध नहीं है	269
2.2.10	उन मामलों का विवरण जहां चालान में उल्लिखित मात्रा परियोजना पर प्राप्त नहीं होने पर भी सत्यापन कर दिया गया	273
2.2.11	स्व-सहायता समूहों को संदेहास्पद भुगतान का विवरण	280
2.2.12	टी.एच.आर. की उपलब्धता के बावजूद आर.टी.ई. के लिए किये गए भुगतान का विवरण	286
2.2.13	टी.एच.आर. के आपूर्ति आदेश का विवरण, जिसमे प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई एवं इस आधार पर देयकों से रोकी गई राशि	288
2.2.14	टी.एच.आर. आपूर्ति में विलम्ब से प्रदायगी पर फर्मो से जुर्माना नहीं काटे जाने का विवरण	289

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
2.2.15	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. से किये गए अनुबंध में अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं होने के कारण शासन को हुई हानि का विवरण	290
2.2.16	एस.आर.एल.एम. को किये गए भुगतान का विवरण	291
	संक्षिप्तों की शब्दावली	292

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2021-22 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के दो विभागों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियां, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देनों की जांच से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, कानून, विनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

यह अध्याय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश प्रदान करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय II मध्य प्रदेश शासन के दो विभागों की दो अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है।

1.2 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के दो विभागों के लेखों एवं लेन-देनों की नमूना जाँच से उद्भूत दो अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

1.2.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर लेखापरीक्षा

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) प्रारंभ किया था। हमने अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक कार्यान्वित की गई पी.एम.जी.एस.वाई. योजना की समीक्षा की जिसमें पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-I, चरण-II और चरण-III शामिल थे।

मध्य प्रदेश शासन ने पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के तहत 17,529 ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए ₹22,574.21 करोड़ की लागत से 18,910 सड़कों का निर्माण किया। लेखापरीक्षा अवधि

---

[1] पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग।

(2017-21) के दौरान भारत सरकार ने ₹7,879.15 करोड़ की लागत से 5,965 बसाहटों को जोड़ने वाली 1,190 सड़कों (11,936 किमी) के उन्नयन की मंजूरी दी थी। एम.पी.आर.आर.डी.ए., जो राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना को क्रियान्वित करता है, ₹2,776.31 करोड़ की लागत से 1,956 ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए 56 प्रतिशत सडकों (666 सड़कें (5,109 किमी)) का उन्नयन कर सका।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर हमारी लेखापरीक्षा में आयोजना, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन आदि में विभिन्न कमियों के अतिरिक्त पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के लिए बिटुमिन क्रय में संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियां परिलक्षित हुई।

1. योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत पी.एम.जी.एस.वाई.-चरण II की सड़कों के उन्नयन की योजना बनाते समय जिला स्तर पर एम.पी.आर.आर.डी.ए. के अधिकारियों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और जनपद पंचायत) से सहमति नहीं ली, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के प्रति उनकी उपेक्षा को दर्शाता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की घोर अवहेलना करते हुए विभाग निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति का समावेश सुनिश्चित करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.1.7.1(1))

2. हमने चिंताजनक रूप से देखा कि पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर जिला स्तर पर एम.पी.आर.आर.डी.ए. के अधिकारियों ने उन्नयन के लिए पात्र सड़कें होने के उपरांत भी अपात्र सड़कों का चयन किया जिसके कारण 56,706 नागरिकों को पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-II में उन्नत सड़कों के लाभ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 2.1.7.1(2))

3. हमने पाया कि पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के लिए चयनित 10 जिलों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सलाहकारों ने ₹7.15 करोड़ प्रभारित किये। हालांकि, हमने पाया कि डी.पी.आर. और पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के वास्तविक क्रियान्वयन में काफी भिन्नताएं थीं, जो सलाहकारों द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण को दर्शाती है। एम.पी.आर.आर.डी.ए. के अधिकारी उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करने में विफल रहे और अपर्याप्त मृदा परीक्षण, ट्रांसेक्ट वॉक वाले दोषपूर्ण डी.पी.आर. और विलंब से प्रस्तुत डी.पी.आर. को स्वीकार कर लिया।

(कंडिकाएं 2.1.8.2, 2.1.8.3 और 2.1.8.4)

4. पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देश, सामान्य वित्तीय नियम और मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015 के स्पष्ट उल्लंघन में एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने चरण-II के मामले में डी.पी.आर. सलाहकारों के लिए ई-टेंडर के बजाय सामान्य निविदाएं आमंत्रित की। इन विचलनों के कारण डी.पी.आर. सलाहकारों से संबंधित चरण-III में ई-टेंडरिंग में प्राप्त दरों की तुलना में लेखापरीक्षित जिलों में 39 से 58 प्रतिशत लागत की पर्याप्त वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.1.8.5(अ))

5. पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कार्य अनुबंधों के मामले में, एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने केवल मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर ई-टेंडर आमंत्रित किए और पी.एम.जी.एस.वाई. पोर्टल को नजरअंदाज कर दिया, जिससे बोलीदाताओं की भागीदारी का दायरा सीमित हो गया, क्योंकि चरण-I/II में औसतन दो/तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया, जबकि चरण-III में छह बोलीदाताओं ने भाग लिया। एम.पी.आर.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) और निविदा समिति के महाप्रबंधक (जी.एम.) इन विचलनों के लिए जिम्मेदार थे।

(कंडिका 2.1.8.5(ब))

6. हमने पाया कि अनुबंध के अनुसार प्रतिबद्ध कर्मियों की संख्या के विरूद्ध ठेकेदार समय पर तकनीकी कर्मियों को तैनात करने में विफल रहे और कम तकनीकी कर्मियों को तैनात किया। महाप्रबंधक तकनीकी कर्मियों की विलंब और कम तैनाती के लिए इन ठेकेदारों से ₹4.46 करोड़ वसूलने में विफल रहे।

(कंडिका 2.1.9.2)

7. पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने बोलीदाता के चूक की स्थिति में शासकीय हित सुरक्षित करने के लिए 41 प्रतिशत मामलों में अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति नहीं ली। इन विचलनों के लिए लेखापरीक्षित पी.आई.यू. के महाप्रबंधक जिम्मेदार थे।

(कंडिका 2.1.9.3)

8. हमने देखा कि पी.एम.जी.एस.वाई. और एम.पी.आर.सी.पी. के तहत पी.आई.यू.01-छिंदवाड़ा में एस.क्यू.सी. कंसल्टेंसी को ₹40 करोड़ के अनुबंध मूल्य के विरूद्ध अनुमानित कार्यों के लिए ₹36.50 करोड़ (मार्च 2021) की अतिरिक्त सेवाओं को मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी.आर.आर.डी.ए., जबलपुर द्वारा टी.ओ.आर. का उल्लंघन कर अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

(कंडिका 2.1.9.4(ii))

9. हमने आगे पाया कि लेखापरीक्षित पी.आई.यू. के महाप्रबंधकों ने मार्च 2021 तक ₹5.01 करोड़ की वसूल की गई रॉयल्टी शासकीय खाते में जमा नहीं की और इस प्रकार शासन का राजस्व हित सुनिश्चित करने में विफल रहे।

(कंडिका 2.1.9.5)

10. हमने पाया कि ठेकेदार 49 प्रतिशत (1,089 में से 531) कार्य समय पर पूर्ण करने में विफल रहे और कार्य पूर्ण करने में 17 से 887 दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ था। हमने आगे पाया कि मुख्य महाप्रबंधकों ने विलंब के 33 प्रतिशत मामलों में परिनिर्धारण हर्जाना अधिरोपित नहीं किया और 43 प्रतिशत मामलों में मुख्य महाप्रबंधकों ने 0.05 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक नाममात्र परिनिर्धारण हर्जाना अधिरोपित किया।

(कंडिका 2.1.10.1)

11. **बिटुमिन क्रय में संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियां**: हमने 51 में से 49 जिलों में और 75 में से 71 पी.आई.यू. में पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमिन के क्रय में ₹ 414.94 करोड़ की संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाया। ठेकेदारों ने शासकीय रिफाइनरियों के फर्जी चालान प्रस्तुत किए। ठेकेदारों ने एक ही चालान दो अथवा तीन बार भी प्रस्तुत किया और निजी रिफाइनरियों से बिटुमिन क्रय किया। विभाग बिटुमिन के चालान की जांच करने के लिए तंत्र निर्धारित करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.1.10.2)

12. हमने पाया कि चयनित पैकेजों में प्रावधानों के विरुद्ध 42 प्रतिशत स्पीड ब्रेकर, 27 प्रतिशत चेतावनी, सूचनात्मक और अनिवार्य साइन बोर्ड का निर्माण/स्थापना नहीं की गई थी। 46 पूर्ण सड़कों में प्रावधानों के विरुद्ध केवल 10 पैकेजों में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। पोल शिफ्टिंग/एच.टी. लाइन्स को ऊपर उठाने के लिए 10 एन.आई.टी. में 10 से 32 माह की सीमा में अत्यधिक विलंब हुआ। महाप्रबंधक, पी.आई.यू. सड़क फर्नीचर/उपकरणों के अनिवार्य निर्माण और सड़क सुरक्षा की अनदेखी के लिए जिम्मेदार थे।

(कंडिका 2.1.10.6)

13. हमने पाया कि मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार की निधि को विलंब से जारी करने के कारण ₹4.23 करोड़ की ब्याज देयता बनाई। कार्यक्रम निधि बैंक खाते में जमा न करने के कारण ₹11.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। हमने आगे पाया कि 2000-01 से मार्च 2021 तक विविध जमा शीर्ष में ₹350.79 करोड़ (5,488 मामलों में) की राशि जमा पाई गई, जिसे समायोजित/समाधान करने की आवश्यकता थी।

(कंडिकाएं 2.1.12.3, 2.1.12.4 और 2.1.12.5)

14. राज्य स्तर पर एस.एल.एस.सी., संभाग स्तर पर सी.जी.एम. तथा जिला स्तर पर दिशा द्वारा अपर्याप्त निगरानी भी पायी गई।

(कंडिकाएं 2.1.13.2, 2.1.13.3 और 2.1.13.4)

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष से स्पष्ट है कि पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के लिए बिटुमिन के क्रय में संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों के अतिरिक्त आयोजना, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन आदि में विभिन्न कमियां थीं। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि मध्य प्रदेश शासन को उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में उचित तत्परता सुनिश्चित नहीं की। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन बिटुमिन क्रय में संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों के मामलों की जांच कर सकता है और जहां भी आवश्यक हो, ठेकेदारों अथवा अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन को संदिग्ध दावों जो निष्पादित परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असर डाल सकते हैं, की जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

1.2.2 टेक होम राशन पर लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) वर्ष 1975 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) आई.सी.डी.एस. के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है, जिसमें टेक होम राशन (टी.एच.आर.) घटकों में से एक था। टी.एच.आर. का मूल उद्देश्य छह माह से तीन वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं (ओ.ओ.एस.ए.जी.) की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत टी.एच.आर. प्रदाय किए जाने के बावजूद वर्ष 2017-19 के दौरान, देश में राज्य के शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई तथा मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में यह देश में तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2018-21 के दौरान, विभाग ने ₹ 2,393.21 करोड़ के मूल्य का 4.04 लाख मीट्रिक टन टी.एच.आर. क्रय कर 1.35 करोड़ हितग्राहियों को वितरित किया।

टी.एच.आर. की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुए :

1. टी.एच.आर. वितरण हेतु ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राहियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण अप्रैल 2018 तक पूरा करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के बावजूद, विभाग द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण फरवरी 2021 में ही पूरा किया जा

सका। आधारभूत सर्वेक्षण के पूरा होने में अत्याधिक बिलंब होने से राज्य में टी.एच.आर. के उत्पादन, परिवहन और टी.एच.आर. वितरण में गंभीर अनिमियततायें हुईं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक और जिला स्तर पर सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. के पर्यवेक्षण में आधारभूत सर्वेक्षण करना था। हालाँकि, संभाग और राज्य स्तर पर उच्च अधिकारी भी आधारभूत सर्वेक्षण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने में विफल रहे। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक स्कूल शिक्षा विभाग ने ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या 0.43 लाख प्राक्कलित की। जबकि, डब्ल्यू.सी.डी. अधिकारियों ने ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या 5.51 लाख होने का प्राक्कलन किया। यद्यपि, संचालनालय को बढ़ी हुई संख्या की जानकारी थी, फिर भी राज्य शिक्षा केंद्र के डेटा के अनुसार 0.43 लाख ओ.ओ.एस.ए.जी. के बदले 5.51 लाख की काल्पनिक संख्या को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹110.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.11.1)

2. छह संयंत्रों (बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी) ने चालान जारी करने की तिथि पर टी.एच.आर. स्टॉक की अनुपलब्धता के बावजूद ₹4.80 करोड़ की लागत के 773.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति की।

(कंडिका 2.2.12.2)

3. छह टी.एच.आर. निर्माण संयंत्रों/फर्मों ने ₹ 5.46 करोड़ की लागत के 883.55 मीट्रिक टन टी.एच.आर. परिवहन करने का दावा किया। संबंधित राज्यों के वाहन डेटाबेस के सत्यापन में पाया गया कि उपयोग किए गए ट्रक वास्तव में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर के रूप में पंजीकृत थे अथवा डेटाबेस में ट्रक अस्तित्व में ही नहीं थे।

(कंडिका 2.2.12.3 (अ) एवं 2.2.12.3 (ब))

4. आठ जिलों में हमने देखा कि 96,541.56 मीट्रिक टन टी.एच.आर. स्टॉक में लिया गया। जबकि मात्र 86,397.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजा गया और ₹ 62.53 करोड़ मूल्य का 10,144.35 मीट्रिक टन टी.एच.आर. परिवहनकर्ताओं अथवा अन्य किसी माध्यम से हितग्राहियों को वितरण हेतु भेजा जाना नहीं पाया गया।

(कंडिका 2.2.12.4 (अ))

5. सी.डी.पी.ओ. ने ₹ 1.28 करोड़ मूल्य का टी.एच.आर. स्टॉक प्राप्त नहीं किया, फिर भी उन्होंने अप्राप्त स्टॉक के विरुद्ध भुगतान हेतु चालान सत्यापित कर दिए।

(कंडिका 2.2.12.4(ब))

6. दो परियोजनाओं (कोलारस और खनियाधाना, जिला शिवपुरी) के सी.डी.पी.ओ. ने मई से दिसंबर 2018 तक संयंत्रों से प्राप्त ₹ 5.10 करोड़ का 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. के लिए स्टॉक रजिस्टर, पंचनामा आदि का संधारण नहीं किया। इन अभिलेखों के संधारण न होने के कारण, टी.एच.आर. स्टॉक की प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.12.4(स))

7. विभाग को संयंत्र, परियोजना और आंगनवाड़ी स्तर पर लिए गए टी.एच.आर. के नमूनों को राज्य के बाहर स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजना आवश्यक था, ताकि टी.एच.आर. के पोषण मानक का आकलन किया जा सके। हालांकि, हमने देखा कि विभाग केवल संयंत्र स्तर से लिए गए नमूनों को ही स्वतंत्र प्रयोगशालाओं को भेज रहा है। इसके अलावा, ₹ 237 करोड़ की लागत वाले 38,304 मीट्रिक टन टी.एच.आर. में से स्वतंत्र प्रयोगशालाओं को भेजे गए सभी नमूने आवश्यक पोषण मानक के अनुरूप नहीं थे। जो यह दर्शाता है कि हितग्राहियों को ख़राब गुणवत्ता वाला टी.एच.आर. मिला।

(कंडिका 2.2.12.7)

8. लेखापरीक्षा एवं विभागीय अधिकारियों के संयुक्त सत्यापन से पता चला कि शिवपुरी एवं सागर जिलों में परियोजना स्तरीय गोदामों में ₹ 1.15 लाख मूल्य के 2,865 टी.एच.आर. पैकेट उपलब्ध थें, जबकि अभिलेखों में इनका वितरण दर्ज था।

(कंडिका 2.2.14.1)

9. हमने पाया कि सभी आठ लेखापरीक्षित जिलों में सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. ने वर्ष 2018-21 के दौरान अपने लक्ष्यों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया, जो अत्यंत ख़राब आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

(कंडिका 2.2.16.4)

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा निष्कर्षों में हितग्राहियों की पहचान, टी.एच.आर. के उत्पादन, परिवहन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर अनियमितता का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। इसलिए, लेखापरीक्षा मध्य प्रदेश शासन से अनुशंसा करता है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें| इसके अलावा, विभाग को इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बेहतर निगरानी और नियंत्रण हेतु एक आई.टी. प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

1.3 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर, लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय-II

अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर लेखापरीक्षा

2.2 टेक होम राशन पर लेखापरीक्षा

अध्याय- II अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) प्रारंभ की थी।

पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-I (दिसंबर 2000) में भारत सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले और आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों में 250 की आबादी वाले संपर्कविहीन ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-II (अगस्त 2013) में भारत सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को समेकित करने के लिए चयनित थ्रू रूट्स (टी.आर.) और कुछ प्रमुख ग्रामीण लिंक (एम.आर.एल.) को उन्नयित करने का कार्य किया। पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-III (अगस्त 2019) में भारत सरकार ने विद्यमान थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक को उन्नयित करने का कार्य किया जो ग्रामीण कृषि बाजारों (जी.आर.ए.एम.), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ते हैं।

अप्रैल 2000 की स्थिति में, मध्य प्रदेश में 17,543 संपर्कविहीन बसाहटें पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए पात्र थीं। मार्च 2021 की स्थिति में, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी) ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ₹22,574.21 करोड़ की लागत से 17,529 ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए 18,910 सड़कों का निर्माण किया। तथापि, 14 ग्रामीण बसाहटें बारहमासी सड़कों से अभी भी नहीं जुड़ी हैं।

हमने अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की समीक्षा की। हमने पाया कि भारत सरकार ने ₹8,613.46 करोड़ (₹7,879.15 करोड़ +₹734.31 करोड़) की लागत से 1,190 सड़कों (11,936 किमी) के उन्नयन और 512 लांग स्पैन ब्रिज (एल.एस.बी.) के निमार्ण हेतु, जो राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई.-I,II और III के अन्तर्गत 5,965 बसाहटों को जोड़ेगा, की स्वीकृति (2017-21) दी थी। भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एन.आर.आर.डी.ए.) द्वारा विकसित वेब पोर्टल-ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली (ओ.एम.एम.ए.एस.) के माध्यम से पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) राज्य में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करता है। मार्च 2021 की स्थिति में,

एम.पी.आर.आर.डी.ए. 1,956 ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने के लिए ₹3,070.09 करोड़ (₹2,776.31 करोड़ + ₹293.78 करोड़) की लागत से 666 सड़कों (5,109 किमी) का उन्नयन और 226 एल.एस.बी. का निर्माण कर सका।

2.1.2 पी.एम.जी.एस.वाई. का उद्देश्य

भारत सरकार ने पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-।, ।। और ।।। में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे:

1. मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों तथा पहाड़ी राज्यों, आदिवासी और पिछड़े जिलों में रहने वाली 250 और उससे अधिक आबादी वाले पात्र संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कें प्रदान करना।
2. खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों, मंडियों और किसान से संबंधित अन्य उद्यमों के लिए आसान और तेज आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. बेहतर स्कूल उपस्थिति और उच्च/उच्चतर स्तर की शिक्षा में सहायता के लिए शिक्षा केंद्रों तक पहुंच में सुधार करना।
4. विद्यमान थ्रू रूट्स और एम.आर.एल., जो बसाहटों को ग्रामीण कृषि बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ती हैं, के उन्नयन द्वारा विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन।

2.1.3 संगठनात्मक ढांचा

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार एन.आर.आर.डी.ए. के तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग से पी.एम.जी.एस.वाई. का क्रियान्वयन करती है। राज्य स्तर पर, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) पी.एम.जी.एस.वाई. को क्रियान्वित करते हैं। एम.पी.आर.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) राज्य स्तर पर तथा अन्य अधिकारी संभाग (मुख्य महाप्रबंधक) और जिला (महाप्रबंधक) स्तर पर पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का क्रियान्वयन करते हैं।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमारा लक्ष्य यह आकलन करना था:

"कि क्या विद्यमान पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के उन्नयन के लिए आयोजना, क्रियान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण योजना में निर्धारित मानकों के अनुरूप है।"

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने लेखापरीक्षा मानदंड यहां से प्राप्त किये :

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी पी.एम.जी.एस.वाई. के योजना दिशानिर्देश, संचालन नियमावली और आदेश/अनुदेश।
- भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) द्वारा जारी ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण सड़क नियमावली।
- सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता और एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा जारी आदेश/निर्देश; और,
- दरों की मानक अनुसूची (एस.एस.आर.)।

2.1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

हमने संभागीय स्तर पर सात मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) कार्यालयों और जिला स्तर पर 10 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी.आई.यू.) में पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत 2017-21 के दौरान किए गए सड़कों के उन्नयन की समीक्षा की। हमने अधिकतम व्यय के आधार पर छह[1] पी.आई.यू., अधिकतम बचत के आधार पर तीन[2] पी.आई.यू और पायलट अध्ययन के लिए ग्वालियर पी.आई.यू का चयन किया।

हमने 181 स्वीकृत पैकेजों (कुल लागत ₹1,451.33 करोड़) में से 80 पैकेजों के अन्तर्गत उपर्युक्त इकाईयों में ₹956.45 करोड़, जो 44 प्रतिशत है, की लागत से निर्मित 612 बसाहटों को जोड़ने वाली 110 सड़कों और सात पुलों से संबंधित अभिलेखों की जाँच (जुलाई से अक्टूबर 2021) की, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.1*** में वर्णित है। हमने संबंधित पी.आई.यू. के अधिकारियों के साथ 68 निर्माण कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया।

हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, पी.आर.डी.डी. के साथ अगस्त 2021 में एक प्रवेश सम्मेलन किया।

हमने शासन को जून 2022 में प्रारूप प्रेषित किया। प्रमुख सचिव, पी.आर.डी.डी. के साथ 28 अक्टूबर 2022 को निर्गम सम्मेलन आयोजित हुआ। शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रस्तुत

---

[1] पी.आई.यू.-02 बैतूल, पी.आई.यू.-01 छिंदवाड़ा, पी.आई.यू.-03 धार, पी.आई.यू.-01 रीवा, पी.आई.यू.-01 सागर और पी.आई.यू.-02 उज्जैन

[2] पी.आई.यू.-02 अशोकनगर, बुरहानपुर और टीकमगढ़।

(अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं और जहां आवश्यक था, उनका खंडन किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परियोजनाओं की आयोजना, स्वीकृति, निष्पादन और निगरानी के लिए अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया नीचे चार्ट में दर्शायी गयी है:-

चार्ट-2.1.1 परियोजना की तैयारी, स्वीकृति, क्रियानवयन और निगरानी

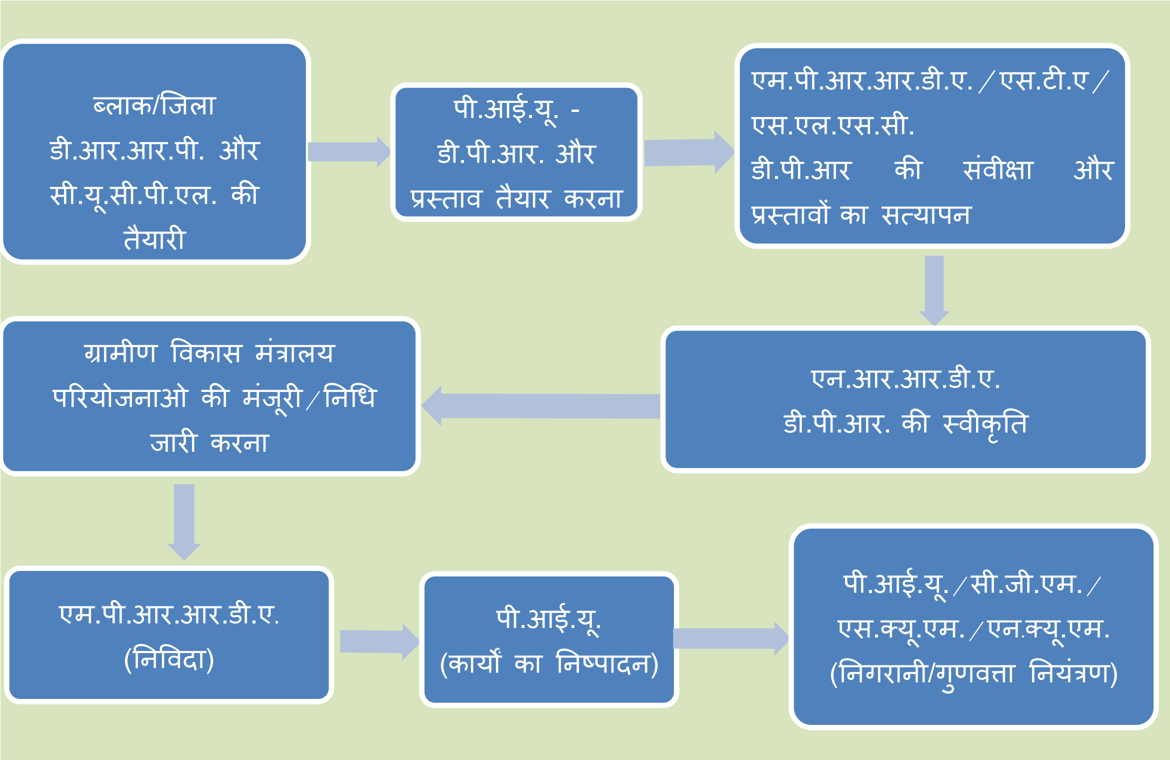

2.1.7 ग्रामीण सड़कों के लिए आयोजना

एम.पी.आर.आर.डी.ए. के पी.आई.यू. से पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विद्यमान सड़क नेटवर्क को सम्मिलित करते हुए ब्लॉक ग्रामीण सड़क योजना (बी.आर.आर.पी.) और जिला ग्रामीण सड़क योजना (डी.आर.आर.पी.) की तैयारी सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

2.1.7.1 सड़कों के उन्नयन हेतु आयोजना

चयनित पी.आई.यू. में पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-II के अन्तर्गत तैयार की गई डी.आर.आर.पी. और व्यापक उन्नयन सह समेकन प्राथमिकता सूची (सी.यू.सी.पी.एल.) की हमारी जाँच से परिलक्षित हुआ:

1. पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यक्रम दिशानिर्देशों (2013) की कंडिका 3.2, 3.5 और 5.3 के अनुसार, डी.आर.आर.पी./सी.यू.सी.पी.एल. को इंटरमीडिएट पंचायत के समक्ष विचार और

उनके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए तथा साथ ही साथ स्थानीय सांसद/विधायक को उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए भी भेजा जाना चाहिए। हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. के पी.आई.यू. ने जनपद पंचायतों (जे.पी.) से अनुमोदन प्राप्त किए बिना डी.आर.आर.पी./सी.यू.सी.पी.एल. (चरण-।।) तैयार किया। अभिलेखों के अनुसार पी.आई.यू.[3] ने सांसदों (एम.पी.) और विधायकों (एम.एल.ए.) की सहमति और सुझाव प्राप्त नहीं किए। ये विचलन योजना दिशानिर्देशों के विरुद्ध थे। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पी.आई.यू. ने मुख्यतः जिला स्तर पर जनपद पंचायतों, सांसदों और विधायकों के अनुमोदन अथवा इनपुट के बिना ग्रामीण सड़कों की योजना बनाई। इस संबंध में पी.एम.जी.एस.वाई. के स्पष्ट दिशानिर्देश के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधियों से सहमति और सुझाव न लेना एम.पी.आर.आर.डी.ए के अधिकारियों की उदासीनता को इंगित करता है। इस प्रकार, विभाग पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देशों के एक महत्वपूर्ण पहलू का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप डी.आर.आर.पी./सी.यू.सी.पी.एल. जनपद पंचायत और निर्वाचित सांसदों/विधायकों के महत्वपूर्ण सुझाव से वंचित रही।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि जनपद सदस्य, सांसद एवं विधायक, जिला पंचायत के नामित सदस्य हैं तथा डी.आर.आर.पी. को जिला पंचायत की बैठकों में आवश्यक चर्चा के उपरांत अनुमोदित किया गया। विभाग ने आगे कहा कि सी.यू.सी.पी.एल. और केन्डीडेट सड़कों पर सांसदों और विधायकों के सुझाव मांगे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने योजना प्रक्रिया में जनपद पंचायतों की भूमिका को पूर्ण रूप से अनदेखा किया जो 73वें संवैधानिक संशोधन की मूलभावना के विपरीत है और योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसके अलावा, चयनित सात पी.आई.यू. में निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात् सांसदों/विधायकों की टिप्पणियों/सुझावों को सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. दिशानिर्देशों (2013) की कंडिका 5.2 में प्रावधान है कि सी.यू.सी.पी.एल. तैयार करते समय, सड़कों को ब्लॉक/जिलों जैसा भी मामला हो, के लिए उपयोगिता मूल्य के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा। आगे, एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने आदेश दिया (नवंबर 2016) कि सड़कों का चयन पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स[4] (पी.सी.आई.) मूल्य के आधार पर किया जाएगा और जहां

[3] किसी भी चयनित पी.आई.यू. ने जनपद पंचायतों से सुझाव/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया, तथापि, तीन पी.आई.यू.: पी.आई.यू.-अशोकनगर, पी.आई.यू.-02 बैतूल एवं पी.आई.यू.-03 धार में सासंद/विधायक का अनुमोदन/सुझाव प्राप्त किया गया।

[4] पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स एक संख्यात्मक संकेतक है (1 से 5-बहुत खराब से बहुत अच्छा) जो पेवमेंट अथवा सड़क की सामान्य सतह की स्थिति का मूल्यांकन करता है।

पी.सी.आई. मूल्य दो सड़कों के लिए समान है, वहां उच्चतर उपयोगिता मूल्य वाली सड़क को वरीयता दी जाएगी। हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने योजना दिशा-निर्देशों के विचलन में ₹ 41.57 करोड़ की लागत से कम उपयोगिता मूल्य वाली तीन सड़कों का उन्नयन किया, जबकि उच्च उपयोगिता मूल्य वाली और अधिक आबादी की सेवा करने वाली तीन सड़कों पर उन्नयन के लिए विचार नहीं किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.2*** में वर्णित है, जिसने 56,706 लोगों को उन्नत सड़कों के लाभ से वंचित कर दिया ।

हमने पाया कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. के पर्यवेक्षी स्तर के महाप्रबंधकों और राज्य तकनीकी एजेंसी (एस.टी.ए.) ने उन्नयन प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय विचलन से बचने के लिए सी.यू.सी.पी.एल. में सड़कों के चयन की निगरानी नहीं की।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि सी.यू.सी.पी.एल. जनरेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद, एकत्रित डेटा को ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया गया था और ओ.एम.एम.ए.एस. के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। ऑनलाइन प्रणाली में केवल प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित ग्रामों के आँकड़ों का उपयोग किया गया, जिससे सड़कों की उपयोगिता मूल्य के स्कोर में अंतर आया। इसके अलावा, ऑनलाइन सिस्टम ने पी.सी.आई. 1 वाली सड़कों को पी.सी.आई. 2 वाली सड़कों की तुलना में प्राथमिकता दी है, भले ही पी.सी.आई. 2 वाली सड़कों का उपयोगिता मूल्य अधिक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग लेखापरीक्षित सड़कों का ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न उपयोगिता मूल्य और मैन्युअल रूप से गणना किए गए उपयोगिता मूल्य में भिन्नता से संबंधित कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कर सका। इसके अलावा, विभाग ने उन सड़कों को अनदेखा कर दिया जिनमें पी.सी.आई. मूल्य कम था और उपयोगिता मूल्य अधिक था।

3. पी.एम.जी.एस.वाई. की संचालन नियमावली की कंडिका 3.1.11 के अनुसार, जिला योजना समिति को जिले के सभी ब्लॉकों से प्राप्त बी.आर.आर.पी. की जाँच करनी थी और डी.आर.आर.पी. तैयार करनी थी जिसमें योजना के तहत शुरू की जाने वाली सड़कों की प्राथमिकता सूची शामिल हो। हमने देखा कि योजना दिशा-निर्देशों के विचलन में कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला योजना समिति[5] ने डी.आर.आर.पी. तैयार करते समय ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण सड़क योजनाओं की जाँच नहीं की जिसके कारण ₹ 58.88 करोड़ की 19 सड़कों और छह पुलों के उन्नयन को छोड़ दिया गया, जिसने 24,640 आबादी वाले 23 बसाहटों को उन्नत सड़कों के लाभ से वंचित कर दिया,

[5] समिति में जिला पी.आई.यू. के प्रमुख (सदस्य सचिव), अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा राजस्व, ग्रामीण विकास, परिवहन एवं अन्य विभागो के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।

हालांकि इन सड़कों और पुलों को उन्नयन के लिए एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये विचलन मुख्य रूप से भूमि की अनुपलब्धता, वन विभाग द्वारा मंजूरी न दिया जाना, योजना के अन्तर्गत स्वीकृति पश्चात अन्य विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाना आदि के कारण थे जिसे ससमय समन्वय के माध्यम से सुलझाया जा सकता था।

हमने आगे देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने ₹14.85 लाख व्यय करने के बाद तीन कार्यों (फरवरी 2020) को वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण छोड़ दिया जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.3*** में वर्णित है ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि जिला प्रशासन, पी.आई.यू. अधिकारियों और एम.पी.आर.आर.डी.ए. मुख्यालय के सभी प्रयासों के बावजूद, कुछ मामलों में सड़कों और पुलों के उन्नयन को छोड़ना पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.आर.आर.पी. तैयार करते समय जनपद पंचायतों के सुझाव लेने में विफल रहने के अलावा पी.आई.यू. अधिकारियों ने जिला योजना समिति के समक्ष अनसुलझे मुद्दों को प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण परियोजनाओं को छोड़ दिया गया।

4. पी.एम.जी.एस.वाई. की संचालन नियमावली की कंडिका 2.4 के अनुसार, राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) को योजना कार्यान्वयन की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करनी थी। हमने देखा कि एस.एल.एस.सी. ने 2017-18 में मात्र तीन बैठकें आयोजित की और उसके पश्चात 2017-21 के दौरान योजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 16 त्रैमासिक बैठकों के लक्ष्य के विरुद्ध कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। एस.एल.एस.सी., डी.आर.आर.पी., सी.यू.सी.पी.एल. और वार्षिक परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा, परिवहन विभाग के सचिव और एस.टी.ए. को उनके इनपुट के लिए समिति में शामिल नहीं किया गया था।

   विभाग ने कहा (दिसंबर 2023) कि एस.एल.एस.सी. की अपेक्षित बैठकें कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण आयोजित नहीं की गईं। इसके अलावा, परिवहन विभाग के सचिव और एस.टी.ए. को एस.एल.एस.सी. के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

   विभाग के उत्तर में कोविड-19 महामारी से पहले आयोजित होने वाली अपेक्षित एस.एल.एस.सी. बैठकों पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

5. संचालन नियमावली की कंडिका 7.11 के अनुसार, एस.एल.एस.सी. को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक सभी उन्नयन प्रस्तावों को मंजूरी देना आवश्यक था और पी.आई.यू. द्वारा विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) तैयार करने और एस.टी.ए. द्वारा उनकी जाँच करने के बाद राज्य के लिए एक समेकित प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष एक नवंबर तक एन.आर.आर.डी.ए. को प्रस्तुत किया जाना था। एन.आर.आर.डी.ए. को प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर तक प्रस्तावों को मंजूरी देनी होती थी। यह देखा गया कि राज्य द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और एन.आर.आर.डी.ए. से मंजूरी में अत्यधिक विलंब (विवरण **तालिका 2.1.1** के अनुसार) हुआ।

तालिका 2.1.1: एन.आर.आर.डी.ए. को भेजे गए प्रस्तावों का विवरण

चरण	सड़कों की संख्या	एल.एस.बी. की संख्या	राज्य प्रस्ताव के लिए निर्धारित तिथि	राज्य प्रस्ताव तिथि	विलंब (दिनों में)	मंजूरी के लिए निर्धारित तिथि	मंजूरी की तिथि	कुल विलंब (दिनों में)
I	0	48	1.11.16	16.10.17	349	15.11.16	15.01.18	426
I I	204	116	1.11.16	20.11.17	384	15.11.16	30.01.18	441
I I I	108	27	1.11.19	25.11.19	24	15.11.19	31.01.20	77
I I I	377	167	1.11.19	25.02.20	116	15.11.19	29.06.20	227

प्रस्तावों में विलंब मुख्यतः डी.पी.आर. तैयार करने और एस.टी.ए. द्वारा इसकी जाँच में विलंब के कारण हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि पी.एम.जी.एस.वाई.-II की डी.आर.आर.पी. और प्रस्तावों को 7 नवंबर 2016 को आयोजित 53वीं एस.एल.एस.सी. बैठक में अनुमोदित किया गया था और पी.एम.जी.एस.वाई.-III की सड़कों के प्रस्तावों को नवंबर 2019 को आयोजित मनरेगा की साधिकार समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण एस.एल.एस.सी. की अपेक्षित बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

विभाग का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इसमें राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन को उन एम.पी.आर.आर.डी.ए. अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. चरण-।। सड़कों के उन्नयन की योजना बनाते समय जनपद पंचायतों से अनुमोदन और निर्वाचित प्रतिनिधियों से सहमति/सुझाव प्राप्त नहीं किया। कार्यों के प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

2.1.7.2 भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाएं विलंबित/जबरन बंद कर दी गईं

योजना दिशानिर्देश प्रावधान करता है कि भूमि उपलब्ध होने पर ही राज्य सरकार/जिला पंचायत को सड़क उन्नयन का प्रस्ताव देना चाहिए। प्रत्येक सड़क के लिए उन्नयन के प्रस्ताव के साथ भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

चार पी.आई.यू. के अभिलेखों की जांच से पता चला कि चार सड़कें आठ से 38 माह के विलंब से पूर्ण हुईं। इनमें से दो सड़कों को भूमि संबंधी मुद्दों के कारण जबरन बंद कर दिया गया। विवरण **तालिका 2.1.2** में उल्लिखित हैं:

तालिका 2.1.2: सड़कों के निर्माण में विलंब और भूमि संबंधी समस्या के कारण जबरन बंद की गई सड़कों का विवरण

पी.आई.यू.	पैकेज संख्या	सड़क की लंबाई (किमी)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति	विलम्ब का माह	विलंब का कारण
अशोक नगर-2	47603	15.20	18.01.18	17.07.19	12.80	जबरन बंद (04.10.2022)	38	निजी भूमि (अदालती मामला)
बैतूल-2	03608	34.68	07.06.18	06.12.19	23.24	पूर्ण (01.12.2021)	24	वन[6] अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्वालियर	14602	4.30	19.01.18	18.07.19	2.31	जबरन बंद (31.03.2020)	08	निजी भूमि (अदालती मामला)
सागर-01	33602	18.71	17.09.18	15.03.20	13.64	पूर्ण (01.11.2021)	19	वन अनापत्ति प्रमाण पत्र और भूमि मुद्दा
					51.99			

हमने देखा कि इन सड़कों के डी.पी.आर. में इन सड़कों पर अतिक्रमण अथवा निजी/वन भूमि के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया था, जो यह दर्शाता है कि डी.पी.आर. की तैयारी और ट्रान्सेक्ट वॉक ठीक से नहीं की गई थी। खामियों के लिए संबंधित यंत्री एवं सलाहकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने यह भी देखा कि पी.आई.यू. के महाप्रबंधकों ने एम.पी.आर.आर.डी.ए. को प्रस्ताव भेजते समय भूमि उपलब्धता के त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र संलग्न किए थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि क्रियान्वयन के दौरान भूमि का वास्तविक स्वामी सड़क निर्माण से प्रभावित होकर सामने आता है और आपत्ति जताता है। इसी दौरान, वन अधिकारी वन क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं।

[6] अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्र दिनांक 13.03.2019 को वन विभाग को प्रेषित किया गया तथा दिनांक 25.05.21 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.यू. के अधिकारियों ने ट्रान्सेक्ट वॉक के दौरान स्थानीय पटवारी, एस.एच.ओ. और वन अधिकारियों की सेवाएं नहीं लीं और उपर्युक्त परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए फर्जी भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किए।

2.1.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.1.8.1 उन्नयन कार्यों की स्थिति

तालिका 2.1.3 (अ) और 2.1.3 (ब) 2017-21 के दौरान सड़क और पुल निर्माण की स्थिति दर्शाती हैं:

तालिका-2.1.3 (अ): सड़कों की भौतिक उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

चरण	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत			पूर्ण		
		कार्यों की संख्या	लंबाई (किमी)	राशि	कार्यों की संख्या	लंबाई (किमी)	राशि
I	2017-18	331	728.95	344.28	323	666.92	273.27
II	2017-18	374	4,984.50	3,223.55	357	4,611.05	2,637.54
III	2019-20	108	1,444.32	1,142.85	37	329.87	185.24
	2020-21	377	4,779.21	3,168.47	72	697.21	302.94
कुल		**1,190**	**11,936.98**	**7,879.15**	**789**	**6,305.05**	**3,398.99**

(डेटा स्रोतः 14.10.2021 की स्थिति में ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार)

तालिका-2.1.3 (ब): एल.एस.बी. की भौतिक उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

चरण	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत			पूर्ण		
		कार्यों की संख्या	लंबाई (मीटर)	राशि	कार्यों की संख्या	लंबाई (मीटर)	राशि
I	2017-18	6	695.05	22.24	6	695.05	18.98
	2018-19	67	4,374.52	148.43	36	2,215.20	67.97
II	2017-18	188	6,136.83	187.67	180	5,792.23	166.49
	2018-19	57	6,402.04	188.25	36	3,844.54	107.90
III	2019-20	27	1,005.99	33.27	6	213.26	5.78
	2020-21	167	4,759.60	154.45	36	905.70	22.35
कुल		**512**	**23,374.03**	**734.31**	**300**	**13,665.98**	**389.47**

(स्रोतः 14.10.2021 की स्थिति में ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार)

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. परियोजनाओं की शुरूआत के दो से तीन वर्षों के बाद भी 25 सड़कों (चरण-। में आठ और चरण-।। में 17) को पूर्ण नहीं कर सका। हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए., चरण-।।। में भी स्वीकृत 108 सड़कों में से केवल 37 को ही पूर्ण कर

सका जो 2019-20 की उपलब्धि का मात्र 34.26 प्रतिशत है। 2020-21 में स्वीकृत 15 सड़कों के लिए एम.पी.आर.आर.डी.ए. अनुबंध के चरण से आगे नहीं बढ़ सका।

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने एल.एस.बी. के निर्माण के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि 2017-19 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण-। और चरण-।। के 60 पुल स्वीकृति के दो से तीन वर्षों के बाद भी अपूर्ण थे ।

एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा सड़कों और पुलों के धीमी गति से निष्पादन के कारणों की संक्षेप में अनुवर्ती कंडिका 2.1.10.1 में चर्चा की गई है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि कोविड-19 महामारी के दौरान लॉक डाउन सड़कों के निर्माण में धीमी प्रगति का कारण था और पुलों के निर्माण में विलंब हुआ क्योंकि इसका निर्माण पानी के प्रवाह पर निर्भर करता है। यह भी कहा गया कि चरण-।।। की 485 सड़कों (सड़क की लंबाई 6,223 किमी) में से 373 सड़कों (सड़क की लंबाई 5,884 किमी) और 512 स्वीकृत पुलों में से 381 पुलों का काम पूर्ण हो चुका है। आगे यह भी बताया गया (दिसंबर 2023) कि चरण-I और II के तहत केवल 50 कार्य (20 सड़कें और 30 एल.एस.बी.) पूर्ण होने के लिए लंबित थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चरण-I और II की 25 सड़कें और 60 पुल कोविड महामारी से पूर्व लंबित थे। इसके अलावा, विभाग ने उन कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जिन्हें लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद पूर्ण दिखाया गया। इसके अलावा, उत्तर स्वयं पुष्टि करता है कि 50 कार्य उनकी स्वीकृति के पश्चात भी चार से पांच वर्षों से लंबित हैं।

2.1.8.2 त्रूटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)

योजना नियमावली में प्रावधान है कि डी.पी.आर. विस्तृत सर्वेक्षण और जाँच, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकल्पों पर आधारित होने चाहिए और इस तरह के विवरण के साथ होने चाहिए कि मात्रा और लागत सटीक हो, और निष्पादन के समय कार्य क्षेत्र अथवा मात्रा में परिवर्तन के कारण लागत में कोई वृद्धि न हो। स्वीकृति से पूर्व डी.पी.आर. के प्रारूप की संबंधित पी.आई.यू. द्वारा सभी पहलुओं की विधिवत जाँच की जानी थी। एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने 2017-21 के दौरान 10 चयनित पी.आई.यू. में सड़कों और पुलों के कार्यों की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए लगभग ₹7.15 करोड़ की लागत से सलाहकारों को नियुक्त किया।

हमने डी.पी.आर. की तैयारी में निम्नलिखित विसंगतियां देखीं:

(i) क्रॉस ड्रेनेज (सी.डी.) की संख्या में भिन्नता

हमने देखा कि डी.पी.आर. में प्रदान किए गए और वास्तव में निर्मित क्रॉस ड्रेनेज[7] की संख्या उल्लेखनीय रूप से भिन्न थी जैसा कि **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.4: क्रॉस ड्रेनेज (सी.डी.) की संख्या में भिन्नता

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	सड़कों की संख्या	स्वीकृत राशि (ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार) (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार) (₹ लाख में)	डी.पी.आर. के अनुसार सी.डी.	वास्तव में निर्मित सी.डी.	भिन्नता	
							(-)	(+)
1	अशोकनगर-02	02	639.18	584.86	27	22	5	0
2	बैतूल-02	03	3,811.17	3,771.72	63	43	20	0
3	बुरहानपुर	02	676.89	533.39	14	4	10	0
4	छिंदवाड़ा-01	05	7,854.34	6,755.97	156	117	39	0
5	धार-03	07	9,902.45	7,920.75	101	73	31	3
6	ग्वालियर	08	4,505.95	3,891.27	90	68	29	7
7	रीवा-01	04	4,942.12	4,574.01	138	105	33	0
8	सागर-01	05	3,276.67	2,909.90	75	60	15	0
9	टीकमगढ़	05	2,435.68	1,794.33	40	40	7	7
10	उज्जैन-02	03	5,989.92	5,095.83	118	71	47	0
कुल		**44**	**44,034.37**	**37,832.03**	**822**	**603**	**236 (29%)**	**17 (2%)**

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि चूंकि डी.पी.आर. की तैयारी और वास्तविक निर्माण के बीच एक से दो वर्ष का अंतर होता है, तदनुसार, सी.डी. कार्यों का क्रियान्वयन स्थान की स्थितियों के अनुसार डी.पी.आर. से भिन्न होता है। इसके अलावा, डी.पी.आर. तैयार करने के बाद सड़कों के कुछ हिस्सों का निर्माण अन्य विभागों द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.आर. प्रावधान और सी.डी. के वास्तविक निर्माण के बीच पर्याप्त अंतर देखा गया था, जो स्थल जांच की खराब गुणवत्ता के साथ-साथ सी.डी. के निर्माण से बचने का संकेत देता है; जिसका कारण अभिलेखों में नहीं है। इसके अलावा, अन्य विभागों द्वारा सड़कों का निर्माण भी विभाग के समन्वय की कमी को दर्शाता है।

[7] क्रास ड्रेनेज एक ऐसी संरचना है जिसका निमार्ण तब किया जाता है जब नाली के पानी को नहर के पानी में मिलने से रोकने के लिए नहर और प्राकृतिक नाली को पार किया जाता है।

(ii) डी.पी.आर. सलाहकारों द्वारा अपर्याप्त मृदा परीक्षण

अनुबंध की विशेष शर्तें निर्धारित करती हैं कि डी.पी.आर. सलाहकार को सड़क के प्रत्येक किलोमीटर के लिए कम से कम दो मिट्टी के नमूनों का मिट्टी के वर्गीकरण परीक्षणों जैसे छलनी (सीव) विश्लेषण, एटरबर्ग लिमिड्व, कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सी.बी.आर.) के लिए परीक्षण करना चाहिए एवं निर्माण सामग्री के लिए सुझाए गए प्रत्येक खदान के कम से कम दो नमूनों का परीक्षण करना चाहिए। महाप्रबंधक द्वारा अधिकृत पी.आई.यू. यंत्रियों की उपस्थिति में सलाहकार को मिट्टी के नमूने लेने चाहिए।

चयनित पी.आई.यू. की डी.पी.आर. की जाँच से पता चला कि 1,324.83 किमी सड़कों के लिए आवश्यक 2,650 मृदा परीक्षण के विरूद्ध केवल 1,236 परीक्षण किए गए और शेष 1,414 मृदा परीक्षण (53 प्रतिशत) नहीं किए गए थे, जैसा कि **तालिका-2.1.5** में वर्णित है:

तालिका-2.1.5: मृदा परीक्षण नहीं किये जाने का विवरण

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू.	पैकेज की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)	आवश्यक मृदा परीक्षण की संख्या	वास्तव में किया गया परीक्षण	अंतर
1.	अशोकनगर-2	06	72.34	145	70	75
2.	बैतूल-02	08	153.00	306	124	182
3.	बुरहानपुर	06	44.10	88	44	44
4.	छिंदवाड़ा-01	08	202.34	405	196	209
5.	धार-03	08	137.18	274	146	128
6.	ग्वालियर	08	124.71	249	110	139
7.	रीवा-01	08	136.35	273	113	160
8.	सागर-01	06	115.94	232	111	121
9.	टीकमगढ़	08	177.99	356	173	183
10.	उज्जैन-02	07	160.88	322	149	173
		73	**1,324.83**	**2,650**	**1,236 (47%)**	**1,414 (53%)**

निर्माण की जा रही प्रस्तावित संरचना की योजना और डिजाइन बनाने के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। मिट्टी को किसी भी निर्माण कार्य का संरचनात्मक आधार माना जा सकता है क्योंकि अधिकांश संरचनाएं मिट्टी पर बनायी जाती हैं। इस संबंध में मिट्टी को सड़कों सहित सभी प्रकार के सतही निर्माण की नींव माना जा सकता है। इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मिट्टी की वहन क्षमता अथवा फर्श की उपश्रेणी शक्ति मूल्य, मिट्टी में नमी की मात्रा और दानेदार सामग्री के कण आकार वितरण का निर्धारण नहीं किया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि मिट्टी के नमूने पी.आई.यू. यंत्रियों की उपस्थिति में लिये गए थे।

आवश्यक संख्या में परीक्षण न करने से दोषपूर्ण क्रस्ट डिजाइन और बढ़े हुए अनुमान तैयार होते हैं। साथ ही सड़कों के जल्दी क्षतिग्रस्त होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि पी.आई.यू. की निगरानी में मृदा नमूना परीक्षण वास्तव में किये गये थे, यद्यपि, डी.पी.आर. में औसतन दो मृदा परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.आर. में संलग्न परीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार प्रत्येक किमी सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक मिट्टी परीक्षण की संख्या के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदनों (दिसंबर 2023) में चेनेज नंबर, डी.पी.आर. सलाहकार और साइट यंत्रियों के हस्ताक्षर के साथ-साथ परीक्षण की तिथि भी अंकित नहीं थी।

2.1.8.3 सलाहकारों द्वारा डी.पी.आर. विलंब से प्रस्तुत करने पर शास्ति अधिरोपित न करना

निविदा दस्तावेज के अनुसार डी.पी.आर. सलाहकारों को एम.पी.आर.आर.डी.ए. से कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर अपना प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन, 60 दिनों के भीतर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप और वर्षा ऋतु सहित तीन माह के अंदर अंतिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। समय सीमा के उपरांत किसी भी विलंब पर प्रति कैलेंडर दिन 0.50 प्रतिशत की दर से शास्ति आरोपित की जाएगी जो अनुबंध मूल्य का अधिकत्तम 10 प्रतिशत होगा। समय सीमा के 30 दिनों से अधिक विलंब के परिणामस्वरूप डी.पी.आर. अस्वीकार तथा कार्य पर किए गए भुगतान की वसूली करनी होगी। एम.पी.आर.आर.डी.ए. के सी.ई.ओ. को शास्ति आदि अधिरोपित करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

हमने देखा कि 2017-21 के दौरान, नौ डी.पी.आर. सलाहकारों ने 11 मामलों में 18 से 364 दिनों की विलंब से अपनी डी.पी.आर. प्रस्तुत की, जिस पर ₹25.72 लाख (जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.4*** में वर्णित है) शास्ति अधिरोपित कर तथा सलाहकारों को किए गए भुगतानों से वसूली की जानी थी। तथापि, एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।

हमने यह भी देखा कि डी.पी.आर. सलाहकारो ने वैधता अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के बाद (नौ मामलों में) डी.पी.आर. प्रस्तुत किया लेकिन संबंधित महाप्रबंधक ने डी.पी.आर को अनियमित रूप से स्वीकार कर लिया। सी.ई.ओ., एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने सलाहकारों के विरूद्ध उचित

कार्यवाही के लिए इन प्रकरणों की समीक्षा भी नहीं की। इस प्रकार, संबंधित पी.आई.यू के महाप्रबंधको ने सलाहकारों को अनुचित लाभ दिया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ क्योंकि एन.आर.आर.डी.ए. को प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न चरणों में इसकी जांच की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.आर. की विभिन्न चरणों में जाँच, विभाग की एक नियमित प्रक्रिया है और डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने में विलंब, कमजोर आंतरिक निगरानी और निरीक्षण को दर्शाती है।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन को महाप्रबंधको के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने डी.पी.आर. को काफी विलंब और कमियों के साथ स्वीकार किया। डी.पी.आर. की मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भी मध्य प्रदेश शासन को उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

2.1.8.4 ट्रान्सेक्ट वॉक

योजना के दिशा-निर्देशों में सड़क निर्माण और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन करने के लिए ट्रान्सेक्ट वॉक परिकल्पित है। सहायक यंत्री को सरपंच, स्थानीय पटवारियों और वन अधिकारियों आदि के साथ ट्रान्सेक्ट वॉक करना आवश्यक था। ट्रान्सेक्ट वॉक के बाद, ट्रांसेक्ट वॉक के दौरान पाये गए मुद्दों को ग्राम सभा की बैठक में हल किया जाना था और ग्राम पंचायत (जी.पी.) द्वारा विधिवत सत्यापित बैठक के कार्यवृत्त को डी.पी.आर. के साथ संलग्न किया जाना था।

हमने चयनित पी.आई.यू. में देखा कि यद्यपि 110 सड़कों के लिए ट्रान्सेक्ट वॉक का आयोजन किया गया था, किन्तु स्थानीय पटवारी, स्थानीय वन अधिकारी, पुलिस के स्थानीय एस.एच.ओ., इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के सदस्य की भागीदारी अभिलेखों में नहीं थी। 110 सड़कों में से केवल 19 सड़कों में ग्राम सभा बैठकों के कार्यवृत्त पाए गए थे। ट्रान्सेक्ट वाक में केवल सहायक प्रबंधक, उप-यंत्री एवं ग्राम पंचायत[8] के सरपंच सहभागी पाये गये थे तथा वन भूमि सहित भूमि, संरेखण में परिवर्तन, वृक्षारोपण आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया

[8] कुछ मामलों में स्थानीय विधायक

गया, परिणामस्वरूप वन अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि विवाद और ग्रामीणों/किसानों द्वारा अतिक्रमण आदि के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.7.2 में उल्लिखित है।

हमने देखा कि ट्रांसेक्ट वॉक काफी हद तक अप्रभावी रहा।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि ट्रान्सेक्ट वॉक के दौरान योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए थे, हालांकि, राजस्व/वन अधिकारियों की उपलब्धता उनकी अपनी प्रतिबद्धता के कारण हमेशा संभव नहीं होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने पी.आई.यू. सागर को छोड़कर अन्य स्थानों पर ट्रान्सेक्ट वॉक के दौरान पटवारी, राजस्व और वन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रान्सेक्ट वॉक उचित रूप से की गई है और डी.पी.आर. वांछित सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण/जांच के बाद तैयार किए गए हैं।

2.1.8.5 निविदा और संविदात्मक शर्तों का कार्यान्वयन

परामर्श सेवाओं के क्रय के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.)-2017 के नियम 183 (ii) में परिकल्पित है कि जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित लागत ₹ 25 लाख से अधिक है, सलाहकारों से 'रुचि की अभिव्यक्ति' मांगने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल www.eprocure.gov.in और जेम (जी.ई.एम.) पोर्टल पर एक पूछ-ताछ प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सेवाओं के क्रय के संबंध में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 के नियम 42 (ii) में परिकल्पना की गई है, जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित लागत ₹ पांच लाख से अधिक है, सलाहकार से 'रुचि की अभिव्यक्ति' मांगने के लिए विभाग/सरकार को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में प्रकाशित की जानी चाहिए। योजना के दिशा-निर्देश में भी योजना के तहत सभी कार्यों की क्रय के लिए ई-टेंडरिंग निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पी.एम.जी.एस.वाई. (दिसंबर 2015) के लिए मानक बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) यह निर्धारित करता है कि निविदा के तहत बोली वेबसाइट <www.pmgsytenders.gov.in > के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(अ) डी.पी.आर. सलाहकार के लिए निविदा

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए चरण-।। में 5,005 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए डी.पी.आर. सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित कीं। इसने बोलिदाताओं की भागीदारी के दायरे को सीमित कर दिया। हमने यह भी देखा कि चरण-।।। में, नौ मामलों में 221 बोलिदाताओं ने ई-निविदाओं के माध्यम से भाग लिया जबकि चरण-।। में पाँच मामलों में केवल 85 बोलिदाताओं ने भाग लिया। चरण-।। में सलाहकारों के लिए सामान्य निविदाओं के माध्यम से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम दरें क्रमशः ₹27,300 प्रति किमी (शिवपुरी और श्योपुर) और ₹13,900 प्रति किमी (अलीराजपुर और झाबुआ) थीं। जबकि चरण-।।। में, ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम दरें क्रमशः ₹18,700 प्रति किमी (रायसेन जिला) और ₹8,500 प्रति किमी (विदिशा जिला) थी। यह स्पष्ट है कि ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एन.आई.टी. के बाद दरों में उल्लेखनीय कमी आई थी। हमने यह भी देखा कि शिवपुरी जिले में एन.आई.टी. संख्या 8547 के लिए बोलियां दिनांक 16.03.2017 को बुलाई गई थी, जिसमें मैसर्स इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, ग्वालियर को ₹27,300/- प्रति किमी की दर से निविदा प्रदान की गई थी, हालांकि, चार महीने की अवधि में, 110 किमी अतिरिक्त लम्बाई की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु एन.आई.टी. संख्या 16538 दिनांक 06.07.2017 जारी की गई, जिसमें मैसर्स आर.एस. कंस्ट्रक्शन, रायपुर को ₹11,949/- प्रति किमी की कम दर पर सफल घोषित किया गया। यह इंगित करता है कि सलाहकारों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए चरण-।। में समझौता वार्ता नहीं की गई थी।

एम.पी.आर.आर.डी.ए. के परिपत्र (जनवरी 2018) के अनुसार, योजना के तहत डी.पी.आर. तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरें ₹ 20,000 प्रति किलोमीटर थीं और इस सीमा से अधिक की राशि राज्य द्वारा वहन की जानी थी।

चयनित जिलों में सामान्य निविदाओं के माध्यम से चरण-।। में प्राप्त दरें चरण-।।। में प्राप्त ई-निविदा दरों की तुलना में 39 से 58 प्रतिशत तक अधिक थीं, जैसा कि नीचे **तालिका-2.1.6** में उल्लिखित है:

तालिका-2.1.6: चरण-II/III में स्वीकृत डी.पी.आर. दरों में भिन्न्ता

(राशि ₹ में)

ज़िला	पैकेज की अनुमानित लंबाई (किमी) चरण-II	चरण-II में स्वीकृत दर	राशि (कॉलम 2*3)	सलाहकार का नाम	पैकेज की अनुमानित लंबाई (किमी) चरण-III	चरण-III में स्वीकृत दर	राशि (कॉलम 6*7)	सलाहकार का नाम	भिन्नता	
									राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-7)	11
अशोकनगर	144	25,000	36,00,000	खैरा एंड संस	118	13,700	16,16,600	इंजीनियरिंग सर्विसेज	11,300	45
बैतूल	160	18,100	28,96,000	नायक सिंडिकेट	226	9,900	22,37,400	साई इंटरप्राइजेज	8,200	45
बुरहानपुर	208	21,100	43,88,800	एप्रन टेस्ट	222	10,988	24,39,336	एप्रन टेस्ट	10,112	48
छिंदवाड़ा	272	27,000	73,44,000	लेक्सस इन्फ्रा	275	14,950	41,11,250	पिपली	12,050	45
धार	208	17,777	36,97,616	वरद एसोसिएट्ज़	217	10,900	23,65,300	जियो डिज़ाइन	6,877	39
ग्वालियर	112	21,000	23,52,000	इंजीनियरिंग कंसलटेंट	225	8,879	19,97,775	पायनियर इन्फ्रा	12,121	58
रीवा	272	26,950	73,30,400	खैरा एंड संस	225	16,000	36,00,000	खैरा एंड संस	10,950	41
सागर	176	20,500	36,08,000	मंगलम एसोसिएट	235	9,918	23,30,730	सिंघई कंसलटेंट	10,582	52
टीकमगढ़	224	25,800	57,79,200	ए एंड ए कंसलटेंट	228	15,000	34,20,000	मेयर टेक्नोक्रेट	10,800	42
उज्जैन	192	20,200	38,78,400	एप्रन टेस्ट	234	10,888	25,47,792	स्ट्रेंथ कंसल्टिंग एसोसिएट्ज़	9,312	46
कुल	**1,968**		**4,48,74,416**				**2,66,66,183**			

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ई-प्लेटफॉर्म पर बोलीदाताओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ई-निविदा की कमी के कारण चरण-II में प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त नहीं की जा सकीं, परिणामस्वरूप नमूना जिलों में 1,968 किलोमीटर लंबी सड़क (अनुमानित) के निर्माण के लिए भारत सरकार की सीमा के विरुद्ध ₹55.14 लाख[9] का अतिरिक्त व्यय हुआ। चरण-II में, 51 जिलों में से 31[10] जिलों (चयनित जिलों सहित) में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर निविदा दरें स्वीकृत की गई थीं।

[9] ₹4,48,74,416-₹3,93,60,000(1968*20,000) = ₹55,14,416

[10] आगर, अशोकनगर, बड़वानी, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और उज्जैन।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि डी.पी.आर. परामर्श के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करने के लिए योजना दिशानिर्देशों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे। यह भी कहा गया (दिसंबर 2023) कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. एक स्वायत्त निकाय है जिसके अपने उपनियम हैं तथा यहाँ जी.एफ.आर. के प्रावधान लागू नहीं होते।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परामर्श सेवा भी कार्य का अभिन्न अंग है और विभाग द्वारा चरण-III में इसका अनुसरण भी किया गया है। इसके अलावा, एम.पी.आर.आर.डी.ए. के उपनियमों में सामग्री/सेवाओं के क्रय के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

(ब) सड़क अनुबंधों के लिए निविदा

(i) पी.एम.जी.एस.वाई. पोर्टल पर निविदा का प्रकाशन न होना

एस.बी.डी. के खंड 18.1 के अनुसार, निविदाएं/एन.आई.टी. ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जानी थीं और बोलियां वेबसाइट www.pmgsytenders.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी थीं। हालाँकि, हमने देखा कि चरण-I/II के तीन[11] एन.आई.टी. क्रमशः मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल *www.mpeproc.gov.in* और *<mptenders.gov.in>* पर अपलोड (जुलाई 2020 से पूर्व) किए गए थे। इसके अलावा, पी.एम.जी.एस.वाई चरण-III के सात एन.आई.टी. पोर्टल GePNIC-GoI <http://pmgsytenders.gov.in> पर अपलोड किए गए थे।

चरण-I/II एन.आई.टी. अपलोड, जैसा कि एस.बी.डी. मे नियत था, न करने के प्रबंधन के निर्णय ने बोलीदाताओं की भागीदारी के दायरे को सीमित कर दिया, क्योंकि चरण-I/II में औसतन दो/तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया, जबकि चरण-III में छह बोलीदाताओं ने भाग लिया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि लगभग सभी पी.एम.जी.एस.वाई.-I और पी.एम.जी.एस.वाई.-II कार्यों की निविदा प्रक्रिया < http://pmgsytenders.gov.in > की शुरुआत जुलाई 2020 से पहले क्रमशः www.mpeproc.gov.in और <mptenders.gov.in> पर की गई थी, और दोनों पोर्टल का प्रचार का दायरा समान है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए एस.बी.डी. (दिसंबर 2015) में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक बोलियां www.pmgsytenders.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत की जानी थीं। इसके अलावा, विभाग ने जुलाई 2020 से वेबसाइट शुरू करने के संबंध में अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

[11] चरण-I के लिए 798/02.05.2018, चरण-II के लिए 726/23.09.2017 और 775/02.02.2018

(ii) ई-क्रय नोटिस/एन.आई.टी. का विलंबित आमंत्रण

योजना नियमावली में प्रावधान है कि एन.आई.टी. जारी करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के सात दिनों के अंदर पूर्ण की जाएंगी।

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने संचालन नियमावली से विचलन करते हुए 199 सड़क पैकेजों (राशि ₹1,497.29 करोड़) के लिए दो ई-क्रय नोटिस/एन.आई.टी.[12] 10 से 31 दिनों के विलंब के साथ और 52 पुलों (राशि ₹ 53.89 करोड़) के लिए दो[13] एन.आई.टी. भारत सरकार की मंजूरी तिथि[14] से 22 से 41 दिनों के विलंब के साथ जारी किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने में लगने वाला समय उचित था और कोई विलंब नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.आई.टी. जारी करने के लिए योजना नियमावली में अपेक्षित समयावधि का पालन नहीं किया गया था।

(iii) क्रय नोटिस राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होना

योजना के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए क्रय और अनुबंध प्रबंधन पर नियमावली में यह प्रावधान है कि ई-क्रय नोटिस के विज्ञापन का व्यापक प्रचार के लिए कम से कम एक व्यापक रूप से प्रसारित राष्ट्रीय समाचार पत्र और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने 219 पुलों (₹ 208.34 करोड़ की राशि) वाले तीन[15] एन.आई.टी. का राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया। इस प्रकार, एन.आई.टी. के लिए क्रय नियमावली में परिकल्पित व्यापक प्रचार नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र (अगस्त 2014) के अनुसार ₹ 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य की

---

[12] एन.आई.टी. संख्या 798 (02.05.18) ₹354.45 करोड़ और एन.आई.टी. संख्या 888 (17.02.20) ₹1,142.84 करोड़।

[13] एन.आई.टी. संख्या 729 (12.10.17) ₹20.62 करोड़, एन.आई.टी. संख्या 890 (19.03.20) ₹33.27 करोड़।

[14] 14.09.2017 (एन.आई.टी. 729), 26.03.2018 (एन.आई.टी. 798), 31.01.2020 (एन.आई.टी. 888), 31.01.2020 (एन.आई.टी. 890)।

[15] ₹20.62 करोड़ की लागत वाले 25 पुलों के लिए एन.आई.टी. संख्या 729 दिनांक 12.10.2017, ₹33.27 करोड़ की लागत वाले 27 पुलों के लिए एन.आई.टी. संख्या 890 दिनांक 19.3.2020 और ₹154.45 करोड़ की लागत वाले 167 पुलों के लिए एन.आई.टी. संख्या 901 दिनांक 10.07.2020

एन.आई.टी. को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है और ₹ 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य का कोई पैकेज नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए सिविल कार्यों के उपार्जन हेतु पी.डब्ल्यू.डी. के परिपत्र (अगस्त 2014) के बजाय उपार्जन और अनुबंध प्रबंधन नियमावली लागू होगी।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन को उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने जी.एफ.आर., मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ई-निविदाओं के बजाय सामान्य निविदाएं आमंत्रित की, जिससे लागत काफी बढ़ गई। भविष्य में, मध्य प्रदेश शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. मध्य प्रदेश शासन के साथ-साथ पी.एम.जी.एस.वाई. दोनों पोर्टल में ई-निविदा आमंत्रित करे।

2.1.9 अनुबंध प्रबंधन

2.1.9.1 श्रमिक, संयंत्रों और मशीनरी का बीमा

संविदा अनुबंध में प्रावधान है कि ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से समाप्त होने की तारीख तक कार्य के नुकसान अथवा क्षति के लिए और व्यक्तिगत क्षति अथवा ठेकेदार के जोखिम के कारण मृत्यु की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की तारीख से दोष दायित्व अवधि के अंत तक बीमा कवर प्रदान करेगा। खंड 52 के अनुसार, यदि ठेकेदार बीमा कवर प्रदान करने में विफल रहता है तो यह अनुबंध का मौलिक उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 80 पैकेजों में से आठ[16] पैकेजों में, ठेकेदार ने बीमा पॉलिसी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और 40 पूर्ण पैकेजों में से 11[17] पैकेजों में, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीमा पॉलिसी ने दोष दायित्व अवधि को कवर नहीं किया गया। दो[18] पैकेजों में बीमा का नवीनीकरण (विलंब के मामलों में) नहीं किया गया था।

---

16 एमपी 07710 (पी.आई.यू.-छिंदवाड़ा-1), 33610, 33603, 33702 (पी.आई.यू.-सागर-1), 4270, 42601, 42603, 42604 (पी.आई.यू.-टीकमगढ़)।

17 48602, 48603, 48605 (बुरहानपुर); 07601, 07602, 07606, 07607 (छिंदवाड़ा) और 32601, 32605, 32606, 32609 (रीवा)।

18 47603 एवं 47701(अशोकनगर-2)।

इस खंड को लागू करने में संबंधित पी.आई.यू. के महाप्रबंधकों की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को उनके द्वारा भुगतान न किए गए प्रीमियम के कारण ₹84.96 लाख[19] तक का वित्तीय लाभ अर्जित हुआ। इसके अलावा, ₹87.55 करोड़ तक के कार्यों में क्षति का जोखिम बना रहा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी जमा न करने से ठेकेदार को कोई वित्तीय लाभ नहीं होता है क्योंकि वह कार्य में किसी भी क्षति अथवा नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड को लागू करने में संबंधित पी.आई.यू. के महाप्रबंधकों की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ऐसे बीमा के लिए देय प्रीमियम की सीमा तक वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ और कार्यों में क्षति का जोखिम बना रहा । इसके अलावा, विभाग द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2023) बीमा कागजात कार्य निष्पादन अवधि को कवर नहीं करते थे अथवा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जारी किए गए थे।

2.1.9.2 तकनीकी कर्मचारियों की विलंबित एवं अल्प तैनाती

अनुबंध की सामान्य शर्त यह निर्धारित करती है कि ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए अनुबंध डेटा में नामित तकनीकी कर्मियों[20] को नियुक्त करेगा। यदि ठेकेदार आवश्यक तकनीकी कर्मियों को तैनात करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार से ₹50,000/- अथवा अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत प्रति माह की दर से, जो भी अधिक हो, वसूली की जाएगी।

हमने कार्य की नस्तियों से देखा कि ठेकेदारों ने संविदा/अनुबंध का उल्लंघन करते हुए तीन पी.आई.यू. के नौ पैकेजो में तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती में तीन से 10 माह का विलंब किया था। इसके अलावा, ठेकेदारों ने सड़क निर्माण के 18 माह की संपूर्ण अवधि के दौरान भी दो से तीन संख्या के बीच कम तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया।

इस प्रकार, महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक ने उचित तकनीकी पर्यवेक्षण के साथ सड़क निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित नहीं की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इसके लिए ₹4.46 करोड़ की शास्ति भी अधिरोपित नहीं की जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.5*** में दर्शाया गया है।

---

[19] पैकेज संख्या 7710 (₹6.90 लाख), 33603 (₹9.19 लाख), 33610 (₹17.91 लाख), 33702 (₹11.09 लाख), 4270 (₹11.00 लाख), 42601 (₹18.68 लाख), 42603 (₹4.50 लाख) और 42604 (₹5.69 लाख)।

[20] प्रोजेक्ट इंजीनियर, सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर, सामग्री इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, लैब तकनीशियन और लैब सहायक आदि।

इसलिए, लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी पर्यवेक्षण अथवा तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में सड़क निर्माण की गुणवत्ता संदिग्ध है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि ठेकेदार द्वारा साइट पर कार्य की प्रगति के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया गया है और राज्य में सड़क निर्माण की गुणवत्ता हमेशा अच्छी रही है जो राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एन.क्यू.एम.) की निरीक्षण प्रतिवेदनों में परिलक्षित होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यक संख्या और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति के दौरान गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की गई, को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

<u>अनुशंसा:</u>

मध्य प्रदेश शासन को जाँच करना चाहिए कि विभाग ने बिना तकनीकी कर्मचारियों के पी.एम.जी.एस.वाई. में सड़क निर्माण की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की और संबंधित अधिकारियों जिन्होंने आवश्यक जुर्माना भी नहीं लगाया, की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

2.1.9.3 अपर्याप्त निष्पादन प्रतिभूति

पी.एम.जी.एस.वाई. के एस.बी.डी. में प्रावधान है कि 'गंभीर रूप से असंतुलित बोलियां[21] प्राप्त होने की स्थिति में, निर्माण पद्धति और कार्यों को पूरा करने की अनुसूची के साथ उद्धृत लागत की आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बोली की कीमतों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। बोलीदाता के चूक करने की स्थिति में विभाग को वित्तीय हानि से बचाने के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति भी प्राप्त की जानी थी।

हमने चयनित पी.आई.यू. में देखा कि ₹274.18 करोड़ मूल्य के चयनित 80 पैकेजों में से 33 अनुबंध (41 प्रतिशत) के मामले में बोली मूल्य 16.59 से 35.70 प्रतिशत (एस.ओ.आर. से कम) के बीच स्वीकार किए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.6*** में वर्णित है। इसके अलावा, निर्माण पद्धति के साथ उद्धृत मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबंधक (पी.आई.यू.) द्वारा बोली के मूल्यों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

---

[21] एकमुश्त अथवा इकाई बोली मदों वाली बोली जिसमें उचित वास्तविक लागत के साथ-साथ बोलीदाता के प्रत्याशित लाभ, ओवरहेड लागत और अन्य अप्रत्यक्ष लागतों का उचित आनुपातिक हिस्सा शामिल नहीं है, जो वह मदों के निष्पादन के लिए प्रत्याशित करता है। पी.डब्ल्यू.डी. के दिनांक 02.05.2016 के आदेश के अनुसार, एस.ओ.आर. से 15 प्रतिशत कम प्राप्त निविदा दरों को अव्यवहारिक दरें कहा जाता है।

सभी पैकेजों में अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा किये बिना अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिससे शासकीय हितों की रक्षा नहीं हो रही थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि यदि अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति अधिरोपित की जाती है, तो उद्धृत की गई दरों की सीमा में वृद्धि की संभावना थी और यह शासन के हित के विपरीत होगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.यू. ने न तो उद्धृत मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित की और न ही ठेकेदारों से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की थी। इसके अलावा, विभाग का उत्तर मात्र परिकल्पना है; और किसी अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

अनुशंसा:

उद्धृत मूल्य और अनुमानित मूल्य के बीच के अंतर को परिभाषित करने के लिए एन.आर. आर.डी.ए. से परामर्श कर एस.बी.डी. में विशिष्ट मानदंड शामिल किए जाने चाहिए, जिससे अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से बोली को गंभीर रूप से असंतुलित घोषित किया जा सके।

2.1.9.4 पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.) सलाहकार

(i) टीम लीडर की सेवाएं प्रदान नहीं की गई

टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.[22]) में यह प्रावधान है कि सलाहकार को योग्य और अनुभवी प्रमुख कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे। तकनीकी प्रस्ताव में दिए गए अमले को कार्य पर लगाना होगा। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में अमले के सदस्यों में बदलाव की अनुमति अमले की संख्या के 25 प्रतिशत तक ही होगी। टीम लीडर के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि आवश्यक कर्मचारी-वर्ग की सेवाएँ उचित समय पर एवं निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसके देयक से निर्धारित दर[23] से कटौती की जायेगी।

हमने देखा कि पी.आई.यू.-I सागर में, आई.डी.सी. (एस.क्यू.सी.) सलाहकार ने चरण-II के तीन पैकेजों और मध्य प्रदेश सड़क संपर्क कार्यक्रम (एम.पी.आर.सी.पी.) के सात पैकेजों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श के लिए टीम लीडर की सेवाएं (01.10.2018 से 11.06.2020 तक) प्रदान नहीं कीं थी । तथापि, महाप्रबंधक ने परामर्शदाता को भुगतान करते समय ₹ 8.0 लाख (20 महीने x ₹40,000/-) की कटौती नहीं की। टीम लीडर की सेवाओं की

[22] टी.ओ.आर. अनुबंध का हिस्सा है।

[23] टीम लीडर ₹40,000 प्रति माह, ए.एम.ई. ₹20,000 प्रति माह, ए.आर.ई. ₹15,000 प्रति माह और फील्ड इंजीनियर ₹12,000 प्रति माह।

अनुपलब्धता के कारण सलाहकार द्वारा कार्यों पर किया गया पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण संदिग्ध था।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया और बताया (दिसंबर 2023) कि रोकी गई प्रतिभूति जमा और विविध जमा राशि से ₹ 8.0 लाख वसूल किए गए हैं।

(ii) अनुबंध सीमा से परे कार्य का निष्पादन

टी.ओ.आर. में यह परिकल्पना की गई है कि परामर्शदाता पी.आई.यू. के अंतर्गत सड़क/पुल परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य अतिरिक्त सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगा, जो अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिसे कि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय उन्हीं दरों, नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है, जिन पर यह अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है।

हमने पी.आई.यू.-01 छिन्दवाड़ा में देखा, पी.एम.जी.एस.वाई. और एम.पी.आर.सी.पी. के अन्तर्गत एस.क्यू.सी. परामर्श 24 माह (वर्षा ऋतु सहित) की अवधि के लिए नायक सिंडिकेट, भोपाल को प्रदान (जनवरी 2018) की गई थी । उपर्युक्त अनुबंध के लिए कार्यों की अनुमानित लागत ₹ 40 करोड़ थी। उपर्युक्त खंड को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सेवाओं के रूप में फर्म को अधिकतम ₹20 करोड़ (₹40 करोड़ का 50%) के कार्यों की अनुमति दी जानी थी, हालांकि यह देखा गया कि सी.जी.एम., एम.पी.आर.आर.डी.ए., जबलपुर द्वारा फर्म को ₹96.50 करोड़ (मार्च 2021) की अनुमानित लागत के कार्यों की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार, टी.ओ.आर. में निर्धारित सीमा से ₹36.50 करोड़ (₹96.50-₹60.00 करोड़) अधिक की अनुमानित लागत के कार्यों को अनुमति दी गई थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि नए परामर्शदाता की अनुपलब्धता के कारण और कार्य निष्पादन में विलंब से बचने के लिए, मेसर्स नायक सिंडिकेट से अतिरिक्त कंसल्टेंसी कार्य करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिए गए अतिरिक्त कार्य का मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक हो गया। आगे बताया गया (दिसंबर 2023) कि क्रमशः मार्च 2020 और अगस्त 2020 में निविदा आमंत्रित करने और पुनः आमंत्रित करने के बाद कंसल्टेंसी को अंतिम रूप दिया (जनवरी 2021) गया ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को परामर्श सेवाएं लेने के लिए एन.आई.टी. प्रक्रिया काफी पहले शुरू कर देनी चाहिए थी ।

<u>अनुशंसा:</u>

मध्य प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जिन्होंने अनुबंध के अनुसार एस.क्यू.सी. सलाहकारों का सेवा वितरण सुनिश्चित नहीं किया।

2.1.9.5 पी.आई.यू. अधिकारियों द्वारा ₹ 5.01 करोड़ की रॉयल्टी का अनाधिकृत प्रतिधारण

पी.एम.जी.एस.वाई. लेखा नियमावली (2005) के अनुसार, ठेकेदार से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की राशि रॉयल्टी शीर्ष (3.05) में जमा की जाएगी। जब रायल्टी की राशि संबंधित प्राधिकारी को संप्रेषित की जाती है अथवा रायल्टी क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है, तो इस शीर्ष से डेबिट किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप शेष शून्य होगा। खनन विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जनवरी 2019 और मार्च 2021) ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि कटौती की गई रॉयल्टी राशि को उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व रॉयल्टी शीर्ष में जमा करने की व्यवस्था करें।

ओ.एम.एम.ए.एस. पोर्टल से लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित आठ पी.आई.यू. में रॉयल्टी शीर्ष के तहत ₹5.01 करोड़ की राशि निष्क्रिय (मार्च 2021) पड़ी थी, जिसमें से ₹ 1.52 करोड़ (30 प्रतिशत) 2001-02 से 2019-20 ***(परिशिष्ट-2.1.7)*** की अवधि से संबंधित थी। हमने आगे देखा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3.49 करोड़ (70 प्रतिशत) की राशि लंबित थी, जिसके लिए विभाग ने आदेशों के अनुसार संबंधित शीर्ष में राशि संप्रेषित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। निष्क्रिय राशि न तो शासकीय खाते में जमा की गई और न ही ठेकेदारों द्वारा दावा की गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2023) कि पी.आई.यू. ग्वालियर, बुरहानपुर, सागर, रीवा और उज्जैन के संबंध में ₹ 5.88 करोड़ की प्रतिधारित रॉयल्टी प्रेषित कर दी गई थी। हालाँकि, विभाग ने सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को पैकेज/ठेकेदार-वार विवरण और जमा की गई रॉयल्टी के प्रासंगिक अभिलेख प्रदान नहीं किए। जमा किए गए चालान की उपरोक्त राशि में लेखापरीक्षा अवलोकन की अवधि से पहले जमा किए गए चालान शामिल हैं।

<u>अनुशंसा:</u>

मध्य प्रदेश शासन को उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए जो समय पर वसूल की गई रॉयल्टी जमा करने में विफल रहे, जो राज्य शासन के राजस्व हित में नहीं था।

2.1.10 कार्य का निष्पादन

2.1.10.1 निष्पादन में विलंब और परिनिर्धारण हर्जाने का अधिरोपण

पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों (2019) की कंडिका 13.1 के अनुसार सामयिक कारकों, पैकेज के तहत कार्यों की संख्या, क्रॉस ड्रेनेज कार्यों की लंबाई आदि के आधार पर सड़कों को पूर्ण करने के लिए निर्दिष्ट समय, कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 12 से 18 माह के मध्य था। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 44.1 के अनुसार परियोजना के विलंब से पूर्ण होने पर दंड का प्रावधान[24] है।

(i) निष्पादन में विलंब

कार्य के समय पर पूर्ण होने से रहवासियों को वांछित सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेगा। विभिन्न चरणों में निर्धारित अवधि के भीतर, विलम्ब से पूर्ण एवं अपूर्ण (14.10.2021 की स्थिति में) सड़कों के उन्नयन का विवरण नीचे **चार्ट -2.1.2 (अ) एवं (ब)** में दिया गया है:-

चार्ट- 2.1.2 (अ): राज्य में 2017-18 से 2020-21 के दौरान स्वीकृत और पूर्ण किए गए सड़क कार्यों का विवरण

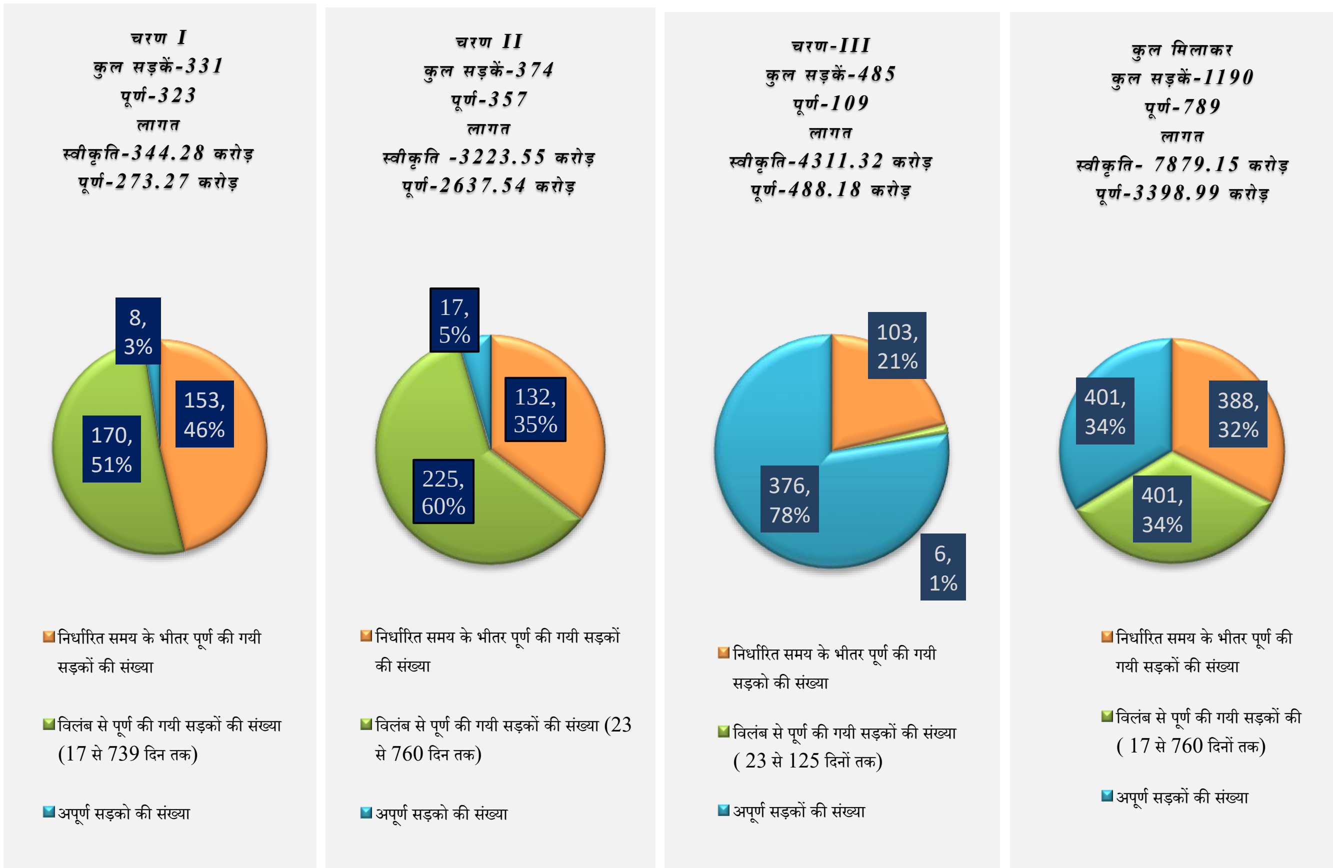

(डाटा स्रोत-ओ.एम.एम.ए.एस.)

[24] परिनिर्धारण हर्जाना अनुबंधित मूल्य का 10 प्रतिशत तक (नियमित परियोजनाओं में) और पांच प्रतिशत (ए.डी.बी. परियोजनाओं में)।

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 1,190 स्वीकृत सड़कों (लागत ₹ 7,879.15 करोड़) में से 789 (लागत ₹ 3,398.99 करोड़) पूर्ण हो चुकी थीं। इसके अलावा, 789 सड़कों में से केवल 388 सड़कें (49 प्रतिशत) निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण हुईं और 401 सड़कें (51 प्रतिशत) 17 से 760 दिनों के विलंब[25] से पूर्ण हुईं।

चार्ट-2.1.2(ब): राज्य में 2017-21 के दौरान स्वीकृत और पूर्ण किए गए एल.एस.बी. का विवरण

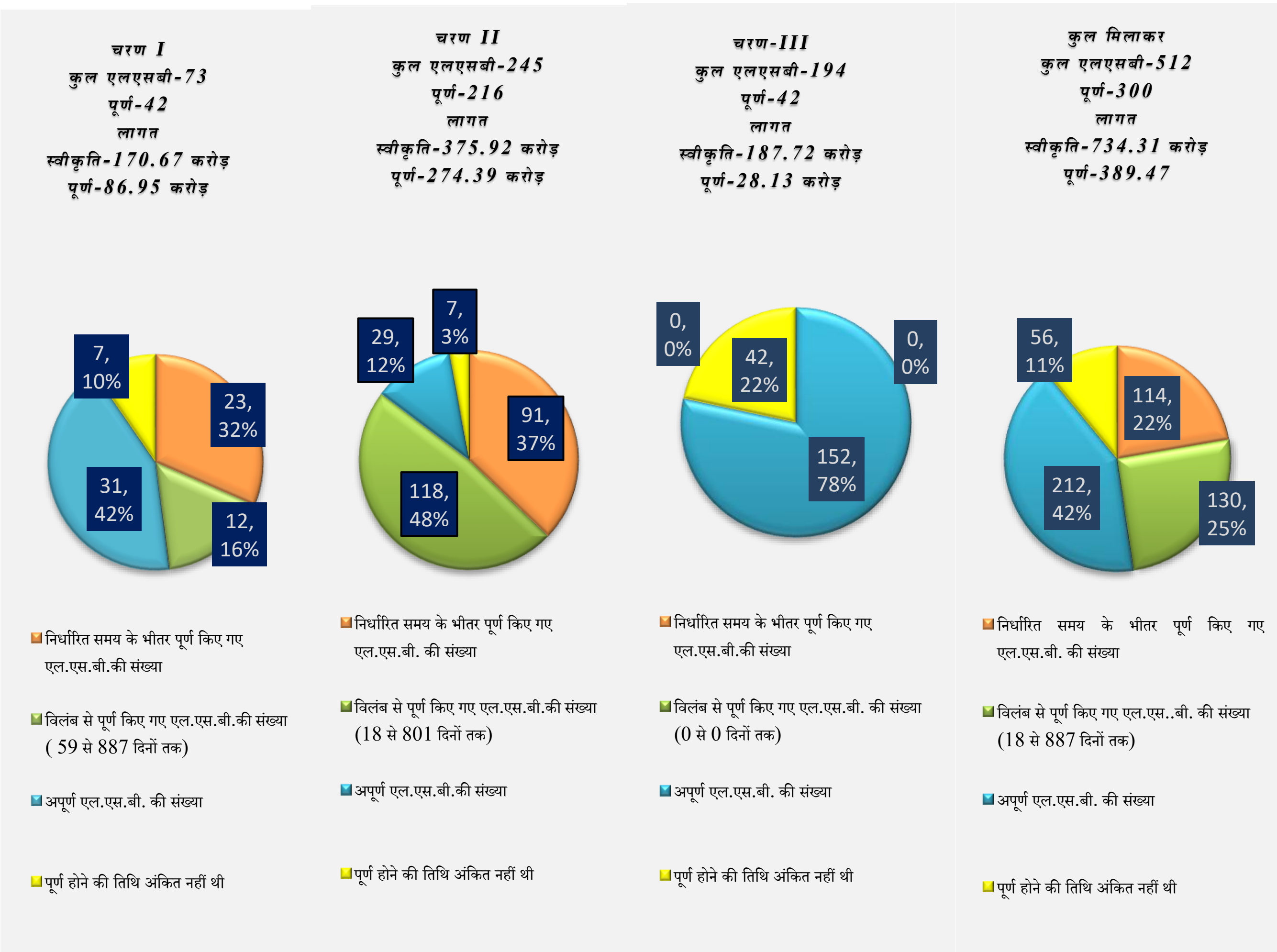

(डाटा स्रोत-ओ.एम.एम.ए.एस.)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि स्वीकृत 512 (₹734.31 करोड़ की लागत) में से 300[26] एल.एस.बी. (लागत ₹389.47 करोड़) पूर्ण किए गए थे। इसके अलावा, 300 पूर्ण एल.एस.बी. में से केवल 114 (38 प्रतिशत) एल.एस.बी. निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किए गए थे और 130 एल.एस.बी. (43 प्रतिशत) 18 से 887 दिनों के विलंब से पूर्ण किए गए थे। शेष 56 एल.एस.बी. (19 प्रतिशत) के वित्तीय/भौतिक पूर्णता की तिथि का उल्लेख ओ.एम.एम.ए.एस. में नहीं था। भौतिक/वित्तीय

[25] 15 दिनों तक के विलंब को छोड़कर।

[26] यद्यपि 300 एल.एस.बी. को पूर्ण दर्शाया गया था लेकिन एल.एस.बी. की भौतिक पूर्णता की तिथि ओ.एम.एम.ए.एस. में दर्ज नहीं की गई थी।

पूर्णता तिथि के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ये एल.एस.बी. समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए गए थे अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा ने चयनित पी.आई.यू. में आगे देखा कि 117 कार्यों (चयनित 80 पैकेजों में) में से 75 कार्य पूर्ण किए गए थे। 75 पूर्ण कार्यों में से केवल 19 कार्य (25 प्रतिशत) निर्धारित पूर्णता अवधि के भीतर पूर्ण किए गए थे और 56 कार्य (75 प्रतिशत) 13 से 632 दिनों के विलंब से पूर्ण किए गए थे।

शेष 42 कार्यों में से, दो कार्य अभी भी लंबित थे और 783 से 846 दिनों तक की विलंब से चल रहे थे, 11 कार्य निर्धारित समय के भीतर पूर्ण किए गए थे और 29 कार्य 11 दिनों से 1,175 दिनों (दिनांक 19 जनवरी 2024 की ओ.एम.एम.ए.एस. में उपलब्ध जानकारी के अनुसार) के विलंब[27] से पूर्ण हुए थे। विवरण ***परिशिष्ट-2.1.8 (अ)*** में दर्शाया गया है।

हमने देखा कि 56 कार्यों में से 46 कार्यों में विभिन्न कारणों से विलंब हुआ जैसा कि नीचे ***तालिका-2.1.7*** में बताया गया है:-

तालिका 2.1.7: विभिन्न कारणों से विलंबित कार्यों का विवरण

भूमि विवाद/ अतिक्रमण	कोविड- 19 के प्रतिबंध	न्यायालय मुकदमा	पाइप लाइन बिछाना	वन अनापत्ति प्रमाण पत्र	अतिरिक्त निर्माण	बिजली खम्भा का स्थानान्तरण	भारी वर्षा	एक से अधिक कारण	कुल कार्य
16	3	3	2	1	1	1	1	18	46

शेष 10 कार्यों में विलंब के कारण अभिलेख में नहीं थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि कुछ कार्यों में लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित विभिन्न कारणों से विलंब हुआ।

(ii) परिनिर्धारण हर्जाने का अधिरोपण

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित पी.आई.यू. में 56 में से 17 कार्य विलंब से पूर्ण हुए। इनमें से, 13 से 14 दिनों की सीमा में विलंबित तीन कार्यों को समय पर पूर्ण माना जा सकता है क्योंकि सभी परियोजनाओं के लिए तैयारी का समय 15 दिन है। तथापि, शेष 14 कार्यों में न तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार एल.डी. अधिरोपित की गई और न ही ऐसे असामान्य विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की गई थी । शेष 39 कार्यों में 0.05 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत की दर से एल.डी. अधिरोपित की गई थी। कार्यों के विलंबित समापन और परिनिर्धारण हर्जाने लगाने की स्थिति ***परिशिष्ट-2.1.8 (ब)*** में दर्शाई गई है।

[27] लेखापरीक्षा के बाद इन कार्यों के पूर्ण होने के कारण लेखापरीक्षा विलंब के कारणों की पुष्टि नहीं कर सका।

हमने आगे यह भी देखा कि:

- अधिकांश मामलों में यह तय करने के लिए कि विलंब विभाग की ओर से था अथवा ठेकेदार की ओर से, जो कि एल.डी. अधिरोपित करने के लिए पूर्व-अपेक्षित है, सप्ताहवार विश्लेषण चयनित पी.आई.यू./सी.जी.एम. कार्यालयों में उपलब्ध नहीं था।
- इन ठेकेदारों को प्रारंभ में अनंतिम रूप से समय विस्तार प्रदान किया गया था और फिर एल.डी. माफ़ करके अथवा अल्प एल.डी. अधिरोपित कर इसे नियमित कर दिया गया था।

सी.जी.एम. द्वारा 2017-21 के दौरान प्राप्त, निराकृत किए गये और एल.डी. अधिरोपित किये गये मामलों के लिए संभागीय स्तर पर बनाए गये एल.डी. पंजियों से देखी गई स्थिति नीचे **तालिका-2.1.8** में दी गई है:-

तालिका-2.1.8 : प्राप्त एल.डी. मामले, निराकृत किए गए मामले और लगाई गई एल.डी. दर्शाने वाला विवरण

सी.जी.एम. कार्यालय	प्राप्त हुए एल.डी. मामले	निराकृत किए गए एल.डी. मामले	मामलों की संख्या जिनमे एल.डी. अधिरोपित की गयी (एल.डी. का प्रतिशत)					एल.डी. के लंबित मामले
			शून्य	0.05 से 01	1.05 से 5	5.05 से 9.95	10	
भोपाल	208	208	66	95	44	0	3	0
ग्वालियर	309	309	115	141	09	3	41	0
इंदौर	329	263	169	42	33	2	17	66
जबलपुर	300	300	73	166	37	2	22	0
रीवा	103	91	23	21	17	3	27	12
सागर	166	166	46	77	23	1	19	0
उज्जैन	306	306	52	163	47	3	41	0
कुल	**1,721**	**1,643**	**544**	**705**	**210**	**14**	**170**	**78**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 544 मामलों (33 प्रतिशत) में कोई एल.डी. अधिरोपित नहीं की गई थी और 705 मामलों (43 प्रतिशत) में केवल अल्प एल.डी. (0.05 से 1.0 प्रतिशत) अधिरोपित की गई थी ।

यदि ठेकेदार कार्यों के पूर्ण होने में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं थे और सभी विलंब के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार थे, तो असामान्य विलंब के मामलों की जांच करने की आवश्यकता है और प्रणालीगत कमियों/बाधाओं, यदि कोई हो, को संबोधित करते हुए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि जब्त की गई प्रतिभूति जमा/निष्पादन प्रतिभूति जमा और अन्य देय राशियों से एल.डी. की वसूली की गई थी, जहां ठेकेदार बिना किसी औचित्य के दोषी पाए गए थे। हालांकि, अधिकांश मामलों में विलंब भूमि अधिकार की मंजूरी नहीं मिलने, भूमि पर अतिक्रमण और कोविड-19 महामारी के कारण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एल.डी. मामलों पर निर्णय लेने से पहले विलम्ब के लिए पूर्व-अपेक्षित साप्ताहिक विश्लेषण (क्योंकि यह पी.आई.यू. में उपलब्ध/संधारित नहीं था) नहीं किया गया था ।

अनुशंसा:

राज्य शासन को लेखापरीक्षा में पाए गए कार्यों के निष्पादन में असामान्य विलंब के प्रकरणों में, जिम्मेदारी तय करने और प्रणालीगत कमियों/बाधाओं को दूर करने के लिए मूल कारणों की जाँच करनी चाहिए।

2.1.10.2 बिटुमिन क्रय में संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियां

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दरों की मानक अनुसूची (एस.एस.आर.) के सामान्य नोट और अनुबंध की विशेष शर्तों (अनुबंध में उल्लिखित) के अनुसार बिटुमिन और परिवर्तित बिटुमिन शासकीय रिफाइनरी से प्राप्त किया जाएगा।

इसके अलावा, पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए एस.बी.डी. के अनुसार, ठेकेदारों को धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जानबूझकर गलत प्रस्तुति अथवा तथ्यों को छोड़ना अथवा शासकीय अधिकारियों को उनके आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसका उद्देश्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय हितों को नुकसान पहुंचाना है। यदि ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन से पहले अथवा उसके दौरान ऐसी गतिविधियों में लिप्त होता है, तो शासन ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर देगा और यदि पहले से ही निष्पादन के तहत अनुबंध है, तो उसे समाप्त कर देगा अथवा ठेकेदार को भविष्य के अनुबंधों से बाहर कर देगा। इसके अलावा, धोखाधड़ी के ऐसे जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए, शासन ठेकेदार की बोली प्रतिभूति और निष्पादन प्रतिभूति की पूरी राशि जब्त कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने 2017-21 के दौरान बिटुमिन के क्रय की जांच करने के लिए पी.आई.यू. में मौजूद प्रणालियों का विश्लेषण किया। इस उद्देश्य के लिए, ठेकेदारों द्वारा 2.27 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन की क्रय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत (अप्रैल 2017 और मार्च 2021 के बीच स्वीकृत कार्यों के लिए), कुल 9,903 चालान 51 जिलों के सभी 75 पी.आई.यू. से एकत्र

किए गए थे। चालानों की जांच से पता चला कि ₹ 790.30 करोड़ मूल्य का 2.10 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन (9,123 चालान के संबंध में) शासकीय रिफाइनरियों से और ₹ 60.92 करोड़ मूल्य का 0.17 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन (780 चालान के संबंध में) निजी रिफाइनरियों से क्रय किया गया था।

बिटुमिन क्रय की प्रक्रिया में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

(i) फर्जी/कूटरचित चालान प्रस्तुत करने की संभावना

जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹790.30 करोड़ मूल्य का 2.10 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन (9,123 चालान के संबंध में) शासकीय रिफाइनरियों से क्रय किया गया था। चालानों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने हेरफेर जैसे अलग-अलग विवरणों के साथ एक ही चालान संख्या, चालान की तारीख में हेरफेर, मूल प्रति के बजाय ट्रांसपोर्टर/विक्रेता की प्रति का उपयोग आदि देखा। इसलिए, सभी 9,123 चालान सत्यापन के लिए संबंधित 14 शासकीय रिफाइनरियों को भेजे गए थे। प्रति-सत्यापन से पता चला कि ₹ 320.75 करोड़ मूल्य के 0.80 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन क्रय के समर्थन में 3,389 चालान (260 ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत) रिफाइनरियों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। यह इंगित करता है कि ठेकेदारों ने विभाग को धोखा देने के उद्देश्य से फर्जी/कूटरचित चालान प्रस्तुत किया।

3,389 चालान 49 जिलों के 71 पी.आई.यू. से संबंधित हैं। इनका विवरण *परिशिष्ट-2.1.9* में दिया गया है ।

उपर्युक्त सभी मामलों में, पी.आई.यू. ने एस.एस.आर. के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया और भुगतान पारित करने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया कि बिटुमिन वास्तव में शासकीय रिफाइनरियों से क्रय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बिटुमिन के संदिग्ध क्रय के लिए ठेकेदारों को ₹320.75 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका।

यह इंगित किये (जून 2022) जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि रिफाइनरियों के बिटुमिन के देयकों के सत्यापन के संबंध में एस.एस.आर. अथवा अनुबंध दस्तावेजों में कोई प्रावधान नहीं है और बिटुमिन की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन स्वतंत्र मॉनिटरों जैसे एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशालाओं/तृतीय पक्ष राष्ट्रीय और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा किया जाता है। विभाग ने आगे कहा कि सभी पी.आई.यू.

को चालानों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए रिफाइनरियों के पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु यूजर आई.डी. और पासवर्ड दिया गया है।

विभाग के उत्तर से पता चलता है कि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर चालान की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए (क्रय की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल को प्रदाय करना) तंत्र विकसित किया। इसके अलावा, विभाग ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दोषी ठेकेदारों से निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने अथवा ऐसे ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये जा रहे किसी भी मौजूदा अनुबंध को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई (दिसंबर 2023 तक) नहीं की है।

(ii) एक से अधिक पैकेज में एक ही चालान का उपयोग

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी.आर.आर.डी.ए. के आदेश[28] दिनांक सितम्बर 2020 के अनुसार, ठेकेदार को यह दावा करने के लिए कि सामग्री साइट पर लाई गई है, खपत के अनुसार बिटुमिन के मूल और डुप्लिकेट चालान प्रस्तुत करने होंगे और विभाग भुगतान करने से पहले, मूल चालान में कार्य में उपयोग की गई सामग्री की प्रविष्टि करेगा, जिससे उसका कहीं और उपयोग न किया जा सके। इसके अलावा, इसका उद्देश्य उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी था।

हमने पाया कि 37 ठेकेदारों ने दो अलग-अलग पैकेजों में बिटुमिन क्रय के प्रमाण के रूप में ₹30.83 करोड़ मूल्य के 362 चालान (8,359.203 मीट्रिक टन) प्रस्तुत किया। इसी तरह, दो[29] ठेकेदारों द्वारा तीन अलग-अलग पैकेजों में ₹82.04 लाख मूल्य के 10 चालान (222.79 मीट्रिक टन) धोखाधड़ी से प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार, डुप्लिकेट/ट्रिप्लिकेट चालान के कारण विभाग द्वारा ₹32.47 करोड़[30] का संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान हुआ था। विवरण *परिशिष्ट-2.1.10 (अ)* में दिया गया है।

इनमें से 205 चालान (5,124.649 मीट्रिक टन) जिनका मूल्य ₹20.15 करोड़ था, सितंबर 2020 के बाद प्रस्तुत किए गए थे, जैसा कि *परिशिष्ट-2.1.10 (ब)* में दिया गया है।

सी.ई.ओ. के आदेशों का उल्लंघन में संबंधित पी.आई.यू. द्वारा मूल चालानों पर प्रविष्टि में विफलता के कारण, ठेकेदारों को एक ही चालान कई बार प्रस्तुत करने का अवसर मिला,

---

[28] आदेश संख्या 12931 दिनांक 05.09.2020.

[29] मेसर्स रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी और मेसर्स ओशो एसोसिएट्स, ग्वालियर ।

[30] डुप्लिकेट चालान के कारण ₹30.83 करोड़+(₹82.04 लाखX2=₹1.64 करोड़) ट्रिप्लिकेट चालान के कारण=₹32.47 करोड़।

जिसके परिणामस्वरूप बिटुमिन की वास्तविक क्रय के बिना ठेकेदारों को ₹20.15 करोड़ का भुगतान किया गया और शासकीय खजाने से उस सीमा तक अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, विभाग ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले दोषी ठेकेदारों से बोली प्रतिभूति और निष्पादन प्रतिभूति जब्ती के लिए अथवा ऐसे ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे किसी भी मौजूदा अनुबंध को रद्द करने की कोई कार्रवाई (दिसंबर 2023 तक) नहीं की थी।

यह इंगित किये (जून 2022) जाने पर, विभाग ने कहा (दिसंबर 2023) कि नवंबर 2019 से रिफाइनरियों से ऑनलाइन तैयार किए गए चालानों को ठेकेदारों द्वारा कई बार डाउनलोड किया गया था और दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, चालानों को ठेकेदारों द्वारा बदल दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.यू. ने मूल चालान प्राप्त नहीं किया अथवा भुगतान पारित करने से पूर्व यथोचित कार्य नहीं किया, जिससे ठेकेदारों को विभिन्न पैकेजों में एक ही चालान का उपयोग करने का अवसर मिल गया। अगर भुगतान पारित करने से पहले मूल चालान में प्रविष्टि करने के संबंध में सी.ई.ओ. के आदेश का कड़ाई से पालन किया गया होता तो कम से कम सितंबर 2020 के बाद संसाधित मामलों में इसका पता लगाया जा सकता था।

(iii) कार्य पूर्णता की तिथि के बाद बिटुमिन/इमल्शन क्रय चालान की स्वीकृति

हमने चार[31] पी.आई.यू. में देखा कि ₹0.80 करोड़ की राशि के 217.443 मीट्रिक टन बिटुमिन (वी.जी.-30)/इमल्शन के चालानों को सात पैकेजों में कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद अनियमित रूप से अनुमत्य किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.11*** में वर्णित है।

कार्य पूर्णता की तिथि के बाद चालानों को स्वीकार करने से यह संभावना व्यक्त होती है कि क्रय की गई सामग्री की निष्पादित कार्यों में आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए ऐसे दावों को स्वीकार करने से ठेकेदारों को ₹0.80 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

यह इंगित (जून 2022) किये जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि ठेकेदार ने आसपास की साइटों के अन्य पैकेज के चालानों को गलती से संलग्न किया। हालाँकि, संबंधित अधिकारियों और एस.क्यू.सी. के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है जिन्होने पूर्णता तिथि के बाद चालान स्वीकार किए थे।

[31] बड़वानी, पी.आई.यू.-01 दमोह, पी.आई.यू.-01 शिवपुरी और पी.आई.यू.-02 बैतूल (इमल्शन)।

आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2024)।

(iv) निजी पार्टियों से बिटुमिन का क्रय

चालानों की जांच से पता चला कि 42 पी.आई.यू. के 115 पैकेजों में, ठेकेदारों ने शासकीय रिफाइनरियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 60.92 करोड़ की कीमत का 0.17 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन क्रय किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.12*** में वर्णित है। इस प्रकार, ठेकेदारों द्वारा निजी पार्टियों से क्रय किए गए बिटुमिन को एस.एस.आर. के सामान्य नोट और अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि निजी पार्टियों ने शासकीय रिफाइनरियों से क्रय कर बिटुमिन की आपूर्ति की, जिसका परीक्षण एन.ए.बी.एल. से अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया और कार्य की निगरानी गुणवत्ता सलाहकार, एस.क्यू.एम. और एन.क्यू.एम. द्वारा की गई। हालांकि, उन अधिकारियों (जी.एम.) जिन्होंने ठेकेदार को निजी पार्टियों से बिटुमिन क्रय की अनुमति दी थी, पर कार्रवाई की जा रही है और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग निजी पार्टियों द्वारा शासकीय रिफाइनरियों से बिटुमिन की क्रय के संबंध में कोई सबूत नहीं दे सका। इसके अलावा, ठेकेदारों को एस.एस.आर. के सामान्य नोट और अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार निजी पार्टियों से बिटुमिन क्रय की अनुमति नहीं थी।

(v) बिटुमिन का चालान प्राप्त किए बिना भुगतान किया गया

हमने पी.आई.यू. बुरहानपुर और पी.आई.यू. 01-रीवा में देखा कि 885.939 मीट्रिक टन की खपत वाले निष्पादित बिटुमिन मदों के लिए भुगतान किए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने केवल 681.509 मीट्रिक टन बिटुमिन के लिए चालान प्रस्तुत किए। 204.43 मीट्रिक टन चालान की कम प्राप्ति हुई जैसा कि नीचे **तालिका-2.1.9** में दर्शाया गया हैः –

तालिका-2.1.9: चालान की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

पी.आई.यू.	पैकेज संख्या	ठेकेदार का नाम	बिटुमिन की खपत (एम.टी. में)	प्राप्त बिटुमिन के चालान (एम.टी. में)	चालान की कम प्राप्ति (एम.टी में)	कम प्राप्ति का मूल्य (@27,150+18% जी.एस.टी.)
बुरहानपुर	48602	सत्येन्द्र सिंह	199.559	174.829	24.73	7,92,275
रीवा	32609	राम शुक्ला	686.38	506.68	179.70	57,57,048
कुल			**885.939**	**681.509**	**204.43**	**65,49,323**

चालान जो बिटुमिन के क्रय और उपयोग के समर्थन में अनिवार्य था, के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ₹ 0.65 करोड़ की राशि के 204.43 मीट्रिक टन बिटुमिन का उपयोग कार्य में किया गया था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि पी.आई.यू.-बुरहानपुर और पी.आई.यू.-1 रीवा से चालान प्राप्त कर लिए गए हैं और चल देयकों का भुगतान करने से पहले बिटुमिन के सभी चालान प्राप्त करने के निर्देश पी.आई.यू. को जारी किए जाएंगे। आगे कहा गया (दिसंबर 2023) कि संबंधित महाप्रबंधकों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है (जून 2024)।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन उपर्युक्त मामलों की जांच कर सकता है और जहां भी आवश्यक हो, ठेकेदारों और/अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश शासन को संदिग्ध दावों, जिनका निष्पादित परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, की जांच के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

2.1.10.3 गैर-आई.एस.आई. चिन्हित ह्यूम पाइपों की आपूर्ति

एस.एस.आर. के सामान्य नोट संख्या 9 में प्रावधान है कि आई.एस.आई. चिन्हित सुदृढ़ सीमेंट कंक्रीट ह्यूम पाइपों का उपयोग सड़क कार्यों में अनिवार्य रूप से किया जाना था। ऐसे मामलों में जहां यह उपलब्ध नहीं है, डी.जी.एस. एंड डी. अथवा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) द्वारा विधिवत परीक्षण किए गए आई.एस. विनिर्देशों के अनुरूप ह्यूम पाइप का उपयोग और भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान करने से पहले डी.जी.एस. एंड डी. अथवा एम.पी.एल.यू.एन. के परीक्षण प्रमाण पत्र को अभिलेख में रखा जाएगा। प्रासंगिक आई.एस. कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार ह्यूम पाइपों का विध्वंसक परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और परीक्षण प्रमाण पत्र अभिलेख में रखा जाना चाहिए।

हमने पांच[32] पी.आई.यू. के 14 पैकेजों में देखा कि पाइपों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना 1000 मि.मी. ह्यूम पाइप का उपयोग किया गया था। आगे यह देखा गया कि ठेकेदारों को बिना आई.एस.आई. मार्क के बीजक प्रदान करने के बावजूद 3250.50 मीटर के लिए आई.एस.आई. मार्क वाले पाइपों (₹4,975 प्रति मीटर) की दर से भुगतान किया गया था। ह्यूम पाइपों के लिए

[32] बुरहानपुर, रीवा-01, सागर-01, टीकमगढ़, उज्जैन-02

ठेकेदार द्वारा 11 पैकेजों में कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया गया था। इनके निरीक्षण प्रतिवेदन एवं परीक्षण प्रमाण-पत्र अभिलेखों में नहीं पाये गये।

आई.एस.आई. चिन्हित पाइपों का उपयोग न करने की स्थिति में गैर-आई.एस.आई. चिन्हित पाइपों की दर से भुगतान किया जाना था। इसके कारण ठेकेदारों को ₹29.49 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.13*** में वर्णित है।

विभाग ने तथ्य स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2023) कि पी.आई.यू.-1 सागर, पी.आई.यू.-2 उज्जैन और पी.आई.यू. टीकमगढ़ द्वारा ठेकेदारों से ₹ 12.46 लाख की वसूली की गई थी। हालांकि, अभी भी ठेकेदारों से ₹ 17.03 लाख की वसूली बाकी है।

2.1.10.4 टैक कोट का अनियमित प्रावधान/निष्पादन

एन.आर.आर.डी.ए. और एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने प्राइम्ड ग्रेन्युलर सतह पर टैक कोट[33] के प्रावधान को हटाने के निर्देश (मार्च और मई 2018) दिये थे जहां दोनों, चल रहे और भविष्य के पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों के लिए बिटुमिन परत की मोटाई 40 मि.मी. से अधिक है।

हमने सात पी.आई.यू. के 18 पैकेजों में देखा कि एन.आर.आर.डी.ए./एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन में 9,23,526 वर्गमीटर पर टैक कोट का अनियमित रूप से प्रावधान/निष्पादन (मई 2018 के बाद) सड़क कार्यों में किया गया था, इस प्रकार राज्य के कोष पर ₹ 1.17 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.14*** में दर्शाया गया है।

विभाग ने तथ्य स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2023) कि पी.आई.यू. बुरहानपुर, टीकमगढ़ और पी.आई.यू.-1 सागर द्वारा ₹ 18.53 लाख की वसूली की गई है और उचित जांच के बाद शेष राशि जल्द ही वसूल की जाएगी।

2.1.10.5 वृक्षारोपण

योजना नियमावली और योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि सड़कों के दोनों किनारों पर फल देने वाले और अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने का कार्य राज्य शासन/पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के निधि से अथवा मनरेगा, कैम्पा अथवा खनिज उपकर निधि सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा।

[33] टैक कोट डामर की एक पतली परत होती है जो पुरानी और नई डामर परतों के बीच जुड़ाव सुनिश्चित करती है।

हमने चयनित 10 पी.आई.यू.[34] में देखा कि यद्यपि डी.पी.आर. के साथ संलग्न पर्यावरण प्रबंधन योजना में सड़क किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया था, परन्तु संबंधित विभागों/प्राधिकरणों द्वारा अभिसरण अथवा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय करके इसे क्रियान्वित नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि अन्य ग्रामीण विकास योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से सड़क के किनारे वृक्षारोपण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.10.6 ग्रामीण सड़क सुरक्षा

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सड़क परियोजनाओं में सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग उपायों में जंक्शनों पर अतिक्रमण हटाना, मुख्य सड़कों के साथ ग्रामीण सड़कों के मिलन बिंदु के पास रंबल स्ट्रिप्स का प्रावधान, सड़क संकेतों का प्रावधान, यातायात नियंत्रण उपकरण, विद्यमान सड़क पर खतरनाक स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान और सुधार, ग्रामों, बसाहटों के पास बस-बे का प्रावधान, ग्रामों और बसाहटों से गुजरने वाली सड़कों पर गति अवरोधक जैसे गति प्रबंधन के उपाय शामिल हैं।

चयनित पैकेजों में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गईं:

- 37 पैकेजों की डी.पी.आर. में 507 गति अवरोधक के प्रावधान के विरुद्ध 212 गति अवरोधक (42 प्रतिशत) का निर्माण नहीं किया गया था तथा चार पैकेजों में 12 गति अवरोधक का निर्माण अधिक किया गया था। डी.पी.आर. में 46 गति अवरोधक के प्रावधान के बावजूद पांच सड़कों में कोई गति अवरोधक नहीं बनाया गया था। 3,448 चेतावनी, सूचनात्मक तथा अनिवार्य साइन बोर्ड के प्रावधान के विरुद्ध 935 (27 प्रतिशत) बोर्ड स्थापित नहीं किए गए थे तथा सात पैकेजों में 92 चेतावनी, सूचनात्मक साइन बोर्ड अधिक स्थापित किए गए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.15*** में वर्णित है।
- सड़कों को पार करने वाली कम ऊंचाई वाली बिजली की लाइनें, शोल्डर के करीब बिजली के खंभों को यातायात सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में पहचाना जाता है। हमने देखा कि 46 पूर्ण सड़कों में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए ₹5.07 करोड़ के प्रावधानों के विरुद्ध, केवल 10 पैकेजों[35] में निविदाएं आमंत्रित/कार्य आदेश जारी किए गए थे। एन.आई.टी. में 10 से 32 माह की अवधि का विलंब हुआ था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.16*** में वर्णित है।

[34] पी.आई.यू.-3 धार एवं पी.आई.यू.-2 बैतूल ने संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया है, लेकिन पौधारोपण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

[35] विद्युत लाइनों एवं खंभों को स्थानांतरित करना/ऊंचा करना।

पी.आई.यू. ग्वालियर में, पैकेज संख्या 14604 के लिए विद्युत कार्य हेतु एन.आई.टी. को संबंधित सड़क निर्माण के लगभग दो वर्ष बाद आमंत्रित किया गया था । हमने आगे देखा कि तीन पी.आई.यू.[36] के छह पैकेजों में 36 दिनों से 390 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया गया था जिसमें खंभों का स्थानातरण एक कारण था। इस प्रकार, विद्युत लाइन/खंभों के विलंबित/स्थानांतरित न होने से कार्यों की प्रगति बाधित हुई।

- किसी भी सड़क डी.पी.आर. में ग्रामों/बसाहटों के निकट बस-बे का प्रावधान नहीं किया गया था।
- दिशानिर्देश (2019) की कंडिका 18.5 में यह प्रावधान है कि ओ.एम.एम.ए.एस. के अन्दर एक सड़क सुरक्षा मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है, जिसमें (अ) दुर्घटना डेटा रिकॉर्डिंग (ब) तस्वीरों के साथ खतरनाक स्थानों का निरूपण शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया था और ओ.एम.एम.ए.एस. मॉड्यूल (सितंबर 2021) में दुर्घटनाओं और खतरनाक स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) का कोई डेटा शामिल नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, विभाग और एस.एल.एस.सी. द्वारा सड़क सुरक्षा की तिमाही समीक्षा के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई। जी.एम., पी.आई.यू. सड़क फर्नीचर/उपकरण के अनिवार्य निर्माण और उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए गति अवरोधकों का निर्माण कभी-कभी डी.पी.आर. में प्रावधान से भिन्न होता है और वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने के अनुमान अत्यधिक समय लेते हुए जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों में बस-बे का निर्माण आवश्यक नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.पी.आर. में प्रावधानित 42 प्रतिशत गति अवरोधकों का निर्माण न होने से डी.पी.आर. की तैयारी में कमी के साथ-साथ अपर्याप्त/अप्रभावी ट्रान्सेक्ट वॉक हुआ। इसके अलावा, पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों के अनुसार बस-बे का निर्माण नहीं किया गया था।

[36] पी.आई.यू.02-बैतूल (पैकेज संख्या 3607, 3609 और 3610); पी.आई.यू.01-बुरहानपुर (पैकेज संख्या 48602) और पी.आई.यू.01 रीवा (पैकेज संख्या 32606 और 32609)।

2.1.11 संयुक्त भौतिक सत्यापन

लेखापरीक्षा दल द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 68 कार्यों[37] का संयुक्त भौतिक सत्यापन संबंधित पी.आई.यू. के यंत्रियों के साथ किया गया। हमने निम्नलिखित अनियमितताएं (***परिशिष्ट-2.1.17***) देखीं:-

- दिशानिर्देश (2015) के खंड 11.4 और पी.एम.जी.एस.वाई. के संचालन नियमावली (खंड 8.14) के अनुसार सड़कों के दोनों छोर पर पी.एम.जी.एस.वाई. के प्रतीक चिन्ह के साथ सिटीजन चार्टर/साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए। भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि 36 कार्यों (34 सड़कों और दो पुलों) में दोनों छोर पर सिटीजन चार्टर/साइन बोर्ड लगाए गए थे, 30 कार्यों (28 सड़कों और दो पुलों) में एक छोर पर और दो सड़कों पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था।

- स्कूल, बाजार, बस स्टॉप, नदी, अस्पताल आदि स्थानों पर सावधानी, सूचनात्मक एवं अनिवार्य संकेत बोर्ड 41 सड़कों पर पूर्ण रूप से लगाए गए थे, 11 सड़कों पर आंशिक रूप से लगाए गए थे तथा आठ सड़कों (पूर्ण 60 सड़कों में से) पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था।

- पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों (2013) के खंड 7.6 (iv) के अनुसार, जहां सड़क किसी बसाहट से होकर गुजरती है, वहॉं निर्माण क्षेत्र में दोनों तरफ 50 मीटर तक सड़क को उपयुक्त रूप से सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) सड़क अथवा पक्के पत्थरों के साथ डिजाइन किया जा सकता है, जिसके साथ साइड की नालियां और क्रॉस जल निकासी प्रदान किया जाएगा, ताकि अनुचित जल निकासी सड़क अथवा आसपास के आवासों को नुकसान न पहुंचाए।

  हमने पाया कि 56 सड़कों में से, जिनमें बसाहटों के किनारे जल निकासी का प्रावधान था, केवल दो सड़कों पर साइड नालियों का निर्माण किया गया था, 10 सड़कों में आंशिक रूप से निर्माण किया गया था और 44 सड़कों में निर्माण नहीं किया गया था। चार सड़कों में साइड नालियों का कोई प्रावधान नहीं था। अनुचित जल निकासी ने सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है:-

[37] पूर्ण सड़कें-60, निर्माणाधीन सड़कें-04 और पुल-04।

1.पैकेज संख्या 14604 बेहट से फुसावली मड़िया दिनांक 07 अक्टूबर 2021	*2. पैकेज संख्या एमपी 4270 काकावानी से सियादपुरा दिनांक 17 सितंबर 2021*

महाप्रबंधक, साइट इंजीनियर और एस.क्यू.सी. ने बिल ऑफ क्वांटिटी (अनुबंध का भाग) के अनुसार साइड नालियों का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जिससे सड़क की गुणवत्ता और आयु पर असर पड़ा।

- 60 पूर्ण सड़कों में से 19 में शोल्डर क्षतिग्रस्त पाए गए थे जिनमें नौ सड़कें शामिल है जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग द्वारा पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए शोल्डर खोदे गये थे जिससे वाहनों की गतिशीलता की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता हुआ जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है:

3. पैकेज संख्या 14604 (मुरार बेहट से फुसावली) दिनांक 07 अक्टूबर 2021	*4. पैकेज संख्या 4270 (एल089- मऊ झांसी से नेगांव) दिनांक 17 सितंबर 2021*

- पी.आई.यू. 02-अशोकनगर के पैकेज संख्या एम.पी. 47601 (नवानी से खुरवासा) की लंबाई 5.624 किमी ₹13.17 लाख मूल्य के 37.79 मीट्रिक टन बिटुमिन का उपयोग

करके और पैकेज संख्या एम.पी. 47602 (सुरेल से पाथखेडा) की लंबाई 4.20 किमी ₹13.55 लाख मूल्य के 36.024 मीट्रिक टन बिटुमिन का उपयोग करके क्रमशः मई 2019 और अप्रैल 2019 को पूर्ण किये गये। इन सड़कों में उपयोग किए गए बिटुमिन चालान शासकीय रिफाइनरियों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। दोनों सड़कों को पाँच वर्ष के लिए दोष दायित्व अवधि के तहत कवर किया गया था और 2020-22 के दौरान सड़कों के रखरखाव पर क्रमशः ₹4.08 लाख और ₹6.26 लाख का व्यय किया (सितंबर 2021 तक) गया था। सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमें दोनों सड़कों पर गड्ढे (5 इंच तक), गाड़ी के रास्ते और शोल्डर में दरारें मिली। इससे सिद्ध होता है कि आवश्यक बिटुमिन का उपयोग नहीं किया गया और इन सड़कों का अनुरक्षण कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया गया जैसा कि **चित्र-5 और 6** में दर्शाया गया है।

5 .नवानी से खुरवासा रोड (पैकेज 47601) दिनांक 23 सितंबर 2021

6. पैकेज क्रमांक एमपी 47602 (सुरेल से पाथखेड़ा) दिनांक 24 सितंबर 2021

- सभी पूर्ण 60 पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि न तो डी.पी.आर. में बस-बे का प्रावधान किया गया था और न ही बसाहटों के पास सड़कों के किनारे इसका निर्माण किया गया था। पी.आई.यू. 03-धार के पैकेज क्रमांक एमपी 11605 और एमपी 11703 में बस-बे गांवों/बसाहटों के निकट निर्मित नहीं पाए गए जैसा कि नीचे दिये गये चित्र में दर्शाया गया हैः -

7. पैकेज क्रमांक एमपी 11703 ***बदनावर (डेलची) से राजोद*** ***दिनांक 23 अगस्त 2021***	***8. पैकेज क्रमांक एमपी 11605*** ***अमझेरा से भोपावर*** ***दिनांक 14 अगस्त 2021***

पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का संयुक्त सत्यापन दर्शाता है कि पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी बेहद कमजोर है और शासन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि स्थापित सिटीजन/सूचना बोर्ड क्षतिग्रस्त/चोरी हो गए। साइड ड्रेनेज का निर्माण भूमि की उपलब्धता और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्भर करता है। इसके अलावा, पाइप लाइन बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अब मरम्मत कर दी गई है ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को भुगतान भौतिक सत्यापन के दौरान स्थापित सिटीजन चार्टर/साइन बोर्डों की वास्तविक संख्या के लिए किया गया था। इसके अलावा, डी.पी.आर. के साथ संलग्न वास्तविक स्थल सर्वेक्षण में दोनों तरफ नालियों के निर्माण के लिए सड़क के किनारे भूमि की अनुपलब्धता प्रदर्शित नहीं की गई है।

<u>अनुशंसा:</u>

मध्य प्रदेश शासन को उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिये जो पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

2.1.12 वित्तीय प्रबंधन

योजना के दिशा-निर्देशों में सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रमशः 60:40 लागत साझा करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन से निर्माण के बाद पाँच वर्षों तक सड़कों की पूर्ण नियमित रखरखाव लागत और आगे के पांच वर्षों के लिए आवधिक नवीनीकरण, विशेष मरम्मत इत्यादि वहन करना अपेक्षित था।

भारत सरकार और राज्य शासन से प्राप्त निधि तीन नामित खातों अर्थात कार्यक्रम निधि (कार्यों के निष्पादन के लिए), प्रशासनिक निधि (प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए) और रखरखाव निधि (सड़कों के रखरखाव के लिए) में रखा जाता है ।

वित्तीय प्रवाह का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व नीचे ***चार्ट-2.1.3*** में दिया गया है:

चार्ट 2.1.3: वित्तीय प्रवाह

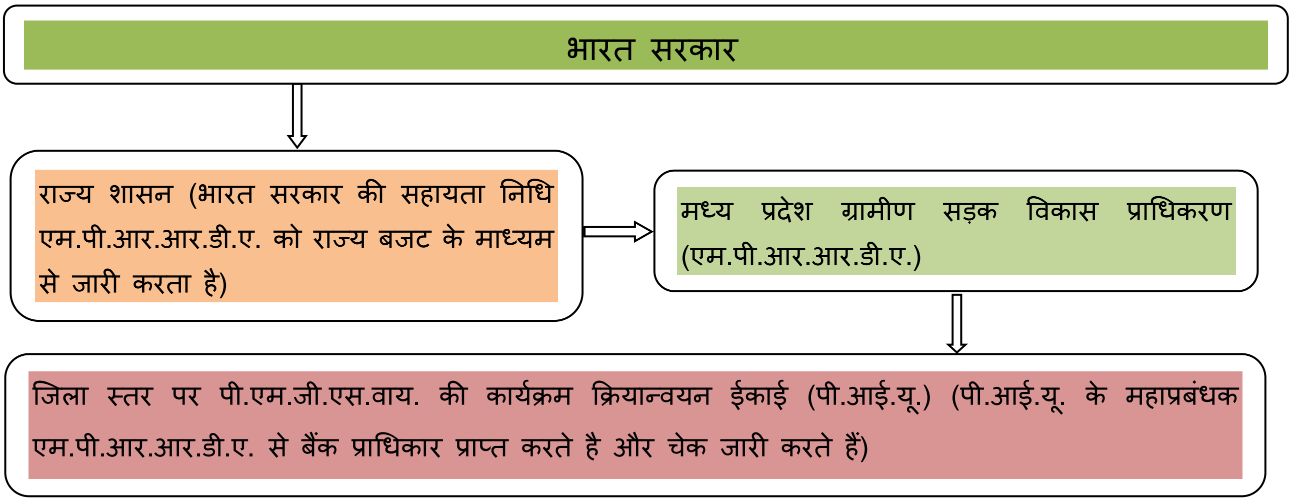

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुमोदित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन को दो किश्तों में निधि जारी करता है। परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य (अथवा वार्षिक आवंटन जो भी कम हो) के 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त मंजूरी के बाद और शर्तों, यदि कोई हो, को पूर्ण करने के अधीन जारी की जाती है। द्वितीय किश्त (प्रदाय किये गये कार्यों की लागत की शेष राशि के समतुल्य) उपलब्ध धन के 60 प्रतिशत के उपयोग और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष में दिए गए सड़क कार्यों के कम से कम 80 प्रतिशत और उस वर्ष से पहले के सभी वर्षों के प्रदत्त कार्यों का 100 प्रतिशत पूर्ण होने के अधीन जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश शासन कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यक्रम व्यय में निविदा प्रीमियम और लागत वृद्धि के विरुद्ध समतुल्य अंशदान और निधि प्रदान करता है।

अवधि 2017-21 के दौरान एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा भारत सरकार, राज्य शासन से प्राप्त कार्यक्रम निधि (पी.एम.जी.एस.वाई.), अव्ययित निधि पर अर्जित ब्याज/आकस्मिक आय और

एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा किए गए कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.1.10** में दिया गया है:-

तालिका-2.1.10: प्राप्त निधि एवं कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार का आवंटन	मध्य प्रदेश शासन का आवंटन	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी निधि (आवंटन के विरुद्ध और उसका प्रतिशत)	मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निधि (आवंटन के विरुद्ध और उसका प्रतिशत)	ब्याज और आकस्मिक आय	वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि[38]	कार्यों पर व्यय (उपलब्ध निधि से प्रतिदेय[39] जमा राशि की कटौती के बाद प्रतिशत)	वर्ष के अंत में शेष राशि
2017-18	1,733.00	1,155.33	2027.39	1,088.21 (62.79)	726.35 (62.87)	67.27	3,909.22	1,788.71 (57)	2,120.51
2018-19	1,200.00	800.00	2120.51	901.67 (75.14)	601.12 (75.14)	198.55	3,821.85	2,448.49 (82)	1,373.36
2019-20	1,000.00	666.67	1373.36	1,014.70 (101.47)	676.47 (101.47)	49.05	3,113.58	1,791.28 (78)	1,322.30
2020-21	1,200.00	800.00	1322.30	997.13 (83.09)	904.71 (113.08)	84.58	3,308.72	2,206.61 (88)	1,102.11
कुल	**5,133.00**	**3,422.00**		**4,001.71 (77.90)**	**2,908.65 (84.90)**	**399.45**		**8,235.09**	

(स्रोत: नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

हमने देखा कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. 2017-18 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति के कारण उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत भी व्यय नहीं कर सका। हालांकि, एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने 2018-19 से व्यय में सुधार किया है।

हमने 2017-21 के दौरान भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से निधि जारी करने में गिरावट का रूझान देखा जो क्रमशः 63 से 83 प्रतिशत और 63 से 75 प्रतिशत के बीच कम हुई थी। एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा निधि उपयोग की स्थिति को **चार्ट 2.1.4** दर्शाता है।

[38] अंतिम शेष में वापसी योग्य जमा राशि शामिल है: 2017-18 ₹779.88 करोड़, 2018-19 ₹855.07 करोड़, 2019-20 ₹833.73 करोड़ और 2020-21 ₹818.80 करोड़।

[39] वापसी योग्य जमा में प्रतिभूति जमा, विविध जमा और रॉयल्टी शामिल है।

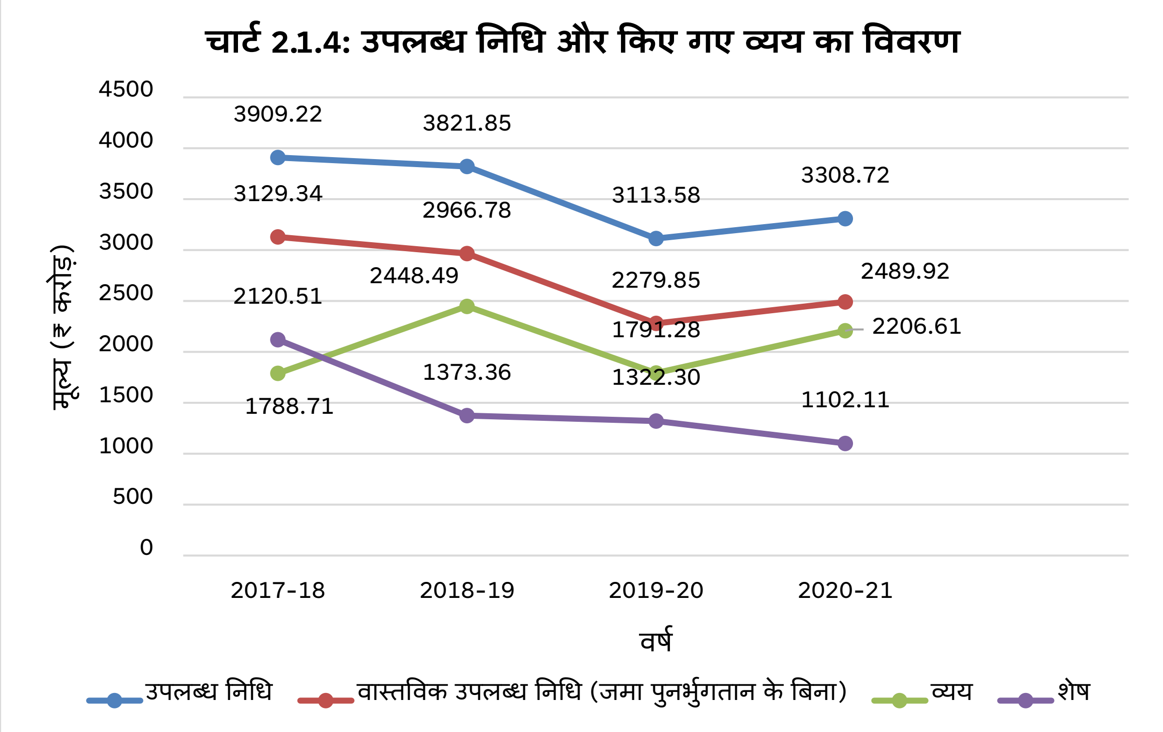

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि 2017-18 के दौरान कम व्यय, दिसंबर और मार्च माह में क्रमशः ₹750 करोड़ और ₹57.25 करोड़ की भारत सरकार की निधि जारी होने के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग विगत वर्षों की उपलब्ध निधि का भी उपयोग नहीं कर सका।

2.1.12.1 उन्नयन कार्यों में निधियों का उपयोग

तालिका 2.1.11 एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा 2017-21 के दौरान निधि उपयोग की स्थिति (अक्टूबर 2021) दर्शाती है:

तालिका-2.1.11: चरणवार स्वीकृति, प्रदाय और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

चरण	भारत सरकार की मंज़ूरी के अनुसार अवधि	स्वीकृति			प्रदाय			किया गया व्यय	प्रदाय के विरुद्ध उपयोग का प्रतिशत
		भारत सरकार	मध्य प्रदेश शासन	योग	भारत सरकार	मध्य प्रदेश शासन	योग		
चरण-I	2017-19	278.48	248.12	526.60	-	-	-	386.26	(-)100
चरण-II	2017-19	2,003.85	1,622.04	3,625.89	1,959.78	1,408.45	3,368.23	3,062.43	91
चरण-III	2019-21	2,609.78	1,888.95	4,498.73	455.64	331.61	787.25	977.74	124
कुल		**4,892.11**	**3,759.11**	**8,651.22**	**2,415.42**	**1,740.06**	**4,155.48**	**4,426.43**	

(स्रोत: नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

हमने देखा कि यद्यपि एम.पी.आर.आर.डी.ए. को चरण-। में भारत सरकार अथवा मध्य प्रदेश शासन से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई थी, इसने पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से सड़कों के उन्नयन के लिए ₹386.26 करोड़ व्यय किया। शेष राशि (चरण-।/।।। में अतिरिक्त व्यय) को पिछले वर्षों की कार्यक्रम निधियों के अव्ययित शेष से समायोजित किया गया है।

2.1.12.2 लेखापरीक्षित जिलों में निधि उपयोग की स्थिति

नीचे दी गई **तालिका-2.1.12** वर्ष 2017-21 के दौरान लेखापरीक्षित जिलों में निधि उपयोग की स्थिति दर्शाती है:

तालिका-2.1.12: निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	जिले का नाम	एम.पी.आर.आर.डी.ए से प्राप्त बैंक प्राधिकार	कार्यों पर किया गया व्यय	वर्ष के अंत में शेष/समर्पित राशि	उपयोग का प्रतिशत
1.	अशोकनगर	178.00	139.58	38.42	78.42
2.	बेतुल	400.30	349.88	50.42	87.40
3.	बुरहानपुर	79.40	55.48	23.92	69.87
4.	छिंदवाड़ा	233.40	207.32	26.08	88.83
5.	धार	337.50	319.79	17.71	94.75
6.	ग्वालियर	143.00	108.86	34.14	76.13
7.	रीवा	169.00	156.76	12.24	92.76
8.	सागर	333.45	301.05	32.40	90.28
9.	टीकमगढ़	135.50	118.72	16.78	87.62
10.	उज्जैन	276.50	232.53	43.97	84.10
कुल		**2,286.05**	**1,989.97**	**296.08**	**87**

(स्रोत: चयनित जिलों के नोडल पी.आई.यू. द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

हमने देखा कि 2017-21 के दौरान लेखापरीक्षित जिलों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण पी.आई.यू. उपलब्ध निधियों का केवल 87 प्रतिशत ही उपयोग कर सके। हमने आगे देखा कि 117 चयनित स्वीकृत कार्यों में से मात्र 19 कार्य ही समय पर पूर्ण किए गए थे। 2017-21 के दौरान पी.आई.यू.-धार ने उपलब्ध निधि का 95 प्रतिशत का उपयोग किया जबकि पी.आई.यू.-बुरहानपुर ने उपलब्ध निधि का केवल 70 प्रतिशत उपयोग किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि भौतिक प्रगति और व्यय के बीच कोई संबंध नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों की प्रगति सीधे निष्पादन के दौरान किए गए व्यय से संबंधित है।

2.1.12.3 भारत सरकार की निधियों को जारी करने में विलंब के कारण ब्याज देयता

योजना के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि राज्य शासन को भारत सरकार से निधि प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर एम.पी.आर.आर.डी.ए. को अपने समतुल्य अंशदान के साथ भारत सरकार की निधि जारी करनी चाहिए। चूक के मामले में, राज्य शासन एम.पी.आर.आर.डी.ए. को विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। नीचे दी गई **तालिका 2.1.13** मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निधि की स्थिति दर्शाती है:

तालिका- 2.1.13: प्राप्त एवं जारी निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी निधि का विवरण		राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का दिनांक	दिनों में विलंब	12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में दंड
	निधि	दिनांक			
2017-18	13.12	17-10-2017	16-11-2017	27	0.12
	750.00	15-12-2017	30-12-2017	12	2.96
	57.25	15-03-2018	22-03-2018	04	0.08
2018-19	250.00	10-09-2018	26-09-2018	13	1.07
कुल	**1,070.37**				**4.23**

मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार की निधि जारी करने में विलंब किया लेकिन अक्टूबर 2021 तक एम.पी.आर.आर.डी.ए. को कोई ब्याज नहीं दिया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 के बाद से दंडात्मक ब्याज का भुगतान हटा दिया। हालांकि, राज्य शासन ने एम.पी.आर.आर.डी.ए. को समतुल्य राज्यांश के साथ ₹1,433.04 करोड़ तीन से 129 दिनों के विलंब से जारी किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.18*** में वर्णित है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि निधि विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास के माध्यम से भेजी जाती है तथा वित्त विभाग द्वारा एम.पी.आर.आर.डी.ए. को सीधे प्रदान नहीं की जाती है, तदनुसार, मध्य प्रदेश शासन से विभाग को निधि हस्तांतरण प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। आगे बताया गया (दिसंबर 2023) कि मध्य प्रदेश शासन से दंडात्मक ब्याज के संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा।

2.1.12.4 पी.डी. खाते में कार्यक्रम निधि का अनियमित रूप से जमा होना

पी.एम.जी.एस.वाई. संचालन नियमावली की कंडिका 13.1.3 में यह परिकल्पना की गई है कि एम.पी.आर.आर.डी.ए., पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यक्रम निधि के लिए चयनित बैंक और शाखा में एक बैंक खाता खोलेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस खाते में निधि जारी करेगा। हमने पाया कि 2019-20 के दौरान, विभाग (पी.आर.डी.डी.) ने ₹410.27 करोड़ की कार्यक्रम निधि को एम.पी.आर.आर.डी.ए. को जारी करने अथवा नोडल बैंक खाते में रखने के बजाय व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी. खाता) में रखा, जिससे ₹11.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 2.1.14** में उल्लेखित है:

तालिका-2.1.14: पी.डी. खाते में जमा की गयी निधि

(₹ करोड़ में)

पी.डी खाता संख्या	जमा करने की तिथि	जमा की गयी राशि	आहरण की तिथि	आहरित राशि	जमा की अवधि	4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज हानि
पीडी/051/0320/ 1841	31.03.2020	410.27	28.05.2020	190.00	58 दिन	1.21
			08.06.2021	220.27	434 दिन	10.47
कुल		**410.27**		**410.27**		**11.68**

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि भारत सरकार का कोई अंश पी.डी. खाते में नहीं रखा गया था और पी.डी. खाते में दर्शित राशि अतिरिक्त राज्यांश से संबंधित है। आगे बताया गया (दिसंबर 2023) कि मध्य प्रदेश शासन से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैंक खाते में कार्यक्रम निधि जमा न करने के कारण ₹ 11.68 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार एक पूर्व शर्त थी।

2.1.12.5 विविध जमा शीर्ष में जमा निधि का निपटान न होना

पी.एम.जी.एस.वाई. लेखा नियमावली (2005) यह निर्धारित करती है कि शीर्ष 3.04 (विविध जमा-एम.डी.) में पी.आई.यू. को प्राप्त अन्य सभी जमा क्रेडिट और उनका रिफंड डेबिट किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शेष शून्य होगा। रोकी गई राशि और ठेकेदारों के देयकों से कोई अन्य वापसी योग्य कटौती भी इस खाता कोड में जमा की जाएगी।

हमने देखा कि राज्य स्तर पर ₹ 350.79 करोड़ (5,488 मामले) की निधि एम.डी. शीर्ष में 2000-01 से मार्च 2021 तक जमा पाई गई, जिसमें से ₹ 246.11 करोड़ (4,483 मामले) 2018-19 से पहले की अवधि से संबंधित थे, जिनको असमायोजित/असमंजित छोड़ दिया गया था।

ओ.एम.एम.ए.एस. पर ₹22.88 करोड़ (333 ठेकेदार) और आई.डी.-0 (आई.डी.:0) के विरुद्ध ₹ 13 करोड़ (19 डी.डी.ओ.) का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया था। विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट-2.1.19 (अ)*** और ***परिशिष्ट-2.1.19 (ब) (i)*** एवं ***(ii)*** में दर्शाए गए हैं।

चूंकि योजनान्तर्गत पैकेजों को पूर्ण करने की अवधि सड़क कार्यों के लिए 12 से 18 माह तथा पुल कार्यों के लिए अधिकतम 18 से 24 माह है। 2018-19 से पहले की राशियों को 2020-21 के अंत तक एम.डी. शीर्ष से समायोजित किया जाना चाहिए था।

पी.आई.यू. के अभिलेख के साथ इन शेषों का मिलान/सुधार न करना न केवल कार्यक्रम खातों की सटीकता को प्रभावित करता है बल्कि धन की धोखाधड़ी अथवा गबन के जोखिम के लिए गुंजाइश भी देता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2023) कि एम.डी. में पड़ी राशि का समायोजन किया जा रहा है।

अनुशंसा:

शासन को समयबद्ध रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए और एम.पी.आर.आर.डी.ए. को उपलब्ध राशि का पर्याप्त उपयोग और विविध जमा शीर्ष में जमा राशि का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.12.6 प्रशासनिक व्यय निधि

(i) पी.आई.यू. के यात्रा खर्च पर अतिरिक्त व्यय

योजना दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत राज्य की पात्रता राज्य के वार्षिक आवंटन का 2.25 प्रतिशत मदवार अधिकतम सीमा[40] के अधीन होगी एवम वार्षिक आवंटन का एक अभिन्न अंग होगी। पी.आई.यू. के यात्रा खर्चे को भारत सरकार की सहायता के 0.50 प्रतिशत की सीमा तक पूरा किया जा सकता है, लेकिन 2017-21 के दौरान एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तथा यात्रा खर्च अनुमत्य सीमा से अधिक किया गया, जैसा कि नीचे ***तालिका-2.1.15*** में दर्शाया गया है :-

[40] (क) पी.आई.यू. के लिए प्रशासनिक व्यय @ 1 प्रतिशत (ख) पी.आई.यू. का यात्रा खर्च 0.50 प्रतिशत (ग) प्रशासनिक एवं यात्रा खर्च (एस.आर.आर.डी.ए.) @ 0.25 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 75 लाख) (घ) स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी द्वितीय स्तर @ 0.50 प्रतिशत।

तालिका-2.1.15: यात्रा खर्च पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि	पी.आई.यू के यात्रा खर्चे के लिए अनुमत्य सीमा (0.50 प्रतिशत)	पी.आई.यू. के यात्रा खर्चे पर किया गया वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
2017-18	1,088.21	5.44	13.87	8.43
2018-19	901.67	4.51	16.26	11.75
2019-20	1,014.70	5.07	15.72	10.65
2020-21	997.13	4.98	16.37	11.39
कुल	**4,001.71**	**20.00**	**62.22**	**42.22**

(स्रोत: ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार नोडल एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया डेटा)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने यात्रा खर्चे पर अनुमत्य सीमा से अधिक ₹ 42.22 करोड़ के आधिक्य व्यय को अधिकृत किया।

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) एम.पी.आर.आर.डी.ए. वित्तीय अनुशासन का पालन करने में विफल रहे थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि केवल उप-घटक "पी.आई.यू. के लिए यात्रा खर्च" के व्यय अनुमत्य सीमा से अधिक था, हालांकि "प्रशासनिक व्यय घटक" के अन्तर्गत कुल व्यय अनुमत्य सीमा के भीतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.यू. द्वारा किया गया यात्रा खर्च योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुमत्य सीमा से अधिक था।

(ii) केंद्रीय प्रशासनिक निधि से अनियमित व्यय

योजना लेखा नियमावली में परिकल्पित है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय यात्रा, कंप्यूटर के क्रय, टेलीफोन, इंटरनेट शुल्क आदि जैसे प्रशासनिक व्यय के लिए एस.आर.आर.डी.ए. को केंद्रीय प्रशासनिक व्यय निधि प्रदान करता है। राज्य शासन वेतन, चिकित्सा-दावा, अवकाश नकदीकरण, कार्यालय किराया, स्टेशनरी और विविध कार्यालयीन व्यय आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रशासनिक व्यय निधि भी प्रदान कर सकता है।

हमने देखा कि सी.जी.एम. (वित्त), एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने सभी पी.आई.यू. को राज्य प्रशासनिक निधि (शीर्ष 55.11) के स्थान पर केंद्रीय प्रशासनिक निधि (शीर्ष 54.04) में कार्यालय किराया और विद्युत शुल्क दर्ज करने का निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किया। यह निर्देश एन.आर.आर.डी.ए. के अनुमोदन के बिना जारी किया गया था और ऐसा कोई अनुमोदन

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने पाया कि अवधि 2017-21 के दौरान चयनित पी.आई.यू. में कार्यालय भवन के किराए के मद में राज्य प्रशासनिक व्यय निधि के स्थान पर केंद्रीय प्रशासनिक व्यय निधि से अनियमित रूप से ₹ 51.52 लाख का व्यय किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.20*** में दर्शाया गया है।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2023) कि लेखों के चार्ट में पी.आई.यू. के कार्यालय किराए के लिए कोई विशिष्ट शीर्ष नहीं होने के कारण पी.आई.यू. के कार्यालय भवन का किराया लेखा कोड संख्या 54.09 'विविध कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यय निधि से पी.आई.यू. के कार्यालय भवन के किराए के व्यय को पूरा करने के लिए एन.आर.आर.डी.ए. की मंजूरी नहीं ली थी ।

2.1.13 गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन और निगरानी

2.1.13.1 राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा अपर्याप्त/विलंबित निरीक्षण

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र अस्तित्व में है। गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के पहले दो स्तरों के लिए राज्य शासन जिम्मेदार थी। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रथम स्तर में पी.आई.यू. द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन की परिकल्पना की गई है और द्वितीय स्तर में कार्यों का आवधिक निरीक्षण स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एस.क्यू.एम.) द्वारा किया जाना था। एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एन.क्यू.एम.) गुणवत्ता प्रबंधन के तृतीय स्तर के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थे। द्वितीय स्तर में, एस.क्यू.एम. को निर्माण के दौरान प्रत्येक कार्य का कम से कम तीन बार निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें इसके पूर्ण होने के एक माह के भीतर एक निरीक्षण भी शामिल है।

चयनित पी.आई.यू. में पूर्ण किये गये 75 कार्यों में गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एस.क्यू.एम. द्वारा किये गये निरीक्षणों की स्थिति नीचे **तालिका-2.1.16** में दर्शायी गयी है:-

तालिका-2.1.16: चयनित पूर्ण कार्यों में एस.क्यू.एम. द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या

पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	एस.क्यू.एम. द्वारा सड़कों का कितनी बार निरीक्षण किया गया				निष्पादन के दौरान किये गये दो निरीक्षण	कार्य पूर्ण होने के एक माह के भीतर किया गया निरीक्षण		
	एक	दो	तीन	>तीन	कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या	विलंबित निरीक्षण	निरीक्षण नहीं हुआ
75	03	13	33	26	70	04	16	55

(स्रोतः 31-10-2021 की स्थिति में ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है:-

- 75 पूर्ण कार्यों में से तीन कार्यों का निरीक्षण केवल एक बार, 13 कार्यों का दो बार, 33 कार्यों का तीन बार तथा 26 कार्यों का तीन बार से अधिक निरीक्षण किया गया।
- पी.एम.जी.एस.वाई. संचालन नियमावली के खंड 11.5.7 के अनुसार, प्रत्येक कार्य का दो निरीक्षण निष्पादन चरण (तीन महीने के अंतराल पर) पर किया जाना चाहिए, लेकिन 75 पूर्ण कार्यों में से पांच कार्यों में निष्पादन के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- पूर्ण हो चुके 75 कार्यों में से केवल चार कार्यों का निरीक्षण पूर्णता दिनांक के एक माह के भीतर किया गया, 16 कार्यों का निरीक्षण 10 दिनों से लेकर 790 दिनों तक के विलंब के साथ तथा 55 कार्यों का निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि अधिकांश कार्यों का एस.क्यू.एम. द्वारा तीन बार निरीक्षण किया जाता है। हालांकि, कभी-कभी, कुछ कार्यों के लिए, विभिन्न कारणों से निर्माण के दौरान तीन बार के लिए एस.क्यू.एम. निरीक्षण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है।

विभाग ने 55 पूर्ण कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं की जिनका निरीक्षण पूर्ण होने के बाद नहीं किया गया था।

2.1.13.2 पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

योजना नियमावली निर्धारित करती है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक एस.एल.एस.सी. व्यवस्था, कार्यक्रम की नजदीकी और प्रभावी निगरानी और कार्यों के समय पर और उचित निष्पादन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी। समिति डी.आर.आर.पी., सी.यू.सी.पी.एल. की जांच करेगी और वार्षिक परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देगी। इसके अलावा, समिति त्रैमासिक प्रगति एवं कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन की निगरानी, भूमि उपलब्धता, वन तथा पर्यावरण मंजूरी और सड़क सुरक्षा आदि से संबंधित मुद्दों का निपटारा करेगी।

एस.एल.एस.सी. से संबंधित अभिलेखों जैसे बैठक रजिस्टर/बैठकों के कार्यवृत्त आदि की जांच से पता चला कि वर्ष 2017-18 में आवश्यक चार त्रैमासिक बैठकों के विरुद्ध केवल तीन बैठकें (संख्या 54वीं, 55वीं और 56वीं) क्रमशः 09.06.2017, 07.10.2017 और 05.02.2018 को आयोजित की गईं थी। उसके बाद 2018-21 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। अंतिम बैठक (संख्या 57वीं) 43 माह के अंतराल के बाद 15.09.2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें सी.यू.सी.पी.एल. और चरण-III के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों पर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

नियमित बैठकों का अभाव, परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत मंजूरी के बाद सड़कें अन्य विभागों द्वारा लेने आदि के कारण परियोजनाएं रद्द हो गईं (जैसा कि कंडिका 2.1.7.1 में चर्चा की गई है)। एस.एल.एस.सी. सड़क सुरक्षा मुद्दों, निर्मित सड़कों पर परिवहन सुविधाओं सहित विकास कार्यक्रमों के अभिसरण और वनीकरण (सड़कों के किनारे हरियाली) का देखरेख करती है, लेकिन नियमित बैठकों के अभाव में उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति संदिग्ध है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2023) कि प्रशासनिक कारणों और कोविड-19 महामारी के कारण नियमित बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। इसके अलावा, सी.यू.सी.पी.एल. की तैयारी और आयोजना के अनुमोदन के बीच समय अंतराल के दौरान, कार्य अन्य विभाग को आवंटित किए गए थे। यह भी कहा गया है कि डी.पी.आर. में कार्ट रोड उपलब्ध होने के कारण भूमि उपलब्ध दिखायी गयी थी और वन क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता प्रथम दृष्टया दर्शित हो रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एल.एस.सी. की नियमित बैठकें समय पर आयोजित नहीं की गईं थी और परियोजनाओं के लिए सी.यू.सी.पी.एल. की कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया था जिसके कारण परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा और सड़क सुरक्षा मुद्दों और सड़क विकास कार्यक्रमों के अभिसरण की उपेक्षा हुई ।

2.1.13.3 जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकें

योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि मंत्रालय द्वारा स्थानीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में जिला सतर्कता और निगरानी समिति/जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) व्यय की गुणवत्ता, विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत व्यय किए गए सार्वजनिक धन के इष्टतम उपयोग के संदर्भ में, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। ये समितियां निर्धारित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी। जिला मजिस्ट्रेट (सदस्य सचिव) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार दिशा की बैठक आयोजित की जाए और वर्ष के दौरान कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएं ।

हमने देखा कि चयनित जिलों में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के दौरान दिशा की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गईं, जैसा कि नीचे **तालिका-2.1.17** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.17: आयोजित बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

सरल क्रमांक	ज़िला	अवधि	आवश्यक बैठकों की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें पी.एम.जी.एस.वाई. के मुद्दे पर चर्चा हुई	कमी (प्रतिशत)
1.	अशोकनगर	4/2017 से 3/2021	16	07	04	09 (56)
2	बैतूल	4/2017 से 3/2021	16	06	06	10 (63)
3	बुरहानपुर	4/2017 से 3/2021 तक	16	02	01	14 (87)
4	छिंदवाड़ा	4/2017 से 3/2021 तक	16	05	03	11 (69)
5	धार	4/2017 से 3/2021 तक	16	04	04	12 (75)
6	ग्वालियर	4/2017 से 3/2021 तक	16	09	04	7 (44)
7	रीवा	4/2017 से 3/2021 तक	16	06	04	10 (63)
8	सागर	4/2017 से 3/2021	16	08	07	08 (50)
9	टीकमगढ़	4/2017 से 3/2021	16	08	08	08 (50)
10	उज्जैन	4/2017 से 3/2021	16	02	02	14 (87)
कुल			**160**	**57**	**43**	**103 (64)**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चयनित जिले में 2017-21 के दौरान आवश्यक 16 बैठकों के विरूद्ध दो से नौ बैठकें आयोजित की गईं, जबकि दस नमूना जिलों में आवश्यक 160 बैठकों के विरुद्ध 57 बैठकें (36 प्रतिशत) आयोजित की गईं।

इस प्रकार, जिला स्तर पर निगरानी के लिए नियमित बैठकों के अभाव में, परियोजना क्रियान्वयन की निगरानी विशेष रूप से परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित, प्रभावी नहीं थी।

विभाग ने (अक्टूबर 2022) दिशा की बैठकों में कमी का कारण कोविड-19 महामारी को बताया। आगे यह भी कहा गया (दिसंबर 2023) कि बैठक जिला कलेक्टर द्वारा बुलाई गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से पूर्व दिशानिर्देशों में आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

2.1.13.4 मुख्य महाप्रबंधक निरीक्षण

पी.एम.जी.एस.वाई. की संचालन नियमावली के खंड 11.4.5 के अनुसार, सी.जी.एम./एस.ई., पी.आई.यू. के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। पी.आई.यू. के उनके निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण पर्यवेक्षण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रभावी पर्यवेक्षण का हिस्सा होगा। एम.पी.आर.आर.डी.ए. के निर्देशानुसार, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) को औचक निरीक्षण सहित विभिन्न स्तरों पर अधिकांश कार्यों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यो का नियमित रूप से निरीक्षण करना था।

हमने चयनित सी.जी.एम. और पी.आई.यू. कार्यालयों में देखा कि 75 पूर्ण कार्यों (चयनित पैकेज) में से केवल 11[41] कार्यों (15 प्रतिशत) का निरीक्षण संबंधित सी.जी.एम. द्वारा किया गया था। सी.जी.एम, सागर ने सागर संभाग के चयनित पी.आई.यू.[42] में किसी भी चयनित कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया था। सी.जी.एम. द्वारा निगरानी नहीं किये जाने से निगरानी व्यवस्था कमजोर हो गयी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित संख्या में निरीक्षण नहीं किये गये थे। आगे यह कहा गया (दिसंबर 2023) कि सी.जी.एम. ने समय-समय पर पी.आई.यू. का दौरा किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड-19 महामारी के पूर्व भी सी.जी.एम., एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा वांछित संख्या में निरीक्षण नहीं किए गए थे।

2.1.13.5 निर्वाचित सदस्यों के साथ पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं का संयुक्त निरीक्षण

योजना के दिशा-निर्देश प्रावधानित करते हैं कि संबंधित संभाग के सी.जी.एम. उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और जिला प्रमुख से छह माह में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी भी पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजना का चयन करने का अनुरोध करेंगे। इसी प्रकार, जिले के कार्यपालन यंत्री/महाप्रबंधक किसी भी पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण के लिए तीन माह में एक बार विधायक और संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे और परियोजना के प्रभारी सहायक यंत्री/सहायक प्रबंधक दो माह में एक बार ग्राम पंचायत के संबंधित सरपंच से अपनी चयन और सुविधा के अनुसार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी भी पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजना का चयन करने के लिए अनुरोध करेंगे।

हमने देखा कि योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, चयनित क्षेत्र/पी.आई.यू. कार्यालयों के सी.जी.एम., जी.एम. और ए.एम. ने न तो निर्वाचित राजनीतिक सदस्यों (सांसद, जिला प्रमुख, विधायक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सरपंच) को पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध किया और न ही निरीक्षण किया। परिणामस्वरूप, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं की निगरानी नहीं की गयी तथा इस संबंध में उनकी राय भी प्राप्त नहीं की जा सकी।

---

[41] बैतूल-2(पैकेज 3606), बुरहानपुर (पैकेज 48601), छिंदवाड़ा-1 (पैकेज 07601 और 07607), ग्वालियर (पैकेज 14601 और 14605), रीवा-1(पैकेज 32601, 32605, 32606, 32609), उज्जैन-2 (पैकेज 43602)।

[42] सागर-1 और टीकमगढ़।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि विधानसभा/लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण निर्वाचित सदस्यों के साथ संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया। हालांकि, बैठकों में प्रभारी मंत्री, क्षेत्र के विधायक, सांसद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सभी चल रहे कार्यों की प्रगति पर नियमित रूप से चर्चा तथा समीक्षा की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से कार्यों के संयुक्त निरीक्षण हेतु किये गये अनुरोध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

अनुशंसा:

प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एस.क्यू.एम. निर्धारित मानदंडों के अनुसार सड़कों का निरीक्षण करे और अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान करने के लिए दोषों का यथाशीघ्र सुधार करे। विभाग को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए और अंतर-विभागीय समन्वय प्राप्त करना चाहिए।

2.1.14 निष्कर्ष

- योजना के तहत सड़कों की आयोजना में कमियां थीं क्योंकि उच्च पी.सी.आई. मूल्यों और कम उपयोगिता मूल्यों वाली सड़कों को उन्नयन के लिए चुना गया था। चरण-II के तहत डी.आर.आर.पी. और सी.यू.सी.पी.एल. को जनपद पंचायत से अनुमोदित नहीं कराया गया था। डी.पी.आर. सलाहकारों द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण किया गया था और डी.पी.आर. तैयार करने के दौरान पी.आई.यू. अधिकारियों द्वारा इसके सत्यापन में कमियां थीं। डी.पी.आर. सटीक और यथार्थवादी नहीं थे क्योंकि कार्यों में निष्पादित मात्रा में भारी भिन्नता थी। उपरोक्त अनियमितताओं के लिए संबंधित पी.आई.यू. के महाप्रबंधक एवं डी.पी.आर. सलाहकार पूर्णतया जिम्मेदार हैं।

- वन स्वीकृति के अभाव, भूमि विवाद, अन्य विभागों से समन्वय न होने आदि के कारण कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। इस मुददे के लिए महाप्रबंधक (पी.आई.यू.), डी.पी.आर. सलाहकार एवं एस.एल.एस.सी. जिम्मेदार हैं।

- एम.पी.आर.आर.डी.ए. कार्यों के क्रियान्वयन और अनुबंधों के प्रबंधन में शिथिलता के कारण उपलब्ध निधि का 12 से 43 प्रतिशत व्यय करने में विफल रहा। निधि जारी करने में विलंब हुआ और कार्यक्रम निधि को पी.डी. खाते में जमा किया गया जिससे ब्याज की हानि हुई। विविध जमा शीर्ष में जमा राशियों का गैर-निपटान और पी.आई.यू. अभिलेखों के साथ शेष राशियों का मिलान न होना जो कार्यक्रम निधियों की सटीकता को प्रभावित करता है। विविध जमा राशि का निपटान न करने के लिए महाप्रबंधक (पी.आई.यू.) जिम्मेदार हैं और मामले की

निगरानी न करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) एम.पी.आर.आर.डी.ए.भी जिम्मेदार हैं।

- अनुबंध प्रबंधन कमजोर था क्योंकि ठेकेदारों से अपेक्षित अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त किए बिना ठेके दिए गए थे। यद्यपि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर 54 प्रतिशत (1,089 में से 587 कार्य) कार्य पूर्ण करने में विफल रहे। निर्माण अवधि के दौरान परिसमापन हर्जाने की वसूली, तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती और परियोजना के बीमा में ठेकेदारों का पक्ष लिया गया। 33 प्रतिशत मामलों में परिसमापन हर्जाना नहीं लगाया गया । कार्यों के निष्पादन/पूर्णता में असामान्य विलंब के लिए विभाग के अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई थी। इस मुद्दे के लिए जी.एम. (पी.आई.यू.) और संबंधित सी.जी.एम. जिम्मेदार हैं।

- स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूर्ण की गई सड़कें कम थीं क्योंकि अवधि 2017-21 के दौरान चरण-II और III में क्रमशः 95 और 22 प्रतिशत सड़कें पूर्ण हो सकी थीं।

- कार्य की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एस.क्यू.एम. के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं की जा रही थी और एस.क्यू.एम. द्वारा किए गए निरीक्षणों में विलंब/कमी थी। राज्य स्तर पर एस.एल.एस.सी., संभाग स्तर पर सी.जी.एम. और जिला स्तर पर दिशा द्वारा अपर्याप्त निगरानी भी देखी गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.2 टेक होम राशन पर लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित योजना-एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) लागू किया गया था तथा टेक होम राशन (टी.एच.आर.) एस.एन.पी. के घटकों में से एक है। एस.एन.पी. को मुख्य रूप से अनुशंसित आहार भत्ता[43] (आर.डी.ए.) और औसत दैनिक सेवन के बीच के अंतर को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भरने के लिए अभिकल्पित (डिज़ाइन) किया गया था। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा किया जाता है। यद्यपि, मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में देश में शिशु मृत्यु दर[44] (आई.एम.आर.) की सूची[45] में शीर्ष पर रहा और मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) के मामले में, वर्ष 2017-19[46] के दौरान राज्य देश में तीसरे स्थान पर रहा, जो यह दर्शाता है कि राज्य में आई.एम.आर. और एम.एम.आर. को कम करने के लिए एस.एन.पी./टी.एच.आर. जैसी योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

2.2.2 टी.एच.आर. के हितग्राही

मार्च 2021 तक, 49.58 लाख पंजीकृत हितग्राहियों को टी.एच.आर. प्रदान किया जा रहा था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) छह माह से तीन वर्ष की आयु के 34.69 लाख बच्चे।

(ब) 14.25 लाख गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं।

(स) 11 से 14 वर्ष की आयु की 0.64 लाख शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं (ओ.ओ.एस.ए.जी.)।

---

[43] आर.डी.ए. को आहार में मौजूद पोषक तत्व जो जनसंख्या के लगभग सभी व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है।

[44] आई.एम.आर.-46

[45] भारत के महापंजीयक द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर पर प्रकाशित विशेष बुलेटिन।

[46] एम.एम.आर.-163

2.2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने राज्य के आठ चयनित जिलों में 11.99 लाख हितग्राहियों (24 प्रतिशत), जिनमें 8.37 लाख बच्चें, 3.40 लाख गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं तथा 0.21 लाख ओ.ओ.एस.ए.जी. शामिल थें, को दिए गए टी.एच.आर. के अभिलेखों की जांच की जिसे इस प्रतिवेदन की **कंडिका 2.2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

2.2.4 आहार मानदंड

मध्य प्रदेश शासन ने हितग्राहियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में टी.एच.आर. के आहार मानदंडों और दरों को पुनरीक्षित किया (मार्च 2018), जैसा कि **तालिका 2.2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.2.1: लक्षित समूह का विवरण, टी.एच.आर. की दरें और पोषण मानक

हितग्राहियों की श्रेणी	पुनरीक्षित दरें 01.04.2018 से प्रभावी	प्रदान की जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	प्रदान की जाने वाली कैलोरी की मात्रा
छह महीने से तीन वर्ष की आयु के बच्चें	₹8 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (छह महीने से तीन वर्ष)	₹12 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	₹9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600
11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ओ.ओ.एस.ए.जी.	₹9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

(स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग का वर्ष 2020-21 का प्रशासकीय प्रतिवेदन)

छह माह से तीन वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 11 से 14 वर्ष की आयु के ओ.ओ.एस.ए.जी. को टी.एच.आर. के रूप में आठ प्रकार की पैक की हुई खाद्य सामग्री प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण **तालिका 2.2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2.2: टी.एच.आर. के प्रकारों का विवरण

हितग्राहियों की श्रेणी	टी.एच.आर. हेतु मेनू	टी.एच.आर. प्रदाय करने के दिन	आवृत्ति
छह महीने से तीन वर्ष की आयु के बच्चें	हलवा (120 ग्राम), बाल आहार (120 ग्राम) और खिचड़ी (125 ग्राम)	प्रति सप्ताह पांच दिन के लिए टी.एच.आर.	पूरे सप्ताह के लिए प्रत्येक मंगलवार को टी.एच.आर. का वितरण किया जाता है।
गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (छह महीने से तीन वर्ष)	हलवा (120 ग्राम), बाल आहार (120 ग्राम) और खिचड़ी (125 ग्राम)		
गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	गेहूं सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू और खिचड़ी (प्रत्येक 150 ग्राम)		
11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ओ.ओ.एस.ए.जी.	गेहूं सोया बर्फी और खिचड़ी (प्रत्येक 150 ग्राम)	प्रति सप्ताह छह दिन के लिए टी.एच.आर.	

(स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग का वर्ष 2020-21 का प्रशासकीय प्रतिवेदन)

2.2.5 संगठनात्मक संरचना

महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) विभाग के प्रमुख हैं और शासन स्तर पर टी.एच.आर. के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं। ए.सी.एस. को राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक, संभागीय स्तर पर 10 संयुक्त संचालक, जिला स्तर पर 52 जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.), ब्लॉक स्तर पर 453 बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) और राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2.6 टी.एच.आर. का क्रय और वितरण

संचालनालय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एम.आई.एस.[47] पोर्टल पर आंगनवाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (ए.एम.पी.आर.) में प्रविष्ट हितग्राहियों की संख्या और दिए गए टी.एच.आर. की स्टॉक स्थिति के आधार पर आकलन एवं टी.एच.आर. की आपूर्ति की मांग करता है।

टी.एच.आर. के क्रय और वितरण की प्रक्रिया नीचे **चार्ट 2.2.1** में दर्शाई गई है:

[47] मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित सभी सूचनाओं जैसे वार्षिक सर्वेक्षण, पंजीकृत और लाभान्वित हितग्राही, टी.एच.आर. की मांग, टी.एच.आर. की प्राप्ति आदि प्रतिवेदित की जाती है।

चार्ट 2.2.1: टी.एच.आर. की क्रय और वितरण की प्रक्रिया

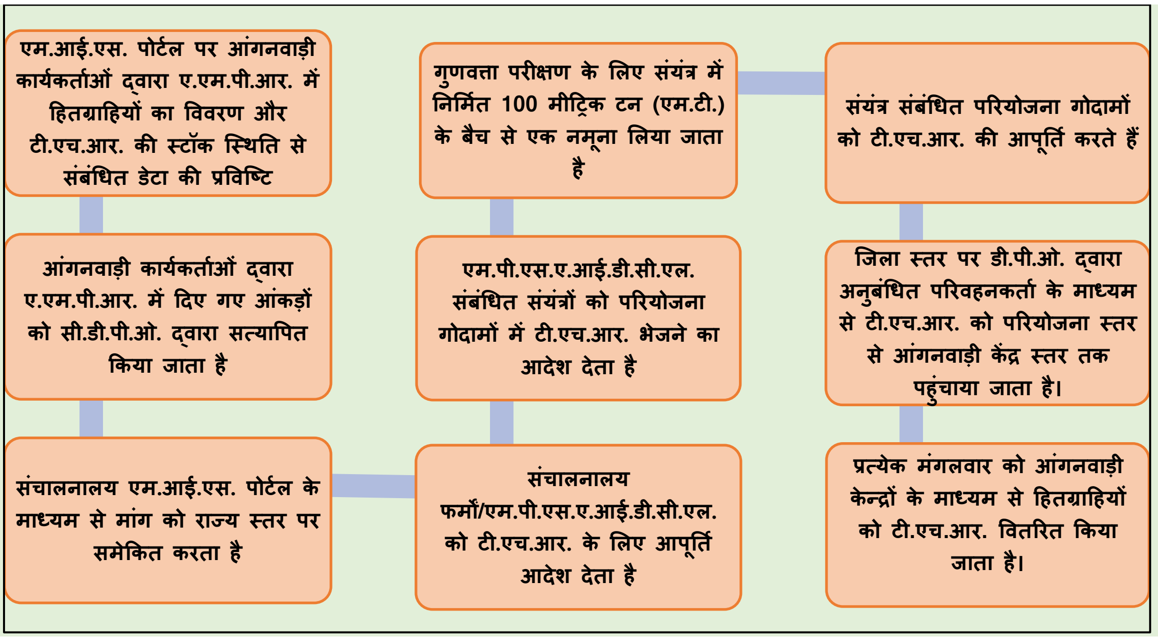

(स्रोत: शासन/विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेश/परिपत्र)

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.2.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ टी.एच.आर. के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा की ताकि यह आकलन किया जा सके कि:

(अ) भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई और ऐसी धनराशि का मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया;

(ब) सभी पात्र तथा केवल पात्र हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत नामांकित और लाभान्वित किया गया;

(स) टी.एच.आर. के क्रय तथा वितरण के लिए प्रत्येक स्तर पर उचित प्रक्रिया का पालन किया गया; तथा

(द) आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया गया।

2.2.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नांकित स्रोत से लिए गए थे:-

- टी.एच.आर. से सम्बंधित भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के दिशा-निर्देश, आदेश, निर्देश आदि
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता।

2.2.9 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली एवं कवरेज

अवधि वर्ष 2018-21 के लिए टी.एच.आर. योजना के कार्यान्वयन की जांच हेतु थीमैटिक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई (दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक), जिसमें निम्नलिखित कार्यालयों में संधारित अभिलेखों (मैनुअल और डिजिटल) की नमूना जांच की गई:

(अ) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल

(ब) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.)

(स) एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) के अंतर्गत टी.एच.आर. उत्पादन संयंत्र

(द) 52 डी.पी.ओ. में से आठ डी.पी.ओ. का चयन किया गया। चार जिलों (धार, रीवा, झाबुआ और सागर) का चयन उच्चतम व्यय के आधार पर किया गया; दो जिलों (छिंदवाड़ा और सतना) का चयन अधिकतम आंगनवाड़ी केंद्रों के आधार पर किया गया; एक जिले (शिवपुरी) को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण जुलाई 2021 के दौरान ग्वालियर से समीपता के कारण प्रारंभिक अध्ययन में शामिल किया गया और एक जिले (भोपाल) का चयन 09 सितंबर 2021 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुझाए गए जिलों में सबसे अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(य) हमने प्रत्येक चयनित जिले के अंतर्गत दो परियोजना कार्यालयों (एक शहरी और एक ग्रामीण/आदिवासी) के अभिलेखों की जांच की। झाबुआ जिले में केवल आदिवासी परियोजनाएं थीं, इसलिए झाबुआ में दो आदिवासी परियोजनाएं शामिल की गईं। शेष

जिलों की सात शहरी परियोजनाओं[48] एवं झाबुआ जिले की एक आदिवासी परियोजना[49] का चयन अधिकतम हितग्राहियों की संख्या के आधार पर किया गया। जिला मुख्यालय से अधिकतम दूरी के आधार पर आठ आदिवासी/ग्रामीण परियोजनाओं[50] का चयन किया गया। हमने प्रत्येक चयनित परियोजना में पांच आंगनवाड़ी केंद्रों को भी यादृच्छिक रूप से चयनित किया। नमूने में चयनित जिलों, परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.1*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.10 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन आई.सी.डी.एस. के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) और किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.[51]) की लागत को 50:50 के आधार पर साझा करती है। गर्म पका हुआ भोजन और टी.एच.आर. एस.एन.पी. के घटक हैं। टी.एच.आर. के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। वर्ष 2018-21 के दौरान एस.एन.पी. और एस.ए.जी. के तहत व्यय का विवरण और एस.एन.पी. पर किए गए कुल व्यय में टी.एच.आर. पर व्यय का हिस्सा नीचे **तालिका 2.2.3** और **चार्ट 2.2.2** में दिया गया है:

[48] 1. धार शहरी, 2. रीवा शहरी, 3. सागर-2 शहरी, 4. छिंदवाड़ा नवीन, 5. सतना, 6. शिवपुरी नवीन, 7. गोविंदपुरा, भोपाल।

[49] झाबुआ।

[50] 1. डही, धार, 2. हनुमना-1, रीवा, 3. बीना ग्रामीण, सागर, 4. पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, 5. रामनगर, सतना, 6. शिवपुरी (ग्रामीण), 7. बैरसिया-1, भोपाल, 8. पेटलावद, झाबुआ,

[51] किशोरी बालिकाओ के लिए योजना के दो घटक हैं - पोषकीय और गैर-पोषकीय। पोषकीय घटक के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में छह दिन टेक होम राशन दिया जाता है। गैर- पोषकीय घटक के अंतर्गत प्रशिक्षण, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां आदि वितरित की जाती हैं।

तालिका 2.2.3: एस.एन.पी. और एस.ए.जी. के अंतर्गत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	व्यय	अधिक/ कम प्राप्तियां	टी.एच. आर. पर व्यय	गर्म पका हुआ भोजन पर व्यय
पूरक पोषण कार्यक्रम (योजना कोड 9050)	2018-19	630.89	758.06	1,388.95	1,304.20	(+)84.75	864.51	439.69
	2019-20	715.35	758.06	1473.41	1,393.00	(+)80.41	931.75	461.25
	2020-21	744.06	725	1469.06	1,106.78	(+)362.28	496.05	610.73
योग एस.एन.पी.		**2,090.30**	**2,241.12**	**4,331.42**	**3,803.98**		**2,292.31**	**1,511.67**
किशोरी बालिकाओ के लिए योजना (योजना कोड 6392)	2018-19	32.62	25.85	58.47	51.7	(+)6.77	51.7	0
	2019-20	16.19	21.25	37.44	42.5	(-)5.06	42.5	0
	2020-21	(-5.06 +2.14) = (-)2.92	3.35	0.43	6.7	(-)6.27	6.7	0
योग एस.ए.जी.		**45.89**	**50.45**	**96.34**	**100.90**		**100.90**	**0**
महायोग एस.एन.पी. एवं एस.ए.जी.		**2,136.19**	**2,291.57**	**4,427.76**	**3,904.88**		**2,393.21**	**1,511.67**

(स्रोत: संचालनालय के अभिलेख)

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान दो फर्मों[52] द्वारा एस.ए.जी. के अंतर्गत टी.एच.आर. की आपूर्ति से संबंधित ₹22.09 करोड़ के देयक वर्ष 2020-21 में केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण भुगतान हेतु लंबित थे।

चार्ट 2.2.2: एस.एन.पी. पर किए गए कुल व्यय में टी.एच.आर. पर व्यय का हिस्सा

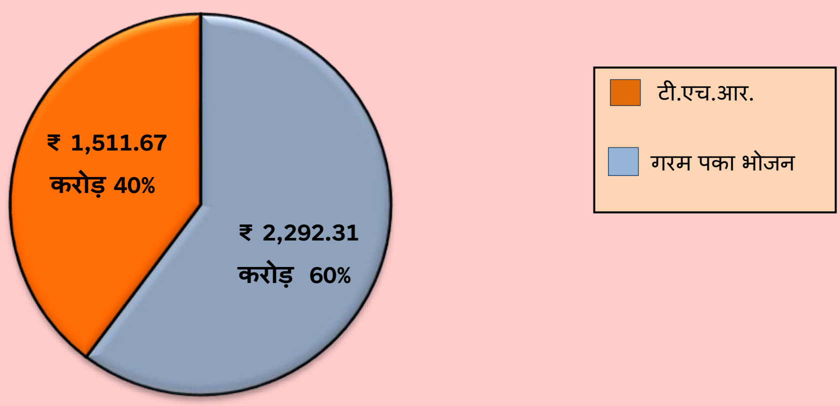

[52] 1. महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित (एम.ए.ए.एस.एस.एम.), 2. एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.

2.2.10.1 टी.एच.आर. की आपूर्ति पर किया गया व्यय

संचालनालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (जून 2021) के अनुसार, विभाग ने वर्ष 2018-21 के दौरान सभी श्रेणियों के 1.35 करोड़ हितग्राहियों को प्रदान करने हेतु, 4.04 लाख मीट्रिक टन (एम.टी.) टी.एच.आर. के क्रय पर ₹2,393.21 करोड़ व्यय किए। लाभान्वित हितग्राहियों की औसत संख्या, आपूर्ति की गई टी.एच.आर. और किए गए व्यय का श्रेणीवार विवरण **तालिका 2.2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.2.4: लाभान्वित हितग्राहियों की औसत संख्या, आपूर्ति की गई टी.एच.आर. और किए गए व्यय का श्रेणीवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित हितग्राहियों की औसत संख्या (लाख में)			प्रदाय की गई टी.एच.आर. की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)			किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	
	बच्चे (छह महीने से तीन वर्ष तक)	गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	ओ.ओ.एस. ए.जी.	बच्चे (छह महीने से तीन वर्ष तक)	गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	ओ.ओ.एस. ए.जी.	बच्चे (छह महीने से तीन वर्ष तक), गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	ओ.ओ.ए स.ए.जी.
2018-19	33.07	13.86	2.26	0.942	0.488	0.090	864.51	51.70
2019-20	31.82	13.33	1.97	1.024	0.530	0.085	931.75	42.50
2020-21	26.17	11.32	1.28	0.558	0.304	0.028	496.05	6.70
योग	**91.06**	**38.51**	**5.51**	**2.52**	**1.32**	**0.20**	**2,292.31**	**100.90**[53]

(स्रोत: संचालनालय द्वारा दी गई जानकारी)

विभाग ने, वर्ष 2018-21 के दौरान राज्य में ₹2,393.21 करोड़ लागत की 4.04 लाख मीट्रिक टन टी.एच.आर. वितरित किए। हमने आठ जिलों में ₹572.35 करोड़ (24 प्रतिशत) मूल्य के 0.97 लाख मीट्रिक टन टी.एच.आर. (24 प्रतिशत) के वितरण की जांच की।

2.2.11 हितग्राहियों की पहचान

2.2.11.1 शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं (ओ.ओ.एस.ए.जी.) को टेक होम राशन का संदिग्ध वितरण

भारत सरकार ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरियों (ओ.ओ.एस.ए.जी.) के लिए टेक होम राशन योजना शुरू की (अप्रैल 2018)। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, विभाग ने वर्ष 2018-21 के दौरान राज्य में 5.51 लाख ओ.ओ.एस.ए.जी. को ₹122.99 करोड़

[53] इसमें ओ.ओ.एस.ए.जी . को वितरित टी.एच.आर. से संबंधित ₹ 22.09 करोड़ के अप्रदत्त देयक सम्मिलित नहीं हैं, जो 31 मार्च 2022 तक भुगतान के लिए लंबित थे।

(₹ 100.90 करोड़ का भुगतान किया + ₹ 22.09 करोड़ भुगतान हेतु लंबित) मूल्य के 20,291.585 मीट्रिक टन टी.एच.आर. वितरित किए।

हमने वर्ष 2018-21 के दौरान हितग्राहियों की पहचान, टी.एच.आर. के उत्पादन, परिवहन और वितरण से संबंधित निम्नलिखित कमियों को पाया:

(1) आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया जाना

भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अप्रैल 2018 तक ओ.ओ.एस.ए.जी. की पहचान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर पर आधारभूत सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2017) था। विभाग ने भी डी.पी.ओ. को 31 जनवरी 2018 तक आधारभूत सर्वेक्षण करने का निर्देश जारी (जनवरी 2018) किया था।

सी.डी.पी.ओ. को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण करना था, जिसमें आधार संख्या सहित व्यक्तिगत विवरण वाले प्रपत्र-1[54] में ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राहियों का विवरण एकत्र करना था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्कूल शिक्षकों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर ओ.ओ.एस.ए.जी. की पहचान करनी थी।

लेखापरीक्षा जांच (दिसंबर 2021) में पता चला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फरवरी 2021 तक कोई आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने संबंधित सी.डी.पी.ओ. को मानदंडों के अनुसार प्रपत्र-1 में हितग्राहियों का कोई डेटा अभिलेख रूप में अथवा एम.आई.एस. के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- हितग्राहियों की संख्या का कोई विवरण न होने और इस तथ्य के बावजूद कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रपत्र-1 के अनुसार सर्वेक्षण का डेटा प्रस्तुत नहीं किया है, सी.डी.पी.ओ. ने जून 2020 तक डी.पी.ओ. को प्रपत्र-2/एम.आई.एस. में सत्यापित डेटा प्रस्तुत किया। इस प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्रोत आंकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में, लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. ने डेटा को किस प्रकार सत्यापित किया, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें अग्रेषित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में सी.डी.पी.ओ./डी.पी.ओ. द्वारा काल्पनिक/छेड़छाड़ किए गए आकड़ों को मान्य करने और विभाग को अग्रेषित करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

[54] प्रपत्र-1 में किशोरी बालिका (ए.जी.) का नाम, आधार संख्या, पिता/अभिभावक का नाम, माता का नाम, श्रेणी (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक, अन्य), किशोरी बालिका की जन्मतिथि, 01.01.2018 को आयु, शैक्षणिक स्थिति (कभी स्कूल नहीं गई/कक्षा पूरी नहीं की), स्कूल छोड़ने का कारण भरना था।

- जून 2020 के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीधे एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से आकड़ें प्रस्तुत किए। चूँकि, आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ओ.ओ.एस.ए.जी. से संबंधित कोई डेटा नहीं था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डेटा कैसे प्रस्तुत किया और सी.डी.पी.ओ./डी.पी.ओ. द्वारा इस डेटा को कैसे सत्यापित किया गया। सर्वेक्षण और विश्वसनीय डेटा के अभाव में, विभाग को डी.पी.ओ. से गलत/छेड़छाड़ किए गए डेटा प्राप्त होने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों में विसंगतियों का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018-19 और 2020-21 के बीच विभाग के अपने एम.आई.एस. आंकड़ों के अनुसार औसतन 34.01 लाख पंजीकृत ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राही थें; जिसके विरुद्ध संचालनालय ने वर्ष 2018-21 के दौरान केवल 5.51 लाख (औसतन 1.84 लाख) हितग्राहियों के लिए ₹122.99 करोड़ मूल्य के 20,291.585 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश जारी किया। डब्ल्यू.सी.डी.डी. के पास उपलब्ध ओ.ओ.एस.ए.जी. डेटा के आंकड़ों और टी.एच.आर. प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या के बीच अत्यधिक अंतर यह दर्शाता है कि डब्ल्यू.सी.डी.डी. के एम.आई.एस. में उपलब्ध डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकता।

यह तथ्य कि डब्ल्यू.सी.डी.डी. के पास उपलब्ध डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकता है, इसे इस तथ्य से और भी समझा जा सकता है कि जून 2021 में, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय, विभाग ने मार्च 2021 तक 15,252 ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राही की सूचना दी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अगस्त 2018 में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को पूर्व से ही ज्ञात था कि एम.आई.एस. में ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राही डेटा प्रथम दृष्टया बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। आयुक्त ने तदनुसार सभी डी.पी.ओ. को वास्तविक हितग्राहियों की संख्या की तुरंत समीक्षा करने का निर्देश दिया (अगस्त 2018) था। हालाँकि, हमें न तो डी.पी.ओ. में और न ही संचालनालय में ऐसी समीक्षा/प्रतिवेदन का कोई साक्ष्य मिला।

हमने पाया कि हितग्राहियों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय ने राज्य शिक्षा केंद्र के आंकड़ों के साथ ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या का मिलान करने का पुनः निर्देश (जून 2020) दिया। संचालनालय ने हितग्राहियों का जिला स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उनके नाम, आयु, कक्षा और स्कूल छोड़ने के कारणों का उल्लेख हो। फरवरी 2021 में, संचालनालय ने ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राहियों की संख्या केवल 53,614 आकलित की।

लेखापरीक्षा को दिए गए अपने उत्तर में, संचालनालय ने बताया (दिसंबर 2021) कि 5.51 लाख ओ.ओ.एस.ए.जी. हितग्राहियों की संख्या केवल टी.एच.आर. के आपूर्ति आदेशों पर आधारित थी।

उत्तर उपरोक्त प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि संचालनालय के पास हितग्राहियों का प्रमाणित डेटाबेस नहीं था और संचालनालय ने हितग्राहियों की वास्तविक संख्या का आकलन किए बिना ही टी.एच.आर. के वितरण के लिए आपूर्ति आदेश देना जारी रखा।

(2) लेखापरीक्षा द्वारा ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या से संबंधित डेटा का सत्यापन

हमने सभी आठ चयनित जिलों में हितग्राहियों की वास्तविक संख्या का आकलन करने के लिए डेटा की विस्तृत जाँच की। विवरण **तालिका 2.2.5** में देखा जा सकता है:

तालिका 2.2.5: मई 2018 से जुलाई 2018 के दौरान चयनित जिलों के सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. द्वारा प्रतिवेदित की गई ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या और उनसे संबंधित परियोजनाओं को आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा का विवरण

जिले का नाम	सी.डी.पी.ओ. द्वारा डी.पी.ओ. को प्रतिवेदित की गई ओ.ओ.एस. ए.जी. की संख्या	डी.पी.ओ. द्वारा संचालनालय को प्रतिवेदित की गई ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या	मई 2018 से जुलाई 2018 के दौरान मानदंडों के अनुसार ओ.ओ.एस.ए.जी. (कालम 2) के लिए आवश्यक टी.एच.आर. (एम.टी. में)	मई 2018 से जुलाई 2018 के दौरान संबंधित जिले की परियोजनाओं को आपूर्ति किया गया टी.एच.आर. (एम.टी. में)	टी.एच.आर. की अतिरिक्त आपूर्ति (एम.टी. में)	अधिक आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	**	**	**	46.58	-	-
झाबुआ	**	**	**	358.49	-	-
सागर	**	**	**	148.43	-	-
उप-योग(क)				**553.50**		
धार	8,735[55]	11,310	142.51	141.19	(-) 1.31	(-) 0.80
उप-योग(ख)	**8,735**	**11,310**	**142.51**	**141.19**	**(-) 1.31**	**(-) 0.80**
रीवा	1,467	1,467	18.48	210.71	192.23	118.65
सतना	2,904	2,959	36.59	74.99	38.40	23.70
शिवपुरी	6,189	6,961	77.98	126.32	48.34	29.42
छिंदवाड़ा	81	1,617	1.02	66.56	65.54	39.82
उप-योग(ग)	**10,641**	**13,004**	**134.07**	**478.58**	**344.51**	**211.59**

***** कोई जानकारी नहीं दी गई***

(स्रोत: चयनित जिलों के डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

[55] पांच परियोजनाओं (तिरला, नालछा, उमरवन, मनावर, बदनावर-2) के आधारभूत सर्वेक्षण (प्रपत्र II) का अभिलेख डी.पी.ओ. के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

तालिका 2.2.5 से निम्नलिखित प्रेक्षण परिलक्षित हुए:

- डी.पी.ओ. भोपाल, झाबुआ और सागर ने जनवरी 2018 के पत्र के उत्तर में संचालनालय को ओ.ओ.एस.ए.जी. की कोई जानकारी नहीं भेजी, हालांकि, हमने देखा कि मई 2018 से जुलाई 2018 के दौरान इन जिलों में 553.50 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति की गई। बिना किसी आवश्यकता के टी.एच.आर. की आपूर्ति के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। धार जिले के प्रकरण में, सी.डी.पी.ओ. से संबंधित डेटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

- रीवा, सतना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा के डी.पी.ओ. ने सी.डी.पी.ओ. द्वारा बताई गई संख्या से 2,363 अधिक हितग्राहियों की संख्या सूचित की, जिसमें सबसे अधिक रिपोर्टिंग (1896 प्रतिशत) छिंदवाड़ा जिले की थी। अधिक रिपोर्टिंग के कारण, 134.07 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आवश्यकता के विपरीत, डी.पी.ओ. द्वारा 478.58 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.12 करोड़ के मूल्य के 344.51 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की अधिक आपूर्ति हुई।

चूँकि जिन हितग्राहियों के विरुद्ध टी.एच.आर. की आपूर्ति की गई थी, उनकी संख्या वास्तव में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए टी.एच.आर. की आपूर्ति न किए जाने तथा विभाग को भुगतान हेतु अधिक राशि के देयक दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

हमने ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. और संबंधित परियोजनाओं द्वारा बताए गए हितग्राहियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक चयनित जिले के छह आंगनवाड़ी केन्द्रों का भी चयन किया। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की संख्या और आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. को दर्शाने वाला विश्लेषण **तालिका 2.2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.2.6: प्रत्येक चयनित जिले के चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में ओ.ओ.एस.ए.जी. की तथ्यात्मकता

स. क्र.	जिले का नाम	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या जिनके ओ.ओ.एस.ए.जी. के डेटा की जांच की गई	आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों के अनुसार हितग्राहियों की संख्या	वर्ष 2018-21 के दौरान सी.डी.पी.ओ. द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति की गई टी.एच.आर. (पैकेटों में)	वर्ष 2018-21 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के स्टॉक रजिस्टर/पंजी क्र 02 में प्राप्त टी.एच.आर. (पैकेटों में)	एम.आई.एस. के अनुसार वर्ष 2018-21 में पंजीकृत हितग्राहियों की औसत संख्या	एम.आई.एस. के अनुसार वर्ष 2018-21 में लाभान्वित हितग्राहियों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	भोपाल	06	0	3,000	2020	294	254
2	छिंदवाड़ा	06	01	500	856	180	39
3	धार	06	02	3,572[56]	1,530[57]	98	213
4	झाबुआ	06	0	3,740[58]	2,165[59]	235	155
5	रीवा	06	0	1,292	1,292	223	51
6	सागर	06	0	3,320	1,760	466	47
7	सतना	06	0	1,740	965	178	34
8	शिवपुरी	07[60]	0	2,400	142[61]	290	127
योग				**19,564**	**10,730**	**1,964**	**920**

(स्रोत: एम.आई.एस. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी; संबंधित सी.डी.पी.ओ. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी गई जानकारी)

---

56 एक परियोजना गंधवानी के टी.एच.आर. वितरण से संबंधित अभिलेख अप्रैल 2018 से मई 2018 और मार्च 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।

57 तीन आंगनवाड़ी केन्द्रों (मवाड़, कडोलाखुर्द और कोटभिडोता) में टी.एच.आर. की प्राप्ति और वितरण से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था।

58 पेटलावद में आग से अभिलेख नष्ट होने के कारण अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 तक आंगनवाड़ी केन्द्रों को टी.एच.आर. वितरण का डेटा उपलब्ध नहीं था तथा राणापुर परियोजना में 18 महीने की पावती लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

59 झाबुआ परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्र तड़वी फलिया कलिया छोटा, पेटलावद परियोजना के सागड़िया अमलियार फलिया, रामा परियोजना के भिलाला फलिया जसोदा हिरजी और राणापुर परियोजना के कंजवानी बाग फलिया का टीएचआर स्टॉक पंजी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। राणापुर परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्र खड़कुयी बोहरा फलिया ने केवल मई 2019 से मार्च 2020 तक का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया।

60 दो आंगनवाड़ी केन्द्रों का नाम एक ही था (बम्हारी), इसलिए दोनों आंगनवाड़ी केन्द्रों का डेटा प्राप्त किया गया।

61 दो आंगनवाड़ी केन्द्रों (महेशपुर और सकलपुर) ने टीएचआर के स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया था और एक आंगनवाड़ी केन्द्र (पटारा) ने अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की लेखापरीक्षा अवधि के विरुद्ध सितंबर 2020 से फरवरी 2021 की अवधि के लिए स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया था।

तालिका 2.2.6 से निम्नलिखित प्रेक्षण परिलक्षित हुए:

- सी.डी.पी.ओ. वर्ष 2018-21 के दौरान उपरोक्त चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में 19,564 पैकेट वितरित किए, जो कि 148 हितग्राहियों को वितरण हेतु पर्याप्त थे, जबकि इन आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक रूप से केवल तीन हितग्राही उपलब्ध थे।
- सीडी.पी.ओ., करेरा ने बम्हारी-। और बम्हारी-।। आंगनवाड़ी केन्द्रों को क्रमश: 420 और 180 पैकेट टी.एच.आर. वितरित किया तथा सी.डी.पी.ओ., खनियाधाना ने श्रीनगर आंगनवाड़ी केन्द्र को 60 पैकेट टी.एच.आर. वितरित किया। हालांकि, आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों के अनुसार, इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में ये पैकेट वास्तव में प्राप्त ही नहीं हुए थे।
- आठ चयनित जिलों के उपरोक्त चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में एम.आई.एस. पोर्टल पर 1964, ओ.ओ.एस.ए.जी. पंजीकृत थे, जबकि हमने पाया कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों में वास्तव में केवल तीन ओ.ओ.एस.ए.जी. पंजीकृत थें। इससे यह स्थापित होता है कि एम.आई.एस. पोर्टल पर पंजीकृत ओ.ओ.एस.ए.जी. की जानकारी गलत थी और डी.पी.ओ. द्वारा संचालनालय को बताई गई ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या भी निराधार और मनगढ़ंत थी।

इस प्रकार, संचालनालय द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण करवाने में विफलता, डी.पी.ओ. से वास्तविक खपत के आंकड़े न लेना तथा एम.आई.एस. पोर्टल पर हितग्राहियों की बढ़ी हुई संख्या अपलोड किए जाने के बारे में जानने के बावजूद आपूर्ति आदेशों के आधार पर हितग्राहियों को लाभान्वित मानने, के परिणामस्वरूप 5.08[62] लाख अस्तित्वहीन ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए टी.एच.आर. की अत्यधिक मांग और आपूर्ति की गई। आधारभूत सर्वेक्षण न करवाने की स्थिति में संचालनालय को राज्य शिक्षा केंद्र से ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या लेनी चाहिए थी।

भारत सरकार ने वर्ष 2018-21 के दौरान ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए टी.एच.आर. के उत्पादन के लिए ₹4.62 प्रति किलोग्राम और ₹6.12 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर क्रमशः 4,498.261 मीट्रिक टन गेहूं और 4,559.923 मीट्रिक टन चावल भी उपलब्ध कराया था। लाभान्वित ओ.ओ.एस.ए.जी. की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए, उक्त गेहूं और चावल का उठाव भी अनुचित था।

यह इंगित (अगस्त 2022) किये जाने पर, शासन ने कहा (दिसंबर 2022) कि ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या से संबंधित विभाग का डेटा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सही था। विभाग ने यह भी कहा कि आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था और एम.आई.एस. में उपलब्ध जानकारी के आधार पर टी.एच.आर. की आपूर्ति के आदेश दिए गए थे और जहां चूक हुई है, वहां दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

---

[62] 5.08 लाख=5.51 लाख-0.43 लाख

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हितग्राहियों की पहचान के लिए सही आंकड़े प्राप्त करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण अनिवार्यतः किया जाना था।

उत्तर विभाग के अभिमत का स्वयं खंडन करता है क्योंकि एक तरफ तो यह दावा करता है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उसके पास सही आंकड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ यह दावा करता है कि उसने आधारभूत सर्वेक्षण किया है। विभाग ने आधारभूत सर्वेक्षण करने के अपने दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अनुशंसा:

मध्य प्रदेश शासन को सभी स्तरों पर आंकड़ों में भिन्नता के ऐसे कारणों की जांच करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप टी.एच.आर. की अत्यधिक मात्रा की आपूर्ति हो रही है। आंकड़ों में हेराफेरी के लिए संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

2.2.12 टी.एच.आर. की आपूर्ति और वितरण

संचालनालय के निर्देशानुसार (मई 2018) सी.डी.पी.ओ., टी.एच.आर. प्राप्त करते समय निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा[63] (सी.डी.पी.ओ., सेक्टर पर्यवेक्षक, स्टोर क्लर्क, परिवहनकर्ता और राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) तैयार करेंगे तथा परियोजना स्तर पर उसका संधारण करेंगे। सी.डी.पी.ओ. प्राप्त टी.एच.आर. की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में करेंगे तथा चालान में स्टॉक पंजी का क्रमांक और दिनांक भी अंकित करेंगे। चालान पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और मुहर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

सी.डी.पी.ओ. पंचनामा एवं चालान की एक प्रति तत्काल डी.पी.ओ. को भेजेंगे। डी.पी.ओ. परियोजनाओं से प्राप्त पंचनामा/चालान में अंकित मात्रा के आधार पर टी.एच.आर. आपूर्तिकर्ताओं के देयकों का प्रतिमाह सत्यापन करेंगे तथा सत्यापित देयक पर प्रमाण पत्र अंकित कर संचालनालय को भेजेंगे।

2.2.12.1 प्राप्त टी.एच.आर. स्टॉक का पंचनामा तैयार न करना

हमने पाया कि 16 लेखापरीक्षित परियोजनाओं में से दो सी.डी.पी.ओ. (पेटलावद और सतना) ने वर्ष 2018-21 के दौरान संयंत्रों से प्राप्त टी.एच.आर. स्टॉक का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया

[63] परियोजना स्तरीय गोदाम पर टी.एच.आर. प्राप्ति के समय, मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंचनामा तैयार किया जाता है, जिसमें परियोजना का नाम, जिला, प्राप्ति की तिथि, आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम, चालान क्रमांक एवं तिथि तथा मदवार पैकेटों की संख्या दर्ज की जाती है।

था, और सात सी.डी.पी.ओ.[64] ने संबंधित राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना पंचनामा तैयार किया था। हालाँकि, उपरोक्त सभी नौ सी.डी.पी.ओ. ने पंचनामा में अपेक्षित जानकारी को पूरा किए बिना ही भुगतान के लिए चालान प्रस्तुत किए, जिससे टी.एच.आर. के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि पेटलावद और सतना परियोजनाओं ने टी.एच.आर. प्राप्त होने पर पंचनामा तैयार किया। जबकि, पेटलावद परियोजना अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 की अवधि के लिए पंचनामा प्रस्तुत नहीं कर सकी थी क्योंकि वे कार्यालय में आग लगने की घटना में जल गए थे। पेटलावद परियोजना के अगस्त 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए और सतना परियोजना के वर्ष 2018 से 2021 की अवधि के लिए पंचनामा उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए।

निम्नलिखित कारणों से उत्तर भ्रामक है:

- लेखापरीक्षा ने प्रथम दृष्टया पंचनामा की तारीखों और स्टॉक अभिलेखों में विसंगतियां पाईं, साथ ही एक ही हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता पाई थी, जो यह दर्शाता है कि पंचनामा प्रामाणिक नहीं थे। जालसाजी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
- सी.डी.पी.ओ., पेटलावद ने इस तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21[65] की अवधि के लिए पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, बाद की तारीख (दिसंबर 2022) में पंचनामा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, भले ही वह पहले मौजूद न हो, का स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को दिया जा सकता है।

अनुशंसा:

विभाग को डी.पी.ओ. को निर्देश देना चाहिए कि वे नियमित अंतराल पर परियोजना कार्यालयों में टी.एच.आर. प्राप्ति के अगले दिन परियोजना गोदामों का औचक निरीक्षण करें तथा देयक पारित करने के लिए चालान के साथ सभी आवश्यक/सम्बंधित हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पंचनामा संलग्न करना अनिवार्य करें।

---

[64] बैरसिया-I (भोपाल), छिंदवाड़ा शहरी (छिंदवाड़ा), झाबुआ (झाबुआ), बीना ग्रामीण (सागर), शिवपुरी शहरी और ग्रामीण (शिवपुरी) और रामनगर (सतना)।

[65] दिसंबर 2022 की लेखापरीक्षा पूछताछ के उत्तर में।

2.2.12.2 773.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की संदिग्ध फेक आपूर्ति

हमने बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी संयंत्रों में देखा कि इन संयंत्रों ने वर्ष 2018-21 के दौरान इन चालानों के जारी होने की तिथियों पर संयंत्रों के पास टी.एच.आर. स्टॉक नहीं होने के बावजूद 277 चालानों के माध्यम से 178 परियोजनाओं को 773.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति दर्शायी।

संक्षिप्त स्थिति तालिका 2.2.7 में दी गई है तथा बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी संयंत्रों का विस्तृत विवरण क्रमशः *परिशिष्ट-2.2.2, परिशिष्ट-2.2.3, परिशिष्ट-2.2.4, परिशिष्ट-2.2.5, परिशिष्ट-2.2.6* और *परिशिष्ट-2.2.7* में दिया गया है।

तालिका 2.2.7: स्टॉक न होने के बावजूद संयंत्रों द्वारा टी.एच.आर. की संदिग्ध आपूर्ति का सार

स.क्र.	सयंत्र का नाम	उन चालानों की संख्या जिनके माध्यम से स्टॉक न होने के बावजूद टी.एच.आर. की आपूर्ति की गई	संदिग्ध आपूर्ति की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	राशि (₹ करोड़ में)
01	बाड़ी	35	75.408	0.47
02	धार	07	11.447	0.07
03	मंडला	138	346.342	2.14
04	रीवा	34	116.067	0.73
05	सागर	06	54.508	0.34
06	शिवपुरी	57	169.438	1.05
योग		277	773.21	4.80

(स्रोत: संयंत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

हमने पाया कि उपरोक्त 277 चालानों में से 13 चालानों के माध्यम से चयनित आठ[66] परियोजनाओं में आपूर्ति किया गया टी.एच.आर. स्टॉक पंजी में दर्ज किया गया था। ऐसी स्थिति में चयनित परियोजनाओं में टी.एच.आर. की आपूर्ति में धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत एस.एन.पी./एस.ए.जी. के अंतर्गत टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए राज्यों को त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्न (गेहूं/चावल) जारी करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का

[66] 1. गोविंदपुरा, 2. बैरसिया-1, 3. छिंदवाड़ा शहरी, 4. पांढुर्ना, 5. सतना, 6. रामनगर, 7. हनुमना-2 8. शिवपुरी नवीन।

पुनर्आवंटन किया जाता है और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से टी.एच.आर. आपूर्तिकर्ता फर्मों को रियायती मूल्य[67] पर उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अलावा, इन छह संयंत्रों ने 773.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए रियायती दरों पर 298.04 मीट्रिक टन गेहूं और 74.72 मीट्रिक टन चावल उठाया, जिसका अर्थ है कि संयंत्रों ने उपरोक्त संदिग्ध बनावटी आपूर्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और खाद्यान्नों की रियायती दरों के बीच अंतर के रूप में ₹60.21 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ उठाया।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि लेखापरीक्षा में मात्र किसी विशेष दिन उत्पादित और आपूर्ति की गई मात्रा पर विचार किया गया, लेकिन स्टॉक के प्रारम्भिक शेष पर विचार नहीं किया गया। संयंत्र में एक दिन (24 घंटे) में उत्पादन की प्रविष्टि प्रायः अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे तक दर्ज की जाती है। संयंत्र में निरंतर उत्पादन होता है, जबकि डिलीवरी प्रायः दोपहर 12 बजे के बाद की जाती है। अगर कभी संयंत्र के स्टॉक में आपूर्ति की जाने वाली मात्रा की तुलना में कमी होती है, तो उसे निरंतर उत्पादन से पूरा किया जाता है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा ने उपर्युक्त आंकड़ों को निकालने के लिए टी.एच.आर. के प्रत्येक मद के विरुद्ध प्रत्येक दिन के प्रारम्भिक शेष पर पहले ही विचार कर लिया था। इसके अलावा, कई मामलों में संयंत्रों (बाड़ी, धार, मंडला, रीवा और शिवपुरी) में कोई उत्पादन नहीं होने के बावजूद, बाद की तारीखों में दो अथवा अधिक दिनों के लिए टी.एच.आर. की आपूर्ति की गई।

अनुशंसा:

विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक और परियोजनाओं को जारी किए गए स्टॉक की पुष्टि करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी विकसित करना चाहिए। सी.डी.पी.ओ./डी.पी.ओ. स्तर पर धर्मकांटा भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि परियोजना स्तर पर आवश्यक मात्रा में टी.एच.आर. प्राप्त हुआ है।

[67] 1. एस.एन.पी. के अंतर्गत: गेहूं- ₹247 प्रति क्विंटल और चावल- ₹347 प्रति क्विंटल, 2. एस.ए.जी. के अंतर्गत: गेहूं- ₹462 प्रति क्विंटल और चावल- ₹612 प्रति क्विंटल।

2.2.12.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति में अनियमितताएं

अ. अस्तित्वहीन ट्रकों के माध्यम से 479.46 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की संदिग्ध फेक आपूर्ति

संयंत्रों और चयनित डी.पी.ओ. के कार्यालयों से एकत्र किए गए चालानों की जांच के दौरान, हमें 40 चालान, ऐसे मिले, जिनसे पांच[68] फर्मों ने ट्रकों द्वारा ₹2.96 करोड़ मूल्य के 479.46 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति दर्शायी थी, जबकि 'वाहन' पोर्टल[69] पर ट्रक नंबरों की जांच करने पर हमें पता चला कि ये ट्रक नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, ट्रैक्टर और टैंकर के रूप में पंजीकृत थे। विवरण *परिशिष्ट-2.2.8* में दिया गया है।

इससे पता चलता है कि उत्पादन संयंत्रों ने परियोजनाओं को ₹2.96 करोड़ मूल्य के 479.46 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की फेक आपूर्ति से संबंधित फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए। तथ्य यह है कि टी.एच.आर. की प्राप्ति के लिए संबंधित परियोजना कार्यालयों में विधिवत संकलित पंचनामा, संयंत्रों/आपूर्तिकर्ताओं और परियोजना अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इंगित करता है।

इसके अलावा, इन पांच फर्मों ने 479.46 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए रियायती दरों पर 187.85 मीट्रिक टन गेहूं और 45.87 मीट्रिक टन चावल उठाया, जिसका अर्थ है कि इन फर्मों ने खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और रियायती दरों के बीच अंतर के रूप में ₹35.74 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ उठाया।

ब. 404.09 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति, उन ट्रकों के माध्यम से की गई, जिनके अभिलेख वाहन पोर्टल पर नहीं पाए गए ।

हमने 25 चालान ऐसे भी देखे, जिनमें चार[70] फर्मों ने ₹2.50 करोड़ मूल्य के 404.09 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति ट्रकों द्वारा की थी, जबकि हमें 'वाहन' पोर्टल पर इन ट्रक नंबरों का कोई अभिलेख नहीं मिला। विवरण *परिशिष्ट-2.2.9* में दिया गया है। 'वाहन' पोर्टल पर अभिलेखों के अभाव में, हम पुष्टि नहीं कर सके कि इन चालानों में उल्लिखित ट्रक नंबर, ट्रक के थे अथवा नहीं।

इन प्रकरणों को इंगित (अगस्त 2022) किये जाने पर, शासन ने (दिसंबर 2022) लिपिकीय त्रुटियों के कारण चालान पर गलत ट्रक नंबर लिखने और वाहन मालिकों द्वारा ट्रकों को

---

[68] 1. एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, 2. एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड, 3. एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल., 4. कोटा दाल मिल राजस्थान, 5. एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

[69] https://mis.mptransport.org/MPLogin/eSewa/VehicleSearch.aspx

[70] 1. कोटा दाल मिल राजस्थान, 2. एम.ए.ए.एस.एस.एम., 3. एमपी एग्रोटोनिक्स लिमिटेड, 4. एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.।

टैंकरों में परिवर्तित कराने को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों का मुख्य कारण बताया।

शासन के उत्तर पर प्रकरणवार टिप्पणियां नीचे तालिका 2.2.8 और 2.2.9 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 2.2.8: कंडिका 2.2.12.3 (अ) से संबंधित प्रकरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्रमांक	चालान के अनुसार ट्रक संख्या	वाहन/म.प्र. परिवहन पोर्टल के अनुसार वाहन का प्रकार	शासन का उत्तर		तत्पश्चात लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			ट्रक संख्या	उत्तर	
1.	एमपी09 एचसी0355	कार	एमपी09 एचसी3055	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर में उल्लिखित ट्रक संख्या एमपी09 एचसी3055 भी वाहन डेटाबेस के अनुसार एक कार ही है।
2.	एमपी09 एचजी2901	ट्रक (आरआईजी)	एमपी09 एचजी2901	वाहन ट्रक है। यह प्रीतेश सराफ के नाम पर पंजीकृत था जिसे विनोद पाटीदार को हस्तांतरित कर दिया गया और 25.02.2021 को आर.आई.जी में परिवर्तित कर दिया गया।	वाहन के ट्रक होने की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। इसके अलावा, डी.पी.ओ., झाबुआ ने कहा है कि ट्रक (आर.आई.जी.) भी एक प्रकार का ट्रक है जिसका उपयोग माल के परिवहन के लिए किया जाता है। उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के अनुसार, वाहन आर.आई.जी. बॉडी प्रकार का ट्रक है जिसका उपयोग बोरवेल (तेल अथवा पानी के कुएं) की ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। इसलिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
3.	एमपी04 एचए0225	कार	एमपी40 एचए0225	वाहन ट्रक है.	विभाग ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य (गेट पास, परिवहनकर्ता बिल्टी, धर्मकांटा पर्ची आदि) प्रस्तुत नहीं किया कि ट्रक नंबर एमपी40 एचए0225 में टी.एच.आर. का परिवहन किया गया था। इसके अलावा लिपिकीय त्रुटि का दावा स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि चालान डिस्पैच पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किया गया था और गेट पास शाखा प्रबंधक द्वारा तैयार किया गया था। दो अलग-अलग अधिकारी एक ही लिपिकीय त्रुटि नहीं कर सकते क्योंकि वे ट्रक नंबर को स्वतंत्र रूप से दर्ज कर रहे थे। इसलिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
4.	एमपी09 एचइ2760	कार	एमपी04 एचइ2760	वाहन ट्रक है	विभाग ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत (गेट पास, परिवहनकर्ता बिल्टी, धर्मकांटा पर्ची आदि) प्रस्तुत नहीं किया कि ट्रक नंबर एमपी04 एचइ2760 और एमपी04 एचइ2815
5.	एमपी04 के2815	ऑटो आर. (माल)	एमपी04 एचइ2815	वाहन ट्रक है	

क्रमांक	चालान के अनुसार ट्रक संख्या	वाहन/म.प्र. परिवहन पोर्टल के अनुसार वाहन का प्रकार	शासन का उत्तर		तत्पश्चात लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			ट्रक संख्या	उत्तर	
					में टी.एच.आर. का परिवहन किया गया था। इसके अलावा लिपिकीय त्रुटि का दावा स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि चालान डिस्पैच पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किया गया था और गेट पास शाखा प्रबंधक द्वारा तैयार किया गया था। दो अलग-अलग अधिकारी एक ही लिपिकीय त्रुटि नहीं कर सकते क्योंकि वे ट्रक नंबर को स्वतंत्र रूप से अभिलेखित कर रहे थे। इसलिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
6.	एमपी09 एचजी6510	टैंकर	एमपी09 एचजी6510	वाहन को टैंकर में परिवर्तित कर दिया गया।	विभाग ने ट्रक को टैंकर में बदलने के दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
7.	एमपी20 एचबी4290	टैंकर	एमपी20 एचबी4290	वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वाहन मालिक ने दिनांक 10.07.2020 को वाहन को टैंकर में परिवर्तित कर दिया।	
8.	एमपी18 जीए 3107	टैंकर	एमपी18 जीए 3107	वाहन को मालिक द्वारा टैंकर में परिवर्तित कर दिया गया।	
9.	एमपी09 एचएफ0357	टैंकर	एमपी09 एचएफ0357	वाहन ट्रक है, ट्रक ओपन बॉडी ट्रक था जो आशुका जैन के नाम पर पंजीकृत था उसके बाद ट्रक को दिनांक 05.07.2019 को ओपन बॉडी टैंकर में परिवर्तित कर दिया गया।	
10.	एमपी09 एचइ4058	कार	एमपी04 एचइ4058	वाहन ट्रक है	शासन के उत्तर में उल्लिखित इन वाहनों द्वारा टी.एच.आर. के परिवहन के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे गेट पास, परिवहनकर्ता बिल्टी, धर्मकांटा पर्ची आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
11.	सीजी10 एसी 9807	कृषि ट्रैक्टर एलएमवी	सीजी10 एएल 9807	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	
12.	जेएच05 बीए0511	एम-साइकिल/स्कूटर	जेएच05 एबी0511	वाहन ट्रक है	
13.	एमपी 09 जी 7396	मोटर साइकिल	एमपी 07 जी 7396	वाहन ट्रक है, नंबर तोल कांटा की पर्ची भी पर छपा है	
14.	एमपी09 एचइ 4080	कार	एमपी04 एचइ 4058	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	
15.	एमपी09 एचइ 9901	कार	एमपी04 एचइ 9901	वाहन ट्रक है	

क्रमांक	चालान के अनुसार ट्रक संख्या	वाहन/म.प्र. परिवहन पोर्टल के अनुसार वाहन का प्रकार	शासन का उत्तर		तत्पश्चात लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			ट्रक संख्या	उत्तर	
16.	एमएच14 एचसी0160	एम-साइकिल/स्कूटर	एमपी14 एचसी0160	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	
17.	यूपी77 एल1548	पल्सर मोटरसाइकिल	यूपी77 एन1548	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	
18.	एचआर73 ए8549	तीन पहिया वाहन (ऑटो रिक्शा)	एचआर74 ए8549	वाहन ट्रक है। लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर अंकित किया गया है।	
19.	आरजे14 जीबी2351	लाइन ट्रॉली	आरजे14 जीबी2351	वाहन ट्रक है। पंजीकरण के अनुसार यह एक ट्रेलर है।	विवरण के अनुसार संलग्न वाहन मल्टी एक्सल (ट्रेलर) है जिसका उपयोग आम तौर पर भारी सामग्री, कच्चे औद्योगिक सामग्री जैसे कि पत्थर अथवा ईंट के बड़े शिपमेंट को ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, ट्रेलर भी एक ओपन बॉडी वाहन है जिससे टी.एच.आर. का परिवहन संभव नहीं था। इसलिए, उत्तर स्वीकार नहीं किया गया।
20.	एमपी04 आरए6784	ऑटो.आर यात्री	एमपी04 आरए6784	कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ऑटो के माध्यम से परिवहन किया गया।	उत्तर स्वीकार नहीं क्योंकि परिवहनकर्ता के साथ अनुबन्ध के अनुसार टी.एच.आर. का परिवहन केवल ट्रकों द्वारा ही किया जाना था। दूसरा यह कि, चालान पर 'ट्रक' शब्द हाथ से लिखा हुआ था। इसके अलावा, मध्य प्रदेश परिवहन वेबसाइट पर वाहन को ऑटो (यात्री) के रूप में पंजीकृत है, न कि ऑटो (माल) के रूप में।

तालिका 2.2.9: कंडिका 2.2.12.3 (ब) से संबंधित प्रकरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

स.क्र.	चालान के अनुसार ट्रक संख्या	वाहन/म.प्र. परिवहन पोर्टल के अनुसार वाहन का प्रकार	शासन का उत्तर		तत्पश्चात लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			ट्रक संख्या	उत्तर	
1.	एमपी09 जीए4694	अभिलेख नहीं मिला	एमपी09 एचएफ4694	वाहन ट्रक है	शासन के उत्तर में उल्लिखित इन वाहनों द्वारा टी.एच.आर. के परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे गेट पास, परिवहनकर्ता बिल्टी, धर्मकांटा पर्ची, शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं
2.	आरजे 17 जीबी0877	अभिलेख नहीं मिला	आरजे 11 जीबी0877	वाहन ट्रक है	
3.	आरजे 09 सीजी2769	अभिलेख नहीं मिला	आरजे 09 जी सी 2769	वाहन ट्रक है	

स.क्र.	चालान के अनुसार ट्रक संख्या	वाहन/म.प्र. परिवहन पोर्टल के अनुसार वाहन का प्रकार	शासन का उत्तर		तत्पश्चात लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			ट्रक संख्या	उत्तर	
4.	एमपी 06 एच ए 0246	अभिलेख नहीं मिला	एमपी 08 एच ए 0246	वाहन ट्रक है	किया गया। इसलिए, उत्तर स्वीकार नहीं किया गया।
5.	सीजी04 इ 6070	अभिलेख नहीं मिला	सीजी 04 इ 6077	वाहन ट्रक है	
6.	आरजे 17 जी बी 5345	अभिलेख नहीं मिला	आरजे 17 जी ए 5345	वाहन ट्रक है	
7.	एमपी 09 एच जी 9559	अभिलेख नहीं मिला	एमपी 09 एच जी 9555	वाहन ट्रक है	
8.	एमपी 16 एच सी1748	अभिलेख नहीं मिला	एमपी 06 एच सी 1748	वाहन ट्रक है	
9.	यूपी 70 बीटी 8489	अभिलेख नहीं मिला	यूपी 70 बीटी 8489	वाहन ट्रक है, अन्य राज्य में बेचे जाने के कारण नंबर बदल दिया गया था।	
10.	आरजे 37 जी सी 2122	अभिलेख नहीं मिला	आरजे 37 जी ए 2122	जीए के स्थान पर जीसी लिखा गया है, परिवहनकर्ता का शपथपत्र संलग्न है।	
11.	जीजे 20 एक्स 1294	अभिलेख नहीं मिला	जीजे 20 एक्स 1294	वाहन ट्रक है, अन्य राज्य में बेचे जाने के कारण नंबर बदल दिया गया था।	
12.	एम एच 14 बी 2386	अभिलेख नहीं मिला	एमपी14 एचबी 2386	वाहन ट्रक है लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत संख्या लिखी गई।	
13.	आरजे20 जीएफ9375	अभिलेख नहीं मिला	आरजे20 जीए9375	वाहन ट्रक है, लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत संख्या लिखी गई।	
14.	टी एस 07 यूवी 2220	अभिलेख नहीं मिला	टीएस 07 यू इ2220	वाहन ट्रक है, लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत संख्या लिखी गई।	

लेखापरीक्षा ने शासन के उत्तर को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज विश्वसनीय नहीं हैं।

अनुशंसा:

विभाग को उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू करनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा नियमित आधार पर ट्रकों की वास्तविकता की जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। विभाग ट्रकों की आवागमन की निगरानी के लिए टी.एच.आर. के परिवहन के लिए जीपीएस-युक्त वाहनों की तैनाती सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.12.4 टी.एच.आर. की आपूर्ति में पाई गई विसंगतियां

अ. 10,144.35 मीट्रिक टन का कम लेखांकन किया जाना

सभी चयनित जिलों के डी.पी.ओ. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि परियोजनाओं के स्टॉक पंजी में दर्ज 96,541.56 मीट्रिक टन टी.एच.आर. में से पूरी मात्रा को आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजा/वितरित दिखाया गया था। परिवहन देयकों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि वास्तव में केवल 86,397.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. ही आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया गया था। विवरण नीचे **तालिका 2.2.10** में दिया गया है:

तालिका 2.2.10: आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाए गए टी.एच.आर. का विवरण

जिले का नाम	सी.डी.पी.ओ. के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज पाई गई टी.एच.आर. की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुँचाई गई टी.एच.आर. की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचाई गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	राशि[71] (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भोपाल	9,835.04	9,585.72	249.32	1.54
छिंदवाड़ा	10,536.46	6,372.30	4,164.16	25.57
धार	14,155.26	11,008.09	3,147.17	19.39
झाबुआ	13,620.51	12,991.07	629.44	3.88
रीवा	13,678.66	12,831.95	846.71	5.28
सागर	13,135.96	12,907.30	228.66	1.41
सतना	11,223.53	10,615.96	607.57	3.79
शिवपुरी	10,356.14	10,084.82[72]	271.32	1.67
योग	**96,541.56**	**86,397.21**	**10,144.35**	**62.53**

(स्रोत: डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर और परिवहन देयक)

इससे पता चलता है कि सी.डी.पी.ओ. ने टी.एच.आर. के पूर्ण स्टॉक के प्रेषण को गलत तरीके से दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 62.53 करोड़ के 10,144.35 मीट्रिक टन टी.एच.आर. का कम लेखांकन हुआ।

[71] सभी वस्तुओं की औसत दर की गणना संभाग विशेष में लागू दरों के आधार पर की गई है।

[72] इसमें वर्ष 2018-19 के दौरान 2170.748 मीट्रिक टन टी.एच.आर. का परिवहन शामिल है, इसके परिवहन देयक डी.पी.ओ. के अभिलेख में नहीं पाए गए, हालांकि, रोकड़ बही में परिवहन देयकों की प्रविष्टि पाई गई।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि परियोजनाओं में प्राप्त पूर्ण टी.एच.आर. को आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित कर दिया गया था और जहां चूक हुई**,** वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने प्रासंगिक अभिलेख जैसे परिवहन देयक प्रस्तुत नहीं किया और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित टी.एच.आर. स्टॉक की रसीदें प्रस्तुत की हैं; ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभिलेख लेखापरीक्षा के बाद तैयार किए गए हैं क्योंकि ये अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं थे अथवा हमें प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए, लेखापरीक्षा स्वीकार नहीं करता कि टी.एच.आर. को आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया गया है।

ब. 205.34 मीट्रिक टन टी.एच.आर. प्राप्ति के बिना भुगतान

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-21 के दौरान 46 चालान के माध्यम से 29 परियोजना कार्यालयों को कुल 12,842 टी.एच.आर. के बैग जारी किए गए थे। स्टॉक पंजियों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि परियोजना कार्यालयों में वास्तव में टी.एच.आर. के केवल 2,612 बैग प्राप्त हुए थे।

यद्यपि सी.डी.पी.ओ. को **₹**1.28 करोड़ मूल्य के 10,230 बैग टी.एच.आर. (205.34 मीट्रिक टन) कम प्राप्त हुए फिर भी सी.डी.पी.ओ. ने डी.पी.ओ. को गलत सूचित[73] किया कि उनके पास स्टॉक की पूरी मात्रा आ गई है। परिणामस्वरूप, सी.डी.पी.ओ. को कम प्राप्ति होने के बावजूद डी.पी.ओ. ने संचालनालय को सूचित किया कि उपरोक्त चालान के संबंध में टी.एच.आर. प्राप्त हो गया है। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.10*** में दिया गया है।

सी.डी.पी.ओ. (और दो मामलों में डी.पी.ओ.) की अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप टी.एच.आर. की प्राप्ति के बिना **₹** 1.28 करोड़ का भुगतान हो गया।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि जहां चूक हुई है, वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

[73] शिवपुरी शहरी परियोजना के प्रकरण को छोड़कर, जहां सी.डी.पी.ओ. ने डी.पी.ओ. को 750 ग्राम लड्डू के दो बैग और 750 ग्राम खिचड़ी के तीन बैग कम मिलने की सूचना दी, फिर भी डी.पी.ओ. ने संचालनालय को पूरी खेप मिलने की सूचना दी।

स. 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. का सत्यापन न होना

हमने पाया कि मई 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान कोलारस और खनियाधाना परियोजनाओं में प्रदायित दर्शाए गए ₹ 5.10 करोड़ मूल्य के 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. सामग्री के देयक डी.पी.ओ., शिवपुरी द्वारा सत्यापित किए गए और भुगतान के लिए संचालनालय को भेजे गए।

जबकि, हमें कोलारस और खनियाधाना परियोजनाओं के अभिलेखों में उक्त अवधि का स्टॉक पंजी और पंचनामा नहीं मिला। इसके अतिरिक्त डी.पी.ओ., शिवपुरी के कार्यालय में परिवहन देयकों की जांच से पता चला कि 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. में से 101.24 मीट्रिक टन को परियोजना गोदामों से आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचाया गया था। स्टॉक पंजी और पंचनामा के अभाव में, लेखापरीक्षा कोलारस और खनियाधाना परियोजनाओं में ₹5.10 करोड़ मूल्य के 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि नहीं कर सका।

शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि कोलारस एवं खनियाधाना के परियोजना अधिकारियों के विरूद्ध लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करने के लिए विस्तृत विवेचना के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। शासन ने अपने उत्तर के समर्थन में स्टॉक पंजी की प्रतियां भी प्रस्तुत की। 101.236 मीट्रिक टन टी.एच.आर. का परिवहन न किए जाने के संबंध में बताया गया कि परिवहन से संबंधित देयकों का भुगतान उसी अवधि में नहीं किया जाता है, इसलिए उपरोक्त मिलान नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत स्टॉक पंजी में केवल टी.एच.आर. की प्राप्ति दर्ज की गई है, वितरण नहीं, जो इंगित करता है कि स्टॉक रजिस्टर गलत तरीके से तैयार किए गए थे। इसके अलावा, टी.एच.आर. की उपरोक्त मात्रा के लिए परिवहन देयक भी लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

<u>अनुशंसा:</u>

विभाग को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर दोषी पाए जाने पर उचित दंड दिया जाना चाहिए।

2.2.12.5 रेडी-टू-ईट (आर.टी.ई.) के भुगतान के लिए संदिग्ध भुगतान

हमने शिवपुरी और रीवा जिलों में कोविड-19 अवधि के दौरान आर.टी.ई. के वितरण में ₹45 लाख के संदिग्ध भुगतान के मामले देखे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

संचालनालय ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के कारण टी.एच.आर. की अनुपलब्धता की स्थिति में टी.एच.आर. के हितग्राहियों को स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से आर.टी.ई. प्रदान करने का निर्देश (मार्च 2020) दिया।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई-भुगतान के लिए अधिसूचित (नवंबर 2015) प्रक्रिया अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) दावेदार जिसे भुगतान किया जाना है, के बैंक खाते के विवरण का सत्यापन करेंगे, तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक खाते का विवरण वास्तविक दावेदार से संबंधित है। इसके बाद, दावेदार को कोषालय कम्प्यूटरीकरण प्रणाली (टी.सी.एस.) में पंजीकृत किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में, अन्य व्यक्ति/संस्था का बैंक खाता विवरण अथवा नाम/पद पर खोले गए बैंक खाते को दावेदार के बैंक खाते के विवरण में दर्ज नहीं किया जाएगा। सही बैंक खाते के विवरण की प्रमाणिकता के लिए डी.डी.ओ. पूर्णतः जिम्मेदार होंगे, इसलिए डी.डी.ओ. को बैंक खाता विवरणों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें आगे प्रावधान है कि एक बार देयक का भुगतान हो जाने के बाद, डी.डी.ओ. कुछ अंतरालों (एक माह से अधिक नहीं) में कोषालय से ई-भुगतान विवरण एकत्र करेगा अथवा इस प्रयोजन के लिए, टी.सी.एस. पर उपलब्ध रिपोर्ट का उपयोग कर सकता है तथा देयक की कार्यालय प्रति से ई-भुगतान राशियों एवं ई-भुगतान के बैंक विवरणों का सत्यापन करेगा तथा स्वयं को संतुष्ट करेगा कि सभी ई-भुगतान सही बैंक खातों में किए गए हैं।

शिवपुरी जिले के पिछोर परियोजना में मई 2020, जून 2020 और सितंबर 2020 के महीने में आर.टी.ई. की आपूर्ति से संबंधित तीन[74] भौतिक देयकों और उनकी ई-भुगतान सूचियों की जांच के दौरान, हमने 45 मामलों को देखा, जहां भौतिक देयकों में उल्लिखित स्व-सहायता समूह के नाम ई-भुगतान सूची में खाताधारकों के नामों से भिन्न थे और 45 बैंक खातों के विरुद्ध भौतिक देयकों में स्व-सहायता समूह के एक से छह नाम दर्ज किए गए थे, जिनका विवरण *परिशिष्ट-2.2.11* में दिया गया है। इसमें कुल राशि

[74] देयक संख्या 20007599288, 20006632844 और 20007480232.

₹ 42 लाख शामिल थी। इसके अतिरिक्त, आर.टी.ई. की आपूर्ति के लिए भुगतान करने से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं/स्व-सहायता समूहों से कोई चालान/देयक प्राप्त नहीं किए गए थे।

इन 45 बैंक खातों में से एक खाता (एस.बी.आई. खाता संख्या 37121991954) सुश्री भूरी जाटव का है जो एक व्यक्तिगत बचत खाता है और इसमें ₹1.84 लाख जमा किए गए थे। जबकि, इस खाता संख्या के विरुद्ध स्व-सहायता समूह का नाम भौतिक देयकों में माँ वैष्णो देवी, पारुल और गिरजा के रूप में उल्लिखित किया गया था।

एक बार जब स्व-सहायता समूह का गठन हो जाता है, तो स्व-सहायता समूह के नाम पर एक बैंक खाता खोला जाता है, जो इसके सदस्यों के व्यक्तिगत खातों से अलग होता है। इस खाते को स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव जैसे पदाभिहित सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। यद्यपि, यह देखा गया कि बछरोन में जय माँ महिला स्व-सहायता समूह से संबंधित खाता संख्या 53021034997, जैसा कि *परिशिष्ट-2.2.11* के सरल क्रमांक 20 में सूचीबद्ध है, में शिवपुरी जिले में धोखाधड़ी से सूखा राहत के ₹0.72 लाख जमा किए गए हैं। सूखा राहत को डी.बी.टी. के तहत किसानों के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और स्व-सहायता समूह ऐसी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। किसी भी स्व-सहायता समूह द्वारा सूखा राहत भुगतान की प्राप्ति अत्यंत ही अनुचित है।

डी.पी.ओ., रीवा के अभिलेखों की जांच के दौरान हमें तीन ऐसे मामले मिले, जिनमें भौतिक देयकों में उल्लिखित स्व-सहायता समूहों के बैंक खाते, बैंक अभिलेखों में व्यक्तिगत खाते पाए गए। इन बैंक खातों में कुल ₹ तीन लाख जमा किए गए। विवरण *परिशिष्ट-2.2.11* के सरल क्रमांक 46 से 48 में दिए गए हैं।

आर.टी.ई. का भुगतान व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा करना तथा एक ही बैंक खाते के लिए अलग-अलग नामों का उपयोग करना, सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. के दुर्भावनापूर्ण इरादों से किए गए संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान की ओर इंगित करता है।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसंबर 2022) और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिन्होंने देयकों की राशि को, गलत खातों में भुगतान करने का अवसर प्रदान किया, जो वित्तीय नियमों के विपरीत था।

2.2.12.6 बिना अभिलेख/प्रमाण के आर.टी.ई. के वितरण के लिए भुगतान किया जाना

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश (मार्च 2020) के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों को बंद रखा जाना था। आर.टी.ई. स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त किया जा कर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों को वितरित करना था। आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा स्व-सहायता समूह के देयकों को सत्यापित किया जाना था तथा उन्हें आर.टी.ई. की प्राप्ति और वितरण, दोनों का अभिलेख संधारित करना भी आवश्यक था।

हमने भोपाल, शिवपुरी और झाबुआ जिलों के डी.पी.ओ. के अभिलेख की जाँच में पाया कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान टी.एच.आर. की उपलब्धता/वितरण के बावजूद 5.56 लाख हितग्राहियों को ₹74.54 लाख का आर.टी.ई. वितरित किया गया। प्राप्त टी.एच.आर. और आर.टी.ई. की आपूर्ति के विरुद्ध किए गए भुगतान का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.12*** में दिया गया है। जबकि, इन महीनों में चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों को केवल टी.एच.आर. का वितरण किया गया और इन केन्द्रों के स्टॉक पंजी में आर.टी.ई. की प्राप्ति और वितरण की कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई।

इस प्रकार, टी.एच.आर. की उपलब्धता के बावजूद आर.टी.ई. के वितरण के लिए स्व-सहायता समूहों को आदेश देने तथा आर.टी.ई. की प्राप्ति एवं वितरण की पुष्टि किए बिना स्व-सहायता समूहों को भुगतान करने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा भुगतान की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि जब मंगलवार को वितरित किए जाने वाला गर्म पका हुआ भोजन और टी.एच.आर. अपर्याप्त था, तब आर.टी.ई. की आपूर्ति की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टी.एच.आर. उपलब्ध था। इसके अलावा, टी.एच.आर. के विरुद्ध आर.टी.ई. के वितरण के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं पाए गए।

2.2.12.7 टी.एच.आर. आवश्यक पोषण मानक के अनुरूप नहीं होने के बावजूद 38,304 मीट्रिक टन टी.एच.आर. का वितरण

(अ) एम.पी.एस.आर.एल.एम., भोपाल द्वारा संयंत्रों के संचालन के दौरान गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया

संचालनालय के निर्देशानुसार (मई 2018) टी.एच.आर. की रेसिपी में प्रोटीन/कैलोरी तथा विटामिन-मिनरल्स (सूक्ष्म पोषक तत्व) की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक माह आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. से याहच्छिक आधार पर लिए गए नमूने, डी.पी.ओ. द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा

अधिकृत परियोजना अधिकारी द्वारा, निर्दिष्ट जिले के आंगनवाड़ी केन्द्र से एकत्रित कर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संचालनालय को भेजे जाने थे। इस प्रकार प्रत्येक आपूर्ति आदेश के सापेक्ष आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. की गुणवत्ता परीक्षण हेतु परियोजना/आंगनवाड़ी केन्द्र से टी.एच.आर. की प्रत्येक रेसिपी के 100 ग्राम तथा 500 ग्राम के दो नमूने याद्दच्छिक आधार पर लिए जाने थे।

संचालनालय स्तर पर एक अलग अनुभाग पदाभिहित डी.पी.ओ. से प्राप्त टी.एच.आर. के नमूने की गुणवत्ता परीक्षण कार्य कर रहा था, जहाँ नमूना वस्तुओं की कोडिंग की जाती थी और टी.एच.आर. की रेसिपी में प्रोटीन/कैलोरी और विटामिन-खनिज (सूक्ष्म पोषक तत्व) के विश्लेषण के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं को भेजा जाता था। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इसे संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मों/संयंत्रों को भेजा जाता था। आपूर्तिकर्ता फर्मों/संयंत्रों द्वारा आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. के देयकों के साथ संचालनालय को वही परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता था। उपरोक्त प्रक्रिया को **चार्ट 2.2.3** में परिभाषित किया गया है:

चार्ट 2.2.3: गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया

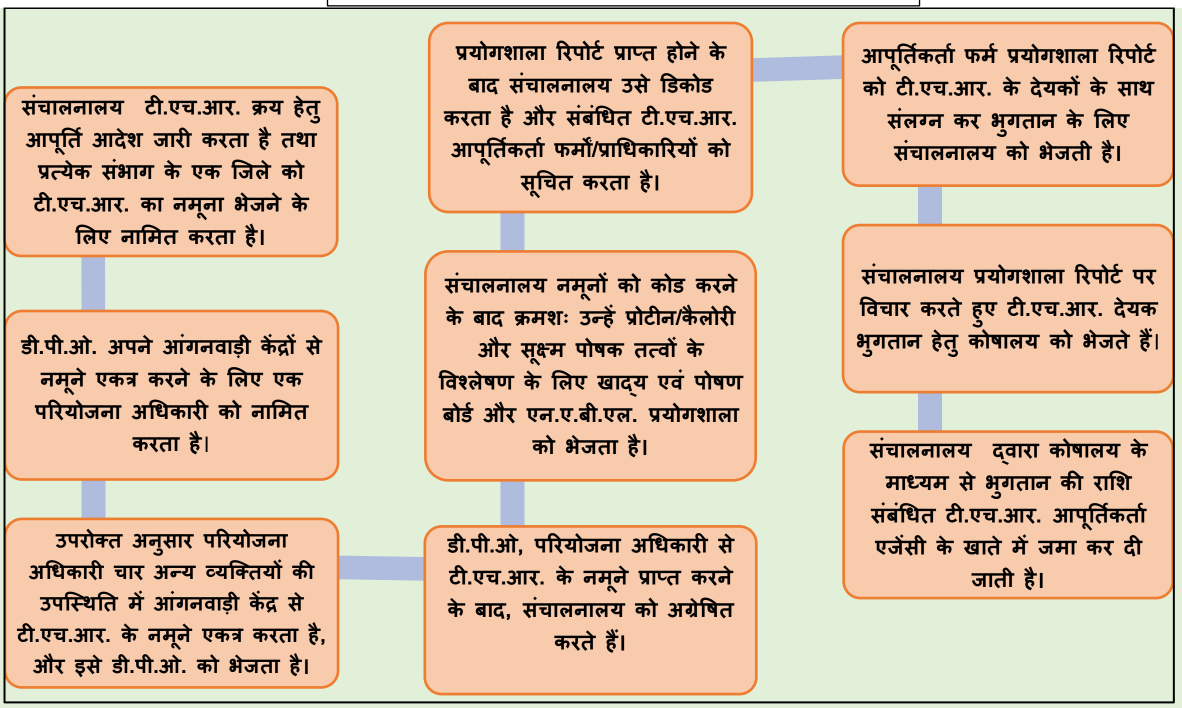

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य हुए अनुबंध (नवम्बर 2019) के अनुसार, टी.एच.आर. की आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित रेसिपी एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की जानी थी। अनुबंध में यह भी उल्लेख किया गया था कि आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. में यदि गुणवत्ता मानकों में कोई कमी पायी जाती है, तो भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रिया के अनुसार देयकों से कटौती की जाएगी।

हमने पाया कि देवास, धार, होशंगाबाद, मंडला और सागर संयंत्रों द्वारा मार्च 2019 से जनवरी 2020 की अवधि में आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. की प्रयोगशाला रिपोर्ट में टी.एच.आर. में सूक्ष्मपोषक तत्व की मात्रा संचालनालय द्वारा निर्धारित सूक्ष्मपोषक तत्व के मानकों से चार से 100 प्रतिशत कम थी। देवास संयंत्र में उत्पादित नमूनों में प्रोटीन भी निर्धारित मात्रा से चार से 14 प्रतिशत कम पाया गया। सूक्ष्मपोषक तत्व में संयंत्रवार कमी **तालिका 2.2.11** में दी गई है:

तालिका 2.2.11: टी.एच.आर. में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के प्रतिशत की सीमा

संयंत्र	देवास	होशंगाबाद	धार	सागर	मंडला
मानदंड	**% कमी**	**% कमी**	**% कमी**	**% कमी**	**% कमी**
आयरन	8 से 74	9 से 70	14 से 68	16 से 73	15 से 79
विटामिन A	4 से 100	10 से 81	17 से 79	16 से 79	8 से 77
कैल्शियम	12 से 89	9 से 77	15 से 81	18 से 71	14 से 78
विटामिन B1	4 से 98	10 से 79	6 से 79	7 से 78	10 से 77
विटामिन B2	4 से 96	10 से 79	18 से 78	18 से 78	8 से 77
विटामिन B3	4 से 97	11 से 79	14 से 79	17 से 76	8 से 73
विटामिन C	4 से 88	10 से 86	16 से 79	16 से 82	9 से 82
विटामिन B9	4 से 98	10 से 86	19 से 80	18 से 78	12 से 80
जिंक	6 से 66	12 से 68	13 से 64	17 से 61	3 से 76

(स्रोत: संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रयोगशाला रिपोर्ट)

आगे, आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. के देयकों की जांच से पता चला कि संचालनालय ने उपरोक्त पांच संयंत्रों को 38,304 मीट्रिक टन टी.एच.आर. के लिए ₹ 236.82 करोड़ मूल्य के 13 आपूर्ति आदेश जारी किए थे जिसके लिए संचालनालय ने इन संयंत्रों को ₹ 201.31 करोड़ का भुगतान किया और आपूर्ति किए गए टी.एच.आर. में प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के मानकों में कमी के कारण इन देयकों से ₹ 35.51 करोड़ (15 प्रतिशत) के भुगतान को रोक दिया। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.13*** में दिया गया है।

मार्च 2019 से जनवरी 2020 के दौरान इन संयंत्रों द्वारा आपूर्ति किया गया टी.एच.आर. आवश्यक पोषण मानकों के अनुरूप नहीं था। हालाँकि, मंत्री जी ने उपरोक्त अवधि के दौरान अमानक टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए राशि की वसूली के आदेश दिए थे (मई 2019), लेकिन संचालनालय ने इस तथ्य को जानने के बावजूद, केवल एम.पी.एस.आर.एल.एम., भोपाल को

गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सूचित किया और 31 जिलों के 27,25,800[75] हितग्राहियों को ऐसे टी.एच.आर. का वितरण जारी रखा। संचालनालय ने एम.पी.एस.आर.एल.एम. के देयकों से 15 प्रतिशत राशि के भुगतान को रोकने के अलावा और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। मंत्री जी के आदेश के अनुसार देयकों से रोकी गई राशि को शासकीय खाते में वापस जमा किया जाना था।

(ब) एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. द्वारा संयंत्र चलाए जाने पर गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया

एम.पी.एस.आर.एल.एम. ने उपरोक्त संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. को सौंप दिया (मार्च 2020) और संचालनालय ने संयंत्रों को इनमें निर्मित 100 मीट्रिक टन टी.एच.आर. के एक बैच में से एक नमूना महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड की प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजने का आदेश (मई 2020) दिया और आठ संयंत्रों में निर्मित टी.एच.आर. की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने के लिए आठ सी.डी.पी.ओ. को गुणवत्ता अधिकारी के रूप में अधिकृत किया। संयंत्र प्रभारी और गुणवत्ता अधिकारी संयुक्त रूप से संयंत्रों से प्रयोगशालाओं तक टी.एच.आर. का नमूना भेजने के लिए जिम्मेदार थे। **चार्ट 2.2.4** टी.एच.आर. की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया दर्शाता है:

चार्ट 2.2.4: एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. द्वारा संयंत्रों के परिचालन पर गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया

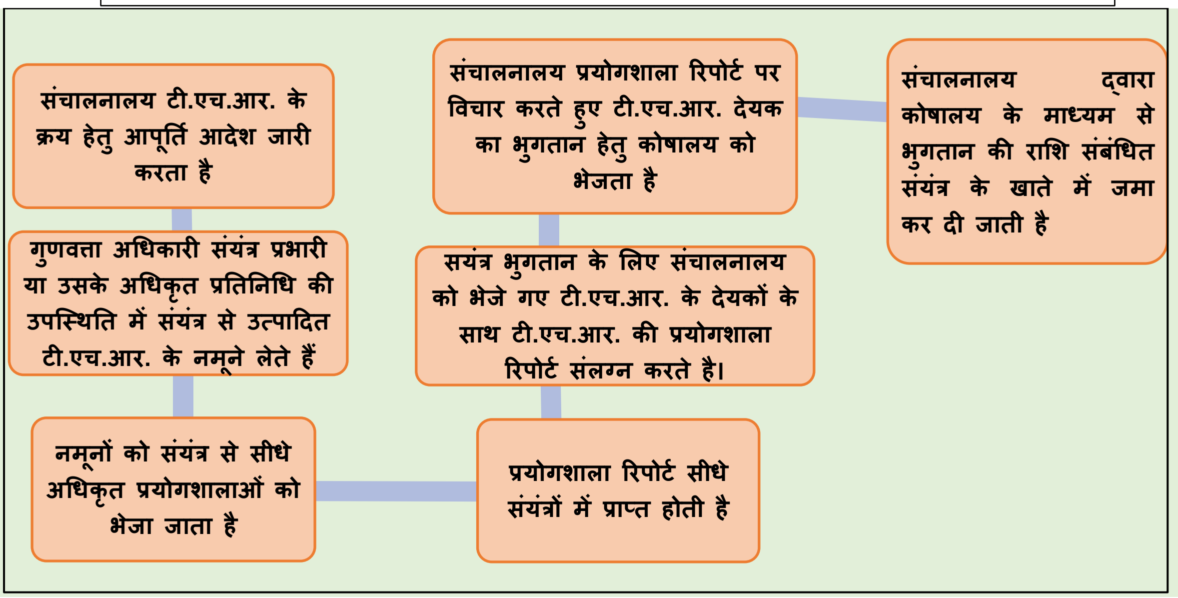

हमने पाया कि संचालनालय के आदेशानुसार (मई 2020) संयंत्रों ने अपने यहां निर्मित 100 मीट्रिक टन टी.एच.आर. के एक बैच में से एक नमूना गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में

---

[75] छह माह से तीन वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की श्रेणी में 18,39,132 हितग्राही, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की श्रेणी में 7,70,592 हितग्राही और 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ओ.ओ.एस.ए.जी. की श्रेणी में 1,16,076 हितग्राही शामिल हैं।

भेजा था और परियोजनाओं/आंगनवाडी केंद्रों से कोई नमूना नहीं लिया गया था। जबकि, संयंत्रों में 100 मीट्रिक टन टी.एच.आर. के एक बैच के उत्पादन में दो से छह महीने लग गए। उदाहरण के लिए, बाड़ी संयंत्र में, 100 मीट्रिक टन का, बैच क्र. बी.बी.-01 (सोया बर्फी 900 ग्राम) का उत्पादन 30 अप्रैल 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक किया गया और इस बैच के दो नमूने 15 जुलाई 2020 और 10 सितंबर 2020 को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए, जो छह महीने की अवधि के दौरान उत्पादित 100 मीट्रिक टन के पूरे नमूने का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

मई 2020 के बाद प्रयोगशालाओं को भेजे गए सभी नमूनों में से किसी को भी अमानक नहीं बताया गया। इस प्रकार, छह महीने तक की लंबी अवधि के दौरान उत्पादित 100 मीट्रिक टन टी.एच.आर. में से एक छोटा सा नमूना लेने और परियोजनाओं/आंगनवाडी केंद्रों से कोई नमूना नहीं लेने की प्रथा, टी.एच.आर. की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, संचालनालय के अभिलेखों की जांच के दौरान ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला जिससे पुष्टि हो सके कि टी.एच.आर. के एक बैच से 100 और 500 ग्राम के दो नमूने लेना क्रमशः कैलोरी/प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए उपयुक्त था।

इसके अलावा, भारत के महापंजीयक ने नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) बुलेटिन 2019 जारी (अक्टूबर 2021) किया, जिसमें वर्ष 2019 के दौरान भारत में अधिकतम शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 46 प्रति हजार जीवित जन्मों के साथ प्रतिवेदित की गई। मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) के मामले में, भारत के महापंजीयक ने एम.एम.आर. वर्ष 2017-19 पर अपने विशेष बुलेटिन में प्रतिवेदित (मार्च 2022) किया कि मध्य प्रदेश प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 163 मातृ मृत्यु के साथ भारत में तीसरे स्थान पर है।

छह महीने से अधिक समय से इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद हितग्राहियों को कम पौष्टिक टी.एच.आर. की आपूर्ति जारी रखना और गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूनों के चयन की प्रक्रिया को कमजोर करना टी.एच.आर. की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है, यह देखते हुए कि आई.एम.आर. और एम.एम.आर. जैसे शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में मध्य प्रदेश की स्थिति निम्न श्रेणी की प्रदर्शित हो रही है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि टी.एच.आर. में कम पोषण/सूक्ष्म पोषण मूल्य के कारण फर्मों की 15 प्रतिशत राशि रोक दी गई थी। नमूने में लिए गए टी.एच.आर. में प्रोटीन/कैलोरी की मात्रा में कोई विशेष अंतर नहीं था और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त था, इसलिए आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन को 15 प्रतिशत राशि रोकने के स्थान पर अनुबंध के अनुसार टी.एच.आर. देयकों से राशि काट लेनी चाहिए थी। इसके अलावा, टी.एच.आर. में सूक्ष्म पोषक तत्वों की चार से 100 प्रतिशत कमी के बावजूद विभाग ने ऐसे टी.एच.आर. को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना, जो एस.एन.पी. के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता था।

2.2.12.8 टी.एच.आर. की आपूर्ति में विलम्ब होने पर जुर्माना न काटने के कारण शासन को हानि

एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. को छोड़कर, संचालनालय और टी.एच.आर. आपूर्तिकर्ता फर्मों[76] के बीच निष्पादित अनुबंधों में (अप्रैल 2018 और मई 2018) में प्रावधान था कि आई.सी.डी.एस. खाद्य पूरक को आई.सी.डी.एस. परियोजना स्तर पर स्थित निर्दिष्ट गोदामों में आपूर्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जब तक कि आयुक्त द्वारा अवधि विस्तार का अनुमोदन न दिया गया हो। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो देरी से वितरण में शामिल मात्रा की लागत का पांच प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी यदि देरी क्रमशः एक से छह दिन, सात से 15 दिन और 15 दिनों से अधिक लेकिन 21 दिनों से कम हो। कटौती की राशि आपूर्तिकर्ता फर्मों के देयकों से वसूल की जाएगी। हालांकि, 21 दिनों से अधिक की डिलीवरी में देरी होने पर अनुबंध निलंबित अथवा समाप्त हो जाएगा।

अनुबंध में यह भी प्रावधान था कि आई.सी.डी.एस. खाद्य पूरकों की डिलीवरी में गुणवत्ता में कमी अथवा अनावश्यक विलंब अथवा आपूर्तिकर्ता फर्मों के असंतोषजनक प्रदर्शन अथवा निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, शासन अनुबंध को निरस्त कर सकता है और सुरक्षा जमा राशि जब्त करने के अलावा अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति वसूल सकता है। ऐसी कार्रवाई सफल निविदाकार को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद की जाएगी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए संचालनालय और सभी चयनित जिलों के डी.पी.ओ. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि यद्यपि टी.एच.आर. के 138 आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध की गई आपूर्ति में एक से 21 दिनों का विलंब हुआ था, लेकिन संचालनालय द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों पर न तो ₹12.85 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और न ही उनके देयकों से काटा गया। इसके अलावा, 13 आपूर्ति आदेशों के संबंध में आपूर्ति में 22 से 73 दिनों की देरी हुई, फिर भी संचालनालय ने न तो उन आपूर्तिकर्ता फर्मों के अनुबंध को निलंबित/समाप्त किया

[76] 1. एम.पी. एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, 2. एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड, 3. एम.पी. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 4. कोटा दाल मिल राजस्थान, 5. बिहारीजी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, 6. फ्लोरा-ओ-फूड्स, जयपुर, 7. सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

और न ही सुरक्षा निधि[77] को जब्त करने के अलावा अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत वसूली[78] जैसा कोई जुर्माना लगाया। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.14*** में दिया गया है।

इसके अलावा, विभाग ने एम.पी.एस.आर.एल.एम./एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. के साथ किए गए अनुबंध में टी.एच.आर. की देरी से आपूर्ति के मामले में दंड का कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि एम.पी.एस.आर.एल.एम./एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. द्वारा संचालित संयंत्रों ने भी 78 और 61 आदेशों के विरुद्ध क्रमशः एक से 21 दिनों और 22 से 74 दिनों के विलंब से टी.एच.आर. की आपूर्ति की। अनुबंध में दंड धारा का प्रावधान न होने से शासन को ₹12.12 करोड़ की हानि हुई। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.15*** में दिया गया है।

हमने पाया कि चयनित नौ[79] आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष 2018-21 के दौरान 30 से 120 दिनों तक टी.एच.आर. प्राप्त नहीं हुआ और न ही वितरित किया गया, जिससे वर्ष में 300 दिनों तक हितग्राहियों को पूरक पोषण उपलब्ध न कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य विफल हो गया।

हमने पाया कि वर्तमान में विभाग के पास टी.एच.आर. प्राप्ति में विलम्ब की सीमा का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि एम.आई.एस. में सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. स्तर पर टी.एच.आर. की आपूर्ति की निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि ***परिशिष्ट 2.2.14*** में उल्लिखित टी.एच.आर. की देरी से आपूर्ति की जांच की जा रही है और देरी और जुर्माने पर विवेचना के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, चूंकि एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. और विभाग के बीच निष्पादित अनुबंध में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए ऐसे संयंत्रों से टी.एच.आर. की देरी से आपूर्ति के लिए ₹ 12.12 करोड़ का जुर्माना लगाना न तो संभव था और न ही वसूल किया जा सकता था। शासन ने यह भी कहा है कि संयंत्रों से परियोजना गोदामों तक टी.एच.आर. के उत्पादन और परिवहन की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है।

एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. के साथ अनुबंध के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग को अनुबंध में शास्ति का प्रावधान शामिल करना चाहिए था।

[77] ₹0.89 करोड़ से ₹5.39 करोड़ के बीच

[78] ₹1.78 करोड़ से ₹10.77 करोड़ के बीच

[79] 1. विजावनकलां, 2. सेमरा भैरोपुर, 3. बरखेड़ा खुर्द, 4. जूनापानी, 5. बागसी-I (सभी बैरसिया-I से), 6. सागड़िया अमलियार फलिया, पेटलावद, 7. खड़कुई बोहरा फलिया (राणापुर) 8. बिलोकला , शिवपुरी ग्रामीण और 9. गणेश गली, शिवपुरी शहरी।

<u>अनुशंसा:</u>

विभाग को सभी अनुबंधों में शास्ति संबंधी प्रावधान शामिल करना चाहिए, ताकि ऐसे अनुबंधों में शामिल चाहे कोई भी एजेंसी (निजी/शासकीय) हो पर ध्यान दिए बिना अनुबंधों के विचलन के विरुद्ध रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

2.2.12.9 वैधता अवधि समाप्ति के बाद टी.एच.आर. का वितरण

निविदा दस्तावेज (मार्च 2018) के प्रावधानानुसार, पौष्टिकता से भरपूर रेडी-टू-ईट/कुक प्रीमिक्स सूखे महीन मिश्रण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त होने चाहिए। वितरण के समय, प्रीमिक्स आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होने चाहिए, गंध, संक्रमण तथा किसी भी जहरीले अथवा हानिकारक पदार्थ से मुक्त होने चाहिए तथा उत्पादन की तिथि से 90 दिनों की पूरी शेल्फ लाइफ अवधि के दौरान मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बने रहने चाहिए। इसके अलावा, निर्दिष्ट गोदामों तक पहुंचने वाले उत्पाद की शेल्फ लाइफ निर्धारित शेल्फ लाइफ के 80 प्रतिशत अर्थात 72 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए।

सतना जिले के सतना शहरी-1 परियोजना के 147 हरिजन बस्ती आंगनवाड़ी केन्द्र के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि 09 जुलाई 2019 के बैच संख्या 33 में निर्मित खिचड़ी (625 ग्राम) के 34 पैकेट 16 जुलाई 2019 को आंगनवाड़ी केन्द्र में प्राप्त हुए थे। जबकि, इन्हें हितग्राहियों को 29 अक्टूबर 2019 (33 पैकेट) और 26 नवंबर 2019 (एक पैकेट) को क्रमशः 22 दिन और 50 दिन की देरी के बाद वितरित किया गया। इस प्रकार, यह जानते हुए भी कि ऐसा टी.एच.आर. हितग्राहियों के लिए हानिकारक हो सकता है, पुराने टी.एच.आर. के 34 पैकेट वितरित किए गए। यह न केवल योजना के उचित कार्यान्वयन की कमी को दर्शाता है बल्कि सी.डी.पी.ओ. और डी.पी.ओ. द्वारा की जा रही निगरानी पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अवकाश पर होने के कारण अभिलेख ठीक से नहीं बनाए जा सके। पंजी में विलंबित प्रविष्टि हुई थी, लेकिन जुलाई 2019 में प्राप्त टी.एच.आर. को आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा संबंधित हितग्राही को समय सीमा समाप्त होने से पहले वितरित कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उस अवधि के दौरान अन्य वस्तुओं (हलवा, बाल आहार, गेहूं सोया बर्फी, आदि) को पंजी में ठीक से दर्ज किया गया था। इसके अलावा, सेक्टर पर्यवेक्षक को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति के बारे में पता होना चाहिए और ऐसी स्थिति में, अभिलेख के रखरखाव का दायित्व उसके पास था। यह पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी में विफलता को दर्शाता है।

2.2.13 टी.एच.आर. का परिवहन

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास के निर्देशानुसार (अगस्त 2015) परियोजना कार्यालयों के गोदामों में प्राप्त टी.एच.आर. सामग्री सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्राप्ति उपरांत अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर आंगनवाड़ी केन्द्रों को वितरित की जानी चाहिए। परियोजना स्तर पर टी.एच.आर. का अनावश्यक भंडारण नहीं किया जाना चाहिए।

फर्म आपूर्ति आदेश के अनुसार संबंधित परियोजना कार्यालय के गोदामों में टी.एच.आर. सामग्री की आपूर्ति करती हैं। डी.पी.ओ. परियोजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों तक टी.एच.आर. के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं का चयन करने के लिए निविदा आमंत्रित करते हैं। परियोजनाओं में प्राप्त टी.एच.आर. को हितग्राहियों को वितरण हेतु चयनित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। संचालनालय ने परिवहन के लिए अधिकतम दर ₹100 प्रति क्विंटल निर्धारित (मई 2016) किया और डी.पी.ओ. को निविदा आमंत्रित करके परिवहन की दर तय करने का निर्देश दिया।

हमने पाया कि अधिकांश प्रकरणों में चयनित परियोजना कार्यालयों में प्राप्त टी.एच.आर. को प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र को वितरित नहीं किया गया।

2.2.13.1 परिवहन देयकों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती संलग्न नहीं की गई

परिवहनकर्ताओं के साथ किए गए अनुबंध में यह प्रावधान है कि परिवहनकर्ताओं को तीन प्रतियों में चालान तैयार करना होगा, जिसमें से पहली प्रति आंगनवाड़ी केन्द्रों को देनी होगी, दूसरी प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती के साथ परियोजना कार्यालय को भेजनी होगी तथा तीसरी प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती के साथ देयकों के साथ संलग्न रहेगी।

चयनित 16 परियोजनाओं में से 14[80] परियोजनाओं में हमने पाया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इन परियोजनाओं में कुल 355 परिवहन किए गए, जबकि, किसी भी परिवहन देयक के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पावती संलग्न नहीं पाई गई। परिवहनकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए चालान न तो देयकों के साथ और न ही चयनित आंगनवाड़ी केंद्र और परियोजना कार्यालयों के अभिलेखों में संलग्न पाए गए। सी.डी.पी.ओ. ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती और चालान की प्रतियों के बिना देयकों का सत्यापन किया और भुगतान के लिए परिवहन देयकों को डी.पी.ओ. को भेज दिया।

---

[80] 1. गोविंदपुरा: 38, 2. बैरसिया-1: 32, 3. झाबुआ: 34, 4. पेटलावद : 34, 5. शिवपुरी ग्रामीण: 15, 6. शिवपुरी शहरी: 13, 7. छिंदवाड़ा शहरी: 27, 8. पांढुर्ना: 12, 9. सागर-2 शहरी: 26, 10. बीना ग्रामीण: 18, 11. सतना: 26, 12. रामनगर: 20, 13. धार: 30, 14. डही: 30

परिवहन देयकों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती संलग्न न होने के परिणामस्वरूप अनियमितताएं हुईं, जिनकी चर्चा **कंडिका 2.2.12.4** में की गई है।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि देयकों के भुगतान से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा:

विभाग को परिवहन देयक पारित करने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती और आंगनवाड़ी केंद्रों के स्टॉक पंजी के प्रासंगिक पृष्ठ की एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य करना चाहिए।

2.2.13.2 सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर टी.एच.आर. की प्राप्ति को प्रमाणित न करना

महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केन्द्रों से टी.एच.आर. वितरण के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी (जुलाई 2016) किए। इन निर्देशों के बिंदु 11 में प्रावधान है कि सी.डी.पी.ओ. के अनुसार आपूर्ति किए जा रहे टी.एच.आर. की सूची आंगनवाड़ी केन्द्र वार परिवहनकर्ताओं और सेक्टर पर्यवेक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। सेक्टर पर्यवेक्षक प्रपत्र-6 में आंगनवाड़ी केन्द्र वार टी.एच.आर. की उपलब्धता और वितरण का आकलन तैयार करेंगे। इन निर्देशों के बिंदु 13 में प्रावधान है कि सी.डी.पी.ओ. प्रपत्र-7 में सेक्टर पर्यवेक्षकों से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर टी.एच.आर. प्राप्ति का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह लेंगे।

चयनित परियोजना कार्यालयों में, हमें अभिलेखों में सेक्टर पर्यवेक्षकों से लिए जाने वाले प्रपत्र 6 और 7 नहीं मिले।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि परियोजना कार्यालयों ने प्रपत्र 6 और 7 को देयकों की प्रतियों के साथ रखने के बजाय अलग से संधारित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये प्रपत्र न तो लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत किए गए थे और न ही शासन के उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए थे।

2.2.14 भौतिक सत्यापन

संचालनालय द्वारा निर्देश दिए गए (फरवरी 2020) कि सभी डी.पी.ओ. एवं सी.डी.पी.ओ. भण्डार क्रय नियम के अनुसार अपने गोदामों का सूक्ष्मता से निरीक्षण हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। इन निर्देशों के बिन्दु-1 में प्रावधान है कि गोदामों में रखी सामग्री का भौतिक सत्यापन संबंधित स्टॉक पंजी से किया जाए। इन निर्देशों के बिन्दु-4 में प्रावधान है कि समिति को पोषाहार के गोदामों का तिमाही निरीक्षण करना चाहिए तथा लापरवाही के कारण पोषाहार

खराब होने/खो जाने/चोरी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी से वसूली कर धनराशि शासकीय खाते में जमा कराई जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभी चयनित जिलों के डी.पी.ओ. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान टी.एच.आर. सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। समय-समय पर भौतिक सत्यापन न किए जाने के परिणामस्वरूप अनियमितताएं हुईं, जिनकी चर्चा बाद की उप-कंडिकाओं में की गई है।

2.2.14.1 स्टॉक में उपलब्ध टी.एच.आर. वितरित रूप में दिखाया गया

हमने डी.पी.ओ. कार्यालय, शिवपुरी के अधिकारियों की उपस्थिति में शिवपुरी ग्रामीण गोदाम का संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021) किया, जहाँ हमने पाया कि 12 अक्टूबर 2021 और 13 अक्टूबर 2021 को प्राप्त टी.एच.आर. सामग्री के 49,120 पैकेटों वाले 1,648 बैग स्टॉक रजिस्टर में पूरी तरह से वितरित दिखाए गए थे। जबकि, स्टॉक रजिस्टर में टी.एच.आर. की उपलब्धता निरंक होने के बावजूद गोदाम में ₹0.16 लाख मूल्य के 405[81] पैकेट पाए गए। गोदाम में रखे जाने के बावजूद 405 पैकेटों को वितरित दिखाने का सी.डी.पी.ओ. का कृत्य दुर्भावनापूर्ण इरादे का संदेह पैदा करता है।

इसी तरह, 16 दिसंबर 2021 को परियोजना कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में सागर-2 शहरी गोदाम का संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि गोदाम में टी.एच.आर. के 80 बैग, जिनमें ₹ 0.99 लाख मूल्य के 2,460[82] पैकेट उपलब्ध थे। ये बैग 16 नवंबर 2021 को परियोजना में प्राप्त हुए थे और परियोजना के स्टॉक पंजी में इन्हें पूरी तरह से वितरित दिखाया गया था। संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती भी अभिलेखों में पाई गई। इससे यह तथ्य सामने आया कि सी.डी.पी.ओ. ने स्टॉक के दुरुपयोग के लिए टी.एच.आर. का वास्तविक वितरण किए बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से फर्जी पावती प्राप्त की।

शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि टी.एच.आर. को वितरित दिखाए जाने के बाद गोदाम में रखना उचित नहीं है। विभाग इस संबंध में निर्देश जारी करेगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

---

[81] आटा बेसन लड्डू (20 पैकेट), खिचड़ी 625 ग्राम (280 पैकेट), बाल आहार (40 पैकेट), आटा बेसन लड्डू के खुले पैकेट (60) और खिचड़ी के खुले पैकेट 625 ग्राम (05)

[82] आटा बेसन लड्डू (40 पैकेट), बाल आहार (600 पैकेट), गेहू सोया बर्फी (300 पैकेट), हलवा (480 पैकेट), खिचड़ी 750 ग्राम (400 पैकेट) और खिचड़ी 625 ग्राम (640 पैकेट)

2.2.14.2 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कालातीत टी.एच.आर. की उपलब्धता

हमने परियोजना कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में सतना जिले के रामनगर परियोजना के सोनाड़ी लोनियांटोला आंगनवाड़ी केंद्र का संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2021) किया, जहां हमने पाया कि 11 फरवरी 2021 के बैच नंबर आर.के.डब्लू.-08 के 750 ग्राम खिचड़ी के 11 पैकेट थे। ये पैकेट 19 अप्रैल 2021 को आंगनवाड़ी केंद्र में प्राप्त हुए थे और आंगनवाड़ी केंद्र में कीड़ों से भरे पड़े थे।

(24 दिसंबर 2021 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सतना के रामनगर परियोजना के सोनाड़ी लोनियांटोला आंगनवाड़ी केंद्र में टी.एच.आर. की कालातीत/फटे हुए बैग मिले)

इसी तरह, सागर जिले में तीन आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (22-24 दिसंबर 2021) के दौरान, हमने तीन आंगनवाड़ी केंद्रों में कालातीत टी.एच.आर. के 68 पैकेट की उपलब्धता देखी। विवरण **तालिका 2.2.12** में दिया गया है:

तालिका 2.2.12: सागर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में कालातीत टी.एच.आर. की उपलब्धता का विवरण

परियोजना का नाम	टी.एच.आर. सामग्री	बैच संख्या/दिनांक	परियोजनाओं पर प्राप्ति की तिथि	कालातीत होने की की तिथि	आंगनवाड़ी केन्द्रों का नाम	कालातीत हो चुके टी.एच.आर. के पैकेटों की संख्या
सागर-2 शहरी	बाल आहार	एसएसी-11/ 21.09.2021	13.10.2021	20.12.2021	47, वल्लभ नगर	08
	बाल आहार	एसएसी-11/ 21.09.2021	13.10.2021	20.12.2021	67, गांधी चौक	40
बीना ग्रामीण	आटा बेसन लड्डू	एसएलएम-06/ 20.09.2021	04.10.2021	19.12.2021	परासरी	20
योग						**68**

इस प्रकार, उपरोक्त पैकेट का समय पर वितरण न होने के कारण हितग्राही वांछित लाभ से वंचित रह गए।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2022) और कहा कि संबंधितों से राशि वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

2.2.14.3 परियोजना गोदामों में टी.एच.आर. के फटे बैगों का पाया जाना

भोपाल जिले की गोविंदपुरा और बैरसिया-1 परियोजनाओं तथा झाबुआ जिले की रामा और राणापुर परियोजनाओं के गोदामों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित परियोजना कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में हमें 48 फटे हुए बैग मिले, जिनमें ₹0.64 लाख मूल्य का 1.042 मीट्रिक टन टी.एच.आर. था। हमें दोनों परियोजनाओं में इस प्रकार के टी.एच.आर. बैगों को अपलेखन किए जाने का कोई अभिलेख नहीं मिला। टी.एच.आर. के फटे हुए उपलब्ध बैगों का परियोजनावार विवरण **तालिका 2.2.13** में दिया गया है:

तालिका 2.2.13: फटे हुए पाए गए टी.एच.आर. बैगों की मदवार मात्रा

परियोजना का नाम	जिला	भौतिक सत्यापन की तिथि	टी.एच.आर. सामग्री	उत्पादन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान फटे पाए गए टी.एच.आर. बैगों की संख्या	मात्रा मीट्रिक टन में	दर/मीट्रिक टन	राशि (₹ में)
गोविन्दपुरा	भोपाल	06.01.2022	खिचड़ी (750 ग्रा.)	24.12.2021	07	0.105	60,995	6,404
			हलवा (600 ग्रा.)	27.12.2021	06	0.144	62,495	8,999
			खिचड़ी (625 ग्रा.)	27.12.2021	02	0.05	60,495	3,025
बेरसिया-1	भोपाल	07.01.2022	आटा बेसन लड्डू (750 ग्रा.)	12.12.2021	02	0.03	62,095	1,863
			खिचड़ी (625 ग्रा.)	29.11.2021	03	0.075	60,495	4,537
रामा	झाबुआ	21.02.2022	आटा बेसन लड्डू (750 ग्रा.)	11.01.2022	04	0.06	60,500	3,630
			बाल आहार (600 ग्रा.)	14.01.2022	04	0.096	63,500	6,096
			हलवा (600 ग्रा.)	13.01.2022	07	0.168	62,500	10,500
			खिचड़ी (625 ग्रा.)	20.01.2022	06	0.15	60,800	9,120
राणापुर	झाबुआ	21.02.2022	खिचड़ी (625 ग्रा.)	18.01.2022	05	0.125	60,800	7,600
			गेहूं सोया बर्फी (750 ग्रा.)	10.01.2022	01	0.015	61,500	923
			बाल आहार (600 ग्रा.)	14.01.2022	01	0.024	63,500	1,524
योग					**48**	**1.042**		**64,221**

शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि गोविंदपुरा परियोजना में टी.एच.आर. के 320 पैकेटों में से मात्र आठ पैकेट फटे हुए थे, जिन्हें पंचनामा बनाकर नष्ट कर दिया गया। बैरसिया-I, रामा एवं राणापुर परियोजना में कोई भी पैकेट फटा हुआ नहीं पाया गया, अतः उसे हितग्राहियों में वितरित कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन परियोजनाओं के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय **तालिका 2.2.13** में उल्लिखित 48 बैग फटे हुए पाए गए, निरीक्षण के दौरान ली गई फोटोग्राफ/वीडियो रिकॉर्डिंग लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध है।

2.2.14.4 भण्डार खाते का संधारण न करना

संचालनालय ने निर्देश दिया (जुलाई 2016) कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टॉक रजिस्टर बनाया जाएगा, परियोजना स्तर पर टी.एच.आर. की प्राप्ति और वितरण के लिए निर्धारित प्रपत्र-3 में एक अलग पंजी बनायी जाएगी और इसे हर महीने सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

सभी 16 चयनित परियोजनाओं में रखे गए स्टॉक पंजियों की जांच से पता चला कि प्राप्ति और वितरण पंजी न तो निर्धारित प्रारूप में बनाई गई थी और न ही उन्हें प्रतिदिन अद्यतन किया जा रहा था। पंजियों में टी.एच.आर. का मदवार बैच संख्या और शेष भी नहीं दिखाया गया था। इसके अलावा, हमने पाया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में स्टॉक पंजी उचित रूप से संधारित नहीं की गई थी।

शासन ने जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.2.15 अन्य विविध निष्कर्ष

2.2.15.1 सात संयंत्रों की स्थापना के लिए एम.पी.एस.आर.एल.एम. को भुगतान की गई अग्रिम राशि की वसूली न होना

मंत्रिमंडलीय निर्णय (मार्च 2018) के कंडिका 13 के अनुसार मध्य प्रदेश शासन सात संयंत्रों को पहला आपूर्ति आदेश जारी करने से पहले टी.एच.आर. की आपूर्ति में लगे महिला स्व-सहायता समूहों[83] के परिसंघ को दो महीने के बराबर कार्यशील पूंजी के लिए अग्रिम प्रदान करेगा और इसे एक वर्ष के बाद देयकों से समायोजित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल के निर्णय और वित्त विभाग की सहमति (अक्टूबर 2018) के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक सी.ई.ओ., एम.पी.एस.आर.एल.एम. को कार्यशील पूंजी के रूप में ₹141 करोड़ की राशि का अग्रिम भुगतान किया। एम.पी.एस.आर.एल.एम. को भुगतान की गई राशि का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.16*** में दिया

[83] स्व-सहायता समूह महिलाओं के अनौपचारिक संगठन हैं जो अपनी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं।

गया है। टी.एच.आर. से संबंधित देयकों की जांच से पता चला कि संचालनालय ने दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संबंधित संयंत्रों के टी.एच.आर. के भुगतान देयकों से एम.पी.एस.आर.एल.एम. को भुगतान की गई अग्रिम राशि को समायोजित नहीं किया था।

मंत्रिमंडल आदेश (नवंबर 2019) में पारित निर्णय के अनुरूप, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने महिला स्व-सहायता समूह के परिसंघ द्वारा चलाए जा रहे सात संयंत्रों के प्रबंधकीय कार्यों को एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. को सौंप (जनवरी 2020) दिया। विभाग ने एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. को देवास, होशंगाबाद और धार संयंत्रों को प्रदान किए गए ₹51.59 करोड़ शासन के खाते में जमा करने का निर्देश (सितंबर 2020) दिया। हालांकि, प्रबंध निदेशक, एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. ने इसे जमा करने से इंकार कर (सितंबर 2020) दिया क्योंकि उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने मंत्रिमंडल आदेश (सितंबर 2021) में पारित निर्णय के अनुपालन में एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. से सात संयंत्रों के प्रबंधकीय कार्यों को वापस ले लिया (अक्टूबर 2021) और इसे एम.पी.एस.आर.एल.एम. के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूह के परिसंघ को पुनः सौंप दिया।

यद्यपि संचालनालय ने मार्च 2019 से फरवरी 2020 के दौरान पांच[84] संयंत्रों द्वारा की गई टी.एच.आर. की आपूर्ति के विरुद्ध एम.पी.एस.आर.एल.एम. को ₹245.24 करोड़ का भुगतान किया, फिर भी भुगतान देयकों से ₹141 करोड़ का अग्रिम समायोजित करने में विफल रहा।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, एम.पी.एस.आर.एल.एम. को ₹140.99 करोड़ की कार्यशील पूंजी प्रदान की गई थी और इसे वसूली होने पर विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना था। हालांकि, महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संयंत्रों के संचालन में प्रारंभिक समस्या के कारण राशि वसूल नहीं की जा सकी। राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.2.15.2 टी.एच.आर. फर्म के देयकों का भुगतान न करने के कारण सृजित देनदारिया

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-I के नियम 283 में प्रावधान है कि वास्तविक रूप से किए गए समस्त भारों को तुरंत आहरण तथा चुकता किया जाना चाहिए, तथा किसी भी परिस्थितियों में अगले वर्ष के अनुदान में से भुगतान के लिए छोड़ना नहीं चाहिए।

संचालनालय के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान दो[85] फर्मों द्वारा ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए आपूर्ति की गई टी.एच.आर. से संबंधित

[84] 1. देवास: ₹107.84 करोड़, 2. धार: ₹67.35 करोड़, 3. मंडला: ₹31.97 करोड़, 4. होशंगाबाद: ₹17.50 करोड़, 5. सागर: ₹20.58 करोड़।

[85] 1. एम.ए.ए.एस.एस.एम., मंडला, 2. एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.।

₹22.09 करोड़ के देयक मार्च 2022 तक भुगतान के लिए लंबित थे। संचालनालय ने भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए केन्द्रांश जारी करने का अनुरोध (जून 2021) किया, जिसमें वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही तक राज्य द्वारा किए गए केन्द्रांश के लिए ₹16.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल था। हालाँकि, भारत सरकार ने अपेक्षित निधि उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण मई 2021 से मध्य प्रदेश में ओ.ओ.एस.ए.जी. को टी.एच.आर. का वितरण बंद कर दिया गया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2020 के बाद केन्द्रांश जारी नहीं किया और 31 मार्च 2022 से एस.ए.जी. को बंद कर दिया। केन्द्रांश की प्रत्याशा में, राज्य शासन ने मई 2021 तक एस.ए.जी. का संचालन जारी रखा, जिससे देयता उत्पन्न हुई। केन्द्रांश प्राप्त होने पर, टी.एच.आर. फर्मों के लंबित देयकों का भुगतान किया जाएगा।

2.2.15.3 टी.एच.आर. परिवहन लागत का गलत वर्गीकरण

फर्म आपूर्ति आदेश के अनुसार संबंधित परियोजना कार्यालय के गोदामों में टी.एच.आर. सामग्री की आपूर्ति करती है। डी.पी.ओ. परियोजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों तक टी.एच.आर. के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं के चयन के लिए निविदा आमंत्रित करता है। परियोजनाओं में प्राप्त टी.एच.आर. को हितग्राहियों को वितरण हेतु चयनित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जाता है।

चयनित जिलों के सभी आठ डी.पी.ओ. कार्यालयों में वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के परिवहन देयकों की जांच से पता चला कि ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए टी.एच.आर. परिवहन पर ₹28.31 लाख[86] का व्यय किया गया था। हालांकि, डी.पी.ओ. ने उक्त व्यय को योजना शीर्ष 6392 (एस.ए.जी.) के बजाय योजना शीर्ष 9050 (एस.एन.पी.) से विकलित कर दिया था। व्यय के त्रुटिपूर्ण लेखाकरण ने दोनों योजनाओं में किए गए वास्तविक व्यय को प्रभावित किया और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में अनुशासनहीनता और बजटीय नियंत्रण की कमी की ओर इंगित किया।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि ओ.ओ.एस.ए.जी. को प्रदान की गई टी.एच.आर. की मात्रा कम थी, इसलिए टी.एच.आर. की इतनी कम मात्रा का परिवहन करना और उसके देयकों का अलग से संधारण करना संभव नहीं था। इसलिए, सभी प्रकार के टी.एच.आर. की परिवहन

[86] 1. भोपाल- ₹ 0.57 लाख, 2. छिंदवाड़ा- ₹ 1.09 लाख, 3. धार- ₹ 7.36 लाख, 4. झाबुआ- ₹ 6.77 लाख, 5. रीवा- ₹ 5.12 लाख, 6. सागर- ₹ 3.51 लाख, 7. सतना- ₹2.59 लाख, 8. शिवपुरी- ₹1.30 लाख।

लागत योजना शीर्ष 9050 के माध्यम से वहन की गई। इस संबंध में जिलों को किसी भी शीर्ष में अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने परियोजनाओं पर प्राप्त हुए ओ.ओ.एस.ए.जी. के टी.एच.आर. की मात्रा एवं परियोजनाओं से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक परिवहन किए गए टी.एच.आर. की मात्रा में अंतर पाया। यदि परिवहन का भुगतान अलग से किया जाता तो आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजे गए ओ.ओ.एस.ए.जी. के टी.एच.आर. की वास्तविक मात्रा का पता लगाया जा सकता था।

2.2.15.4 टी.एच.आर. के परिवहन के लिए ₹1.73 लाख का अधिक भुगतान

डी.पी.ओ., रीवा, सागर और सतना के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने परियोजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों तक टी.एच.आर. परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं को किए गए भुगतान में अनियमितताएं देखीं, जिसके परिणामस्वरूप परिवहनकर्ताओं को अधिक भुगतान हुआ, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.2.14** में दिया गया है:

तालिका 2.2.14: परिवहनकर्ताओं को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

जिला	परियोजना	परिवहन का माह	परिवहनकर्ता द्वारा वास्तव में परिवहन की गई टी.एच.आर. की मात्रा (क्विंटल में)	परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक में उल्लिखित टी.एच.आर. की मात्रा (क्विंटल में)	परिवहनकर्ता को देय राशि	परिवहनकर्ता को वास्तव में भुगतान की गई राशि	क्या परिवहन किए गए टी.एच.आर. की मात्रा स्टॉक में उपलब्ध थी	अधिक भुगतान
रीवा	रीवा ग्रामीण	दिसम्बर 2018	27.60	169.28	0.02	0.13	हाँ	0.11
सागर	बंडा	जनवरी 2021	217.41	217.41	0.14	1.430	हाँ	1.29
सागर	रहली	मई 2020	291.60	583.2[87]	0.20	0.40	हाँ	0.20
सतना	नागौद-2	सितम्बर 2019	0.00	151.40	0.00	0.13	नहीं	0.13
योग			**536.61**	**1,121.29**	**0.36**	**2.09**		**1.73**

(स्रोत: संबंधित डी.पी.ओ. कार्यालयों के भुगतान प्रमाणक)

तालिका 2.2.14 से देखा जा सकता है कि डी.पी.ओ., रीवा, सागर और सतना ने 536.61 क्विंटल टी.एच.आर. के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं को ₹ 2.09 लाख का भुगतान किया, जबकि केवल ₹ 0.36 लाख का भुगतान किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप

[87] संजय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मई 2020 में किए गए परिवहन के लिए दो बार देयक क्रमांक 417 दिनांक 24 मई 2020 और 441 दिनांक 19 जनवरी 2021 के माध्यम से प्रत्येक ₹0.20 लाख का दावा किया था तथा डी.पी.ओ., सागर ने इसका भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप व्हाउचर क्रमांक 46, दिनांक 30 मई 2020 और 11 दिनांक 22 फरवरी 2021 के माध्यम से ₹0.20 लाख का दोहरा भुगतान हुआ।

₹ 1.73 लाख का अधिक भुगतान हुआ। यह डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. की ओर से गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसंबर 2022) और सागर जिले में ₹ 1.49 लाख वसूली की। जबकि, रीवा और सतना जिलों के लिए, विभाग ने कहा कि वास्तविक परिवहन लागत का भुगतान किया गया था।

रीवा और सतना जिलों के संबंध में उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इन जिलों में भी, टी.एच.आर. की वास्तविक प्राप्त मात्रा और परिवहन की गई मात्रा के बीच अंतर था जैसा कि **तालिका 2.2.14** में दिया गया है।

2.2.16 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.2.16.1 संयंत्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा नहीं किया गया

मंत्रिमंडल बैठक (मार्च 2018) में लिए गए निर्णय के अनुसार, एम.पी.एस.आर.एल.एम. टी.एच.आर. के उत्पादन के लिए सात पूर्ण स्वचालित संयंत्र स्थापित करेगा। इन संयंत्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघ द्वारा किया जाएगा और टी.एच.आर. की आपूर्ति में लगे महिला स्व-सहायता समूहों को भंडार क्रय नियमों से छूट दी जाएगी।

मंत्रिमंडलीय आदेश (27 नवंबर 2019) में आइटम क्रमांक 23 पर पारित निर्णय के अनुरूप, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने महिला स्व-सहायता समूह के परिसंघ द्वारा चलाए जा रहे सात संयंत्रों के प्रबंधकीय कार्यों को एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. को इस शर्त के साथ सौंपा (जनवरी 2020) कि (i) एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को उपयुक्त गतिविधियां सौंपेगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और (ii) एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. स्व-सहायता समूह को अर्जित लाभ का 10 प्रतिशत प्रदान करेगा।

एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2021) में, हमने पाया कि महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के स्थान पर ठेकेदार टी.एच.आर. के उत्पादन में संलग्न थे और महिलाओं को केवल संयंत्रों की हाउसकीपिंग में तैनात किया गया था। यद्यपि, संयंत्रों ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹21.82 करोड़ का लाभ[88] अर्जित किया, किंतु एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. ने लाभ का 10 प्रतिशत अर्थात ₹2.18 करोड़ स्व-सहायता समूहों को प्रदाय नहीं किया।

इससे पता चलता है कि शासन द्वारा निर्धारित की गई भूमिकाएं और लाभ महिला स्व-सहायता समूहों को नहीं दिए गए, जो महिलाओं को स्वतंत्र आजीविका प्रदान करने के राज्य शासन के

[88] 1. धार संयंत्र: ₹6.88 करोड़, 2. मंडला संयंत्र: ₹4.71 करोड़, 3. शिवपुरी संयंत्र: ₹3.20 करोड़, 4. सागर संयंत्र: ₹7.03 करोड़.

प्रयासों के लिए एक बाधा थी। इसके अतिरिक्त, विभाग के अभिलेखों में संयंत्रों के संचालन के लिए महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघ के गठन का कोई प्रमाण नहीं मिला।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने और वास्तविक लाभ की गणना होने के बाद संबंधित स्व-सहायता समूह को भुगतान के लिए एम.पी.एस.आर.एल.एम. को राशि का भुगतान किया जाएगा।

2.2.16.2 एफ.एस.एस.ए.आई. पंजीकरण अथवा लाइसेंस के बिना टी.एच.आर. भंडारण और वितरण केंद्रों का संचालन

एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना कोई खाद्य व्यवसाय शुरू अथवा संचालित नहीं करेगा, जहां खाद्य व्यवसाय का अर्थ किसी भी उपक्रम से है, चाहे वह लाभ के लिए हो अथवा नहीं और चाहे वह सार्वजनिक हो अथवा निजी, जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, खाद्य वितरण, आयात के किसी भी चरण से संबंधित किसी भी गतिविधि को करता है और इसमें खाद्य सेवाएं, खानपान सेवाएं, खाद्य अथवा खाद्य सामग्री की बिक्री शामिल है।

एफ.एस.एस.ए.आई. ने निर्देश दिया (जून 2013) कि ₹12 लाख प्रति वर्ष तक तथा ₹12 लाख से अधिक से ₹30 करोड़ प्रति वर्ष तक का कारोबार करने वाली भंडारण (नियंत्रित वातावरण + शीत को छोड़कर) इकाइयों को क्रमशः पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, एफ.एस.एस. (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियमन के तहत पंजीकरण और लाइसेंस के लिए क्रमशः ₹100 और ₹2000 का वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश ने प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल को सूचित किया (जनवरी 2014) कि आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा अन्य भंडारण स्थलों को एफ.एस.एस. अधिनियम के तहत लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। आयुक्त, आई.सी.डी.एस. ने सभी जिलों के कलेक्टरों से अनुरोध किया (फरवरी 2014) कि वे जिला स्तर पर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इस पत्र की प्रतिलिपि सभी डी.पी.ओ. को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। आयुक्त, आई.सी.डी.एस. ने पुनः सभी जिलों के कलेक्टरों से अनुरोध किया (फरवरी 2015) कि वे खाद्य वितरण/निर्माण/बिक्री में लगे स्व-सहायता समूहों को एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत करवाएं।

परियोजना गोदामों और आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्राप्त लाइसेंस/पंजीकरण के अभिलेख मांगे (जून 2021) जाने पर संचालनालय ने बताया (जून 2021) कि परियोजना कार्यालय तुरंत ही आंगनवाड़ी केंद्रों को टी.एच.आर. पहुंचा देते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र साप्ताहिक आधार पर हितग्राहियों को वितरित करते हैं। चूंकि परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में टी.एच.आर.

सामग्री लंबे समय तक संग्रहित नहीं की जाती है, इसलिए उन्हें एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने और पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

हमने पाया कि किसी भी परियोजना कार्यालय/आंगनवाडी केन्द्र ने अपनी पात्रता के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश से एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त नहीं किया और वे अधिनियम की परिधि से बाहर रहे। इसके कारण, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टी.एच.आर. की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कर सके, साथ ही यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि जिन स्थानों पर टी.एच.आर. संग्रहित किया गया था, वहां मूलभूत सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान पंजीकरण/लाइसेंस के शुल्क के रूप में शासन को ₹2.93 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि एफ.एस.एस.ए.आई. के निर्देशों की जांच के बाद आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग एफ.एस.एस. अधिनियम और विभाग द्वारा पहले से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

2.2.16.3 एम.आई.एस. पोर्टल पर अवास्तविक डेटा प्रविष्ट किया गया

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों की पहचान प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में किए जाने वाले आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ए.ए.एस.आर.) के माध्यम से की जाती है और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है। संचालनालय द्वारा टी.एच.आर. के लिए परियोजनावार मांग एम.आई.एस. पोर्टल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ए.एम.पी.आर. के आधार पर की जाती है।

संचालनालय ने संभागीय संयुक्त संचालकों, डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. को एम.आई.एस. पोर्टल पर नियमित रूप से प्रविष्टि की गई प्रतिवेदनों की जांच और विश्लेषण करने, वास्तविक आंकड़ों के साथ कोई अंतर पाए जाने पर आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और एम.आई.एस. पोर्टल में सूचनाओं की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग यूजर आई.डी. और पासवर्ड आवंटित (जनवरी 2018) किया।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के दौरान[89] चयनित जिलों में हितग्राहियों की संख्या, मांगे गए टी.एच.आर. और प्राप्त टी.एच.आर. के संबंध में एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और उक्त अवधि के दौरान डी.पी.ओ. की पंजी के अनुसार इन जिलों में प्राप्त टी.एच.आर. का विश्लेषण **तालिका 2.2.15** में दिया गया है:

तालिका 2.2.15: वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए आंकड़ों का विश्लेषण

(लाख में)

जिला	एम.आई.एस. डेटा के अनुसार सभी श्रेणियों के पंजीकृत हितग्राही	एम.आई.एस. डेटा के अनुसार सभी श्रेणियों के लाभान्वित हितग्राही	एम.आई.एस. के अनुसार सभी श्रेणियों के हितग्राहियों के लिए मांगे गए कुल पैकेट	एम.आई.एस. के अनुसार सभी श्रेणियों के हितग्राहियों के लिए प्राप्त कुल पैकेट	डी.पी.ओ. के रजिस्टर के अनुसार प्राप्त टी.एच.आर. के कुल पैकेट	यदि प्रत्येक मंगलवार को टी.एच.आर. वितरित किया जाए तो लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	54.51	29.13	66.54	103.67	121.23	27.71
छिंदवाड़ा	52.56	32.78	120.01	112.56	122.71	27.94
धार	65.26	45.39	156.86	161.21	171.16	38.87
झाबुआ	54.03	44.18	160.12	166.30	162.95	35.59
रीवा	78.60	52.41	177.39	171.97	168.63	37.96
सागर	80.59	47.37	167.38	147.39	152.19	35.17
सतना	34.01	37.04	148.17	140.45	137.16	30.67
शिवपुरी	53.54	36.42	136.20	149.58	131.99	29.98
योग	**473.10**	**324.72**	**1,132.67**	**1,153.13**	**1,168.02**	**263.89**

तालिका 2.2.15 से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:

- एम.आई.एस. के अनुसार चयनित जिलों में प्राप्त कुल टी.एच.आर. पैकेटों की संख्या डी.पी.ओ. के अभिलेख से 15 लाख कम थी। इसके अलावा, चयनित जिलों में 4.73 करोड़ पंजीकृत हितग्राहियों में से, एम.आई.एस. में 3.25 करोड़ हितग्राहियों को लाभान्वित दिखाया गया, जबकि इन जिलों में प्राप्त टी.एच.आर. के आधार पर केवल 2.64 करोड़ हितग्राहियों को ही

[89] अप्रैल और मई 2020 के लिए ए.एम.पी.आर. को एम.आई.एस. पर प्रविष्ट नहीं किया गया, हालांकि, इन जिलों में टी.एच.आर. प्राप्त हुआ। उचित विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2020-21 पर विचार नहीं किया गया है।

लाभान्वित किया जा सकता था। इससे यह भी इंगित होता है कि इन जिलों में 2.09 करोड़ हितग्राहियों को टी.एच.आर. नहीं दिया गया।

- सतना जिले में लाभान्वित दर्शाए गए हितग्राहियों की संख्या पंजीकृत हितग्राहियों से भी अधिक थी।

हमने जुलाई 2018 और जुलाई 2019 के लिए चार[90] चयनित जिलों के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों के अभिलेखों का मिलान एम.आई.एस. पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से किया, जहां हमने देखा कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों ने टी.एच.आर. के 21,604 पैकेट प्राप्त किए और टी.एच.आर. के 19,289 पैकेट वितरित किए, जबकि एम.आई.एस. पोर्टल के अनुसार इन आंगनवाड़ी केंद्रों में टी.एच.आर. की प्राप्ति और वितरण क्रमशः 20,443 और 22,406 था।

इस प्रकार, एम.आई.एस. पर प्रविष्ट किया गया डेटा प्रामाणिक नहीं था, जिसका तात्पर्य यह है कि इसे संभागीय संयुक्त संचालकों, डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. द्वारा सत्यापित नहीं गया था, जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि परियोजना अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण के बाद एम.आई.एस. में जानकारी दर्ज की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान हमें एम.आई.एस. डेटा में विभिन्न विसंगतियां मिलीं।

अनुशंसा:

विभाग को आंगनवाड़ी केन्द्रवार पंजीकृत हितग्राहियों का विवरण तथा आपूर्ति एवं वितरित किए गए टी.एच.आर. का डेटा कम से कम छः माह में एक बार प्राप्त करना चाहिए तथा एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एम.आई.एस. पोर्टल से उसका मिलान करना चाहिए।

2.2.16.4 निगरानी और पर्यवेक्षण

संचालनालय के निर्देशों (जुलाई 2014, जुलाई 2016, मई 2017 और जुलाई 2019) के अनुसार, आई.सी.डी.एस. में सेवाओं के प्रदाय में प्रभावशीलता लाने के लिए **तालिका 2.2.16** में निर्धारित निगरानी और पर्यवेक्षण अनुसूची का पालन किया जाना था।

[90] 1. छिंदवाड़ा, 2. धार, 3. सागर, 4. रीवा।

तालिका 2.2.16: निगरानी और पर्यवेक्षण की अनुसूचियों का विवरण

स. क्र.	अधिकारियों की श्रेणी	अवधि	अनुसूची/प्रस्तावित आवश्यकताएँ
1.	डी.पी.ओ.	अप्रैल 2018 से जून 2019	एक माह में कम से कम 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण तथा कम से कम एक परियोजना का निरीक्षण करना।
		जुलाई 2019 से मार्च 2021	एक माह में 12 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण, गोदाम सहित एक परियोजना का निरीक्षण करना तथा विभाग/शासन से अनुदान प्राप्त करने वाले एक अशासकीय संस्था का निरीक्षण करना। वर्ष में एक बार सभी परियोजनाओं का निरीक्षण अनिवार्यतः करना।
2.	सी.डी.पी.ओ.	अप्रैल 2018 से जून 2019	एक माह में कम से कम 20 आंगनवाड़ी केन्द्रों का रोटेशनल आधार पर भ्रमण ताकि एक वर्ष में 100 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों का कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।
		जुलाई 2019 से मार्च 2021	एक माह में 16 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण ।

चयनित आठ जिलों और 16 परियोजनाओं में, परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की निगरानी के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी.पी.ओ. द्वारा परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों तथा सी.डी.पी.ओ. द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों के भ्रमण का विवरण **तालिका 2.2.17** में दिया गया है:

तालिका 2.2.17: डी.पी.ओ./सी.डी.पी.ओ. द्वारा किए गए भ्रमण का विवरण

स. क्र.	जिला	वर्ष	डी.पी.ओ. द्वारा किए गए भ्रमण की संख्या				सी.डी.पी.ओ. द्वारा किए गए भ्रमण की संख्या			
			लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी प्रतिशत में
1	भोपाल	2018-19	312	0	312	100	240	0	240	100
		2019-20	204	0	204	100	204	225	-	-
		2020-21	168	0	168	100	192	211	-	-
2	छिन्दवाड़ा	2018-19	312	12	300	96	240	0	240	100
		2019-20	204	99	105	51	204	214	-	-
		2020-21	168	29	139	83	192	109	83	43
3	धार	2018-19	312	0	312	100	240	0	240	100
		2019-20	204	0	204	100	204	167	37	18
		2020-21	168	0	168	100	192	121	71	37
4	झाबुआ	2018-19	312	0	312	100	240	0	240	100
		2019-20	204	10	194	95	204	169	35	17
		2020-21	168	02	166	99	192	60	132	69
5	रीवा	2018-19	312	0	312	100	240	0	240	100
		2019-20	204	99	105	51	204	259	-	-

स. क्र.	जिला	वर्ष	डी.पी.ओ. द्वारा किए गए भ्रमण की संख्या				सी.डी.पी.ओ. द्वारा किए गए भ्रमण की संख्या			
			लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी प्रतिशत में	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	कमी प्रतिशत में
		2020-21	168	163	5	3	192	314	-	-
6	सागर	2018-19	312	384	-	-	240	253	-	-
		2019-20	204	84	120	59	204	257	-	-
		2020-21	168	71	97	58	192	264	-	-
7	सतना	2018-19	312	उपलब्ध नहीं	-	-	240	उपलब्ध नहीं	-	-
		2019-20	204	54	150	74	204	उपलब्ध नहीं	-	-
		2020-21	168	28	140	83	192	उपलब्ध नहीं	-	-
8	शिवपुरी	2018-19	312	301	11	4	240	0	240	100
		2019-20	204	84	120	59	204	74	130	64
		2020-21	168	0	168	100	192	35	157	82

(स्रोत: डी.पी.ओ. द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि **तालिका 2.2.17** से स्पष्ट है, डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. ने अपने लक्ष्य के अनुसार एस.एन.पी. का पर्यवेक्षण नहीं किया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि वाहन की अनुपलब्धता, चुनाव संबंधी कार्यों में व्यस्तता, अन्य विभागीय अथवा गैर-विभागीय कार्यों तथा कोविड-19 महामारी के कारण डी.पी.ओ. तथा सी.डी.पी.ओ. लक्ष्य के अनुसार भ्रमण नहीं कर सके। हालांकि, विस्तृत विवेचना के बाद 10 प्रभारी डी.पी.ओ. तथा 46 सी.डी.पी.ओ. को नियम 16 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा 12 डी.पी.ओ. को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रगति पर है।

अनुशंसा:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी.पी.ओ. और सी.डी.पी.ओ. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें।

2.2.17 निष्कर्ष

- संचालनालय ने ओ.ओ.एस.ए.जी. का आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया और एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की गई हितग्राहियों की बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई जानकारी के आधार पर ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए टी.एच.आर. की मांग की। संचालनालय ने 5.51 लाख हितग्राहियों के लिए आपूर्ति आदेश दिए, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के अभिलेखों में मात्र 0.43 लाख ओ.ओ.एस.ए.जी. उपलब्ध थे, जिसके परिणामस्वरूप 5.08 लाख अस्तित्वहीन ओ.ओ.एस.ए.जी. के लिए टी.एच.आर. की अधिक मांग और आपूर्ति हुई। यदि राज्य शिक्षा केंद्र के अभिलेखों में उपलब्ध ओ.ओ.एस.ए.जी. की संख्या के लिए टी.एच.आर. की आपूर्ति का आदेश दिया गया होता, तो शासन ने आपूर्तिकर्ताओं को केवल ₹12.21 करोड़ का भुगतान किया होता और ₹110.78 करोड़ के संभावित दुर्विनियोजन को रोका जा सकता था।

- सी.डी.पी.ओ. ने परियोजना स्तर पर टी.एच.आर. प्राप्त होने पर पंचनामा तैयार नहीं किया, इसके बावजूद डी.पी.ओ. ने देयकों का सत्यापन किया एवं भुगतान हेतु संचालनालय को भेज दिया।

- बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी संयंत्रों ने संबंधित चालान जारी करने की तिथियों पर संयंत्रों में स्टॉक न होने के बावजूद ₹ 4.80 करोड़ मूल्य के 773.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति की।

- 40 चालान ऐसे थे, जिनमें पांच फर्मों ने ₹2.96 करोड़ मूल्य के 479.46 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति ट्रकों से की थी। हालांकि, 'वाहन' पोर्टल अथवा ***http:/mis.mptransport.org/MPLogin/eSewa/VehicleSearch.aspx*** पर ट्रक नंबरों की पुष्टि करने पर, हमने पाया कि ये ट्रक नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, ट्रैक्टर और टैंकर के रूप में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, हमें 25 चालान ऐसे भी मिले, जिनमें ₹2.50 करोड़ मूल्य के 404.09 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति ट्रकों के माध्यम से की गई थी, किन्तु इन ट्रकों का अभिलेख 'वाहन' पोर्टल अथवा ***http:/mis.mptransport.org/MPLogin/eSewa/VehicleSearch.aspx*** पर नहीं मिला।

- चयनित जिलों में 96,541.56 मीट्रिक टन टी.एच.आर. को स्टॉक में लिया गया। तथापि, केवल 86,397.21 मीट्रिक टन टी.एच.आर. को आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया गया और ₹62.53 करोड़ मूल्य के 10,144.35 मीट्रिक टन टी.एच.आर. को हितग्राहियों को वितरण के लिए परिवहनकर्ता अथवा किसी अन्य माध्यम से नहीं पहुंचाया गया।

- परियोजनाओं पर ₹1.28 करोड़ मूल्य के 205.34 मीट्रिक टन टी.एच.आर. प्राप्त न होने के बावजूद सी.डी.पी.ओ. ने चालानों का सत्यापन किया।
- मई 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान शिवपुरी जिले के कोलारस और खनियाधाना परियोजनाओं को ₹5.10 करोड़ मूल्य के 822.95 मीट्रिक टन टी.एच.आर. की आपूर्ति की गई थी, लेकिन हम, महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कि स्टॉक पंजी और पंचनामा के अभाव में इसकी वास्तविक प्राप्ति को सत्यापित नहीं कर सके।
- हमने शिवपुरी जिले के पिछोर परियोजना में आर.टी.ई. के वितरण में ₹42 लाख के संदिग्ध भुगतान को देखा, जहाँ भौतिक देयकों में उल्लिखित स्व-सहायता समूह के नाम ई-भुगतान सूची से भिन्न थे एवं 45 बैंक खातों के विरुद्ध भौतिक देयकों में स्व-सहायता समूह के एक से छह नामों का उपयोग किया गया था। रीवा जिले में, हमें ₹ तीन लाख से संबंधित ऐसे तीन प्रकरण मिले, जहाँ भौतिक देयकों में उल्लिखित स्व-सहायता समूह के नाम बैंक अभिलेख में व्यक्तिगत खातों के रूप में पाए गए।
- भोपाल, शिवपुरी और झाबुआ जिलों के डी.पी.ओ. के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि टी.एच.आर. की उपलब्धता/वितरण के बावजूद अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान 5.56 लाख हितग्राहियों को ₹74.54 लाख का आर.टी.ई. वितरित किया गया।
- विभाग को संयंत्र, परियोजना और आंगनवाड़ी स्तर पर लिए गए टी.एच.आर. के नमूनों को राज्य के बाहर स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजना आवश्यक है, ताकि टी.एच.आर. के पोषण मानकों का आकलन किया जा सके। यद्यपि, हमने देखा कि विभाग केवल संयंत्र स्तर से लिए गए नमूनों को ही स्वतंत्र प्रयोगशालाओं को भेज रहा है। इसके अलावा, वितरित किए जाने वाले 38,304 मीट्रिक टन टी.एच.आर. स्टॉक जिसका मूल्य ₹237 करोड़ था, के स्वतंत्र प्रयोगशालाओं को भेजे गए सभी नमूने आवश्यक पोषण मानक के अनुरूप नहीं थे।
- संचालनालय ने टी.एच.आर. की देरी से आपूर्ति के लिए फर्मों के देयकों से ₹25 करोड़ की शास्ति राशि नहीं काटी।
- डी.पी.ओ. ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पावती संलग्न न होने पर भी टी.एच.आर. के परिवहन देयकों का भुगतान किया।
- शिवपुरी ग्रामीण गोदाम एवं सागर-2 शहरी गोदाम के संयुक्त भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर में वितरित दर्शाए जाने के बावजूद टी.एच.आर. के 405 पैकेट एवं 2,460 पैकेट उपलब्ध पाए गए।

- वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के दौरान चयनित जिलों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एम.आई.एस. में प्रविष्ट किए गए हितग्राहियों, मांगे गए और प्राप्त किए गए टी.एच.आर. के संबंध में आंकड़ों और डी.पी.ओ. की पंजी के अनुसार इन जिलों में प्राप्त टी.एच.आर. के विश्लेषण से पता चला कि एम.आई.एस. पर प्रविष्ट किया गया डेटा प्रामाणिक नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक तथ्य प्रस्तुत हुए।
- संचालनालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डी.पी.ओ. एवं सी.डी.पी.ओ. ने आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया।

ग्वालियर **(प्रिया पारिख)**

दिनांक: 16 नवम्बर 2024 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),**

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 18 नवम्बर 2024 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भः कंडिका 2.1.6, पृष्ठ संख्या 11)

चयनित पैकेज और सड़क/एल.एस.बी. के नाम का विवरण पत्रक

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
1	अशोकनगर-02	1	एम पी 47601	1	टी25- नवानी से खुरवासा	2	393.87
		2	एम पी 47602	2	टी21- मधुखेडी से बरखाना	3	245.31
				3	टी21- सुरेल से पाठखेडा	4	241.77
		3	एम पी 47603	4	टी25- पिपरई से सहरई	3	1,349.98
		4	एम पी 47 बी आर101	5	बहोद नदी	0	140.66
		5	एम पी 47 बी आर 102	6	खरीया नाला	0	90.87
		6	एम पी 47701	7	टी02- अशोकनगर-विदिशा सडक (बेलई) से केषोपुर	27	870.96
		7	एम पी 47702	8	टी01-मुंगावली-ओंडर सडक (बमुरिया घाट) से बामोरी खुटिया	28	1,837.85
		8	एम पी 47709	9	टी13- पिपरई-बरखेड़ा कच्छी सड़क (पिपरई) से मालावानी	19	930.10
2	बैतूल-02	9	एम पी 03606	10	टी02- एस.एच.26-लेंडागंडी-डोब-सिलाडेही- सिमरिया-पांड़री से एन.एच. 47	06	1,134.86
		10	एम पी 03607	11	टी02- सवालमेंधा से गद्राझिरी (बोथी-खेरवाड़ा से बकुड़ जोड़)	03	1,176.74
		11	एम पी 03608	12	टी02-अठनेर घोघरा जोड़ मेंधा छिंदवाद से बोथी	03	2,650.96
		12	एम पी 03609	13	टी02- आमला-तिरमउ-खरपाड़ाखेड़ी से बाहमिनि	11	1,954.33

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
					पंखा मुलताई बोरदेही सड़क		
		13	एम पी 03610 आर-1	14	टी04- घाट अमरावती, बाघधोड़ा देवगांव देवभिलाई से नारखेड़	05	721.98
		14	एम पी 03701	15	टी06- बैतूल अठनेर सड़क- थानी धनौरा से पारसधोध सड़क	07	887.71
		15	एम पी 03707	16	टी03- विजयग्राम बसनेरकला- कोलगांव से बरहापुर	08	735.49
		16	एम पी 03708	17	टी01- एन.एच.69 साईंखेड़ा- खेड़ीकोर्ड- सनौरा- गौला से पार्सड़ोह बिसनुर सड़क	14	1,845.15
3	बुरहानपुर	17	एम पी 48601	18	टी04- पुरा से लिंगफता सड़क	01	228.88
		18	एम पी 48602	19	टी01- बुरहानपुर- धारनी सड़क से जैनबाद- सरोला	04	424.48
		19	एम पी 48603	20	टी02- दरियापुर - जसौंदी सडक से फोपनारकलां	02	231.68
		20	एम पी 48605	21	एम.आर.एल.01- मैथा से तुरकगुराड़ा सड़क	02	252.41
		21	एम पी 48 बी 17	22	बुरहानुपर- धारनी सड़क से लोखंड़िया सड़क की आरडी 2900 मी. पर उतावली नदी पर ब्रिज	0	267.60
		22	एम पी 48 बी 20	23	हसिनाबाद से कालापत रोड पर आरडी 1400 एम से कालापत नदी पर पुल	0	195.20
		23	एम पी 48701	24	एमआरएल11- शाहपुर बमबाडा मोहद-मालबीर रोड	02	580.31

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
		24	एम पी 48702	25	एमआरएल03- सिरपुर हसिनाबाद-कालापत-चकबरा	03	562.12
4	छिंदवाड़ा-01	25	एम पी 07601	26	टी22-रामकोना से गोनी वाया घडेला महाजन, भिमलगोन्डी, कुन्डा रेयतवारी	07	1,755.76
			एम पी 07601	27	टी22-पिपला नारायनवार गंगतवारा बानाबकोदा से छतरपुर	03	412.58
		26	एम पी 07602	28	टी22-लावाघोघरी से अम्बाडा वाया धनोरा	09	2,203.00
		27	एम पी 07606	29	टी21-एनएच 547 से सलैया वाया संख	09	1,555.49
		28	एम पी 07607	30	टी21- चांद से लिंगा वाया पारसगांव-उभेगावं	09	1,927.51
		29	एम पी 07701	31	टी05-उभेगांव गोन्डारा राजना नवलगांव बिछुआ रोड	07	904.71
		30	एम पी 07704	32	टी01-पंजरा से चौराई वाया टैप-पिपरयाखाती-सिरस	21	3,212.82
		31	एम पी 07710	33	टी05-टी05 बिछुवा लोधीखेड़ा से धनेगांव वाया बडकुरही	10	1,039.40
		32	एम पी 07711	34	टी04-बोरिया से उमरहार वाया मलहानवाड़	07	1,112.40
5	धार-03	33	एम पी 11604	35	टी10-बदनावर (डेलची) से राजोद	03	1,520.85
		34	एम पी 11605	36	टी06-अमझेरा से भोपावर रिंगोद रोड	05	2,292.54
		35	एम पी 11606	37	टी09-राजगढ़(टी05) से टिमैची (झकनावाडा फाटा)	02	1,026.89

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
		36	एम पी 11607	38	टी-11 चिकली फाटा (हरनछापड़ा) से गंधवानी संघाना	06	1,835.48
		37	एम पी 11703	39	टी01-बदनावर- कोड रोड	04	1,551.98
		38	एम पी 11705	40	एमआरएल02-जे.टी.रोड से बेकलिया-खेड़ामोहनपुरा-धनतालाब फाटा	05	1,013.45
		39	एम पी 11716	41	टी11-रतलाम गुजरी रोड- कडोलकला छन्याखुर्द से गरनावाड़ (धार बार्डर)	12	1,256.52
		40	एम पी 11717	42	टी12-एनएच59 से गोलपुरा गरवाडाफाटा रोड	02	661.26
6	ग्वालियर	41	एम पी 14601	43	टी01-भितरवार करेरा रोड से मोहनगढ़ खेडा भितरवार तक	03	660.79
			एम पी 14601	44	एमआरएल01- भैनगना से ररूआ	03	202.72
			एम पी 14601	45	टी03-भितरवार करेरा रोड से बसोदी मछेरिया से संखनी रोड तक	03	438.55
		42	एम पी 14602	46	टी06-चिनोर रोड से सिरोली, बरेठा, सलवाई, भितरवार रोड तक	03	754.03
			एम पी 14602	47	टी01-ग्वालियर झांसी रोड से मगरोरा	01	145.69
			एम पी 14602	48	टी05-मीलघन से सिंघपुर कोसा	03	299.72
			एम पी 14603	49	टी03-बरौआ नूराबाद से सुसेरा चकराईपुर तक	02	450.13

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
		43	एम पी 14603	50	टी01-सिमरिया टनका से चैत	02	780.58
		44	एम पी 14604	51	टी02-एनएच-92 से बहादुरपुर	03	482.53
			एम पी 14604	52	टी01-मुरार बेहट रोड से फुसावली	02	326.48
		45	एम पी 14605	53	टी04-गढोता तिराहा से मस्तुरा,राही, बेला, इटमा बरगवान तक	05	1,251.72
		46	एम पी 14701	54	टी10- करैया (एमडीआर) से डोंगरपुर(एमडीआर) वाया रिथोदन सियाव, रिछारीखुर्द,जतार्थी	10	322.42
			एम पी 14701	55	टी-20- छिमक जोरासी रोड (एमडीआर) से शीतला माता चिनोर रोड वाया बडेरा, टोडा	08	497.16
		47	एम पी 14703	56	टी-14 बनवार(एमडीआर) से जनखा वाया उरवा, हुकुमगढ़	05	688.34
		48	एम पी 14704	57	टी07-एमडीआर डबरा सिंहपुर रोड से गिज्जोरा देवगढ़ रोड(किरोल के पास) वाया सुकलहारी, सिसगांव, किटोरा	15	1,375.86
7	रीवा-01	49	एम पी 32601	58	टी26 हरदी से कुठुलिया	03	763.38
		50	एम पी 32605	59	टी23-मनगवां से रामपुरवा	07	872.29
		51	एम पी 32606	60	टी22-चन्द्रपुर से घटेहा-सूती रोड	12	1,134.94

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
		52	एम पी 32609	61	टी21 सिरमोर से गोन्दाहा(भाग) अजगराहा वाया डोल, मगहियार	08	2,171.51
		53	एम पी 32703	62	टी01- जनकहाई से बाबुपुर वाया पैरा	07	1,875.23
		54	एम पी 32704	63	टी06-मउहारा से बीडा वाया झालवार	03	885.64
		55	एम पी 32705	64	टी04-मझियार से खमरिया	02	488.97
			एम पी 32705	65	टी07-हिनौता से मरहा (मझियार)	03	436.12
		56	एम पी 32708	66	टी01-गोधर से बैजनाथ	06	592.03
8	सागर-01	57	एम पी 33138	67	एल090-टी04 से बरदोरा	01	92.29
			एम पी 33138	68	एल091-टी08 से बरखेड़ी टंडा	01	119.55
		58	एम पी 33136	69	एल087 धनसरा इरन रोड से पहलेजापुर	01	51.32
		59	एम पी 33602	70	एमएल01-एमडीआर से तीनसुवा	06	1,515.47
			एम पी 33602	71	एमएल04-टी004 से बराज	03	259.35
		60	एम पी 33603	72	एमएल05-बसेरी से धन्ध	05	1,058.62
		61	एम पी 33604	73	एमएल08-एसएच14 से भिलोन	08	836.37
		62	एम पी 33605	74	टी08-राजवंश से राउन्डा	04	1,787.82
		63	एम पी 33610	75	एमआरएल04-एन एच 26 से मोठी	06	2,177.14
		64	एम पी 33702	76	टी-02 धनोरा से भानगढ़	12	1,257.76
9	टीकमगढ़	65	एम पी 4270	77	एल108 माजन पलेरा रोड से दादगी खास	01	56.63

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
			एम पी 4270	78	एल109-खरगापुर जतारा रोड से पिपरा	01	44.02
			एम पी 4270	79	एल110-टीकमगढ़ छतरपुर रोड बुदौरा	01	70.97
			एम पी 4270	80	एल029-बैरवार दिगोदा से कुनवरपुरा	01	104.20
			एम पी 4270	81	एल099-मोहनगंढ खास से मोहनगढ़ भाटा	01	107.38
			एम पी 4270	82	एल100-गोर मोहनगढ़ रोड से पंचमपुरा	01	75.99
			एम पी 4270	83	एल088-मऊ झांसी रोड से घुघसी खास	01	59.45
			एम पी 4270	84	एल089- मऊ झांसी रोड से नेगांव	01	49.09
			एम पी 4270	85	एल090-घुघुवा सेन्दरी रोड से मोहनपुरा	01	85.00
			एम पी 4270	86	एल082-पृथ्वीपुर टेहरका रोड से गेलवारा	01	158.92
			एम पी 4270	87	एल083-टीकमगढ़ झांसी रोड से चिरपुरा	01	147.32
			एम पी 4270	88	एल084-मड़िया काकावानी रोड से बाहर वुजुर्ग	01	64.32
			एम पी 4270	89	एल085-मडिया काकावानी से सैदपुरा	01	101.10
			एम पी 4270	90	एल086-ज्योरा मोरा अस्तारी रोड से चोमो खास	01	51.93
			एम पी 4270	91	एल087- पृथ्वीपुर घुमटाघाट रोड से तातरपुरा	01	54.79
			एम पी 4270	92	एल103-टीकमगढ़ बानपुर रोड से मानिकपुरा	01	73.61
		66	एम पी 42601	93	टी01-टीकमगढ़ छतरपुर रोड से इमलाना	01	45.88

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
			एम पी 42601	94	टी04-खरगापुर कुडीला से पचेर	09	2,115.50
		67	एम पी 42603	95	टी02-कलोथरा से टेहरका रोड	02	194.47
			एम पी 42603	96	टी03- पृथ्वीपुर निवारी से बसवान नाका	04	495.86
		68	एम पी 42604	97	टी01-गुडा नाज पाली से गुना	02	362.76
			एम पी 42604	98	टी01-काकावानी से जेरोन,रोंगटाघाट रोड तक	04	479.81
		69	एम पी 42702	99	एमआरएल01-पृथवीपुर टेहेरका घुघसी रोड	08	1,312.15
			एम पी 42702	100	एमआरएल01-अट्टाघाट से धोर्रा वाया सिमरा	10	640.44
		70	एम पी 42707	101	एमआरएल18-ढोंगा से उ.प्र. बार्डर वाया मउघाट	05	402.43
			एम पी 42707	102	एमआरएल16- प्रेमपुरा से जसवंतनगर	09	545.69
		71	एम पी 42710	103	टी01-लारोन से पलेरा नवगावं रोड वाया पारा गोना करोला	10	1,223.32
		72	एम पी 42712	104	एमआरएल22-जेरोन पृथ्वीपुर रोड से लुहारगुवान	02	370.11
			एम पी 42712	105	टी02-जेरोन रोड से जीराखास	03	363.09
			एम पी 42712	106	एमआरएल29-जवाहरपुरा से माजल पृथ्वीपुर	06	307.62
			एम पी 42712	107	एमआरएल06-पृथ्वीपुर टेहरका रोड	07	993.16
10	उज्जैन-02	73	एम पी 43601	108	टी01- सोडांग से पिपलियाहामा रोड	05	717.32
		74	एम पी 43602	109	टी01-झारदा कुडींखेड़ा रोड से खेड़ा खजूरिया रोड	09	2,203.40

स. क्र.	जिला/ पी.आई.यू. का नाम	पैकेज का स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य का स. क्र.	सड़क का नाम	कुल बसाहटें	स्वीकृति लागत (₹ लाख में)
		75	एम पी 43603	110	टी01-तराना लिमबाडीट मकदोन कडोडिया दुपाडा रोड	07	3,069.20
		76	एम पी 43 बी आर 101	111	झारदा कुंडीखेड़ा से खेड़ा खजूरिया रोड आरडी 22110मीटर	0	74.31
			एम पी 43 बी आर 101	112	झारदा कुंडीखेड़ा से खेड़ा खजूरिया रोड आरडी 11414मीटर	0	82.27
			एम पी 43 बी आर 101	113	झारदा कुंडीखेड़ा से खेड़ा खजूरिया रोड आरडी 26200मीटर	0	70.42
		77	एम पी 43702	114	एमआरएल01-झारदा से गोगाखेड़ा	04	1,274.18
		78	एम पी 43703	115	टी05 महिदपुर से नागेश्वर	21	2,947.92
		79	एम पी 43707	116	टी02- सिद्धिरपुर निपानिया-कनारडी-जवाहरनगर- खरखरी-बोरदाधाकड़-एबी रोड	11	707.58
		80	एम पी 43708	117	टी09- कोयलखेड़ी से मालीखेड़ी	13	1,054.85
योग						**612**	**95,644.89**

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.1, पृष्ठ संख्या 14)

चरण-II में सड़कों के गलत चयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

पी.आई.यू. का नाम	ब्लाक	सड़क का नाम	पैकेज क्र.	पी.सी.आई. मूल्य	उपयोगिता मूल्य	सेवित जनसंख्या	औसत रखरखाव प्रति कि.मी. (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)	टिप्पणी
बैतूल-2	आठनेर	आठनेर हिल्दी सड़क से टिमई	एम पी 03608	2.67	15.30	22,731	0.23	2,324.40	चयनित
		आठनेर चिलाकपुर सड़क से बोरपिंड़		2.00	29.04	33,475	0.21	0	उपेक्षित
	भैंसदेही	सवालमेढ़ा गद्रझिरी बोथी खैनबाड़ा सड़क	एम पी 03607	1.67	7.92	6,247	0.0	1,052.00	चयनित
		चिकलाजोड़ी से काकड़पानी		1	39.40	13,139	0.0	0	उपेक्षित
सागर-1	खुरई	भिलोन से भूसा से कथेली	एम पी 33604	1.97	3.79	4,224	2.35	780.27	चयनित
		एम. आर. एल. 01 बसारी से खुरई सड़क		1.73	7.89	10,092	0.80	0	उपेक्षित
							योग	**4,156.67**	

(स्रोत: सी.यू.सी.पी.एल. एवं ओ.एम.एम.ए.एस.)

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.1, पृष्ठ संख्या 15)

विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी के कारण छोड़े हुए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला	पैकेज क्र.	सड़क/एल.एस.बी. का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (₹ लाख में)	व्यय, यदि कोई (₹ लाख में)	विलोपन का कारण
चरण-I							
1	अलीराजपुर	एम पी 4936	एल063- अलीराजपुर सोरवा सड़क से चिचालगुडा	2017-18	247.89	0	एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्माण किया जा रहा था
2	बालाघाट	एम पी 01223	एल069- धिरी से गुरसीबहरा	2017-18	128.66	0	वन एवं वन्यजीव बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त न होना
3	बालाघाट	एम पी 01223	एल035- सेमरिया से ड़ोंगरिया	2017-18	65.71	4.51	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
4	बालाघाट	एम पी 01223	एल064-अरांडी से धनियाझोर	2017-18	142.41	0	वन एवं वन्यजीव बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त न होना
5	बालाघाट	एम पी 01223	एल023- अतरचुआ से बाजघोड़ी	2017-18	69.75	0	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
6	बालाघाट	एम पी 01223	एल068- धिरी से मुरेंदरा	2017-18	85.09	9.79	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
7	बालाघाट	एम पी 01223	एल029- कुकर्रा से चिचरूंगपुरा	2017-18	38.16	0.55	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
8	बड़वानी	एम पी 02118	एल051- खेतियापति से डोलरझार अम्बा	2017-18	325.64	0	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
9	छतरपुर	एम पी 06102	एल085- छाचइसेमारा सड़क से कुसमद	2017-18	43.27	0	पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया
10	धार	एम पी 11222	एल091- एबी सड़क से बामोरी से खाड़गी	2017-18	67.97	0	पंचायत द्वारा निर्माण कराया गय

स.क्र.	जिला	पैकेज क्र.	सड़क/एल.एस.बी. का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (₹ लाख में)	व्यय, यदि कोई (₹ लाख में)	विलोपन का कारण
11	धार	एम पी 11214	एल038- खण्ड़वा बरोड़ा सड़क से बोड़वाड़ा	2017-18	196.08	0	एन.वी.डी.ए. द्वारा निर्माण कराया गया
12	मंदसौर	एम पी 2477	एल033- कैथूली से देंतली	2017-18	593.26	0	भूमि की अनुपलब्धता एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होना
13	शिवपुरी	एम पी 40129	एल083- खेरई से बामरोंदमरोन	2017-18	157.06	0	केंद्रीय सड़क निधि से निर्माण कराया गया
14	सीधी	एम पी 41204	एल071- चुवाही करमिनी सड़क से कोटरो	2017-18	289.29	0	वन अनापत्ति प्राप्त न होना
15	सीधी	एम पी 41204	एल70- जमुआ क्र. 2 से सरइहा	2017-18	130.06	0	पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निष्पादित
16	सीधी	एम पी 41205	एल084- एस.एच. 52 से सुरागत	2017-18	81.26	0	पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निष्पादित
17	सिंगरौली	एम पी 5056	एल092- मझहुलिपथ से बेलवार	2017-18	164.16	0	ए.पी.डी.एम.सी सुलयारी कोल ब्लाक् द्वारा अधिग्रहित की गई सम्पूर्ण भूमि
18	बड़वानी	एम पी 02बी0200	खेतीपति से दोलरझार अम्बा सड़क की चैनेज 1600 मी. पर सवमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	2017-18	79.80	0	भूमि की अनुपलब्धता एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होना
19	पन्ना	एम.पी. 28बी09	मदुवारी से मैनहा ब्रिज	2017-18	93.20	0	सड़क संरेखण में परिवर्तन के कारण
20	मंदसौर	एम.पी. 24बी 08	चैनेज 8100 पर स्लैब कलवर्ट का निर्माण	2018-19	98.98	0	भूमि की अनुपलब्धता एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होना

स.क्र.	जिला	पैकेज क्र.	सड़क/एल.एस.बी. का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि (₹ लाख में)	व्यय, यदि कोई (₹ लाख में)	विलोपन का कारण
21	सिवनी	एम पी 36बी08	चैनेज 2425 मी. पर धनई नदी क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय पुल	2018-19	149.52	0	मौजूदा पुल को मजबूत कर दिया गया है इसलिए प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है।
				कुल	**3,247.22**	**14.85**	
चरण-II							
22	अनूपपुर	एम पी 46601	टी21- चोलना-कोतमा वाया डारसागर	2017-18	1,736.11	0	भूमि की समस्या
23	शिवपुरी	एम पी 40608	टी12- शिवपुरी झांसी सड़क (एन. एच. 25) से टीला	2017-18	351.04	0	केंद्रीय सड़क निधि से निर्माण कराया गया
24	खरगौन	एम पी 22बी आर 107	ग्वालियर से ओखला सड़क की चैनेज 4475 मी. पर चोरल नदी के आर पार उच्च स्तरीय पुल	2018-19	465.55	0	ब्रिज संरेखण एक सिंचाई टैंक के डूब में आ रहा है।
25	विदिशा	एम पी 45बी आर 113	चैनैज 1285 मी. पर सबमर्सिबल बाक्स ब्रिज	2017-18	88.59	0	पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा 12 मी. के उच्च स्तरीय ब्रिज की स्वीकृति दी गई।
योग					**2,641.29**	**0**	
महायोग					**5,888.51**	**14.85**	

(स्रोत: एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्रदायित सूचना)

परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भः कंडिका 2.1.8.3, पृष्ठ संख्या 22)

सलाहकारों द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत करने में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	सलाहकार का नाम	कार्य आदेश क्र./दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का नियत दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक	विलंब दिनों में	लंबाई (कि.मी.)	दर (प्रति कि.मी.)	देयक राशि	जुर्माने का %	अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (0.5% प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अशोकनगर-02	मेसर्स खैरा एण्ड़ सन्स, सतना	787/01.05.17	30.07.17	17.08.17	18	29.74	25,000	7,43,500	9.0	66,915
2	अशोकनगर-02	मेसर्स मंगलम एसोसिएट्स, भोपाल	1003/14.10.19	12.01.20	13.07.20	183	101.95	18,500	18,86,075	10	1,88,607
3	बैतूल-02	मेसर्स इन्फ्राटेक सिविल सोल्यूशन, पुणे	15888/02.11.19	03.02.20	03.07.20	154	68.08	14,300	9,73,544	10	97,354
4	बुरहानपुर	एपरोन टेस्ट लैब एण्ड़ कन्सलटेंट प्रा. लिमि., इन्दौर	624/05.06.17	03.09.17	16.12.17	104	28.95	21,100	6,10,845	10	61,084

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	सलाहकार का नाम	कार्य आदेश क्र./दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का नियत दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक	विलंब दिनों में	लंबाई (कि.मी.)	दर (प्रति कि.मी.)	देयक राशि	जुर्माने का %	अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (0.5% प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
5	छिंदवाड़ा	लेक्सस इन्फ्राटेक, भोपाल	2703/02.05.17	31.07.17	05.09.17 21.09.17 17.02.18	36 52 201	200.86 71.30 25.20	27,000	54,23,220 19,25,100 6,80,400	10	5,42,322 1,92,510 68,040
6	छिंदवाड़ा	पिपली कन्सलटेंट, छिंदवाड़ा	1932/17.10.19	15.01.20	05.03.20 13.01.21 13.01.21	50 364 364	134.93 51.847 41.866	14,950	20,17,204 7,75,113 6,25,897	10	2,01,720 77,511 62,590
7	धार	मेसर्स वरद एसोसिएट्स, इन्दौर	1332/08.06.17	06.09.17	29.11.17	84	82.55	17,777	14,67,491	10	1,46,749
8	ग्वालियर	मेसर्स इंजिनियरिंग कन्सलटेंसी सर्विसिस, ग्वालियर	501/30.03.17	28.06.17	17.07.17	19	127.32	21,000	26,73,720	9.5	2,54,003

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	सलाहकार का नाम	कार्य आदेश क्र./दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने का नियत दिनांक	डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक	विलंब दिनों में	लंबाई (कि.मी.)	दर (प्रति कि.मी.)	देयक राशि	जुर्माने का %	अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (0.5% प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	सागर	ए एण्ड ए कन्सलटेंट इंजीनियर	2230/05.11.19	03.02.20	11.11.20	282	205.986	13,999	28,83,598	10	2,88,360
10	सागर	मंगलम एसोसिएट्स, भोपाल	775/05.06.17	03.09.17	21.11.17	79	78.69	20,500	16,13,145	10	1,61,314
11	उज्जैन	मेसर्स एपरोन टेस्ट लैब्स एंड कन्सलटेंटस प्रा. लिमि, इन्दौर	1383/01.06.17	30.08.17	28.12.17	120	80.858	20,200	16,33,332	10	1,63,333
योग											**25,72,412**

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.2, पृष्ठ संख्या 30)

तकनीकी कर्मचारियों के विलंब और कम तैनाती के लिए शास्ति नहीं अधिरोपित करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	अनुबंध मूल्य	कार्य आदेश का दिनांक	वह दिनांक जिस तक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई	तकनीकी कर्मचारी की अनुपस्थिति (माह)	अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (दर 50000/अनुबंध मूल्य का 01 प्रतिशत प्रतिमाह, जो भी अधिक हो)[1]	अधिरोपित की गई शास्ति	वसूली योग्य शास्ति
अशोकनगर-02	एम पी 47601	354.00	05-01-18	14-10-18	9	31.86	0	31.86
	एम पी 47603	1168.82	18-01-18	31-10-18	9	105.19	0	105.19
	एम पी 47701	624.51	22-05-20	06-11-20	5	31.22	0	31.22
	एम पी 47709	734.73	21-09-20	28-12-20	3	22.04	0	22.04
					योग	**190.31**		**190.31**
धार-03	एम पी 11705	835.53	28-05-20	23-09-20	3	25.06	0	25.06
					योग	**25.06**		**25.06**
उज्जैन-02	एम पी 43601	586.86	18-06-18	14-03-19	8	35.21[2]	0	35.21
	एम पी 43602	1856.40	06-06-18	18-03-19	9	100.24[3]	0	100.24

[1] कर्मचारियों की तैनाती के आधार पर आनुपातिक रूप से जुर्माने की गणना की गयी।

[2] चार की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध एक तकनीकी कर्मचारी तैनात किया गया था।

[3] पांच की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध दो तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किया गया था।

पी.आई.यू. का नाम	**पैकेज क्र.**	**अनुबंध मूल्य**	**कार्य आदेश का दिनांक**	**वह दिनांक जिस तक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई**	**तकनीकी कर्मचारी की अनुपस्थिति (माह)**	**अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (दर 50000/अनुबंध मूल्य का 01 प्रतिशत प्रतिमाह, जो भी अधिक हो)[1]**	**अधिरोपित की गई शास्ति**	**वसूली योग्य शास्ति**
	एम पी 43603	2640.85	20-06-18	05-02-19	7	73.94[4]	0	73.94
	एम पी 43 बी आर 101	211.87	18-06-18	22-04-19	10	21.18	0	21.18
योग						**230.57**		**230.57**
महायोग						**445.94**		**445.94**

[4] पांच की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध तीन तकनीकी कर्मचारी तैनात किए गए थे।

परिशिष्ट-2.1.6

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.3, पृष्ठ संख्या 31)

अपर्याप्त निष्पादन प्रतिभूति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू. क्र.	स. क्र.	पैकेज क्र.	बोलीदाता का नाम	पी.ए.सी. राशि	निविदा दर	अन्तर/असंतुलित बोली राशि	निविदा राशि (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अशोकनगर-2	1	एम पी 47701	मेसर्स डी.एन. राठी कन्सट्रक्शन कम्पनी	751.63	-23.56%	177.08	574.55
		2	एम पी 47702	मेसर्स अशोक कुमार रघुवंशी	1,541.31	-20.78%	320.28	1,221.03
		3	एम पी 47709	मेसर्स अनिल कन्सट्रक्शन कम्पनी	822.44	-27.65%	227.40	595.04
2	बैतूल-2	4	एम पी 03707	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार कन्सट्रक्शन प्रा. लिमि.	640.14	-30.38%	194.47	445.67
		5	एम पी 03708	मेसर्स राजेन्द्र सिंह किलेदार कन्सट्रक्शन प्रा. लिमि.	1,589.97	-30.38%	483.03	1,106.94
		6	एम पी 03701	मेसर्स ए.एन.वी. कन्सट्रक्शन कम्पनी	743.40	-26.11%	194.10	549.30
3	बुरहानपुर	7	एम पी 48702	मो. सलीम जहांगीर	486.13	-20.61%	100.19	385.94
4	छिंदवाड़ा-1	8	एम पी 07701	मेसर्स ओम प्रकाश कालिया	775.20	-24.39%	189.07	586.13
		9	एम पी 07704	मेसर्स रवि शंकर जैसवाल	2,794.54	-21.99%	614.52	2,180.02
		10	एम पी 7710	मेसर्स ओम प्रकाश कालिया	901.08	-19.08%	171.93	729.15
		11	एम पी 07711	मेसर्स राय सिंह एण्ड क.	972.06	-26.99%	262.36	709.70

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू. क्र.	स. क्र.	पैकेज क्र.	बोलीदाता का नाम	पी.ए.सी. राशि	निविदा दर	अन्तर/असंतुलित बोली राशि	निविदा राशि (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	धार-3	12	एम पी 11703	मेसर्स राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन	1,359.57	-16.59%	225.55	1,134.02
		13	एम पी 11705	मेसर्स सुभाष जोशी	877.74	-18.52%	162.56	715.18
		14	एम पी 11716	मेसर्स एच.एस.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.	1,091.82	-18.50%	201.99	889.83
		15	एम पी 11717	मेसर्स रमेशचन्द रघुवंशी	576.05	-23.28%	134.10	441.95
6	ग्वालियर	16	एम पी 14701	महेन्द्र सिंह	771.62	-19.20%	148.15	623.47
		17	एम पी 14703	न्यू आर. के. कन्सट्रक्शन कम्पनी	655.98	-22.98%	150.74	505.24
		18	एम पी 14704	न्यू आर. के. कन्सट्रक्शन कम्पनी	1,318.76	-28.26%	372.68	946.08
7	रीवा-1	19	एम पी 32704	श्री संजय द्विवेदी	812.67	-17.99%	146.20	666.47
		20	एम पी 32705	मैहर सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज़	838.14	-16.79%	140.72	697.42
		21	एम पी 32708	पुष्पेन्द्र सिंह	518.04	-23.99%	124.28	393.76
8	सागर-1	22	एम पी 33702	मेसर्स परमजीत सिंह छावड़ा	1,086.10	-18.13%	196.91	889.19
9	टीकमगढ़	23	एम पी 4270	मेसर्स राकेश दीक्षित	1,204.95	-22.22%	267.74	937.21
		24	एम पी 42603	मेसर्स अनुज तिवारी	645.05	-19.54%	126.04	519.01
		25	एम पी 42604	मेसर्स रामराज्य कन्सट्रक्शन कम्पनी	795.59	-17.28%	137.48	658.11
		26	एम पी 42702	मेसर्स रामराज्य कन्सट्रक्शन कम्पनी	1,823.80	-21.79%	397.41	1,426.39
		27	एम पी 42707	मेसर्स आर.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी	878.58	-35.70%	313.65	564.93
		28	एम पी 42710	मेसर्स माइलस्टोन कन्सट्रक्शन कम्पनी	1,161.73	-32.33%	375.59	786.14

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू. क्र.	स. क्र.	पैकेज क्र.	बोलीदाता का नाम	पी.ए.सी. राशि	निविदा दर	अन्तर/असंतुलित बोली राशि	निविदा राशि (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		29	एम पी 42712	मेसर्स रामराज्य कन्सट्रक्शन कम्पनी	1,916.35	-30.21%	578.93	1,337.42
10	उज्जैन-2	30	एम पी 43702	मेसर्स ओम प्रकाश माहेश्वरी	1,159.82	-23.27%	269.89	889.93
		31	एम पी 43703	कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी	2,681.69	-21.21%	568.79	2,112.90
		32	एम पी 43707	मेसर्स चन्द्र सिकरवार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	645.26	-24.37%	157.25	488.01
		33	एम पी 43708	कृष्णा कन्सट्रक्शन	934.47	-23.77%	222.12	712.35
	33 पैकेज			**योग**	**35,771.68**		**8,353.20**	**27,418.48**

परिशिष्ट-2.1.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.5, पृष्ठ संख्या 34)

बकाया रॉयल्टी डिपाजिट का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक (31 मार्च 2021 की स्थिति में)

(राशि ₹ में)

वर्ष	अशोक नगर		बैतूल		बुरहानपुर		धार		ग्वालियर		रीवा		सागर		उज्जैन	
	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष
O*	1	40,79,042	0	0	0	0	1	8,45,816	1	24,25,633	1	29,81,575	1	10,88,592	1	25,904
2001-02	0	0	0	0	1	1,14,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	1	(-) 1,21,499	0	0	0	0	0	0	2	(-) 87,358	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(-) 27,827	0	0	0	0	1	40,000
2004-05	1	9,02,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	2	12,946	0	0	0	0	0	0	0	0	1	(-)3,08,369	0	0	0	0
2006-07	4	(-)2,52,930	0	0	3	75,693	3	(-)43,371	0	0	0	0	0	0	3	7,75,003
2007-08	4	15,291	1	3,50,000			0	0	0	0	3	(-)13,34,729	2	41,621	0	0
2008-09	1	(-)25,17,662	0	0	1	30,768	4	1,35,421	8	(-)2,93,181	8	(-)5,53,967	3	(-)4,35,926	5	3,07,735
2009-10	1	74,605	0	0	1	1,08,609	6	2,41,007	2	(-)17,15,388	8	(-)6,40,286	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	2	(-)1,10,465	0	0	0	0	10	(-) 24,67,897	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	3	17,803	1	(-)1,51,100			3	(-)1,61,706	1	1,30,643

वर्ष	अशोक नगर		बैतूल		बुरहानपुर		धार		ग्वालियर		रीवा		सागर		उज्जैन	
	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष	मामलों की संख्या	शेष
2012-13	0	0	0	0	0	0	1	(-)64,577	0	0	0	0	1	2,11,813	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	6	(-)82,940	0	0	1	95,576	10	13,66,380	1	1,47,455
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(-)3,70,479	0	0	6	(-)11,46,849	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	(-) 50,685	1	(-)56,879	2	5,59,433	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	13	(-)2,69,810	2	(-)2,39,800	18	(-)7,10,268	9	24,95,054
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	(-) 5,62,034	3	1,67,012	17	67,97,292	0	0
2018-19	0	0	0	0	2	4,96,869	0	0	8	3,50,957	1	51,261	7	13,83,723	2	6,249
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50,088	3	8,24,301	1	2,00,729
2020-21	7	77,04,556	0	0	0	0	0	0	9	53,40,108	8	17,63,149	12	1,06,77,105	13	94,13,679
योग	**22**	**98,97,149**	**1**	**3,50,000**	**8**	**8,26,510**	**26**	**9,38,694**	**54**	**45,88,836**	**39**	**19,74,631**	**95**	**1,80,27,614**	**37**	**1,35,42,451**
(-)	**8**	**(-) 30,49,331**	**-**	**-**	**1**	**(-) 1,12,673**	**12**	**(-) 5,93,439**	**33**	**(-) 57,32,802**	**17**	**(-) 35,38,071**	**35**	**(-) 85,21,563**	**3**	**(-) 2,19,986**
(+)	**14**	**(+) 1,29,46,480**	**1**	**3,50,00**	**7**	**9,39,183**	**14**	**(+) 15,32,133**	**21**	**(+) 1,03,21,638**	**22**	**(+) 55,12,702**	**60**	**(+) 2,65,49,177**	**34**	**1,37,62,437**

प्रकरण		राशि
प्रकरणों की संख्या (-)	109	2,17,67,865
प्रकरणों की संख्या (+)	173	7,19,13,750
योग	**282**	**5,01,45,885**

(स्रोत: ओ.एम.एम.ए.एस. से डाटा निकाला गया है *O (आई.डी.: O*) जिसमें किसी ठेकेदार के नाम का उल्लेख नहीं है)

परिशिष्ट-2.1.8 (अ)

(संदर्भः कंडिका 2.1.10.1 (i), पृष्ठ संख्या 37)

चयनित पी.आई.यू. में प्रगतिरत परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	अनुबंध राशि	कार्य आदेश की दिनांक	कार्य पूर्ण करने के लिये अनुमत्य समय (माह में)	कार्य आदेश के अनुसार कार्य समाप्त करने के लिये नियत तिथि	19-01-2024 तक विलंब (दिनों में)	व्यय (ओ.एम.एम.ए.एस. के अनुसार)
1	बुरहानपुर	एम पी 48702	एम.आर.एल.03- सिरपुर-हसीनाबाद- कलापट-चकबारा	462.65	26-09-2020	12	25-09-2021	846	428.96
2	उज्जैन-02	एम पी 43703	टी05- महिदपुर से नागेश्वर	2,405.69	28-05-2020	18	27-11-2021	783	2368.37

परिशिष्ट-2.1.8 (ब)

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1 (ii), पृष्ठ संख्या 37)

निष्पादन में विलंब और परिनिर्धारण हर्जाना अधिरोपित करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू.	सड़कों की संख्या	पैकेज क्र.	ए.डी.बी. अथवा सामान्य पैकेज	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की दिनांक	कार्य समाप्त करने की नियत दिनांक	कार्य समाप्ति का वास्तविक दिनांक	विलंब अवधि (दिनों में)	विलंब अवधि (सप्ताह में)	कितनी प्रतिशत एल.डी. लगाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9-8)	11	13
1	अशोकनगर-02	1	एम पी 47601	ए.डी.बी.	339.59	05.01.18	04.01.19	30.05.19	146	20	0.10
		1	एम पी 47 बी आर 101	सामान्य	129.34	19.01.18	18.07.19	07.11.19	112	16	0
2	बैतूल-02	1	एम पी 03606	ए.डी.बी.	989.57	07.06.18	06.12.19	19.12.19	13	01	0
		1	एम पी 03607	ए.डी.बी.	938.33	07.06.18	06.12.19	25.04.20	141	20	0.25
		1	एम पी 03609	ए.डी.बी.	1,679.87	07.06.18	06.12.19	29.02.20	85	12	0.05
		1	एम पी 03610	ए.डी.बी.	607.20	05.06.18	04.06.19	10.07.19	36	05	0
3	बुरहानपुर	1	एम पी 48601	ए.डी.बी.	193.93	16.08.18	15.08.19	01.05.21	625	89	0
		1	एम पी 48602	ए.डी.बी.	326.77	06.08.18	05.08.19	22.07.20	351	50	0
		1	एम पी 48603	ए.डी.बी.	182.55	18.06.18	17.06.19	30.01.21	593	84	0.10
		1	एम पी 48605	ए.डी.बी.	205.18	06.08.18	05.08.19	01.03.21	574	82	0.10
4	छिंदवाड़ा-01	2	एम पी 7601	ए.डी.बी.	1,790.28	06.01.18	05.07.19	31.12.19	179	25	0.50
		1	एम पी 7606	ए.डी.बी.	1,172.63	08.01.18	07.07.19	21.07.19	14	02	0

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू.	सड़कों की संख्या	पैकेज क्र.	ए.डी.बी. अथवा सामान्य पैकेज	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की दिनांक	कार्य समाप्त करने की नियत दिनांक	कार्य समाप्ति का वास्तविक दिनांक	विलंब अवधि (दिनों में)	विलंब अवधि (सप्ताह में)	कितनी प्रतिशत एल.डी. लगाई गई
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10(9-8)**	**11**	**13**
		1	एम पी 7607	ए.डी.बी.	1,453.15	08.01.18	07.07.19	20.07.19	13	01	0
5	धार-03	1	एम पी 11604	ए.डी.बी.	1,198.60	30.05.18	29.11.19	07.02.20	70	10	0
		1	एम पी 11605	ए.डी.बी.	1,815.71	30.05.18	29.11.19	10.01.20	42	06	0
		1	एम पी 11607	ए.डी.बी.	1,446.33	30.05.18	29.11.19	10.01.20	42	06	0
6	ग्वालियर	3	एम पी 14602	ए.डी.बी.	959.38	19.01.18	18.07.19	31.03.20	257	36	0
		1	एम पी 14605	ए.डी.बी.	958.77	13.06.18	12.12.19	17.12.20	371	53	0
7	रीवा-01	1	एम पी 32605	ए.डी.बी.	764.80	03.05.18	02.05.19	01.06.19	30	04	0
		1	एम पी 32606	ए.डी.बी.	962.85	08.01.18	07.07.19	31.07.20	390	55	0.25
		1	एम पी 32609	ए.डी.बी.	1,714.82	15.05.18	14.11.19	25.06.20	224	32	0.10
8	सागर-01	1	एम पी 33136	सामान्य	38.70	11.09.18	10.09.19	08.02.20	151	21	0.15
		2	एम पी 33138	सामान्य	167.56	23.08.18	22.08.19	06.05.20	258	36	0.25
		1	एम पी 33603	ए.डी.बी.	1,020.95	19.09.18	18.09.19	01.05.21	591	84	0.25
		1	एम पी 33604	ए.डी.बी.	707.13	16.10.19	15.10.20	01.05.21	198	28	0.10
		1	एम पी 33610	ए.डी.बी.	1,631.91	31.07.18	30.01.20	01.05.21	457	65	0.10
9	टीकमगढ़	16	एम पी 4270	सामान्य	986.13	30.06.18	29.12.19	09.03.20	71	10	0.05
		2	एम पी 42601	ए.डी.बी.	1,699.82	09.01.18	08.07.19	04.11.19	119	17	0

स.क्र.	जिला/पी.आई.यू.	सड़कों की संख्या	पैकेज क्र.	ए.डी.बी. अथवा सामान्य पैकेज	अनुबंध राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की दिनांक	कार्य समाप्त करने की नियत दिनांक	कार्य समाप्ति का वास्तविक दिनांक	विलंब अवधि (दिनों में)	विलंब अवधि (सप्ताह में)	कितनी प्रतिशत एल.डी. लगाई गई
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10(9-8)**	**11**	**13**
		2	एम पी 42604	ए.डी.बी.	623.12	09.01.18	08.01.19	01.10.20	632	90	0.15
10	उज्जैन-02	1	एम पी 43601	ए.डी.बी.	545.04	18.06.18	17.06.19	20.03.20	277	39	0.30
		1	एम पी 43602	ए.डी.बी.	1,741.42	06.06.18	05.12.19	15.12.20	376	53	0.35
		1	एम पी 43603	ए.डी.बी.	2,481.37	20.06.18	19.12.19	20.03.20	92	13	0.10
		3	एम पी 43 बी आर101	सामान्य	211.87	18.06.18	17.06.20	15.12.20	181	25	0.25
	योग	**56**			**31,684.67**						

परिशिष्ट-2.1.9

(संदर्भः कंडिका 2.1.10.2(i), पृष्ठ संख्या 40)

ठेकेदारों द्वारा बिटुमिन के संदिग्ध क्रय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
1	सागर-1	एम पी 33137	भूपेन्द्र सिंह राजपूत	144	3,327.924	12,86,38,652
		एम पी 33602	राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन			
		एम पी 33603	सिद्धार्थ बिल्डर्स			
		एम पी 33604	त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स			
		एम पी 33605	डी. एम. ट्रेड़र्स, शाह पेट्रोलियम			
		एम पी 33610	के. जी. डेवेलपर्स			
		एम पी 33701	डी. के. बिल्डर्स			
		एम पी 33702	अनुशा ग्रुप			
		एम पी 33703	भूपेन्द्र सिंह राजपूत			
		एम पी 33704	सी. बी. एस. कन्सट्रक्शन			
		एम पी 33705	अग्रवाल कन्सट्रक्शन			
2	टीकमगढ़	एम पी 04270	राकेश दीक्षित ठेकेदार	122	3,268.642	12,81,66,740
		एम पी 42601	सौराठिया वेलजी रतना एण्ड कम्पनी			
		एम पी 42602	देवी दयाल खर्द			
		एम पी 42606	ओम कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 42701	सुनील कुमार भाईजी			
		एम पी 42704	सुनील कुमार भाईजी			
		एम पी 42705	सुनील कुमार भाईजी			
		एम पी 42706	मोदी इन्फ्रास्ट्रक्चर			
		एम पी 42707	आर. एस. कन्सट्रक्शन			
		एम पी 42708	अष्टविनायक कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 42710	माइल स्टोन कन्सट्रक्शन (जे.वी.)			
		एम पी 42711	अग्रवाल कन्सट्रक्शन			
3	मण्ड़ला	एम पी 23604 एम पी 23701	गौर रोड़ टार कोट प्रा. लिमि. गौर रोड़ टार कोट प्रा. लिमि.	108	2,690.346	11,57,37,402
		एम पी 23702	रवि शंकर जायसवाल			
		एम पी 23703	गौर रोड़ टार कोट प्रा. लिमि.			
		एम पी 23705	रवि शंकर जायसवाल			
		एम पी 23707	रवि शंकर जायसवाल			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
4	शहड़ोल	एम पी 38124	ध्रुव कन्सट्रक्शन	125	2,961.8	10,86,77,672
		एम पी 38125	श्री राधेकृष्णा इन्टरप्राइजेस			
		एम पी 38601	तिरुपति बिल्ड़कोन लिमि.			
		एम पी 38603	श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 38604	श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 38701	संजय सिंह			
		एम पी 38702	शेखर मिश्रा			
		एम पी 38703	जय माता दी कन्सट्रक्शन			
		एम पी 38704	विष्णुकान्त मिश्रा			
		एम पी 38705	शेखर मिश्रा			
5	सीहोर	एम पी 35601	गुरमेल सिंह, मुकेश कुमार वर्मा	119	2,609.419	10,57,23,006
		एम पी 35603	सनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.			
		एम पी 35604	सनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.			
		एम पी 35701	माँ गंगा स्टोन क्रशर कन्सट्रक्शन			
		एम पी 35702	अमजद अली			
		एम पी 35703	मुकेश कुमार वर्मा			
		एम पी 35704	बिंदल डेवलपर्स			
6	भिंड-2	एम पी 04602	ए.एन.वी. कन्सट्रक्शन कम्पनी	98	2,204.193	9,48,99,123
		एम पी 04706	न्यू आर.के. एण्ड़ आर. के. कन्सट्रक्शन (जे.वी.)			
		एम पी 04707	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
7	जबलपुर-2	एम पी 18604	नीलघन कन्सट्रक्शन	95	2,294.334	9,25,55,907
		एम पी 18605	ध्यान सिंह लड्डाराम			
		एम पी 18606	आर.के.सी. आर.एस.जे. (ज्वा.वे.)			
		एम पी 18701	मोती श्रीपाल यादव एण्ड़ एसोसिएट्स			
		एम पी 18705	वैष्णव एसोसिएट्स			
		एम पी 18706	विष्वाकुसुम इनफ्राटेक			
		एम पी 18707	नीरज कुमार चौकसे			
		एम पी 18708	नीरज कुमार चौकसे			
		एम पी 18716	मोती श्रीपाल यादव एण्ड़ एसोसिएट्स			
8	छतरपुर	एम पी 06102	रविन्द्र कुमार जैन	100	2,357.718	9,10,37,419
		एम पी 06602	लखन लाल गुप्ता			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 06603	लखन लाल गुप्ता			
		एम पी 06606	जय माँ वैष्णो कन्सट्रक्शन प्रा. लिमि.			
		एम पी 06607	जय माँ कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 06701	कुमार कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 06702	लखन लाल गुप्ता			
		एम पी 06704	राम बिहारी चतुर्वेदी			
		एम पी 06705	रविन्द्र कुमार जैन			
		एम पी 06707	रविन्द्र कुमार जैन			
9	रीवा-1	एम पी 32175	विजय सिंह	105	2,311.422	9,03,29,540
		एम पी 32176	विनय कुमार द्विवेदी			
		एम पी 32177	स्वतंत्र कुमार मिश्रा			
		एम पी 32601	शांती कन्सट्रक्शन			
		एम पी 32602	एम.पी. बिल्डर्स			
		एम पी 32605	के.के. सोहागौरा			
		एम पी 32606	राम सज्जन शुक्ला, शिव शक्ति			
		एम पी 32609	राम सज्जन शुक्ला			
		एम पी 32703	एम.पी. बिल्डर्स			
		एम पी 32704	संजय द्विवेदी			
		एम पी 32705	मैहर सीमेंट पाइप			
		एम पी 32707	नीरज द्विवेदी			
		एम पी 32708	पुष्पेन्द्र सिंह			
		एम पी 32709	अजय कन्सट्रक्शन कम्पनी			
10	नरसिंहपुर	एम पी 26602	वंशिका कन्सट्रक्शन	83	2,049.403	8,22,22,553
		एम पी 26604	राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस प्रा.			
		एम पी 26605	वंशिका कन्स्ट्रक्शन			
		एम पी 26701	गिरिराज एसोसिएट्स			
		एम पी 26702	सचिन कुमार शास्त्री			
		एम पी 26703	ज्ञान बराड़िया			
		एम पी 26704	सचिन कुमार शास्त्री			
		एम पी 26705	वंशिका कन्स्ट्रक्शन			
		एम पी 26706	मदन लाल एण्ड पार्टनर्स			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 26707	श्री माँ कन्सट्रक्शन एण्ड़ लॉजिस्टिक			
		एम पी 26708	राजेन्द्र सिंह पेटल			
11	सीधी	एम पी 41203	बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	89	2,084.089	8,04,75,671
		एम पी 41204	बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड़			
		एम पी 41208	जीवेन्द्र सिंह			
		एम पी 41209	जीवेन्द्र सिंह			
		एम पी 41211	सुरेश प्रताप सिंह			
		एम पी 41601	गणेश प्रताप सिंह			
		एम पी 41701	गणेश प्रताप सिंह			
		एम पी 41702	बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड			
		एम पी 41703	संजय सिंह			
		एम पी 41704	संजय सिंह			
		एम पी 41705	जीवेन्द्र सिंह			
		एम पी 41706	जीवेन्द्र सिंह			
		एम पी 41707	जीवेन्द्र सिंह			
		एम पी 41708	संजय सिंह			
		एम पी 41709	संजय सिंह			
		एम पी 41712	गणेश प्रताप सिंह			
12	सतना-2	एम पी 34601	जगदीश प्रसाद गौतम	77	1,980.279	7,92,09,316
		एम पी 34602	शिव शक्ति कन्सट्रक्शन, श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 34608	सोनभद्र कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 34609	अनिल सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 34610	अनिल सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 34703	भगवेंद्र सिंह			
		एम पी 34704	राजेश कैला			
		एम पी 34705	शिव शक्ति कन्सट्रक्शन			
		एम पी 34706	ओम श्री राधे राधे बिल्डर एण्ड़ इंजीनियर्स			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 34707	ओम साईं विद्या कन्सट्रक्शन			
13	कटनी-2	एम पी 20601	देव कन्सट्रक्शन	74	1,903.693	7,64,14,615
		एम पी 20604	पी.के.आर.-आर.के.जे. (जे.वी.)			
		एम पी 20707	एक्सल इंजीनियरिंग प्रा. लिमि.			
		एम पी 20708	एक्सल इंजीनियरिंग प्रा. लिमि.			
		एम पी 20712	एक्सल इंजीनियरिंग प्रा. लिमि.			
		एम पी 20713	वैष्णव एसोशिएट			
14	उज्जैन-2	एम पी 43163	ब्राइट इनफ्राकोन	82	1,902.649	7,56,62,974
		एम पी 43601	वेलकिन बिल्ड़र्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड़			
		एम पी 43602	सेल साइट इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमि.			
		एम पी 43603	एल.एन.ए. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
		एम पी 43702	ओम प्रकाश महेश्वरी			
		एम पी 43703	कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 43704	सेल साइट इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमि.			
		एम पी 43705	कराड़ा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 43707	चन्द्र सिकरवार कन्सट्रक्शन क.			
15	मुरैना	एम पी 25606	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी	88	1,929.412	7,38,04,559
		एम पी 25607	ओम प्रकाश शर्मा, एस.आर.एस.-ओ.पी.एस. (जे.वी.)			
		एम पी 25701	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 25703	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 25704	भगवती इंटरप्राईजेस			
		एम पी 25705	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 25707	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी			
16	विदिशा-2	एम पी 45605	रघु डेवलपर्स	91	1,907.063	7,37,44,806
		एम पी 45607	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 45608	रघु डेवेलपर्स			
		एम पी 45609	मंगल सिंह राजपूत एण्ड रनवे इन्फ्रास्ट्रक्चर (जे.वी.)			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 45705	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 45706	मंगल सिंह राजपूत एण्ड़ रनवे इन्फ्रास्ट्रक्चर (ज्वा. वे.)			
		एम पी 45707	मंगल सिंह राजपूत			
17	रायसेन-2	एम पी 29606	सुरेश चन्द गुप्ता	81	1,824.652	7,35,19,952
		एम पी 29607	श्री कृष्णा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 29608	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 29609	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 29611	बाजपई इन्फ्रास्ट्रक्चर			
		एम पी 29704	श्री कृष्णा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 29709	आर.के. कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 29710	नीलघन कन्सट्रक्शन			
		एम पी 29711	इंदर पाल एण्ड कम.			
		एम पी 29712	इंदर पाल एण्ड कम.			
18	जबलपुर-1	एम पी 18601	वैष्णव एसोसिएट	79	1,826.024	7,18,19,598
		एम पी 18603	एम.के.एस. इंजीनियरिंग क. प्रा. लिमि.			
		एम पी 18702	विश्वकुसुम इन्फ्राटेक			
		एम पी 18703	विश्वकुसुम इन्फ्राटेक			
		एम पी 18709	संतोश कुमार दुबे			
		एम पी 18710	नीरज कुमार चौकसे			
		एम पी 18711	नीलघन कन्सट्रक्शन			
		एम पी 18712	नितिन बरसैनिया			
		एम पी 18714	नितिन बरसैनिया			
		एम पी 18715	एस. अमोलक कन्सट्रक्शन			
19	अशोकनगर-2	एम पी 47104	राजमार्ग डेवलपर्स	59	1,497.638	6,74,93,092
		एम पी 47105	जगन्नाथ सिंह यादव			
		एम पी 47601	डी.एन. राठी कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 47602	नीरव हाथीशाह			
		एम पी 47701	डी.एन. राठी कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 47702	अशोक कुमार रघुवंशी			
		एम पी 47706	अनिल कन्सट्रक्शन कम्पनी			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 47707	राजमार्ग डेवलपर्स			
		एम पी 47708	अनिल कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 47709	अनिल कन्सट्रक्शन कम्पनी			
20	सागर-2	एम पी 33601	राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन	83	1,941.823	6,67,94,866
		एम पी 33607	मनाली कन्सट्रक्शन क.			
		एम पी 33609	महेश कुमार गुरु, राकेश कुमार गुरु			
		एम पी 33706	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 33707	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 33708	नील माधव (जे.वी.) ज्ञानोदय ग्रुप			
		एम पी 33710	भूपेन्द्र सिंह राजपूत			
21	कटनी-1	एम पी 20602	एस.एन. खाम्पारिया	60	1,502.813	6,48,78,017
		एम पी 20603	आर.के.सी. आर.एस.जे. (जे.वी.)			
		एम पी 20701	वैष्णव एसोसिएट			
		एम पी 20702	वैष्णव एसोसिएट			
		एम पी 20704	शिवा एसोसिएट्ढ			
		एम पी 20706	आर. के. कन्सट्रक्शन			
		एम पी 20709	प्रगति इंड़िया कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 20710	वैष्णव एसोसिएट			
22	दमोह-1	एम पी 08606	आर.एस. बग्गा	48	1,276.797	6,15,68,395
		एम पी 08704	विकाश कन्सट्रक्शन			
		एम पी 08710	देवेन्द्र कुमार राय			
		एम पी 08711	अरुण कन्सट्रक्शन क.			
		एम पी 08712	मनाली कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 08713	विनायक कन्सट्रक्शन			
		एम पी 08714	विनायक कन्सट्रक्शन			
23	उमरिया	एम पी 04466	प्रवीण सिंह	60	1,592.94	5,98,87,664
		एम पी 04467	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44601	श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44602	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44603	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44701	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44702	वैष्णव एसोसिएट्ढ			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 44703	ए.के. मिश्रा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 44704	दिव्या कन्सट्रक्शन			
24	मंदसौर	एम पी 24603	धुंधवाल ब्रदर्स	48	1,331.221	5,81,24,184
		एम पी 24701	अंकिता कन्सट्रक्शन			
		एम पी 24702	अंकिता कन्सट्रक्शन			
		एम पी 24703	पारुल कन्सट्रक्शन			
		एम पी 24705	धुंधवाल ब्रदर्स			
25	पन्ना-1	एम पी 28105	कृष्ण प्रताप सिंह	59	1,438.925	5,53,90,344
		एम पी 28106	कृष्ण प्रताप सिंह			
		एम पी 28601	माँ वैष्णोंदेवी कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 28602	श्री कन्सट्रक्शन			
		एम पी 28604	अनिल सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 28704	संतोष कुमार गुप्ता			
		एम पी 28705	कृष्ण प्रताप सिंह			
26	सतना-1	एम पी 34604	ए.बी.सी. एसोसिएट्स	61	1,458.103	5,53,04,632
		एम पी 34605	शिव शक्ति कन्सट्रक्शन, श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 34607	राजेश कैला			
		एम पी 34701	ओम साईं विंध्या कन्सट्रक्शन			
		एम पी 34702	शैलेन्द्र सिंह			
		एम पी 34708	विनय कुमार त्रिपाठी			
		एम पी 34709	भगवेंद्र सिंह			
		एम पी 34710	सुशील कुमार शर्मा			
27	होशंगाबाद-2	एम पी 16104	संजय पालिया	74	1,619.214	5,38,46,538
		एम पी 16601	राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्रा. लिम			
		एम पी 16602	राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्रा. लिमि.			
		एम पी 16603	राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्रा. लिमि.			
		एम पी 16604	नवीन कुमार दुबे			
		एम पी 16605	एस.सी. जैन			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 16702	हरगोविंद पुरविया			
		एम पी 16703	संजय पालिया			
		एम पी 16707	संजय पालिया			
		एम पी 16708	संजय पालिया			
28	रीवा-2	एम पी 32604	राम सज्जन शुक्ला	65	1,424.359	5,21,05,075
		एम पी 32607	के.के. सोहागौरा			
		एम पी 32608	बैंको कन्सट्रक्शन कम्पनी, स्वामी बाबा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 32701	सिंगरौली मिनरल प्रोडक्टस			
		एम पी 32702	राम सज्जन शुक्ला			
		एम पी 32710	ब्रहम्दीन एण्ड़ संस			
		एम पी 32711	त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा			
		एम पी 32712	नीरज द्विवेदी			
29	ग्वालियर	एम पी 14605	न्यू आर.के. कन्सट्रक्शन कम्पनी	47	1,133.338	5,16,03,940
		एम पी 14701	कुशवाहा कन्सट्रक्शन कम्पनी, महेन्द्र सिंह			
		एम पी 14704	श्रीराम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 14706	माई इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स			
		एम पी 14707	राजकुमार सिंह चौहान कान्ट्रेक्टर्स			
		एम पी 14708	बैंको कन्सट्रक्शन कम्पनी, महेंद्र सिंह			
30	अनूपपुर	एम पी 04640	मैहर सीमेंट पाइप	45	1,195.84	4,92,08,009
		एम पी 46603	अनिल बिल्डकॉन (I) प्रा. लिमि.			
		एम पी 46701	रवि शंकर जायसवाल			
		एम पी 46702	रवि शंकर जायसवाल			
		एम पी 46703	देव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 46704	रवि शंकर जायसवाल			
31	रायसेन-1	एम पी 29601	सुरेश पाठक	55	1,287.014	4,89,85,206
		एम पी 29602	शक्ति अर्थ मूवर्स			
		एम पी 29701	मोहक इंटरप्राइजेस			
		एम पी 29703	जोधा सिंह अटवाल			
		एम पी 29706	चौहान कन्सट्रक्शन			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 29707	इंदर पाल एण्ड़ क.			
		एम पी 29708	चौहान कन्सट्रक्शन			
32	धार-3	एम पी 11221	व्यास एसोसिएट्स	51	1,165.606	4,71,49,485
		एम पी 11222	बी.एम. अग्रवाल एण्ड क.			
		एम पी 11703	राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन			
		एम पी 11705	सुभाष जोशी			
		एम पी 11716	एच.एस.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
33	सिवनी-2	एम पी 36705	रामाकान्त राय	42	1,056.225	4,67,33,142
		एम पी 36706	मोतीलाल राय			
		एम पी 36709	शक्ति सिंह			
		एम पी 36710	शक्ति सिंह			
34	दतिया	एम पी 09601	अनुज तिवारी सुरेश चन्द गुप्ता	40	993.345	4,56,95,369
		एम पी 09603	लोकेन्द्र सिंह डांगी			
		एम पी 09704	गिरराज कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 09705	परमार ब्रदर्स			
		एम पी 09706	रूद्र कन्सट्रक्शन			
35	बैतूल-1	एम पी 03273	शितला कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर	44	1,039.862	4,34,92,599
		एम पी 03274	भवसर कन्सट्रक्शन			
		एम पी 03604	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 03702	ए.एन.वी. कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 03704	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 03705	अंकुर कन्सट्रक्शन कम्पनी			
36	दमोह-2	एम पी 08605	महेश प्रसाद चौरसिया,अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कं.	31	868.975	4,00,07,245
		एम पी 08701	सरोज शर्मा			
		एम पी 08706	महेश चौरसिया			
37	रतलाम	एम पी 31129	टिमन्ना नरसिंह	43	1,073.758	3,96,37,454
		एम पी 31604	राम प्रसाद राठौर कांट्रेक्टर एण्ड सप्लायर			
		एम पी 31704	धुंधवाल ब्रदर्स			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 31705	पारुल कन्सट्रक्शन			
38	उज्जैन-1	एम पी 43604	वेलकिन बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	36	860.47	3,80,59,365
		एम पी 43606	एल.एन.ए. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
		एम पी 43709	एच.एस.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
		एम पी 43711	एच.एस.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
		एम पी 43712	एच.एस.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.			
39	गुना-2	एम पी 13604	युवराज इनफ्रा	46	971.639	3,67,77,592
		एम पी 13605	ए.के. शिवहरे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि.			
		एम पी 13606	राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन			
		एम पी 13701	राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्रा. लिमि.			
		एम पी 13703	राजलक्ष्मी देव बिल्ड इंडिया प्रा. लिमि.			
40	भिंड-1	एम पी 00490	ब्रजेश सिंह भदोरिया	37	883.251	3,59,48,955
		एम पी 04601	एस.आर.एस.-ओ.पी.एस (जे. वी.)			
		एम पी 04701	तोमर एण्ड ब्रदर्स			
		एम पी 04702	राम किशोर त्रिपाठी			
		एम पी 04703	गणपति कन्सट्रक्शन			
		एम पी 04705	ओम प्रकाश शर्मा			
41	अशोकनगर-1	एम पी 47604	राजलक्ष्मी कन्सट्रक्शन्स	23	612.68	2,91,41,387
		एम पी 47703	अवनी कन्सट्रक्शन			
		एम पी 47704	अनिल कन्सट्रक्शन कम्पनी			
		एम पी 47705	अशोक कुमार रधुवंशी			
42	शाहजहांपुर	एम पी 39605	यादव कन्सट्रक्शन एण्ड बी.एस. सिसोदिया	30	688.356	2,69,13,657
		एम पी 39607	शिव चरण परमार			
		एम पी 39608	यादव कन्सट्रक्शन			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 39609	करडा कन्सट्रक्शन क.			
		एम पी 39703	यादव कन्सट्रक्शन			
		एम पी 39704	नवीन कुमार दुबे			
		एम पी 39705	गोरधन सिंह डांगी			
		एम पी 39706	मधुर ट्रेड्र्स इन्फ्रा प्रा. लिमि.			
43	देवास-1	एम पी 10604	पाइरोल फ्यूल इंडसट्रीज प्रा. लिमि.	22	593.205	2,66,39,449
		एम पी 10702	बिंदल डेवलपर्स			
		एम पी 10703	हिम्मत सिंह अवतार सिंह			
		एम पी 10706	मिथुन अंचेरा			
		एम पी 10709	आर. के. कन्सट्रक्शन क.			
44	खरगौन-1	एम पी 22606	गोपाल इनटरप्राइजेस	30	610.867	2,28,53,358
		एम पी 22607	शिवम कन्सट्रक्शन			
		एम पी 22705	नायक इन्फ्रास्ट्रक्चर			
		एम पी 22707	नारायणदास फूलचन्द			
		एम पी 22712	सावरिया कन्सट्रक्शन			
		एम पी 22713	सावरिया कन्सट्रक्शन			
45	छिंदवाड़ा-2	एम पी 07604	कुमार कन्सट्रक्शन क., नक्षत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	23	544.196	2,24,30,274
		एम पी 07703	एसकोन इन्फ्राटेक प्रा. लिमि.			
46	राजगढ़-2	एम पी 30118	बेन सिंह पंवार कान्ट्रेक्टर	28	573.978	2,06,58,294
		एम पी 30119	गोरधन सिंह डांगी			
		एम पी 30120	जी.एस.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर			
		एम पी 30606	एमकोन कन्सट्रक्शन क.			
		एम पी 30607	प्रभूनाथ सिंह कानट्रेक्टर			
		एम पी 30706	जगदीश सक्सेना कानट्रेक्टर			
47	विदिशा-1	एम पी 45103	आर.आर. रघुवंशी	30	597.239	2,06,19,004
		एम पी 45603	वेंकेश्वर कन्सट्रक्शन			
		एम पी 45103	आर.आर. रघुवंशी			
		एम पी 45603	वेंकेश्वर कन्सट्रक्शन			
48	सिंगरौली	एम पी 05068	नेशनल प्रेस्टीज कन्सट्रक्शन क.	25	547.494	2,05,18,318
		एम पी 05070	अग्रहरि इंटरप्राइजेस, मेन रोड, सिंगरौली			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
		एम पी 05072	नेशनल प्रेस्टीज कन्सट्रक्शन क.			
		एम पी 05074	संत बहुदार सिंह			
		एम पी 05075	गौतम इलेक्ट्रीकल मेकेनिकल इंजीनियकरंग वर्क्स			
		एम पी 05077	निखिल इंटरप्राइजेस			
		एम पी 05079	रमेश इंटरप्राइजेस, सिंगरौली			
		एम पी 05081	सिंगरौली मिनिरल प्रोड्क्टस			
		एम पी 05082	अरुण कन्सट्रक्शन क0.			
		एम पी 50701	जे. के. कन्सट्रक्शन			
49	ड़िड़ौरी	एम पी 01268	एस. अमोलक कन्सट्रक्शन	24	541.524	2,04,71,048
		एम पी 12602	जैन कन्सट्रक्शन			
		एम पी 12606	एकजेम्पलर कन्सट्रक्शन			
		एम पी 12702	गौर रोड टार कोट प्रा. लिमि.			
		एम पी 12703	एकता कन्सट्रक्शन क.			
50	बुरहानपुर	एम पी 48602	सतेंदर सिंह कीर	25	554.577	2,03,93,335
		एम पी 48603	सतेंदर सिंह कीर			
		एम पी 48605	सतेंदर सिंह कीर			
		एम पी 48604	गुरुकृपा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 48606	गुरुकृपा कन्सट्रक्शन			
		एम पी 48701	सतेंदर सिंह कीर			
		एम पी 48702	मोहम्मद सलीम जहांगीर			
		एम पी 48703	जगदीश गुप्ता			
51	गुना-1	एम पी 13704	प्रेम स्टोन क्रशर	16	423.576	1,94,11,273
		एम पी 13710	दयाल कन्सट्रक्शन क.			
52	देवास-2	एम पी 10607	ज्योति कन्सट्रक्शन क.	18	431.193	1,91,54,828
		एम पी 10707	प्रवेन्द्र कुमार खरे			
		एम पी 10708	आर. के. कन्सट्रक्शन क.			
53	बालाघाट-2	एम पी 01232	आशीष कुमार जायसवाल	18	424.08	1,79,52,382
		एम पी 01705	आर. के. ट्रेडर्स			
		एम पी 01711	फारुख स्टोन क्रशर			
		एम पी 01712	सिद्धार्थ बिल्डर्स			
		एम पी 01717	फारुख स्टोन क्रशर			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
54	धार-2	एम पी 11220	नवीन मल्होत्रा	25	509.388	1,77,16,825
		एम पी 11601	सुनील कुमार मदनलाल शर्मा			
		एम पी 11602	वेल्किन बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड़			
		एम पी 11709	ग्लोबर्ड इन्फ्रा प्रा. लिमि.			
55	बैतूल-2	एम पी 03701	ए. एन. वी. कन्सट्रक्शन क.	14	339.066	1,56,92,944
		एम पी 03709	अग्रवाल इन्टरप्राइजेस			
56	पन्ना-2	एम पी 28603	अनिल सिंह कन्सट्रक्शन क.	12	333.455	1,42,12,629
		एम पी 28701	कृष्ण प्रताप सिंह			
		एम पी 28702	महेश प्रसाद चौरसिया			
57	धार-1	एम पी 11610	चिराग कन्सट्रक्शन क.	15	362.286	1,39,74,920
		एम पी 11701	मिड इंड़िया सिविल इरेक्टर्स प्रा. लिमि.			
		एम पी 11705	मिड इंड़िया सिविल इरेक्टर्स प्रा. लिमि.			
		एम पी 11706	मिड इंड़िया सिविल इरेक्टर्स प्रा. लिमि.			
58	राजगढ़-1	एम पी 30114	गोरधन सिंह डांगी	19	380.135	1,35,25,779
		एम पी 30601	जगदीश वर्मा			
		एम पी 30602	जगदीश वर्मा			
		एम पी 30603	जगदीश वर्मा			
59	हरदा	एम पी 15603	अमृत लाल जैन	12	288.49	1,19,42,008
		एम पी 15702	विनोद कुमार जैन कॉनट्रेक्टर			
		एम पी 15703	विनोद कुमार जैन कॉनट्रेक्टर			
60	होशंगाबाद-1	एम पी 16606	नवीन कुमार दुबे	16	363.202	1,14,56,595
		एम पी 16608	गोविंद राय			
		एम पी 16701	नवीन कुमार दुबे			
61	इंदौर	एम पी 17603	श्रीनाथ इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.	11	248.535	1,05,07,010
		एम पी 17702	नारायणदास फूलचन्द			
62	आगर	एम पी 39138	ओम प्रकाश महेश्वरी	14	286.1	98,41,884
		एम पी 39601	वी.वी.सी. रियलइन्फ्रा प्रा. लिमि.			
		एम पी 51702	नरेंद्र सिंह सिसोदिया कन्सट्रक्शन			

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	चालान में ठेकेदार का नाम मेसर्स	चालान की संख्या	मात्रा (टन में)	कुल राशि (₹)
63	झाबुआ	एम पी 19144	नवकार कन्सट्रक्शन	10	231.991	97,26,895
		एम पी 19148	श्री पदमावती कन्सट्रक्शन			
		एम पी 19601	कुसुमकान्त शाह जे.वी. भारत गुप्ता			
		एम पी 19703	श्री अरबुदा कन्सट्रक्शन			
64	सिवनी-1	एम पी 36702	अरुण अवस्थी	4	112.21	60,66,972
65	बालाघाट-1	एम पी 01608	सिद्धार्थ बिल्डर्स	6	149.37	51,49,811
66	खरगौन-2	एम पी 22603	नारायणदास फूलचन्द	7	139.73	49,56,684
		एम पी 22701	नारायणदास फूलचन्द			
67	अलीराजपुर	एम पी 04939	सुरेश कुमार गुप्ता	6	132.565	49,33,749
		एम पी 04940	डेडा राम दोरखराम			
		एम पी 49603	सुरेश कुमार गुप्ता			
		एम पी 49703	श्री ड़ेड़ा राम			
68	शिवपुरी-1	एम पी 40601	ए. के. कन्सट्रक्शन क.	5	95.95	32,66,351
69	बरवानी	एम पी 02606	सुनील कुमार मदनलाल शर्मा	3	70.32	24,29,411
70	नीमच	एम पी 27703	रुपलाल दौलतराम	2	44.9	20,27,134
71	खण्ड़वा	एम पी 21601	कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड़	2	48	15,61,911
		एम पी 21702	प्रगति कन्सट्रक्शन			
महायोग				**3,389**	**80,324.876**	**3,20,74,76,792**

परिशिष्ट-2.1.10 (अ)

(संदर्भ : कंडिका 2.1.10.2 (ii), पृष्ठ संख्या 41)

चयनित पी.आई.यू. में दो पैकेजों में उपयोग किए गए समान चालान (बिटुमिन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (05.09.2020 से पहले)

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
1	बैतूल-2	एमपी 03610	बैतूल-2	एमपी 03609	बीपीसीएल	मुंबई	राजदीप कंस्ट्रक्शन	4580677648	02.01.2019	27.85	10,18,424.00
2	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	731500803	02.06.2020	27.903	6,53,572.00
3	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-1	एमपी 03603	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	732472738	03.07.2020	27.902	8,15,866.00
4	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	733421190	07.08.2020	27.93	7,74,499.00
5	बैतूल-2	एमपी 03610	बैतूल-2	एमपी 03609	एचपीसीएल	मुंबई	राजदीप कंस्ट्रक्शन	48003GI18018818	08.01.2019	27.65	8,64,289.00
6	बैतूल-2	एमपी 03609	बैतूल-1	एमपी 03605	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI18019836	17.01.2019	27.86	7,54,476.66
7	बैतूल-2	एमपी 03606	बैतूल-2	एमपी 03609	एचपीसीएल	मुंबई	राजदीप कंस्ट्रक्शन	48003GI18020918	28.01.2019	27.37	7,41,206.97
8	बैतूल-2	एमपी 03609	बैतूल-1	एमपी 03603	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI18021618	04.02.2019	27.67	7,81,002.35
9	बैतूल-2	एमपी 03606	बैतूल-2	एमपी 03609	एचपीसीएल	मुंबई	राजदीप कंस्ट्रक्शन	48003GI18025007	06.03.2019	27.59	8,04,463.70
10	बैतूल-2	एमपी 03606	बैतूल-2	एमपी 03609	एचपीसीएल	मुंबई	राजदीप कंस्ट्रक्शन	48003GI19010327	22.10.2019	27.45	10,14,162.21

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
11	बैतूल-2	एमपी 03609	बैतूल-1	एमपी 03602	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI19012032	26.11.2019	27.57	9,29,131.06
12	बैतूल-2	एमपी 03609	बैतूल-1	एमपी 03603	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI19013117	08.12.2019	27.44	8,70,352.90
13	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	733419888	07-08-2020	27.979	7,75,858.00
14	अलीराजपुर	एमपी 49602	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	714759121	20-12-2018	19.835	7,11,287.00
15	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	715487887	10-01-2019	23.575	8,06,458.00
16	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	715973119	28-01-2019	19.834	5,95,635.00
17	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	716683419	16-02-2019	23.692	7,49,236.00
18	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	716878681	23-02-2019	19.824	6,26,914.00
19	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	717938665	27-03-2019	23.09	7,41,097.00
20	अलीराजपुर	एमपी 49603	धार-2	एमपी 11603	आईओसीएल	बड़ौदा	सुरेश कुमार गुप्ता	718390688	06-04-2019	23.293	7,50,910.00
21	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	आईओसीएल	बड़ौदा	पीसी यादव	712299610	03-10-2018	19.704	8,72,367.00
22	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	आईओसीएल	बड़ौदा	पीसी यादव	712434012	06-10-2018	19.565	8,66,213.00
23	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	आईओसीएल	बड़ौदा	पीसी यादव	712663524	15-10-2018	19.709	8,72,588.00
24	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	आईओसीएल	बड़ौदा	पीसी यादव	712882656	23-10-2018	19.711	8,42,905.00
25	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	आईओसीएल	बड़ौदा	पीसी यादव	713925535	26-11-2018	19.56	7,74,822.00
26	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02603	बीपीसीएल	इंदौर	पीसी यादव	4560053986	23-02-2018	18.68	5,80,927.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
27	बड़वानी	एमपी 02603	खरगोन-1	एमपी 22601	बीपीसीएल	इंदौर	पीसी यादव	4560057121	11-03-2018	22.63	7,00,297.00
28	बड़वानी	एमपी 02602	खरगोन-1	एमपी 22601	बीपीसीएल	इंदौर	पीसी यादव	4560057786	14-03-2018	19.35	5,98,795.00
29	बड़वानी	एमपी 02603	बड़वानी	एमपी 02602	बीपीसीएल	इंदौर	पीसी यादव	4560112753	22-11-2018	22.96	9,53,260.00
30	बड़वानी	एमपी 02604	बड़वानी	एमपी 02602	बीपीसीएल	इंदौर	पीसी यादव	4560119818	24-12-2018	18.93	6,92,571.00
31	बैतूल-1	एमपी 03602	बैतूल-1	एमपी 03603	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI19009874	12-10-2019	27.51	11,09,219.71
32	बैतूल-1	एमपी 03603	बैतूल-2	एमपी 03609	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI19010009	15-10-2019	27.12	10,93,494.67
33	छतरपुर	एमपी 06601	टीकमगढ़	एमपी 42604	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	719344775	07-05-2019	21.74	7,25,729.00
34	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07608	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07607	एचपीसीएल	मुंबई	ओम प्रकाश कालिया	48003GI18014318	21-11-2018	19.2	7,26,577.92
35	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07603	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07602	एचपीसीएल	मुंबई	राय सिंह एंड कंपनी	48003GI18011919	13-10-2018	18.73	7,40,838.93
36	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07603	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07602	एचपीसीएल	मुंबई	राय सिंह एंड कंपनी	48003GI18012030	14-10-2018	19.15	7,57,451.44
37	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07603	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07602	एचपीसीएल	मुंबई	राय सिंह एंड कंपनी	48003GI18012622	25-10-2018	22.43	8,53,308.98
38	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	718843067	23-04-2019	28.053	9,44,084.00
39	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	719646253	17-05-2019	28.31	9,22,000.00
40	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	720002863	29-05-2019	27.51	9,62,817.00
41	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	720021851	30-05-2019	28.309	9,21,968.00
42	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	725109981	05-11-2019	28.889	10,87,781.00
43	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	725385024	14-11-2019	27.498	10,35,404.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
44	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	725638385	23-11-2019	28.005	10,49,538.00
45	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	725810744	28-11-2019	27.509	10,30,949.00
46	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	726947585	01-01-2020	28.904	9,62,492.00
47	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	बड़ौदा	शिव कुमार ताम्रकर	727468141	15-01-2020	27.26	9,17,397.13
48	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	727907255	30-01-2020	29.001	9,34,923.00
49	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	728150952	04-02-2020	28.126	9,29,947.00
50	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	728448480	12-02-2020	28.08	9,28,426.00
51	दमोह-1	एमपी 08603	दमोह-2	एमपी 08604	आईओसीएल	मथुरा	शिव कुमार ताम्रकर	728730939	22-02-2020	28.903	9,80,534.00
52	दमोह-2	एमपी 08601	दमोह-2	एमपी 08709	आईओसीएल	मथुरा	माँ चंडी कंस्ट्रक्शन कंपनी	730850452	07-05-2020	19.41	5,44,194.00
53	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581031083	18-10-2019	22.420	8,99,755.00
54	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581035931	23-10-2019	18.580	6,84,261.00
55	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581044411	31-10-2019	18.530	6,82,419.00
56	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581047270	02-11-2019	21.990	7,68,326.00
57	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581052420	06-11-2019	23.550	8,22,832.00
58	देवास-1	एमपी 10605	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581277438	09-05-2020	21.070	4,96,258.00
59	देवास-1	एमपी 10603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18013460	06-11-2018	19.140	7,46,440.86
60	देवास-1	एमपी 10603	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18020962	28-01-2019	19.370	5,24,558.97
61	धार-1	एमपी 11608	इंदौर	एमपी 17604	आईओसीएल	बड़ौदा	नियति कंस्ट्रक्शन	730982352	13-05-2020	22.713	6,31,440.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
62	धार-2	एमपी 11602	उज्जैन-1	एमपी 43604	एचपीसीएल	मुंबई	वेल्किन बिल्डर्स	48003GI18019510	14-01-2019	22.51	7,43,464.78
63	डिंडोरी	एमपी 12601	डिंडोरी	एमपी 12605	बीपीसीएल	रायपुर	अनिल ब्यूडकॉन (आई) प्राइवेट लिमिटेड	4670023682	27-10-2018	23.08	10,70,040.00
64	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580676360	01-01-2019	22.98	7,18,313.00
65	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580677538	02-01-2019	18.9	5,90,780.00
66	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580700249	18-01-2019	22.91	6,20,426.00
67	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580746345	21-02-2019	22.75	6,52,334.00
68	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580758884	03-03-2019	22.55	6,57,508.39
69	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580805456	08-04-2019	22.25	7,69,797.00
70	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22603	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580812011	12-04-2019	22.71	7,85,712.00
71	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580834479	03-05-2019	22.78	7,01,310.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
72	हरदा	एमपी 15601	खरगोन-2	एमपी 22604	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4580835831	04-05-2019	18.96	5,83,706.00
73	झाबुआ	एमपी 19143	झाबुआ	एमपी 19604	आईओसीएल	बड़ौदा	मनोहर लाल शांतिलाल भंडारी	714473630	11-12-2018	22.994	9,22,519.00
74	झाबुआ	एमपी 19145	झाबुआ	एमपी 19602	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G118017354	25-12-2018	22.91	7,53,972.68
75	कटनी-1	एमपी 20701	कटनी-1	एमपी 20702	आईओसीएल	मथुरा	वैष्णव एसोसिएट्स	731644565	04-06-2020	22.24	5,68,165.28
76	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18018116	02-01-2019	19.01	5,94,218.38
77	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18025514	10-03-2019	19.3	5,62,745.54
78	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18025841	12-03-2019	18.82	5,48,749.80
79	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18026228	15-03-2019	18.84	5,49,332.95
80	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18026459	18-03-2019	22.5	6,55,785.00
81	मन्दसौर	एमपी 24605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19001216	16-04-2019	22.86	6,93,791.86
82	मुरैना	एमपी 25608	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	716630641	15-02-2019	22.721	7,27,108.35
83	मुरैना	एमपी 25608	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	716921243	25-02-2019	22.18	7,19,741.00
84	मुरैना	एमपी 25601	मुरैना	एमपी 25604	आईओसीएल	मथुरा	प्रेस्टीजिअस स्कोर प्राइवेट लिमिटेड .	717966359	29-03-2019	19.28	6,57,486.56
85	मुरैना	एमपी 25601	ग्वालियर	एमपी 14602	आईओसीएल	मथुरा	प्रेस्टीजिअस स्कोर प्राइवेट लिमिटेड .	718298996	04-04-2019	20.958	7,17,677.37
86	मुरैना	एमपी 25601	ग्वालियर	एमपी 14602	आईओसीएल	मथुरा	प्रेस्टीजिअस स्कोर प्राइवेट लिमिटेड .	718885651	26-04-2019	20.204	7,13,314.34

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
87	मुरैना	एमपी 02592 और एमपी 25608	शिवपुरी-2	एमपी 40609	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	718985190	29-04-2019	19.24	6,52,035.90
88	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18005349	19-05-2018	19.02	5,03,409.95
89	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18005847	23-05-2018	19.08	5,04,997.99
90	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18005900	23-05-2018	19.12	5,06,056.69
91	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18006675	29-05-2018	19.03	5,03,674.62
92	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18007148	01-06-2018	19.05	5,26,907.76
93	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18007200	01-06-2018	19.08	5,29,988.98
94	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18007748	06-06-2018	19.02	5,28,322.34
95	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18007792	07-06-2018	18.99	5,27,489.03
96	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18008561	19-06-2018	18.83	5,31,932.44
97	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18013446	06-11-2018	18.98	7,40,201.02
98	नीमच	एमपी 27601	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18014100	18-11-2018	18.82	7,12,197.73
99	नीमच	एमपी 27602	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016109	11-12-2018	22.95	8,24,616.45
100	नीमच	एमपी 27602	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18017308	24-12-2018	23.10	7,62,858.44
101	नीमच	एमपी 27602	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18017653	28-12-2018	18.85	6,20,357.27
102	नीमच	एमपी 27602	रतलाम	एमपी 31605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18025141	07-03-2019	22.98	6,70,046.24
103	नीमच	एमपी 27602	रतलाम	एमपी 31605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19001871	30-04-2019	18.83	5,71,482.97

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
104	नीमच	एमपी 27602	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19006704	25-06-2019	22.40	6,52,870.40
105	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18014395	22-11-2018	18.8	7,11,440.88
106	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18015398	04-12-2018	18.91	6,79,455.21
107	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18015419	04-12-2018	22.87	8,21,741.97
108	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18015504	05-12-2018	23.05	8,28,209.55
109	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18015875	08-12-2018	18.8	6,75,502.80
110	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016073	11-12-2018	18.8	6,75,502.80
111	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016275	13-12-2018	19.02	6,83,407.62
112	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016440	15-12-2018	22.85	8,21,023.35
113	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016582	17-12-2018	19	6,25,293.80
114	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11604	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016652	18-12-2018	23.05	7,58,580.11
115	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18016804	19-12-2018	22.99	7,56,605.50
116	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18017160	22-12-2018	18.91	6,22,331.88
117	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18019482	14-01-2019	23.36	7,30,191.55
118	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18019852	18-01-2019	19.02	5,15,080.62
119	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18023088	16-02-2019	19.09	5,47,386.66
120	रतलाम	एमपी 31603	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18023581	20-02-2019	23.37	6,70,111.38
121	रतलाम	एमपी 31603	रतलाम	एमपी 31605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18023889	23-02-2019	18.85	5,40,504.90

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
122	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI18025137	07-03-2019	18.89	5,50,790.84
123	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19003554	22-05-2019	18.8	5,50,163.20
124	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11605	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19003984	26-05-2019	22.76	6,66,048.64
125	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19004559	31-05-2019	22.7	6,64,292.80
126	रतलाम	एमपी 31605	धार-3	एमपी 11607	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI19005113	06-06-2019	18.79	5,29,915.58
127	सीहोर	एमपी 35602	सीहोर	एमपी 35603	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580319269	13-03-2018	19.65	5,28,895.00
128	सीहोर	एमपी 35602	सीहोर	एमपी 35603	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580344826	02-04-2018	19.13	6,23,252.00
129	सीहोर	एमपी 35602	सीहोर	एमपी 35603	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580348654	05-04-2018	22.16	7,21,968.00
130	सीहोर	एमपी 35602	सीहोर	एमपी 35604	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580366783	20-04-2018	19.17	5,09,868.00
131	सीहोर	एमपी 35602	सीहोर	एमपी 35603	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580435864	17-06-2018	22.02	6,14,252.00
132	सीहोर	एमपी 35603	सीहोर	एमपी 35604	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580731437	11-02-2019	22.92	6,65,863.00
133	सीहोर	एमपी 35603	सीहोर	एमपी 35604	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580740183	17-02-2019	23.24	6,85,580.00
134	सीहोर	एमपी 35603	सीहोर	एमपी 35604	बीपीसीएल	मुंबई	सानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	4580744156	20-02-2019	22.86	6,74,370.00
135	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	707486115	05-05-2018	19.400	6,26,096.00
136	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	707656575	11-05-2018	14.999	4,84,063.00
137	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	707826676	17-05-2018	19.442	6,10,934.00
138	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	708317685	01-06-2018	19.201	6,05,853.00
139	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	709255757	30-06-2018	19.490	6,24,171.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
140	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	711954531	25-09-2018	18.9	7,09,873.00
141	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712490367	09-10-2018	19.402	8,29,234.00
142	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712555282	11-10-2018	22.530	9,62,923.00
143	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712616960	13-10-2018	22.484	9,60,957.00
144	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712692759	16-10-2018	19.515	8,04,588.00
145	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712753170	18-10-2018	19.402	7,99,929.00
146	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712788679	20-10-2018	19.427	8,00,960.00
147	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712807503	20-10-2018	19.417	8,00,547.00
148	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712834236	22-10-2018	18.802	7,75,191.00
149	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712925282	25-10-2018	19.413	8,00,382.00
150	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	712927184	25-10-2018	19.418	8,00,589.00
151	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713043120	29-10-2018	19.582	8,07,350.00
152	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713160606	01-11-2018	19.407	8,30,134.00
153	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713558642	13-11-2018	19.395	8,29,621.00
154	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713641157	16-11-2018	19.393	8,07,110.00
155	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713703289	18-11-2018	19.340	8,04,904.00
156	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40604	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	713752121	20-11-2018	22.55	9,38,499.00
157	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	714095654	01-12-2018	22.318	8,86,181.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
158	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	716492779	11-02-2019	20.993	6,71,810.00
159	शिवपुरी-1	एमपी 40606	शिवपुरी-2	एमपी 40605	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	716839542	22-02-2019	22.11	7,17,470.00
160	शिवपुरी-2	एमपी 40605	ग्वालियर	एमपी 14603	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	706889115	18-04-2018	18.602	5,93,538.00
161	शिवपुरी-2	एमपी 40609	ग्वालियर	एमपी 14603	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	707172572	27-04-2018	18.804	5,99,983.00
162	शिवपुरी-2	एमपी 40609	ग्वालियर	एमपी 14603	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	707651441	11-05-2018	18.812	6,07,120.00
163	शिवपुरी-2	एमपी 40605	शिवपुरी-2	एमपी 40609	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	708570944	08-06-2018	19.185	6,05,348.00
164	शिवपुरी-2	एमपी 40605	शिवपुरी-2	एमपी 40609	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	708659876	11-06-2018	19.94	6,29,171.00
कुल										**3,581.186**	**12,00,68,555.60**

परिशिष्ट- 2.1.10 (ब)

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.2 (ii), पृष्ठ संख्या 41)

चयनित पी.आई.यू. में दो पैकेजों में उपयोग किए गए समान चालान (बिटुमिन) को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (05.09.2020 के बाद)

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
1	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	734921624	01.10.2020	27.952	7,35,420.00
2	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	735147265	06.10.2020	27.952	7,35,420.00
3	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	735150089	06.10.2020	28.308	7,44,787.00
4	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	735383673	14.10.2020	28.283	7,44,129.00
5	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03707	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	737463470	17.12.2020	28.326	10,01,820.00
6	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03707	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	738319892	12.01.2021	28.299	11,07,802.00
7	बैतूल-2	एमपी 03707	बैतूल-1	एमपी 03703	एचपीसीएल	मुंबई	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	48003GI20016204	22.03.2021	27.05	10,98,198.25

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
8	बैतूल-2	एमपी 03608	बैतूल-2	एमपी 03708	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	737105008	05-12-2020	28.313	8,93,367.08
9	अलीराजपुर	एमपी 49705	अलीराजपुर	एमपी 49707	बीपीसीएल	बड़ौदा	श्री गणेश कंस्ट्रक्शन	4540492510	08-02-2021	22.35	9,72,841.00
10	बालाघाट-2	एमपी 01702	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	736491679	18-11-2020	26.9	7,50,849.00
11	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581514934	02-12-2020	23.03	6,80,439.00
12	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581516553	03-12-2020	27.68	8,17,826.00
13	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581525419	10-12-2020	27.84	8,22,553.00
14	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581535247	18-12-2020	27.08	9,03,389.00
15	बालाघाट-2	एमपी 01710	बालाघाट-2	एमपी 01711	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581549461	28-12-2020	27.14	9,04,712.00
16	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581555602	01-01-2021	27.74	11,77,642.00
17	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581575159	17-01-2021	25.74	9,68,416.00
18	बालाघाट-2	एमपी 01710	बालाघाट-2	एमपी 01711	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581576979	19-01-2021	22.53	8,47,011.00
19	बालाघाट-2	एमपी 01710	बालाघाट-2	एमपी 01711	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581615287	15-02-2021	22.34	8,84,554.00
20	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581641727	06-03-2021	27.81	10,49,580.00
21	बालाघाट-2	एमपी 01710	बालाघाट-2	एमपी 01711	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581678877	31-03-2021	22.53	9,01,389.00
22	बालाघाट-2	एमपी 01711	बालाघाट-2	एमपी 01717	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581696836	16-04-2021	22.49	9,69,440.00
23	बालाघाट-2	एमपी 01711	बालाघाट-2	एमपी 01717	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581735892	22-05-2021	22.41	9,48,275.00
24	बालाघाट-2	एमपी 01711	बालाघाट-2	एमपी 01718	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581738734	25-05-2021	22.81	9,65,201.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
25	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581750674	04-06-2021	27.58	11,95,900.00
26	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581750675	04-06-2021	27.61	11,97,200.00
27	बालाघाट-2	एमपी 01711	बालाघाट-2	एमपी 01717	बीपीसीएल	मुंबई	फारुख स्टोन क्रेशर	4581771420	22-06-2021	22.43	8,97,510.00
28	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581804638	20-07-2021	27.9	12,46,685.00
29	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581837234	16-08-2021	27.83	11,21,601.00
30	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581847897	25-08-2021	27.56	11,10,719.00
31	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581888428	27-09-2021	27.66	10,70,643.00
32	बालाघाट-2	एमपी 01701	सिवनी-1	एमपी 36701	बीपीसीएल	मुंबई	राधिका इंजीनियरिंग कंपनी	4581911590	12-10-2021	27.91	12,81,417.00
33	बैतूल-1	एमपी 03702	उज्जैन-1	एमपी 43701	आईओसीएल	बड़ौदा	एएनवी कंस्ट्रक्शन कंपनी	740047484	04-03-2021	23.38	10,48,041.00
34	बैतूल-1	एमपी 03702	भिंड-2	एमपी 04602	आईओसीएल	मथुरा	एएनवी कंस्ट्रक्शन कंपनी	741100155	05-04-2021	19.482	9,23,918.26
35	बैतूल-1	एमपी 03702	उज्जैन-1	एमपी 43701	आईओसीएल	मथुरा	एएनवी कंस्ट्रक्शन कंपनी	743592083	29-06-2021	21.988	9,97,576.29
36	बैतूल-1	एमपी 03703	बैतूल-2	एमपी 03706	आईओसीएल	बड़ौदा	राजेंद्र सिंह किलेदार कॉन्सट. प्राइवेट लिमिटेड	744145294	17-07-2021	27.925	11,80,695.00
37	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	734282019	08-09-2020	22.006	6,68,133.00
38	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	735931865	31-10-2020	22.312	6,29,188.00
39	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736166637	06-11-2020	22.407	6,84,787.00
40	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736506797	19-11-2020	22.273	6,92,528.00
41	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736671746	24-11-2020	22.444	6,97,845.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
42	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736948445	01-12-2020	22.22	7,74,583.00
43	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	737425155	16-12-2020	22.406	8,66,529.00
44	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	737590039	22-12-2020	26.785	10,35,883.00
45	भोपाल	एमपी 05702	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	740840992	27-03-2021	22.29	9,83,914.00
46	भोपाल	एमपी 05702	छतरपुर	एमपी 06706	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	740898326	30-03-2021	26.498	11,69,661.00
47	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	742406392	21-05-2021	26.41	12,42,189.00
48	भोपाल	एमपी 05702	टीकमगढ़	एमपी 42702	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	742881837	05-06-2021	26.612	12,63,168.00
49	भोपाल	एमपी 05702	टीकमगढ़	एमपी 42702	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	747458323	01-11-2021	26.7	13,83,613.00
50	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738451111	16-01-2021	23.219	9,36,632.00
51	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738517104	19-01-2021	22.946	9,25,619.00
52	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738517561	19-01-2021	27.38	11,04,483.00
53	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738581233	21-01-2021	27.311	11,01,699.00
54	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	738599618	22-01-2021	21.995	9,02,841.00
55	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738619109	22-01-2021	28.017	11,30,179.00
56	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738620553	22-01-2021	22.893	9,23,481.00
57	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738621105	22-01-2021	23.235	9,37,277.00
58	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738984120	01-02-2021	23.494	9,94,057.00

क्र.	**पी.आई.यू. का नाम**	**पैकेज संख्या**	**अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है**	**पैकेज संख्या**	**रिफाइनरी का नाम**	**रिफाइनरी शहर**	**चालान में ठेकेदार का नाम**	**चालान नंबर**	**दिनांक**	**मात्रा (मीट्रिक टन)**	**कुल राशि** (₹में)
59	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	738993032	01-02-2021	27.406	11,59,578.00
60	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	739043905	03-02-2021	22.919	9,69,728.00
61	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	739174175	06-02-2021	27.146	11,48,577.00
62	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	739175789	06-02-2021	27.563	11,66,221.00
63	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23706	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	739268295	09-02-2021	27.386	11,58,732.00
64	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740319806	13-03-2021	22.939	9,68,678.36
65	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740337727	13-03-2021	27.5	11,61,282.00
66	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740395688	16-03-2021	22.92	9,79,244.00
67	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740402508	16-03-2021	23.225	9,92,274.64
68	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740457409	18-03-2021	27.308	11,66,718.44
69	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	740603345	23-03-2021	26.954	11,51,594.00
70	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	745102348	19-08-2021	32.38	14,33,938.00
71	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	745105988	19-08-2021	32.286	14,29,772.00
72	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	745981130	17-09-2021	32.516	13,89,651.00
73	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	746848735	13-10-2021	27.562	12,16,997.00
74	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	746869757	14-10-2021	27.402	12,09,932.00
75	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	746876423	14-10-2021	27.407	12,10,153.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
76	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	747040625	21-10-2021	27.353	12,70,124.00
77	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	मंडला	एमपी 23707	आईओसीएल	बड़ौदा	रविशंकर जायसवाल	747310657	27-10-2021	27.569	12,80,154.00
78	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07712	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07706	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581584163	23-01-2021	27.91	10,59,151.00
79	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07712	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07705	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581591331	29-01-2021	27.93	10,60,705.00
80	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07701	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07710	बीपीसीएल	मुंबई	ओम प्रकाश कालिया	4581604803	08-02-2021	23.05	9,12,666.00
81	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07711	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07704	बीपीसीएल	मुंबई	राय सिंह एंड कंपनी	4581618057	17-02-2021	22.87	9,19,043.00
82	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07701	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07710	बीपीसीएल	मुंबई	ओम प्रकाश कालिया	4581658266	18-03-2021	22.59	9,03,789.00
83	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07712	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07705	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581879429	20-09-2021	27.56	10,75,463.00
84	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07702	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07710	एचपीसीएल	मुंबई	ओम प्रकाश कालिया	48003GI20005907	21-09-2020	22.63	6,06,968.28
85	छिंदवाड़ा-1	एमपी 07712	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07705 और एमपी 07706	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581894036	29.09.21	27.6	10,77,024.00
86	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07707	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581624100	22-02-2021	27.62	12,55,754.00
87	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07706	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581635553	02-03-2021	27.78	11,96,036.00
88	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07706	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581644536	09-03-2021	27.66	11,90,904.00
89	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07705	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581645504	10-03-2021	27.27	10,38,861.00
90	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07706	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581652071	13-03-2021	27.79	10,58,669.00
91	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07705	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581679915	31-03-2021	27.43	11,07,148.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
92	छिंदवाड़ा-2	एमपी 07706	रायसेन-1	एमपी 29702	बीपीसीएल	मुंबई	वीरेंद्र सिंह राजपूत	4581741324	27-05-2021	27.51	11,73,819.00
93	दमोह-2	एमपी 08705	पन्ना-2	एमपी 28702	आईओसीएल	मथुरा	महेश प्रसाद चौरसिया	737437218	16-12-2020	26.476	10,48,944.00
94	दमोह-2	एमपी 08705	पन्ना-2	एमपी 28702	आईओसीएल	मथुरा	महेश प्रसाद चौरसिया	738761832	27-01-2021	26.839	11,46,047.00
95	दमोह-2	एमपी 08705	पन्ना-2	एमपी 28702	आईओसीएल	मथुरा	महेश प्रसाद चौरसिया	741899938	01-05-2021	26.87	12,73,341.00
96	दमोह-2	एमपी 08705	दमोह-2	एमपी 08706	आईओसीएल	मथुरा	महेश प्रसाद चौरसिया	742655562	28-05-2021	26.797	12,86,974.00
97	दमोह-2	एमपी 08705	पन्ना-2	एमपी 28702	आईओसीएल	मथुरा	महेश प्रसाद चौरसिया	742822462	03-06-2021	22.107	10,70,887.00
98	दतिया	एमपी 09703	शिवपुरी-1	एमपी 40714	आईओसीएल	मथुरा	सिंह ब्रदर्स	738749602	27-01-2021	26.802	11,24,633.00
99	दतिया	एमपी 09703	शिवपुरी-1	एमपी 40714	आईओसीएल	मथुरा	सिंह ब्रदर्स	738837851	28-01-2021	27.249	11,43,390.00
100	दतिया	एमपी 09703	शिवपुरी-1	एमपी 40714	आईओसीएल	मथुरा	सिंह ब्रदर्स	739138835	05-02-2021	26.806	11,78,168.00
101	देवास-1	एमपी 10703	देवास-1	एमपी 10601	बीपीसीएल	मुंबई	हिम्मत सिंह अवतार सिंह देवास	4581515749	02-12-2020	23.300	7,02,173.00
102	देवास-2	एमपी 10701	हरदा	एमपी 15701	एचपीसीएल	मुंबई	ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी, हरदा	48003GI21001185	04-07-2021	27,000	11,92,838.40
103	देवास-2	एमपी 10701	हरदा	एमपी 15701	एचपीसीएल	मुंबई	ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी, हरदा	48003GI21001240	07-07-2021	26.960	10,63,820.03
104	धार-1	एमपी 11702	उज्जैन-2	एमपी 43708	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003GI20015756	17-03-2021	18.98	7,59,359.12
105	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120011961	21-01-2021	19.01	7,15,213.16
106	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120012338	27-01-2021	18.83	7,08,441.02
107	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120012873	03-02-2021	18.92	7,49,138.80
108	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120013155	08-02-2021	18.99	7,51,910.46

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
109	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120013574	13-02-2021	18.83	7,45,575.25
110	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120013873	17-02-2021	18.98	7,62,721.11
111	धार-3	एमपी 11715	झाबुआ	एमपी 19704	एचपीसीएल	मुंबई	कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी	48003G120014776	03-03-2021	19.05	7,18,967.66
112	गुना-1	एमपी 13712	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	738698399	25-01-2021	26.837	11,52,300.00
113	गुना-1	एमपी 13712	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	739020167	02-02-2021	26.783	12,02,799.00
114	गुना-1	एमपी 13712	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	739214728	08-02-2021	26.797	12,03,428.00
115	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	739491675	17-02-2021	27.207	12,37,905.00
116	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	739592013	20-02-2021	27.003	12,28,623.00
117	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	739619365	21-02-2021	27.192	12,37,222.00
118	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	740023394	03-03-2021	27.015	12,10,985.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
119	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	740291408	12-03-2021	27.252	12,21,609.00
120	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	740380541	15-03-2021	27.004	12,10,492.00
121	गुना-1	एमपी 13708	विदिशा-1	एमपी 45702	आईओसीएल	मथुरा	वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन	740560654	21-03-2021	27.201	12,32,814.00
122	गुना-2	एमपी 13713	राजगढ़-1	एमपी 30702	आईओसीएल	मथुरा	पटेल कंस्ट्रक्शन्स	743134758	15-06-2021	26.806	13,04,820.00
123	गुना-2	एमपी 13713	राजगढ़-1	एमपी 30702	आईओसीएल	मथुरा	पटेल कंस्ट्रक्शन्स	743177220	16-06-2021	26.819	12,16,755.00
124	इंदौर	एमपी 17702	खरगोन-2	एमपी 22701	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4581476508	02-11-2020	22.45	5,58,430.00
125	इंदौर	एमपी 17702	खरगोन-2	एमपी 22701	बीपीसीएल	मुंबई	नारायणदास फूलचंद मिश्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड .	4581498616	20-11-2020	22.11	5,61,713.00
126	जबलपुर-1	एमपी 18713	जबलपुर-2	एमपी 18716	आईओसीएल	मथुरा	मोती श्रीपाल यादव एंड एसोसिएट्स	742016736	05-05-2021	28.854	13,21,732.00
127	कटनी-1	एमपी 20702	कटनी-1	एमपी 20701	आईओसीएल	मथुरा	वैष्णव एसोसिएट्स	735093119	05-10-2020	22.008	6,25,344.00
128	कटनी-1	एमपी 20701	कटनी-1	एमपी 20702	आईओसीएल	मथुरा	वैष्णव एसोसिएट्स	735276835	10-10-2020	22.091	6,27,702.51
129	कटनी-1	एमपी 20701	कटनी-1	एमपी 20702	आईओसीएल	मथुरा	वैष्णव एसोसिएट्स	735417450	15-10-2020	22.068	6,27,384.00
130	खरगोन-1	एमपी 22702	खरगोन-1	एमपी 22706	एचपीसीएल	मुंबई	प्रकाश पाटीदार	48003GI20007253	08-11-2020	19.28	4,86,768.35
131	खरगोन-1	एमपी 22702	खरगोन-1	एमपी 22706	एचपीसीएल	मुंबई	प्रकाश पाटीदार	48003GI20007795	17-11-2020	19.05	4,91,084.61

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
132	खरगोन-1	एमपी 22702	खरगोन-1	एमपी 22706	एचपीसीएल	मुंबई	प्रकाश पाटीदार	48003GI20008110	23-11-2020	18.63	4,80,257.55
133	मंडला	एमपी 23704	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	738110156	05-01-2021	32.494	13,18,067.00
134	मंडला	एमपी 23702	सिवनी-1	एमपी 36704	आईओसीएल	मथुरा	रविशंकर जायसवाल	738924390	30-01-2021	21.988	9,02,554.00
135	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738045872	04-01-2021	23.24	9,85,864.00
136	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738214265	08-01-2021	23.212	9,84,676.00
137	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738295417	11-01-2021	23.048	9,77,720.00
138	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738512327	19-01-2021	23.22	9,96,249.00
139	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738570591	21-01-2021	23.521	10,09,869.00
140	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	738890962	29-01-2021	23.553	10,11,295.00
141	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	741925256	03-05-2021	23.284	11,08,360.00
142	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	742139095	10-05-2021	27.709	13,19,646.00
143	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	742592699	27-05-2021	23.326	11,25,783.00
144	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	742819812	03-06-2021	23.534	11,45,551.00
145	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	743019755	10-06-2021	23.232	11,30,851.00
146	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	744316158	24-07-2021	23.21	10,36,080.00
147	मन्दसौर	एमपी 24703	रतलाम	एमपी 31705	आईओसीएल	बड़ौदा	पारुल कंस्ट्रक्शन	749173386	24-12-2021	23.245	12,27,233.00
148	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	735358136	13-10-2020	23.007	6,80,878.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
149	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	735904914	30-10-2020	19.511	5,68,207.00
150	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	736787025	27-11-2020	23.152	7,05,659.00
151	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	738508641	19-01-2021	19.514	8,37,263.00
152	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	739630989	22-02-2021	19.511	8,87,741.00
153	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	740056254	04-03-2021	23.007	10,31,321.00
154	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	741035750	03-04-2021	23.273	10,90,522.00
155	रतलाम	एमपी 31701	उज्जैन-1	एमपी 43706	आईओसीएल	बड़ौदा	इम्तियाजुद्दीन , ठेकेदार, जावरा ,रतलाम	741309213	12-04-2021	19.525	9,14,899.00
156	सीहोर	एमपी 35701	सीहोर	एमपी 35706	आईओसीएल	बड़ौदा	माँ गंगा	736481059	18-11-2020	22.102	6,73,656.00
157	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	734648501	22-09-2020	19.492	5,66,504.00
158	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	734739910	25-09-2020	19.489	5,66,417.00
159	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	734804904	28-09-2020	19.538	5,67,841.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
160	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	735410846	15-10-2020	19.488	5,33,044.00
161	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735415680	15-10-2020	19.398	5,51,183.00
162	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735564558	21-10-2020	19.32	5,39,847.00
163	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735603959	23-10-2020	22.007	6,14,928.00
164	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735642215	23-10-2020	22.002	6,14,789.00
165	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735683109	26-10-2020	20.991	5,86,539.00
166	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735688649	26-10-2020	20.88	5,83,437.00
167	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735740539	27-10-2020	26.61	7,43,547.00
168	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735742554	27-10-2020	26.497	7,40,390.00
169	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	735745172	27-10-2020	22	6,14,733.00
170	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	736193743	07-11-2020	22.007	6,67,314.00
171	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	736299776	11-11-2020	21.992	6,66,910.00
172	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	736601449	24-11-2020	19.3	5,95,531.00
173	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	736650212	24-11-2020	19.394	5,98,431.00
174	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737032001	04-12-2020	21.012	7,27,510.00
175	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737123103	07-12-2020	21.93	7,59,294.00
176	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737557250	21-12-2020	21.038	8,08,655.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
177	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737557826	21-12-2020	20.978	8,06,348.00
178	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737718754	26-12-2020	22.049	8,47,515.00
179	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737868801	29-12-2020	21.009	8,07,540.00
180	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737900369	30-12-2020	21.01	8,07,578.00
181	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737937432	31-12-2020	22.053	8,47,669.00
182	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	737977030	01-01-2021	19.442	7,97,817.00
183	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738114457	05-01-2021	20.79	8,53,133.00
184	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738117019	05-01-2021	21.006	8,61,997.00
185	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738152425	06-01-2021	22.001	9,02,828.00
186	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738183952	07-01-2021	20.996	8,61,587.00
187	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738250782	09-01-2021	21.005	8,61,956.00
188	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738410825	15-01-2021	22.029	9,03,977.00
189	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738411645	15-01-2021	21.93	8,99,914.00
190	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	738573224	21-01-2021	19.39	8,05,071.00
191	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	739048021	03-02-2021	21.984	9,56,128.00
192	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	739055193	13-02-2021	19.494	8,27,115.00
193	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	739175109	06-02-2021	21.012	9,13,854.00

क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹में)
194	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	739558960	19-02-2021	19.512	8,39,399.00
195	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40702	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	740506363	19-03-2021	21.995	9,65,697.00
196	शिवपुरी-1	एमपी 40705	शिवपुरी-2	एमपी 40703	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स	741292774	11-04-2021	21.032	9,30,914.00
197	शिवपुरी-1	एमपी 40706	शिवपुरी-2	एमपी 40701	आईओसीएल	मथुरा	हाकिम सिंह बिल्डर्स एवं ठेकेदार	741554052	21-04-2021	19.481	8,71,919.00
198	शिवपुरी-1	एमपी 40714	शिवपुरी-1	एमपी 40716	आईओसीएल	मथुरा	सिंह ब्रदर्स	742953351	08-06-2021	22.811	10,88,803.00
									कुल	**4,778.017**	**18,82,02,860.63**

तीन पैकेजों में प्रयुक्त समान चालान (बिटुमिन) दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
05.09.2020 से पहले													
1	शिवपुरी-1	एमपी 40124	शिवपुरी-2	एमपी 40605	ग्वालियर	एमपी 14603	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स ग्वालियर	708203794	30-05-2018	15.01	4,71,791.00
2	शिवपुरी-1	एमपी 40124	शिवपुरी-2	एमपी 40605	शिवपुरी-2	एमपी 40609	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स ग्वालियर	708456822	05-06-2018	19.48	6,14,719.00
3	शिवपुरी-1	एमपी 40124	शिवपुरी-2	एमपी 40605	शिवपुरी-2	एमपी 40609	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स ग्वालियर	708553166	07-06-2018	14.98	4,72,572.00
											कुल	**49.47**	**15,59,082.00**
05.09.2020 के बाद													
1	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	734738056	25-09-2020	26.02	7,89,882.00
2	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736700649	25-11-2020	26.91	8,36,611.00
3	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	736903567	29-11-2020	26.6	8,26,973.00
4	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	737161603	07-12-2020	26.77	9,33,125.00
5	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42702	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	741130692	06-04-2021	22.31	9,92,657.00
6	भोपाल	एमपी 05702	सीहोर	एमपी 35707	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	741273510	11-04-2021	22.38	9,95,816.00

क्र. सं.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	अन्य पी.आई.यू. का नाम जिसमें समान चालान का उपयोग किया गया है	पैकेज संख्या	रिफाइनरी का नाम	रिफाइनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नंबर	दिनांक	मात्रा (मीट्रिक टन)	कुल राशि (₹ में)
7	भोपाल	एमपी 05702	टीकमगढ़	एमपी 42702	टीकमगढ़	एमपी 42712	आईओसीएल	मथुरा	रामराजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	747958790	18-11-2021	22.34	12,70,143.00
											कुल	**173.316**	**66,45,207.00**

परिशिष्ट-2.1.11

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.2(iii) पृष्ठ संख्या 42)

पूर्णता तिथि के बाद बिटुमिन (वी.जी.-30) की क्रय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	उत्पाद का नाम	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	पूर्णता तिथि	रिफायनरी का नाम	रिफायनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नम्बर	दिनांक	पूर्णता तिथि के बाद की अवधि (दिनों में)	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹ में)
1	बिटुमिन (वी.जी.-30)	बड़वानी	एम पी 02605	30-09-2018	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560111072	15-11-2018	46	19.19	8,18,927
2		बड़वानी	एम पी 02605	30-09-2018	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560111585	17-11-2018	48	23.66	9,82,323
3		बड़वानी	एम पी 02605	30-09-2018	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560112019	19-11-2018	50	19.12	7,93,830
4		बड़वानी	एम पी 02605	30-09-2018	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560112550	21-11-2018	52	19.19	7,96,736
5		बड़वानी	एम पी 02603	05-05-2019	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560152565	14-05-2019	09	19.16	6,62,551

स. क्र.	उत्पाद का नाम	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या	पूर्णता तिथि	रिफायनरी का नाम	रिफायनरी शहर	चालान में ठेकेदार का नाम	चालान नम्बर	दिनांक	पूर्णता तिथि के बाद की अवधि (दिनों में)	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹ में)
6		बड़वानी	एम पी 02603	05-05-2019	बीपीसीएल	इन्दौर	पी. सी. यादव	4560153996	21-05-2019	16	23.03	7,66,754
7		दमोह-1	एम पी 08603	08-02-2020	आईओसीएल	मथुरा	एस. के. तमारकर	728730939	22-02-2020	14	28.903	9,80,534
8		दमोह-1	एम पी 08603	08-02-2020	आईओसीएल	मथुरा	एस. के. तमारकर	728448480	12-02-2020	04	28.08	9,28,426
9		शिवपुरी-1	एम पी 40606	20-02-2019	आईओसीएल	मथुरा	ओशो एसोसिएट्स, ग्वालियर	716839542	22-02-2019	02	22.11	7,17,470
10	इमल्शन	बैतूल-2	एम पी 03609	29-02-2020	ऑफशोर पेट्रोकेम प्रा. लिमि.	छिंदवाड़ा	राजेंद्र सिंह किलेदार कन्सट्रक्शन प्रा. लिमि.	ओ पी पी एल/ बी/ 20-21/145	19-06-2020	111	15.00	5,18,610
योग											**217.443**	**79,66,161**

परिशिष्ट-2.1.12

(संदर्भः कंडिका 2.1.10.2(iv), पृष्ठ संख्या 43)

अशासकीय रिफाइनरियों से बिटुमिन के पैकेजवार क्रय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	पैकेज संख्या.	चालान की संख्या	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹)
1	एम पी 01602	3	46	17,83,806.00
2	एम पी 01607	7	126.99	47,84,859.00
3	एम पी 01608	1	16	6,66,464.00
4	एम पी 01609	1	23.66	7,04,949.00
5	एम पी 01702	8	188.72	57,02,430.00
6	एम पी 01705	1	27.15	6,01,766.00
7	एम पी 01717	2	48.35	19,28,133.60
8	एम पी 01718	3	79.61	30,22,179.00
9	एम पी 02395	1	22.67	7,90,748.00
10	एम पी 02396	5	119.55	36,55,833.20
11	एम पी 02601	6	101.62	32,25,887.00
12	एम पी 02701	22	453.794	1,83,25,197.00
13	एम पी 04639	2	46.05	13,96,783.00
14	एम पी 04641	2	28.397	10,22,593.00
15	एम पी 04642	5	96.93	28,33,763.00
16	एम पी 04643	3	73.44	23,24,822.00
17	एम पी 04936	3	53.325	18,84,039.00
18	एम पी 05069	23	583.45	2,22,43,944.12
19	एम पी 05076	1	19.44	6,78,450.00
20	एम पी 05602	17	370.788	1,39,37,244.00
21	एम पी 07602	2	34.99	11,93,851.00
22	एम पी 07603	12	205.33	84,09,614.00
23	एम पी 07703	9	193.155	84,10,241.02

स.क्र.	पैकेज संख्या.	चालान की संख्या	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹)
24	एम पी 07709	1	19.27	7,68,873.00
25	एम पी 07711	3	82.521	23,22,478.00
26	एम पी 08603	2	53.168	18,19,408.06
27	एम पी 08702	18	472.43	2,15,74,799.40
28	एम पी 08703	16	408.365	1,55,03,562.56
29	एम पी 08710	7	116.182	46,43,610.55
30	एम पी 10605	3	56.4	19,76,555.78
31	एम पी 10606	9	178.75	57,78,626.00
32	एम पी 10607	2	40.23	12,90,431.00
33	एम पी 11218	2	30.48	10,48,862.55
34	एम पी 11219	3	40.93	13,31,820.00
35	एम पी 11603	1	19.855	6,27,895.00
36	एम पी 11608	1	22.335	7,72,210.00
37	एम पी 11702	4	81.99	23,51,515.00
38	एम पी 11704	6	135.44	61,43,313.00
39	एम पी 11707	4	79.215	27,36,254.00
40	एम पी 11708	14	324.665	1,37,88,697.00
41	एम पी 11710	2	44.61	20,32,102.00
42	एम पी 11712	5	79.35	36,12,149.00
43	एम पी 11713	4	91.97	35,14,721.00
44	एम पी 11719	19	402.471	1,48,46,982.00
45	एम पी 12701	1	19.82	5,81,145.00
46	एम पी 12704	1	19.115	5,27,352.00
47	एम पी 14604	6	123.22	40,73,405.80
48	एम पी 16607	9	236.42	69,72,224.00
49	एम पी 16608	8	197.59	62,87,408.00

स.क्र.	पैकेज संख्या.	चालान की संख्या	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹)
50	एम पी 16609	21	529.09	1,94,69,902.98
51	एम पी 16610	3	81.7	24,39,072.00
52	एम पी 16704	1	22.95	8,06,264.29
53	एम पी 17603	7	115.973	38,38,984.30
54	एम पी 17604	3	62.59	21,43,513.00
55	एम पी 17701	9	202.72	96,14,272.00
56	एम पी 17703	13	246.166	96,02,480.53
57	एम पी 17704	1	19.67	7,10,244.00
58	एम पी 19148	1	23.04	7,98,217.00
59	एम पी 19701	2	46.97	14,96,464.00
60	एम पी 21701	2	45.83	14,35,328.75
61	एम पी 21703	2	43.62	18,45,888.00
62	एम पी 22603	8	162.574	56,14,874.00
63	एम पी 22604	13	236.938	79,79,896.00
64	एम पी 22605	11	218.95	93,29,702.00
65	एम पी 22701	23	509.794	1,66,90,270.00
66	एम पी 22704	7	163.088	79,89,645.80
67	एम पी 22707	4	84.265	34,58,043.00
68	एम पी 23601	18	377.27	1,07,33,154.00
69	एम पी 23602	24	498.02	1,44,31,890.14
70	एम पी 23603	23	476.41	1,35,67,912.00
71	एम पी 23604	9	222.277	69,59,539.26
72	एम पी 23706	4	47.9	21,22,369.00
73	एम पी 24701	2	55.465	22,61,908.00
74	एम पी 24704	7	204.599	81,34,467.00
75	एम पी 24705	3	77.06	31,80,932.00

स.क्र.	पैकेज संख्या.	चालान की संख्या	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹)
76	एम पी 27601	5	101.895	38,37,970.00
77	एम पी 27602	5	132.68	43,54,195.00
78	एम पी 27701	8	179	76,23,837.00
79	एम पी 29606	1	17.5	5,76,136.00
80	एम पी 29608	1	20.4	7,62,360.00
81	एम पी 31702	5	111.685	53,44,836.00
82	एम पी 31703	10	210.71	71,33,357.00
83	एम पी 31704	2	48.09	18,52,502.00
84	एम पी 31705	13	298.79	1,27,88,308.00
85	एम पी 32178	1	19.54	6,59,436.00
86	एम पी 32603	3	68.21	25,93,240.00
87	एम पी 33601	17	370.761	1,03,29,260.86
88	एम पी 33607	6	115.709	39,05,782.30
89	एम पी 33702	4	59.535	25,46,657.97
90	एम पी 33704	9	166.876	74,27,347.97
91	एम पी 34607	1	29.95	11,30,912.00
92	एम पी 34708	1	22.535	9,04,104.00
93	एम पी 36601	12	269.06	78,58,689.48
94	एम पी 36602	14	298.11	85,52,589.00
95	एम पी 36605	14	282.4	84,36,530.76
96	एम पी 36606	25	573.7	1,81,73,817.00
97	एम पी 38602	10	215.041	72,25,427.97
98	एम पी 39601	1	20.63	7,18,130.00
99	एम पी 39707	6	124.861	46,58,469.00
100	एम पी 43602	13	229.428	95,26,204.00
101	एम पी 43603	11	200.525	71,75,906.80

स.क्र.	पैकेज संख्या.	चालान की संख्या	मात्रा (एम.टी.)	कुल राशि (₹)
102	एम पी 43606	5	69.055	20,43,241.00
103	एम पी 43701	1	27.725	11,73,041.00
104	एम पी 43703	1	23.685	9,96,544.00
105	एम पी 43704	4	78.075	30,76,522.00
106	एम पी 45604	4	104.12	33,37,672.09
107	एम पी 48602	1	16.604	7,83,709.00
108	एम पी 48603	1	17.041	7,94,281.50
109	एम पी 49601	3	59.305	19,13,525.00
110	एम पी 49603	2	41	13,01,478.00
111	एम पी 49701	15	341.61	1,33,07,404.00
112	एम पी 49702	16	381.30	1,53,01,940.00
113	एम पी 49703	4	100.87	45,25,524.00
114	एम पी 49704	4	89.23	27,10,136.00
115	एम पी 49706	10	237.96	87,16,314.00
योग			**16,886.331**	**60,91,86,566.39**

परिशिष्ट-2.1.13

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.3, पृष्ठ संख्या 45)

आर.सी.सी. हयूम पाईप (1000 मिमी व्यास) पर अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पी.आई.यू.	पैकेज क्र.	वाउचर क्र./ दिनांक	पाइप की मात्रा (आर.एम. में)	निविदा प्रतिशत	एस. ओ. आर. के मद क्र. 9.3(ब) के अनुसार हयूम पाइप की आई. एस. आई. दर	निविदा प्रतिशत के समायोजन के बाद आई. एस. आई पाइप की दर	एस. ओ. आर. के मद क्र. 9.4(ब) के अनुसार हयूम पाइप की गैर आई. एस. आई. दर	निविदा प्रतिशत के समायोजन के बाद गैर आई. एस. आई पाइप की दर	अन्तर कॉलम (7-9) (आर.एम. मे)	अतिरिक्त भुगतान राशि 11= (4X10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बुरहानपुर	एम पी 48603*	03/29.01.2021	22.5	-18.75%	4,975	4,042	4,007	3,256	786	17,685
योग				**22.5**							**17,685**
2	रीवा-1	एम पी 32601*	8/02.05.2019	160	4.52%	4,975	5,200	4,007	4,188	1,012	1,61,920
		एम पी 32605*	142/15.12.2019	162.5	-	4,975	4,975	4,007	4,007	968	1,57,300
		एम पी 32606*	133/03.11.2020	220	-9.55%	4,975	4,500	4,007	3,624	876	1,92,720
		एम पी 32609*	129/23.10.2020	385	-4.02%	4,975	4,775	4,007	3,846	929	3,57,665
योग				**927.5**							**8,69,605**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
3	सागर-1	एम पी 33138	125/29.07.2020	70	0%	4,975	4,975	4,007	4,007	968	67,760
		एम पी 33610*	58/08.06.2021	230	-12.00%	4,975	4,378	4,007	3,526	852	1,95,960

स. क्र.	पी.आई.यू.	पैकेज क्र.	वाउचर क्र./ दिनांक	पाइप की मात्रा (आर.एम. में)	निविदा प्रतिशत	एस. ओ. आर. के मद क्र. 9.3(ब) के अनुसार हयूम पाइप की आई. एस. आई. दर	निविदा प्रतिशत के समायोजन के बाद आई. एस. आई पाइप की दर	एस. ओ. आर. के मद क्र. 9.4(ब) के अनुसार हयूम पाइप की गैर आई. एस. आई. दर	निविदा प्रतिशत के समायोजन के बाद गैर आई. एस. आई पाइप की दर	अन्तर कॉलम (7-9) (आर.एम. मे)	अतिरिक्त भुगतान राशि 11= (4X10)
योग				**300**							**2,63,720**
4	टीकमगढ़	एम पी 4270*	06/20.07.2020	157.50	0%	4,975	4,975	4,007	4,007	968	1,52,460
		एम पी 42601*	09/13.03.2020	385.00	(-)13.57%	4,975	4,300	4,007	3,463	837	3,22,245
		एम पी 42604	3/13.07.2020	245	-3.52%	4,975	4,800	4,007	3,866	934	2,28,830
		एम पी 42603	160/28.02.2019	127.5	(-)29.65%	4,975	3,500	4,007	2,819	681	86,827.50
योग				**915**							**7,90,362.50**
5	उज्जैन-2	एम पी 43601*	17/31.08.2020	46.875	-9.55%	4,975	4,500	4,007	3,624	876	41,062.50
		एम पी 43601*	17/31.08.2020	43.125	-13.19%	4,975	4,319	4,007	3,478	841	36,268.13
		एम पी 43602*	7/10.12.2020	205	-3.52%	4,975	4,800	4,007	3,866	934	1,91,470
		एम पी 43603*	10/03.05.2020	442.5	0%	4,975	4,975	4,007	4,007	968	4,28,340
		एम पी 43603	10/03.05.2020	348	-7.94%	4,975	4,580	4,007	3,689	891	3,10,068
योग				**1,085.50**							**10,07,208.63**
महायोग				**3,250.50**							**29,48,581.13**

टीप- *नस्तियों में चालान संलग्न नहीं पाये गये|

परिशिष्ट-2.1.14

(संदर्भ: कंडिका. 2.1.10.4, पृष्ठ संख्या 45)

टैक कोट पर अनियमित व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

पी.आई.यू.	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	दर (₹ प्रति वर्ग मी.)	किये गये वास्तविक कार्य के अनुसार	
					मात्रा (वर्ग/मी.)	राशि
1	2	3	4	5	6	7
बुरहानपुर	1	एम पी 48602	टी01- बुरहानुपर- धारनी सड़क से जैनबाद- सरोला	12	32,698.65	3,92,384
बैतूल-2	2	एम पी 03608	टी02- आठनेर घोघरजोड़ मेंधा छिंदवाद से बोथी	13.02	1,58,970.61	20,69,797
	3	एम पी 03609	टी02- आमला- तिरमाउ- खारपाड़ाखेड़ी से बाहम्नी पंखा मुलताई बोरड़ेही सड़क	14.21	1,18,904.43	16,89,632
छिंदवाडा-1	4	एम पी 07601	टी22- रामाकोना से गोनी वाया घाड़ेला महाजन, भीमालगोंड़ी, कुंड़ा रायतवारी, पिपला नारायणवार से छतरापुर	12	38,847.350	4,66,168
	5	एम पी 07602	टी22- लावाघोघारी से आमला वाया धनौरा	12	38,668.110	4,64,017
	6	एम पी 07606	टी21- एन.एच.547 से सलाइया वाया सांख	09	39,952.00	3,59,568
	7	एम पी 07607	टी21- चांद से लिंगा वाया पारसगांव- उभेहगांव	09	13,080.10	1,17,721
धार-3	8	एम पी 11606	टी09- राजगढ़ (टी05) से तिमायची (झाकनावाड़ा फाटा)	12	31,100.13	3,73,202
	9	एम पी 11607	टी11- चिकली फाटा (हरनछापड़ा) से गंधवानी सिंघाना	12	45,399.375	5,44,793
	10	एम पी 11705	एम.आर.एल.02- जे.टी. सड़क से बेकालया- खेड़ा- मोहनपुरा- धनतलब फाटा	11	3,750	41,250
	11		टी12- एन.एच.59 से गोलपुरा गरवाड़ाफाटा सड़क	13	18,974.75	2,46,672

पी.आई.यू.	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	दर (₹ प्रति वर्ग मी.)	किये गये वास्तविक कार्य के अनुसार	
					मात्रा (वर्ग/मी.)	राशि
1	2	3	4	5	6	7
		एम पी 11717	टी12- एन.एच.59 से गोलपुरा गरवाड़ाफाटा सड़क	11	23,193.75	2,55,131
ग्वालियर	12	एम पी 14601	1. भितरवार करेरा सड़क से मोहनगढ़ (खेड़ा भितरवार तक) 2. एम.आर.एल.01- बैंगना से ररौआ 3. टी03- भितरवार करेरा सड़क से बसोड़ी मच्छारिया (सांखनी सड़क तक)	12	77,660.33	9,31,923
	13	एम पी 14602	टी01- ग्वालियर झाँसी सड़क से मग्रोरा	13	9,610.43	1,24,936
	14	एम पी 14603	टी03- बरुआ नुराबाद सड़क से सुसैरा (चकरयपुर तक)	20	22,994.99	4,59,900
			टी01- सिमरिया टांका से चैत	20	57,984.97	11,59,699
	15	एम पी 14604	टी01- मुरार बेहट सड़क से फुसावली	12	28,026.80	3,36,322
			टी02- एन.एच.92 से बहादुरपुर	12	21,311.68	2,55,740
सागर-1	16	एम पी 33604	एम.एल.08- एस.एच.14 से भिलोन	9.83	56,510.12	5,55,494
टीकमगढ़	17	एम पी 42603	टी02- कलोथरा से टेहरका सड़क टी03- पृथ्वीपुर निवारी से बसवान नाका	10	39,175.57	3,91,756
	18	एम पी 42604	टी01- गुड़ा नाज पाली से गुना टी01 काकावानी से जीरोन (रोंगटाघाट सड़क तक)	11	46,712.29	5,13,835
महायोग					**9,23,526.435**	**1,17,49,940**

परिशिष्ट-2.1.15

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.6, पृष्ठ संख्या 46)

गतिरोधक के निर्माण, सावधानी संकेतक बोर्ड और प्रतीक चिन्ह को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या.	डी.पी.आर. में प्रस्तावित गतिरोधक की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये गतिरोधक की संख्या	अन्तर		डी.पी.आर. में प्रस्तावित सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	अन्तर	
				(-)	(+)			(-)	(+)
अशोकनगर-02	एम पी 47601	05	01	04	0	15	18	0	03
	एम पी 47602	04	04	0	0	34	09	25	0
	एम पी 47602	03	03	0	0	18	18	0	0
बैतूल-02	एम पी 03606	25	10	15	0	128	67	61	0
	एम पी 03607	13	11	02	0	101	84	17	0
	एम पी 03609	20	05	15	0	164	118	46	0
	एम पी 03610	07	0	07	0	72	34	38	0
बुरहानपुर	एम पी 48602	6	2	04	0	58	35	23	0
	एम पी 48603	2	2	0	0	39	19	20	0
	एम पी 48605	2	0	02	0	58	38	20	0
छिंदवाड़ा-01	एम पी 07601	26	26	0	0	146	140	06	0
	एम पी 07602	17	25	0	08	70	115	0	45
	एम पी 07606	18	18	0	0	76	76	0	0
	एम पी 07607	30	25	05	0	172	83	89	0

पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या.	डी.पी.आर. में प्रस्तावित गतिरोधक की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये गतिरोधक की संख्या	अन्तर		डी.पी.आर. में प्रस्तावित सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	अन्तर	
				(-)	(+)			(-)	(+)
धार-03	एम पी 11604	14	12	02	0	140	165	0	25
	एम पी 11605	20	0	20	0	206	131	75	0
	एम पी 11606	12	09	03	0	94	51	43	0
	एम पी 11607	08	0	08	0	252	67	185	0
ग्वालियर	एम पी 14601	05	02	03	0	22	07	15	0
	एम पी 14601	03	03	0	0	22	10	12	0
	एम पी 14601	06	01	05	0	38	29	09	0
	एम पी 14602	12	05	07	0	38	17	21	0
	एम पी 14602	04	02	02	0	22	09	13	0
	एम पी 14602	03	02	01	0	18	13	05	0
	एम पी 14603	05	05	0	0	30	13	17	0
	एम पी 14603	06	06	0	0	48	28	20	0
	एम पी 14604	05	01	04	0	22	13	09	0
	एम पी 14604	03	01	02	0	28	16	12	0
	एम पी 14605	04	04	0	0	20	20	0	0
रीवा-01	एम पी 32601	16	02	14	0	38	38	0	0
	एम पी 32605	10	08	02	0	70	70	0	0
	एम पी 32606	12	12	0	0	48	31	17	0

पी.आई.यू. का नाम	पैकेज संख्या.	डी.पी.आर. में प्रस्तावित गतिरोधक की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये गतिरोधक की संख्या	अन्तर		डी.पी.आर. में प्रस्तावित सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	वास्तव में निर्माण किये गये सावधानी संकेतक बोर्ड की संख्या	अन्तर	
				(-)	(+)			(-)	(+)
सागर-01	एम पी 33138	03	05	0	02	29	20	09	0
	एम पी 33136	01	01	0	0	0	07	0	07
	एम पी 33610	12	10	02	0	110	112	0	02
	एम पी 33602	16	17	0	01	68	76	0	08
	एम पी 33604	15	05	10	0	47	38	09	0
टीकमगढ़	एम पी 04270	33	08	25	0	178	151	27	0
	एम पी 42601	13	14	0	01	103	100	03	0
	एम पी 42603	09	0	09	0	78	56	22	0
	एम पी 42604	7	03	04	0	63	33	30	0
उज्जैन-02	एम पी 43601	14	03	11	0	98	82	16	0
	एम पी 43602	24	18	06	0	185	187	0	02
	एम पी 43603	34	16	18	0	182	161	21	0
योग		**507**	**307**	**212** (42%)	**12**	**3,448**	**2,605**	**935** (27%)	**92**

परिशिष्ट-2.1.16

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.6, पृष्ठ संख्या 46)

विद्युत कार्य हेतु विलंबित निविदा आमंत्रण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	कार्य आदेश/ निर्माण कार्य का दिनांक	कार्य समाप्ति दिनांक	एन.आई.टी. क्र./ विद्युत कार्य का दिनांक	कार्य आदेश/ कार्य का दिनांक	विद्युत कार्य का पैकेज क्र.	विलंब (माह में)
अशोकनगर-02	1	47603	79/18.01.18	कार्य प्रगति पर है	44/30.10.19	1488/18.12.19	एम पी 47 ई एल 08	22
बैतूल-02	2	03609	975/07.06.18	29.02.20	43/19.07.19	1760/24.10.19	एम पी 03 ई एल पी 2- 03	13
छिंदवाड़ा	3	07601	29/06.01.18	31.12.19	41/28.09.18	1640/29.12.18	एम पी 07 ई एल पी 2-01	10
	4	07601	29/06.01.18	31.12.19	41/28.09.18	1638/29.12.18	एम पी 07 ई एल पी 2-03	10
	5	07602	27/06.01.18	30.06.19	41/28.09.18	1642/29.12.18	एम पी 07 ई एल पी 2-02	10
	6	07606	19/08.01.18	21.07.19	41/28.09.18	1636/29.12.18	एम पी 07 ई एल पी 2-04	10
	7	07607	21/08.01.18	20.07.19	41/28.09.18	1634/29.12.18	एम पी 07 ई एल पी 2-05	10
धार-3	8	11604	950/30.05.18	07.02.20	44/30.10.19	2267/31.12.19	एम पी 11 ई एल पी 2-03	17
ग्वालियर	9	14604	127/19.01.18	14.01.19	49/22.01.21	378/15.03.21	एम पी 14 ई एल पी 2-003	32
रीवा	10	32606	2343/08.01.18	31.07.20	43/19.07.19	1917/07.02.20	एम पी 32 ई एल पी 2-01	17

परिशिष्ट-2.1.17

(संदर्भः कंडिका 2.1.11, पृष्ठ संख्या 48)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
अशोकनगर-02	1	एम पी 47601	नवानी से कुरवासा	हाँ, एक तरफ	आंशिक	नहीं	शोल्डर के अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त पाये गये।
	2	एम पी 47602	मदउखेड़ी से बरखाना	हाँ, एक तरफ	नहीं	नहीं	चैनेज 4100 मी. पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर पर खुदाई की गई एवं सड़क के अंतिम हिस्से पर गांव वालों द्वारा शोल्डर पर अधिकरण किया गया।
	3	एम पी 47602	सुरेल से पाठखेड़ा	हाँ, एक तरफ	आंशिक	आंशिक, चैनेज 2230-2402 पर साइड नाली का निर्माण किया गया।	सड़क के अधिकांश भाग में शोल्ड्र्स क्षतिग्रस्त पाये गये।
	4	एम पी 47603	पिपरई से सहरई	हाँ	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	5	एम पी 47709	पिपरई बरखेड़ा काची सड़क पिपरई से मालावानी	हाँ	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है
	6	एम पी 47बी आर 101	सुरेल से पाठखेड़ा सड़क पर ब्रिज	हाँ, एक तरफ	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.
	7	एम पी 47701	अशोकनगर-विदिशा सड़क बेलई से केशोपुर	हाँ, एक तरफ	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है
	8	एम पी 47 बी आर 102	पिपरई से सहरई पर ब्रिज	हाँ, एक तरफ	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.
बैतूल-02	9	एम पी 03606	लेडोगांडी- डेब सिलाडोही सिमरिया पांड़री एन.एच.47	हाँ, एक तरफ	हाँ	डी.पी.आर. में कोई प्रावधान नहीं किया गया	नहीं
	10	एम पी 03607	सवालमेंधा से गदाझिरी बोथी खैरवाड़ा से काकुड़ जोड़	हाँ	हाँ	डी.पी.आर. में कोई प्रावधान नहीं किया गया	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	11	एम पी 03608	आठनेर घोघरा जोड़ मेंड़ा छिंदवाड़ा से बोथ सड़क	हाँ, एक तरफ	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है	लागू नहीं, कार्य प्रगति पर है
	12	एम पी 03609	आमला-तिमाउखारपाड़ाखेड़ी से बेहमी बोरदेही सड़क	हाँ, एक तरफ	हाँ	डी.पी.आर. में कोई प्रावधान नहीं किया गया	नहीं
	13	एम पी 03610	घाट अमरावती बघोड़ा देवगांव देवभिलई से नारखेड़	हाँ	हाँ	डी.पी.आर. में कोई प्रावधान नहीं किया गया	नहीं
बुरहानपुर	14	एम पी 48602	टी01- बुरहानपुर-धारनी सड़क से जैनबाद- सरोला	हाँ, एक तरफ	आंशिक	नहीं	चैनेज 6000 मी. पर शोल्ड़र का संघनन अच्छी तरह से नहीं किया गया।
	15	एम पी 48603	टी02 दरियापुर जसोंड़ी सड़क से फोपनारकलां	हाँ, एक तरफ	आंशिक	नहीं	नहीं
	16	एम पी 48605	एम.आर.एल.01-मैथा से तुरकगुराडा सड़क	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं	चैनेज 4000 मी. पर शोल्ड़र का संघनन अच्छी तरह से नहीं किया गया।

पी.आई.यू. का नाम	**स. क्र.**	**पैकेज संख्या**	**सड़क का नाम**	**सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है**	**क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं**	**क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है**	**चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	17	एम पी 48 बी 20	हसीनाबाद से कलापत सड़क की चैनेज 1400 मी पर कलापत नदी पर एल.एस.बी. ब्रिज	हाँ	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.
छिंदवाडा-01	18	एम पी 07601	टी22- रामाकोना से गोनी वाया घड़ेला महाजन, भिमलगोंड़ी, कुंड़ा राइतवारी	नहीं	हाँ	आंशिक	नहीं
	19	एम पी 07601	टी22- पिपला नारायणवार गंगतवारा बानाबकोड़ा से छतरपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
	20	एम पी 07602	टी22- लावाघोघरी से अम्बाड़ा वाया धनौरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	21	एम पी 07606	टी21- एन.एच.547 से सलइया वाया सांख	हाँ	हाँ	आंशिक	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	22	एम पी 07607	टी21- चांद से लिंगा वाया पारसगांव-उभेगांव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
धार-03	23	एम पी 11604	बदनावर ड़ेलची से राजोड़	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं	चैनेज 15700-15800 पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्ड़र्स पर खुदाई की गई।
	24	एम पी 11605	अमझेरा से भोपावर रिंगनोड़ सड़क	हाँ, एक तरफ	हाँ	आंशिक	चैनेज 17900 मी. पर सड़क एवं शोल्डर टूटे पाये गये।
	25	एम पी 11606	राजगढ़ से टिमाइची झाकनवाड़ा फाटा	हाँ, एक तरफ	हाँ	आंशिक	नहीं
	26	एम पी 11607	चिकली फाटा हरनचापाड़ा से गंधवानी सिंघाना	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं	नहीं
	27	एम पी 11703	बदनावर ड़ेलची से राजोड	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं,हालाकि डी.पी.आर. में साइड नाली का प्रावधान किया गया था परन्तु भूमि की	चैनेज 13900 मी. पर शोल्डर टूटे पाये गये।

पी.आई.यू. का नाम	**स. क्र.**	**पैकेज संख्या**	**सड़क का नाम**	**सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है**	**क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं**	**क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है**	**चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
						अनुपलब्धता एवं गांव के लोगों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण नाली का निर्माण नहीं किया गया	
	28	एम पी 11705	जे.टी. सड़क से बेकालया-खेड़ी-मोहनपुरा- धनतायब फाटा	हाँ	हाँ	नहीं	चैनेज 7450-7470 पर दोनो तरफ घर होने के कारण शोल्डर का निर्माण नहीं किया गया।
	29	एम पी 11717	एन.एच.59 से गोलपुरा गड़वाड़ा फाटा	हाँ	हाँ	नहीं	सडक की दूरी 458 से 657 मी. पर शोल्डर का संघनन अच्छी तरह से नहीं किया गया।
ग्वालियर	30	एम पी 14601	भितरवार करेरा सड़क से मोहनगढ़ (खेड़ा भितरवार तक)	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं	चैनेज 2500-2900 पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर्स पर पानी की पाइपलाइन के लिये खुदाई की गई।

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	31	एम पी 14603	बरौना नूराबाद से सुसेरा (चकराइपुर)	हाँ	आंशिक	आंशिक, चैनेज 0-137 पर नाली का निर्माण किया गया।	नहीं
	32	एम पी 14604	मुरार बेहट से फुसावली	हाँ, एक तरफ	आंशिक	आंशिक, दाईं ओर नाली का निर्माण किया गया।	चैनेज 0-400 मी. पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर्स पर खुदाई की गई।
	33	एम पी 14604	एन.एच.92 से बहादरपुर	हाँ, एक तरफ	आंशिक	आंशिक, चैनेज 5900-6100 पर नाली का निर्माण किया गया।	चैनेज 1800 एवं 3000 पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर्स पर पानी की पाइपलाइन के लिये खुदाई की गई।
रीवा-01	34	एम पी 32601	हरदी से कुथिलिया सड़क	हाँ, एक तरफ	नहीं	नहीं	नहीं
	35	एम पी 32605	मनगवां से रामपुरवा	हाँ, एक तरफ	आंशिक	नहीं	चैनेज 6500, 13000 मी. पर शोल्डर्स का संघनन अच्छी तरह से नहीं किया गया एवं चैनेज 7080, 1440, 7000 पर शोल्डर्स का स्तर बी.टी. परत से नीचे पाया गया।

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	36	एम पी 32606	चन्द्रापुर से घटेहा-सुती सड़क	हाँ, एक तरफ	आंशिक	नहीं	नहीं
	37	एम पी 32609	सिरमौर से गोंड़ाहा (पार्ट) अजगरहा वाया डोल मघीयार	हाँ	आंशिक	नहीं	चैनेज 0-400 पर बी.टी की चौड़ाई 5.50 मी. एवं पेव्ड शोल्डर्स की चौड़ाई 1.75 मी. दोनो तरफ कुल 9.00 मी.। भौतिक सत्यापन के समय चैनेज 21200, 23200,23300,25000, 25500 मी. पर शोल्डर का संघनन अच्छी तरह से नहीं किया गया एवं क्षतिग्रस्त पाये गये।
सागर-01	38	एम पी 33138	एल90- टी04 से बारड़ोरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	39	एम पी 33138	एल91- टी08 से बरखेड़ी टान्ड़ा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	40	एम पी 33136	धानसारा एरन सड़क से पहलेसपुर	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	41	एम पी	एम.आर.एल.04-	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
		33610	एन.एच. 26 से मोठी				
	42	एम पी 33604	एम.एल.08- एस.एच.14 से भिलोन	हाँ	हाँ	नहीं	चैनेज 6567 की 03 पंक्तियों पर एच पी सी शोल्डर क्षतिग्रस्त पाया गया।
टीकमगढ़	43	एम पी 4270	एल108- माजन पलेरा सड़क से दादगई खास	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	44	एम पी 4270	एल109- खार्गपुर जतारा सड़क से पिपरा	हाँ	हाँ	नहीं	कई जगहों पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर पर खुदाई की गई।
	45	एम पी 4270	एल110- टीकमगढ़ छतरपुर सड़क से बुदौरा	हाँ	हाँ	नहीं	कई जगहों पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर पर खुदाई की गई।
	46	एम पी 4270	एल029- बैरवार- ड़ीगौड़ा से कुंवरपुरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	47	एम पी 4270	एल 099- मोहनगड़ खास से मोहनगड़ भाटा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	48	एम पी 4270	एल 100- गौर मोहनगढ़ सड़क से पंचामपुरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	49	एम पी 4270	एल088- मउ झांसी सड़क से घुघसी खास	हाँ, एक तरफ	न्हीं	नहीं	नहीं
	50	एम पी 4270	एल089-मउ झांसी सड़क से नेगुंआ	हाँ, एक तरफ	न्हीं	आंशिक	कई जगहों पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर पर खुदाई की गई।
	51	एम पी 4270	एल090- घुघुआ सेंदरी सड़क से मोहनपुरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	52	एम पी 4270	एल 082- पृथ्वीपुर टेहरका सड़क से गैलवारा	हाँ, एक तरफ	नहीं	नहीं	नहीं
	53	एम पी 4270	एल083- टीकमगढ़ झांसी सड़क से चिरपुरा	हाँ , एक तरफ	नहीं	आंशिक	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	54	एम पी 4270	एल.084- मदिया काकावानी सड़क से बारह बुजुर्ग	हाँ, एक तरफ	नहीं	नहीं	चैनेज 363 से 540 तक पर पी.एच.ई. विभाग द्वारा शोल्डर्स पर खुदाई की गई।
	55	एम पी 4270	एल085- मदिया काकावानी से सैदपुरा	हाँ, एक तरफ	नहीं	नहीं	नहीं
	56	एम पी 4270	एल086- ज्यौरा मोरा अस्तारी सड़क से चोमो खास	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	57	एम पी 4270	एल087- पृथ्वीपुर घुमटाघाट सड़क से तातरपुरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	58	एम पी 4270	एल103- टीकमगढ बानपुरा सड़क से मानिकपुरा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	59	एम पी 42601	टी01- टीकमगढ़ छतरपुर सड़क से इमलाना	हाँ, एक तरफ	हाँ	नहीं	नहीं

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
	60	एम पी 42601	टी04- खारगापुर कुड़िला से पाचर	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
	61	एम पी 42603	टी02- कलोथरा से टेहेरका सड़क	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	62	एम पी 42603	टी03- पृथ्वीपुर निवारी से बासवान नाका	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	63	एम पी 42604	टी01- गुड़ा नाज पाली से गुना	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	64	एम पी 42604	टी01-काकावानी से जीरौन (रोंगटाघाट तक)	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
उज्जैन-02	65	एम पी 43601	सोदांग से पिपलियाहामा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं, चैनेज 7100 एवं 11600 पर किसी शोल्डर्स का निर्माण नहीं किया गया।
	66	एम पी 43602	झारदा कुंड़ीखेड़ा सड़क से खेड़ा खजुरिया	हाँ	आंशिक	नहीं	नहीं, चैनेज-120 पर कैरिएज वे की चौड़ाई 5.50 पाई गई, चैनेज-

पी.आई.यू. का नाम	स. क्र.	पैकेज संख्या	सड़क का नाम	सड़क के दोनों तरफ सिटीजन चार्टर बोर्ड स्थापित किया गया है	क्या विद्यालय, बाजार, बस स्टॉप, नदी और अस्पतालों आदि स्थानों पर सड़क सावधानी, सूचनात्मक, अनिवार्य संकेतक स्थापित किये गये हैं	क्या सी.सी. सड़क के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया गया है	चैनेज जहां शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8
							3100 पर शोल्डर्स की चौड़ाई कम पाई गई
	67	एम पी 43603	तराना लिम्बाड़िट- मकदोन- कड़ोड़िया से दुपाड़ा सड़क	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
	68	एम पी 43 बी आर 101	झारदा कुंड़ीखेड़ा सड़क से खेड़ा खजुरिया पर ब्रिज	हाँ	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.	लागू नहीं, एल.एस.बी.
सार				**हाँ-66 नहीं-02 एक तरफ-30 दोनों तरफ 36**	**हाँ-41 नहीं-08 आंशिक-11 लागू नहीं- 04 एल.एस.बी. लागू नहीं- 04 सड़क कार्य प्रगति पर है**	**हाँ-02 नहीं- 44 आंशिक- 10 डी.पी.आर. में प्रावधान नहीं-04 लागू नहीं-08**	**नहीं-41 19 सड़कों पर विभिन्न चैनेजों पर शोल्डर क्षतिग्रस्त पाये गये लागू नहीं- 04 एल.एस.बी. लागू नहीं- 04 सड़क कार्य प्रगति पर है**

नोटः चार कार्य प्रगति पर है एवं चार कार्य एल.एस.बी. से संबंधित है।

परिशिष्ट- 2.1.18

(संदर्भ: कंडिका 2.1.12.3, पृष्ठ संख्या 56)

राज्य शासन द्वारा विलंब से राज्य/केन्द्रीय अंश जारी करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार का अंश	मध्यप्रदेश शासन का मिलान अंश	निधि जो जारी की जानी है	भारत सरकार द्वारा जारी करने की दिनांक	मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी करने की दिनांक	राशि जो जारी की गई	जारी करने में विलंब (दिवसों में)
2018-19	193.55	129.03	322.58	27.02.19	19.03.19	322.58	17
	13.12	8.75	21.87	27.02.19	20.03.19	21.87	18
2019-20	9.45	6.30	15.75	02.12.19	24.12.19	15.75	19
	406.92	271.28	678.20	23.05.19	29.05.19	423.38	03
					06.08.19	108.30	72
					24.08.19	95.00	90
					07.09.19	51.52	104
	335.98	345.01	680.99	23.09.19	05.10.19	680.99	9
	180.27	120.18	300.45	21.02.20	01.06.20	100.00	98
		0	0		15.06.20	95.00	112
		0	0		02.07.20	5.45	129
		0	0		06.06.20	100	103
2020-21	293.75	225.84	519.59	25.01.21	23.02.21	285.00	14
					10.03.21	122.29	29
					26.03.21	112.30	45
योग	**1,433.04**	**1,106.39**	**2,539.43**			**2,539.43**	

परिशिष्ट-2.1.19 (अ)

(संदर्भ: कंडिका 2.1.12.5, पृष्ठ संख्या 58)

विविध जमा शेष को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	0		2000-01 से 2017-18		2018-19 से 2020-21		योग	
		शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या
1	अशोकनगर	(-) 1,54,20,374	1	6,93,34,647	80	52,63,100	12	5,91,77,373	93
2	बैतूल	2,14,527	1	9,37,44,891	140	3,17,62,491	31	12,57,21,909	172
3	बुरहानपुर	400	1	2,15,06,581	40	1,10,95,987	17	3,26,02,968	58
4	छिंदवाड़ा	0	0	6,17,63,024	116	2,63,42,926	17	8,81,05,950	133
5	धार	(-) 36,51,456	1	3,91,97,719	112	3,80,82,026	34	7,36,28,289	147
6	ग्वालियर	1,12,72,870	1	3,65,88,862	71	48,39,149	15	5,27,00,881	87
7	रीवा	(-) 38,68,715	1	6,39,24,619	134	2,26,71,538	22	8,27,27,442	157
8	सागर	57,83,956	1	13,50,39,093	172	3,34,18,909	23	17,42,41,958	196
9	टीकमगढ़	0	0	4,44,85,411	59	0	0	4,44,85,411	59
10	उज्जैन	1,36,51,859	1	6,80,53,559	142	2,50,75,154	21	10,67,80,572	164
	उप योग अ)	**79,83,067**	**8**	**63,36,38,406**	**1,066**	**19,85,51,280**	**192**	**84,01,72,753**	**1,266**
1	आगर	0	0	2,09,92,750	53	45,19,242	11	2,55,11,992	64
2	अलीराजपुर	12,39,046	1	3,31,01,560	62	1,06,69,677	20	4,50,10,283	83

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	O		2000-01 से 2017-18		2018-19 से 2020-21		योग	
		शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या
3	अनूपपुर	(-) 21,88,347	1	1,75,97,520	43	46,82,522	8	2,00,91,695	52
4	बालाघाट	(-)5,39,327	1	3,18,76,682	79	2,06,38,778	22	5,19,76,133	102
5	बालाघाट-2	1,09,026	1	1,78,58,662	67	53,69,044	23	2,33,36,732	91
6	बड़वानी	64,05,762	1	9,43,43,711	125	2,08,70,649	18	12,16,20,122	144
7	भिंड	1,00,50,762	1	8,47,67,947	86	2,53,49,602	13	12,01,68,311	100
8	भोपाल	(-) 61,36,149	1	1,23,42,948	39	65,81,937	5	1,27,88,736	45
9	छतरपुर	(-) 72,00,902	1	10,14,42,365	102	34,70,522	3	9,77,11,985	106
10	दमोह	(-) 16,17,046	1	1,74,92,802	38	30,24,745	11	1,89,00,501	50
11	दतिया	5,11,357	1	2,80,14,414	77	20,87,181	6	3,06,12,952	84
12	देवास	27,40,497	1	68,12,75,02	124	2,44,83,638	19	9,53,51,637	144
13	डिंडोरी	(-) 147,88,632	1	3,52,28,796	38	2,63,96,852	17	4,68,37,016	56
14	गुना	16,65,905	1	2,47,11,416	48	56,60,000	12	3,20,37,321	61
15	हरदा	(-) 146,74,309	1	3,11,45,469	23	25,55,397	7	1,90,26,557	31
16	होशंगाबाद	(-) 67,35,556	1	3,53,76,862	65	1,94,77,837	19	4,81,19,143	85
17	इंदौर	3,08,249	1	2,32,34,078	36	1,58,86,239	19	3,94,28,566	56
18	जबलपुर	(-)4,93,562	1	85,66,240	30	90,99,342	9	1,71,72,020	40

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	O		2000-01 से 2017-18		2018-19 से 2020-21		योग	
		शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या
19	झाबुआ	(-)3,13,132	1	4,45,78,487	73	3,51,72,907	30	7,94,38,262	104
20	कटनी	35,67,127	1	3,03,27,890	84	2,27,93,522	29	5,66,88,540	114
21	खण्डवा	14,99,418	1	3,66,37,822	145	2,53,62,877	18	6,35,00,117	164
22	खरगौन	0	0	4,79,62,103	113	2,45,05,267	29	7,24,67,370	142
23	कुक्षी	21,57,094	1	37,41,109	9	1,72,26,278	17	2,31,24,481	27
24	महेश्वर	1,90,000	1	1,37,34,596	62	26,81,3827	11	40,73,84,23	74
25	मण्डला	(-) 21,97,553	1	1,80,31,334	29	48,60,028	13	2,06,93,809	43
26	मंदसौर	4,20,450	1	1,23,27,431	19	2,93,76,419	20	4,21,24,300	40
27	मुरैना	2,94,053	1	3,39,52,351	72	2,15,36,488	12	5,57,82,892	85
28	नरसिंहपुर	31,56,481	1	4,50,99,145	85	2,26,96,753	14	7,09,52,379	100
29	नीमच	(-) 66,31,612	1	1,07,69,100	30	31,12,628	4	72,50,116	35
30	पन्ना	3,01,53,136	1	10,47,97,113	129	1,21,12,089	16	14,70,62,338	146
31	रायसेन	(-) 19,18,120	1	4,27,40,465	134	1,74,65,993	26	5,82,88,338	161
32	राजगढ़	(-)4,84,365	1	4,29,35,973	82	68,06,516	8	4,92,58,124	91
33	रतलाम	0	0	32,12,9762	92	6,07,85,902	26	9,29,15,664	118
34	सतना	(-) 2,08,31,261	1	3,94,24,783	119	77,06,399	22	2,62,99,921	142
35	सीहोर	2,97,330	1	5,68,40,691	58	1,55,45,379	8	7,26,83,400	67
36	सिवनी	54,208	1	14,31,96,920	190	2,70,59,792	34	17,03,10,920	225
37	शहडोल	1,63,71,045	1	8,07,67,127	100	1,99,55,011	25	11,70,93,183	126

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	O		2000-01 से 2017-18		2018-19 से 2020-21		योग	
		शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या	शेष	प्रकरणों की संख्या
38	शाजापुर	1,24,21,446	1	6,85,38,974	126	5,19,36,977	38	13,28,97,397	165
39	श्योपुर	3,25,833	1	8,07,86,422	55	3,82,01,392	20	11,93,13,647	76
40	शिवपुरी	(-) 2,03,24,537	1	6,30,67,094	132	6,37,00,350	38	1,06,44,2907	171
41	सीधी	31,36,075	1	2,85,93,990	151	1,58,62,923	20	4,75,92,988	172
42	सिंगरौली	1,98,62,017	1	2,21,05,344	100	2,96,88,637	18	7,16,55,998	119
43	उमरिया	59,81,794	1	1,91,98,656	40	39,80,248	9	2,91,60,698	50
44	विदिशा	14,50,533	1	1,89,76,628	53	78,52,419	17	2,82,79,580	71
	उप योग (ब)	**1,72,94,234**	**41**	**1,82,74,83,034**	**3,417**	**82,29,40,225**	**764**	**2,66,77,17,493**	**4,222**
	महायोग (अ+ब)	**2,52,77,301**	**49**	**2,46,11,21,440**	**4,483**	**1,02,14,91,505**	**956**	**3,50,78,90,247**	**5,488**

परिशिष्ट-2.1.19 (ब) (i)

(संदर्भ: कंड़िका क्रमांक 2.1.12.5, पृष्ठ संख्या 58)

विविध जमा के ठेकेदारो के शीर्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
1	अशोकनगर	संजय धरमदास हसानंदानी (आई.डी.: 7502)	2009-10	01/2009-10	(-)9,21,880
2	अशोकनगर	नरेन्द्र सिंह चौहान (आई.डी.: 9954)	2007-08	03/07-08	(-)2,00,806
3	अशोकनगर	नरेन्द्र सिंह चौहान (आई.डी.: 9950)	2007-08	02/2007-08	(-)2,95,239
4	बैतूल	विनोद कुमार साहू (आई.डी.: 18781)	2013-14	131/पी.आई.यू/बी.टी.एल/2013	(-)79,903
5	बैतूल	कमल नयन अग्रवाल (आई.डी.: 30885)	2018-19	13/2018-19/पी.आई.यू.-2/एम पी 03 बी आर 101	(-)1,77,900
6	बुरहानपुर	उपेन्द्र सिंह कीर (आई.डी.: 21388)	2006-07	02-बी/2006-07	(-)7,35,290
7	बुरहानपुर	योगेश विश्वनाथ महाजन (आई. डी.: 4203)	2018-19	04/2018-19-)एम पी 48606	(-)17,7051
8	छिंदवाड़ा	सुरेश कुमार अग्रवाल (आई. डी.: 18759)	2010-11	05/ए.डी.बी.-5/2010-11/पी.आई.यू.-5/7146	(-)2,97,448
9	छिंदवाड़ा	सोनबा गुलाबराव मुसाले (आई. डी.: 13930)	2013-14	3/आर.आर.डी.ए.-1/2013-14/7504	(-)7,02,542
10	छिंदवाड़ा	दीपक बिन्दल (आई.डी.: 12239)	2013-14	20/ एम.पी.आर.आर.डी.ए./ पी.आई.यू.-4/7219	(-)61,605
11	छिंदवाड़ा	ओमप्रकाश कालिया (आई.डी.: 14610)	2009-10	1।/ आर.आर.डी.ए./09-10	(-)50,000
12	छिंदवाड़ा	गणपत पटेल मैकिरकी (आई.डी.: 9237)	2007-08	8/ आर.आर.डी.ए./07-08	(-)6,25,931
13	छिंदवाड़ा	सोनबा गुलाबराव मुसाले (आई.डी.: 13930)	2013-14	07/ आर.आर.डी.ए./13-14/7172	(-)5,000
14	छिंदवाड़ा	निलय जैन (आई.डी.: 9641)	2008-09	14/जी..एम./2008-09/4243	(-)33,778

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
15	छिंदवाड़ा	गजानन मोहोद (आई.डी.: 26605)	2016-17	03/2016-17/एम.पी.आर.आर.डी.ए.1/7233	(-)270
16	छिंदवाड़ा	सुरेश कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 18759)	2010-11	06/2010-11/एम.पी.आर.आर.डी.ए.-5/7149	(-)8,20,473
17	छिंदवाड़ा	ओमप्रकाश कालिया (आई.डी.: 14610)	2010-11	13/ए.ड़ी.बी.-वी./2010-11/7151/एम.पी.आर.आर.डी.ए.-5	(-)5,82,960
18	छिंदवाड़ा	समीम अहमद (आई.डी.: 28676)	2019-20	01/2019-20/एम.पी.आर.आर.डी.ए.1/बी11	(-)52
19	धार	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	10/जी.एम. / पी.आई.यू./धार-3/धार/18-19 पी.एम.जी.डी.एस.वाय.-II (एम पी 11607)	(-)32,51,241
20	धार	रमेश चन्द्र रघुवंशी (आई.डी.: 9376)	2018-19	18/जी.एम./पी.आई.यू.-1/धार/2018-19/पी.एम.जी.एस.वाय.-II(एम पी 11609)	(-)12,73,735
21	धार	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	09/जी.एम./पी.आई.यू.-3/धार/18-19/पी.एम.जी.एस.वाय.-II(एम पी 11605)	(-)3,23,691
22	धार	देवी लाल चौधरी (आई.डी.: 7489)	2009-10	11/जी एम /पी.आई.यू./डी-1/09-10 (एम पी 11138)	(-)2,944
23	ग्वालियर	रामबरन सिंह कुशवाह (आई.डी.: 8299)	2020-21	208 (एम पी 14 बी आर 102)	(-)2,01,566
24	ग्वालियर	रविन्द्र सिंह तोमर (आई.डी.: 9433)	2018-19	158 एम पी - 1459)	(-)16,83,355
25	ग्वालियर	ओमप्रकाश शर्मा (आई.डी.: 6650)	2009-10	77	(-)2,51,000
26	ग्वालियर	सिंह एण्ड सिंहं(आई.डी.: 9965)	2009-10	67	(-)6,21,194
27	ग्वालियर	बुद्धपाल सिंह जादौन (आई.डी.: 9096)	2009-10	60	(-)10,54,388

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
28	ग्वालियर	एस के एस चौहान (आई.डी.: 8816)	2004-05	ग्वालियर/37/2004-05	(-)2,33,982
29	ग्वालियर	दिनेश गुप्ता (आई.डी.: 8914)	2008-09	75	(-)13,06,828
30	ग्वालियर	रविकान्त बंसल (आई.डी.: 16631)	2008-09	68	(-)18,64,714
31	ग्वालियर	ओम प्रकाश शर्मा (आई.डी.: 6650)	2016-17	165 (एम पी 14 बी 03)	(-)3,79,299
32	रीवा	विनय कुमार द्विवेदी (आई.डी.: 31107)	2018-19	191/2018-19	(-)86,660
33	रीवा	गायत्री प्रसाद(आई.डी.: 7673)	2011-12	11	(-)1,06,729
34	रीवा	कृष्णकान्त सोहगवरा (आई.डी.: 5332)	2016-17	132/2016-17	(-)2,81,156
35	रीवा	अरूण कुमार तिवारी (आई.डी.: 26611)	2016-17	117/2016-17	(-)2,50,248
36	रीवा	सुरेन्द्र प्रताप सिंह(आई.डी.: 7889)	2009-10	109	(-)13,638
37	रीवा	रामनाथ शुक्ला (आई.डी.: 9939)	2012-13	4	(-)5,90,964
38	रीवा	विजय कुमार मिश्रा (आई.डी.: 21523)	2009-10	93	(-)6,95,450
39	रीवा	राधा कृष्ण सिंह (आई.डी.: 8817)	2009-10	96	(-)28,527
40	रीवा	गायत्री प्रसाद तिवारी (आई.डी.: 7674)	2016-17	115/2016-17 (32156)	(-)7,00,000
41	रीवा	कृष्णकान्त सोहगवरा (आई.डी.: 5332)	2014-15	45	(-)1,76,954
42	रीवा	देवेन्द्र सिंह (आई.डी.: 7282)	2008-09	92	(-)3,06,103
43	रीवा	राम दास गुप्ता (आई.डी.: 9335)	2016-17	130/2016-17	(-)1,26,623
44	रीवा	पुष्पेन्द्र तिवारी (आई.डी.: 26739)	2016-17	116/2016-17	(-)38,95,305
45	रीवा	अरूण कुमार पटेल (आई.डी.: 6991)	2008-09	16	(-)57,791
46	रीवा	फनीन्द्र मणि मिश्रा (आई.डी.: 9787)	2017-18	170/2017-18	(-)1,64,350
47	सागर	बलराज साहनी (आई.डी.: 14245)	2007-08	1	(-)1,15,056
48	सागर	एम.के यादव (आई.डी.: 10490)	2007-08	65	(-)10,64,908
49	सागर	निलमाधव अर्थ मूवर्स (आई.डी.: 8798)	2014-15	103 बी 06	(-)9,00,000
50	सागर	बलराम सिंह राजपूत (आई.डी.: 22440)	2016-17	14- (3397) 2016-17	(-)11,291

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
51	सागर	जिनेन्द्र कुमार जैन (आई.डी.: 5030)	2016-17	21/2016-17(एम पी 33124)	(-)42,000
52	सागर	कमल सबलोक (आई.डी.: 9581)	2008-09	37	(-)12,97,679
53	सागर	मुकेश कुमार जैन (आई.डी.: 8536)	2017-18	207 (2017-18)एम पी 33607	(-)46,93,925
54	सागर	महेश कुमार गुरू (आई.डी.: 11204)	2012-13	33 (एम पी 3385)	(-)2,53,571
55	सागर	बलराम सिंह राजपूत (आई.डी.: 22440)	2016-17	26(2016-2017)एम पी 33127	(-)34,821
56	सागर	रूप चन्द जैन (आई.डी.: 18661)	2013-14	82 (एम पी 33502)	(-)2,02,658
57	सागर	महेश कुमार गुरू (आई.डी.: 11204)	2008-09	86	(-)6,03,179
58	सागर	अशोक कुमार जैन (आई.डी.: 28)	2008-09	91	(-)1,91,185
59	टीकमगढ़	रवि सिंह गौर (आई.डी.: 7728)	2005-06	2005-06	(-)4,58,548
60	उज्जैन	धर्मेन्द्र सिंह चौहान (आई.डी.: 27311)	2018-19	09/2018-19 (एम पी 43 बी आर 102)	(-)2,68,268
61	उज्जैन	अतिन मोहनभाई पटेल (आई.डी.: 30898)	2018-19	04/2018-19 (एम पी -43602)	(-)2,20,085
62	उज्जैन	लालजीभाई गोदादभाई चौहान (आई.डी.: 8302)	2016-17	16/2016-17 (एम पी -43144) आर ई	(-)9,61,952
63	उज्जैन	दिनेश कुमार शर्मा (आई.डी.: 3386)	2006-07	01/2006-07	(-)96,357
64	उज्जैन	लालजीभाई गोदादभाई चौधरी (आई.डी.: 8302)	2003-04	18 / 2003-04	(-)31,16,798
65	उज्जैन	संजीव कुमार (आई. डी .: 20865)	2005-06	04/2005-2006	(-)13,92,330
66	उज्जैन	वंदना पाठक (आई. डी.: 10374)	2006-07	06/2006-07	(-)55,704
				उप योग (अ)	**(-)4,16,76,878**
1	आगर	नितिन कुमार त्यागी (आई. डी.: 27287)	2018-19	10/2018-19(एम पी -51-बी आर -101)	(-)36,823
2	अलीराजुपर	एन एस यादव (आई. डी.: 14242)	2003-04	2/2003-2004	(-)40,14,526
3	अलीराजुपर	मुन्ना भाई(आई. डी.: 7474)	2008-09	06/2008-09	(-)1,00,000
4	अलीराजुपर	सुरेश कुमार गुप्ता (आई. डी.: 10139)	2018-19	11/2018-19/एम पी 4941	(-)21,349
5	अनूपपुर	ज्ञान चन्द जैन (आई. डी.: 6662)	2007-08	13	(-)3,30,104

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
6	अनूपपुर	बाल मुकुन्द खेडिया (आई. डी.: 18635)	2016-17	03 आफ 2016-17, पैकेज क्र.- एम पी -46बी 02	(-)77,541
7	बालाघाट	नेमी चन्द नाहर (आई. डी.: 8688)	2008-09	06/पी.आई.यू-आई./बी.जी.टी./2008 -2009	(-)13,58,873
8	बालाघाट	राजेन्द्र किशनलाल सनचेती (आई. डी.: 9132)	2004-05	12/ पी.आई.यू /बी बी.जी.टी. 2004-05	(-)57,335
9	बालाघाट-2	नरेश नारायण पुगालिया (आई. डी.: 8692)	2005-06	03/ पी.आई.यू / बी.जी.टी. 2005-2006	(-)46,52,536
10	बालाघाट-2	रायसिंह सखराम मचरिके (आई. डी.: 9235)	2002-03	5/ पी.आई.यू / बी.जी.टी. 2002-03	(-)1,50,000
11	बालाघाट-2	नेमी चन्द नाहर (आई. डी.: 12843)	2018-19	17/ पी.आई.यू -प्प्/ बी.जी.टी./18-19 एम पी 1232	(-)16,67,418
12	बालाघाट-2	गणपत पटेल मचिरके (आई.डी.: 9237)	2008-09	01/ पी.आई.यू / बी.जी.टी./08-09	(-)55,000
13	बालाघाट-2	नरेश नारायण पुगालिया (आई.डी.: 8692)	2006-07	6/ पी.आई.यू / बी.जी.टी./2006-07	(-)5,000
14	बालाघाट-2	गणपत पटेल मचिरके (आई.डी.: 9237)	2006-07	06/ पी.आई.यू -2/ बी.जी.टी./2006-07	(-)28,672
15	बालाघाट-2	एनएनबीपी वेंक्टेश्वर राव (आई.डी.: 18904)	2004-05	1/ पी.आई.यू / बी.जी.टी. 2004-05	(-)600
16	बालाघाट-2	रायसिंह सखराम मचिरके (आई.डी.: 9235)	2005-06	08/ पी.आई.यू / बी.जी.टी. 2005-2006	(-)3,58,250
17	बालाघाट-2	रायसिंह सखराम मचिरके (आई.डी.: 9235)	2002-03	9/ पी.आई.यू / बी.जी.टी. 2002-03	(-)7,586
18	बालाघाट-2	नरेश निलमचन्दजी पुगालिया (आई.डी.: 8703)	2009-10	03/ पी.आई.यू -प्प्/ बी.जी.टी./2009-10	(-)60,514
19	बालाघाट-2	गणपत पटेल मचिरके (आई.डी.: 9237)	2008-09	15/ पी.आई.यू -प्प्/ बी.जी.टी./2008-2090	(-)84,938
20	बड़वानी	अरविन्द भाई अमसुतला दमोदिया (आई.डी.: 6024)	2008-09	13/2008-09	(-)13,28,080
21	बड़वानी	सदानंद बाबाजी राउल (आई.डी.: 17219)	2015-16	10/ पी.एम.जी.एस.वाय.एम	(-)7,60,000

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
				.पी.0229।(बी/डब्ल्यू) एस.डी.डब्ल्यू./2015-16 एस.बी. रावूल	
22	बड़वानी	ओनकार यादव (आई.डी.: 8911)	2007-08	3/2007-08	(-)4,99,483
23	बड़वानी	राकेश पाटीदार (आई.डी.: 889)	2006-07	3/2006-07	(-)10,43,330
24	बड़वानी	विरेन्द्र प्रताप सिंह (आई.डी.: 21266)	2006-07	4/2006-07	(-)8,58,022
25	भिंड़	एम पी सिंह तोमर (आई.डी.: 8368)	2005-06	04/2005-2006	(-)8,49,351
26	भिंड़	रूद्रपाल सिंह भदोरियां (आई.डी.: 8093)	2005-06	3/2005-2006	(-)7,32,487
27	भिंड़	श्री कंशट्रक्शन कम्पनी (आई.डी.: 6667)	2006-07	05/2006-07	(-)2,52,234
28	भिंड़	रूद्रपाल सिंह भदोरिया (आई.डी.: 8093)	2008-09	02/25.04.2008	(-)6,24,000
29	भिंड़	उमेश दीक्षित (आई.डी.: 9023)	2014-15	58/14-15/ एम.पी.04504	(-)964
30	भिंड़	रूद्रपाल सिंह भदोरिया (आई.डी.: 8121)	2007-08	06/18.05.07	(-)1,80,202
31	भोपाल	बीर सिंह (आई.डी.: 10386)	2008-09	110/पी.एम.जी.एस.वाय./2008	(-)10,53,845
32	भोपाल	बी एस राव (आई.डी.: 9569)	2008-09	115/ पी.एम.जी.एस.वाय./2008	(-)25,245
33	भोपाल	मदन गोपाल अग्रवाल (आई.डी.: 6791)	2008-09	117/2008-09	(-)2,17,598
34	भोपाल	रामगोपाल गुप्ता (आई.डी.: 7439)	2008-09	109 / पी.एम.जी.एस.वाय./ 2008	(-)5,73,295
35	भोपाल	बी एस राव (आई.डी.: 9569)	2008-09	116/ पी.एम.जी.एस.वाय./2008	(-)72,174
36	भोपाल	रईस अहमद खान (आई.डी.: 15913)	2008-09	122/ पी.एम.जी.एस.वाय./2008	(-)1,08,715

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
37	भोपाल	सुखदेव लोखन्डे (आई.डी.: 10799)	2008-09	121 / पी.एम.जी.एस.वाय./ 2008	(-)6,71,453
38	भोपाल	गोविन्द राय (आई.डी.: 7736)	2008-09	108 / पी.एम.जी.एस.वाय./ 2008	(-)4,81,468
39	छतरपुर	राजेश कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 7988)	2012-13	17/जी.एम./एम पी - 0676/2012-13	(-)21,10,602
40	दमोह	मनक पटेल (आई.डी.: 10610)	2007-08	02/2007	(-)20,000
41	दमोह	शशि शंकर चौबे (आई.डी.: 18725)	2013-14	07/2013-14 (0839)	(-)16,500
42	दमोह	प्रिटम राय (आई.डी.: 11055)	2019-20	04/ पी.एम.जी.एस.वाय.-II/08-601	(-)2,15,255
43	दतिया	एस के एस चौहान (आई.डी.: 8816)	2005-06	ड़ेट/44/0951/2005-06	(-)6,66,806
44	दतिया	दुर्गा प्रसाद गुप्ता (आई.डी.: 7932)	2012-13	42/2012-2013/0930	(-)27,207
45	दतिया	अरूण अवस्थी (आई.डी.: 10096)	2010-11	16/01.04.2010/0960	(-)2,76,579
46	दतिया	ओमकार भारद्वाज (आई.डी.: 8906)	2012-13	39/18.12.12/2012-13/0926	(-)3,95,693
47	देवास	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	15/2018-19 (एम पी 10603 अंतिम)	(-)38,87,065
48	देवास	अनिल कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 18371)	2011-12	13/2011-2012(एम पी 1034) अंतिम	(-)5,78,204
49	देवास	हिम्मत सिंह ठाकुर (आई.डी.: 7848)	2018-19	13/2018-19(एम पी 10605)	(-)25,63,365
50	गुना	राजेश गुप्ता (आई.डी.: 16848)	2005-06	01/2005(एम पी - 1315)	(-)41,250
51	गुना	अनिल कुमार शिवहरे (आई.डी.: 253)	2014-15	12/2014-15(एम पी -13106) पी.एम.जी.एस.वाय.-गुना	(-)9,98,354
52	होशंगाबाद	चन्द्रभान लालचन्दानी (आई.डी.: 8203)	2004-05	20 / 2004	(-)10,13,455
53	होशंगाबाद	कमल बच्चानी (आई.डी.: 6581)	2014-15	07 / 2014	(-)54,821

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
54	इन्दौर	बी बी अग्रवाल (आई.डी.: 10244)	2005-06	03/2005-06	(-)13,500
55	जबलपुर	अतुल कुमार जैन (आई.डी.: 1974)	2013-14	21/2013-14	(-)25,000
56	झाबुआ	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	10/2018-19/ पी.एम.जी.एस.वाय.-प्प्/जे झाबुआ / पी.एम.जी.एस.वाय.19602 (2दक)	(-)23,88,110
57	झाबुआ	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	न्यू 10/2018-19/ पी.एम.जी.एस.वाय.-प्प्/ झाबुआ/ एम पी 19602	(-)61,11,890
58	झाबुआ	ईसर सिंह सिदद्धु (आई.डी.: 4668)	2008-09	4/2008-09(पी के - 1952 ए)	(-)58,949
59	झाबुआ	मुकेश पटेल (आई.डी.: 18844)	2003-04	5/2003-04(एम पी 1909)	(-)1,65,000
60	झाबुआ	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	14/18-19/ एम पी 19145	(-)66,01,083
61	झाबुआ	हितेश जानगीर (आई.डी.: 8232)	2018-19	18/18-19/एम पी 19146	(-)45,48,459
62	झाबुआ	अरविन्दभाई मधुभाई पटेल (आई.डी.: 11425)	2008-09	18/2008-09 (पी के - 19108)	(-)25,750
63	झाबुआ	केदार मल जकहेतिया (आई.डी.: 8192)	2003-04	9/2003-2004	(-)12,89,905
64	झाबुआ	ईसार सिंह सिदद्धु (आई.डी.: 4668)	2008-09	2/2008-09 (पी के - 19-49)	(-)5,993
65	कटनी	चन्द्र श्रीहरि नायडू (आई.डी.: 7582)	2008-09	05/2008	(-)1,02,670
66	कटनी	मनीश कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 10294)	2008-09	10/2008	(-)1,72,464
67	कटनी	एस एन पाण्डेय (आई.डी.: 9556)	2008-09	02/2008	(-)1,70,715
68	कटनी	बी बी अग्रवाल (आई.डी.: 10244)	2008-09	6	(-)57,944
69	कटनी	बलराज सिंह (आई.डी.: 26215)	2016-17	22/के टी ई /2016-17/एम पी -2075	(-)57,688
70	कटनी	सुदीप जैन (आई.डी.: 1833)	2007-08	02	(-)3,58,234
71	कटनी	एस एन पाण्डेय (आई.डी.: 9556)	2008-09	11/2008	(-)2,65,796

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
72	कटनी	जी राजशेखर राव (आई.डी.: 21268)	2006-07	4/2006	(-)1,50,000
73	कटनी	सुदीप जैन (आई.डी.: 1834)	2008-09	12/2008	(-)47,50,872
74	खण्ड़वा	राजेश कुमार गर्ग (आई.डी.: 8147)	2014-15	08- के/2014-15(एम पी 21बी09)	(-)97,249
75	खण्ड़वा	राजेश कुमार गर्ग (आई.ड़ी.: 8147)	2014-15	07- के/2014-15	(-)1,26,204
76	खण्ड़वा	राजेन्द्र कुमार बंसल (आई.डी.: 26139)	2015-16	26- के /2015-15(पैकेज क्र. एम पी 21 बी 025)	(-)87,388
77	खण्ड़वा	जीतेन्द्र सिंह सावनेर (आई.डी.: 18715)	2018-19	01-के /2018-19(पैकेज क्र.ण् एम पी 21119)	(-)4,99,227
78	खण्ड़वा	राजेश कुमार गर्ग (आई.डी.: 8147)	2016-17	25- के /2016-17(पैकेज क्र. एम पी 21 बी 022)	(-)98,710
79	खण्ड़वा	अशोक कुमार कोठारी (आई.डी.: 7149)	2012-13	10- के /2012-13 एम पी -21107	(-)100
80	खण्ड़वा	अनिल कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 6911)	2008-09	10	(-)48,486
81	खण्ड़वा	बी बी अग्रवाल (आई.डी.: 10244)	2003-04	15/2003-04	(-)2,39,155
82	खण्ड़वा	कैलाश जकहेतिया (आई.डी.: 8195)	2006-07	03- के /2006-07	(-)4,52,907
83	खण्ड़वा	ज्योति बिल्ड्स (आई.डी.: 22884)	2014-15	34- के /2014-15(एम पी -21ब08)	(-)9,34,811
84	खण्ड़वा	राजेश कुमार गर्ग (आई.डी.: 8147)	2014-15	10- के /2014-15(एम पी 21 बी 015)	(-)14,11,416
85	खरगौन	बी बी अग्रवाल (आई.डी.: 10244)	2005-06	03/2005-06	(-)21,38,160
86	कुक्षी	सुरेश कुमार गुप्ता (आई.डी.: 10139)	2018-19	03/2018-19	(-)29,274
87	कुक्षी	आशुतोष मेवारे (आई.डी.: 14219)	2009-10	23/ जी.एम. /एम.पी.आर.आर.ड़ी.ए. / पी.आई.यू./09	(-)27,49,989
88	मण्ड़ला	हरेन्द्र सिंह बरोका (आई.डी.: 4373)	2006-07	7/ पी.यू.पी. 2006-2007	(-)3,44,800
89	मण्ड़ला	नितिन बरसैया (आई.डी.: 7730)	2007-08	2/पी.आई.यू / मण्ड़ला /2007-2008	(-)10,00,000

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
90	मण्ड्ला	अब्दुल अजीज (आई.डी.: 429)	2013-14	19/ पी.आई.यू./2013-14	(-)3,501
91	मण्ड्ला	रमेश चन्द जैन (आई.डी.: 10377)	2016-17	06/ एम पी 2384/2016-17	(-)19,800
92	मंदसौर	रूपेश कुमार जानगीद (आई.डी.: 8241)	2016-17	60/16-17	(-)10,08,643
93	मंदसौर	भवंर लाल कुमावत (आई.डी.: 16200)	2012-13	25/2012-13	(-)6,76,375
94	मुरैना	हरेश गुप्ता (आई.डी.: 7329)	2008-09	07/2008-09	(-)1,46,439
95	मुरैना	सुरेश चन्द गुप्ता (आई.डी.: 10134)	2008-09	08/2008-09	(-)1,80,182
96	मुरैना	रामबरन सिंह कुशवाह (आई.डी.: 8299)	2018-19	04/2018-2019 (एम पी 25- बी आर 101)	(-)19,300
97	मुरैना	रविन्द्र सिंह तोमर (आई.डी.: 9433)	2016-17	02/2016-2017(2589)	(-)10,85,400
98	मुरैना	बुद्धापाल सिंह जादौन (आई.डी.: 15464)	2009-10	03/2009-10	(-)25,22,664
99	मुरैना	बिरेन्द्र सिंह तोमर (आई.डी.: 8089)	2008-09	36/2008-09	(-)6,59,024
100	मुरैना	जगदीश प्रसाद शर्मा (आई.डी.: 7958)	2004-05	6/2004-2005	(-)1,61,551
101	नरसिंहपुर	आर के राय (आई.डी.: 9145)	2007-08	05	(-)11,77,866
102	नरसिंहपुर	सचिन कुमार शास्त्री (आई.डी.: 30678)	2018-19	11/एस.ए.सी./ एम.पी.आर.आर.डी.ए. /पैकेज क्र. एम पी 26130	(-)5,00,000
103	नरसिंहपुर	अमरजीत सिंह छाबरा (आई.डी.: 12259)	2007-08	11/एम.पी.आर.आर.ड़ी.ए./07-08	(-)1,53,917
104	नरसिंहपुर	आर के राय (आई.डी.: 13061)	2002-03	7 / एम.पी.आर.आर.ड़ी.ए. / 2002-2003	(-)1,39,378
105	नीमच	जवाहर लाल ईश्वरलाल अग्रवाल (आई.ड़ी.: 6938)	2003-04	09/2003-2004	(-)12,30,900
106	नीमच	पुरन अंजना (आई.डी.: 2767)	2005-06	05/2005-2006	(-)90
107	नीमच	हितेश जानगीर (आई. डी.: 8232)	2017-18	10/20117-18 (एम पी 27601)	(-)1,66,353
108	नीमच	पुरन अंजना (आई. डी.: 2767)	2013-14	02/2013-14	(-)7,370
109	नीमच	मंगेश वी. संघई (आई. डी.: 13949)	2013-14	01/2013-14	(-)8,13,430

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
110	नीमच	रूपेश कुमार जंगीद (आई. डी.: 8241)	2017-18	10 / 2017-2018 (एम पी 27601)	(-)40,793
111	पन्ना	जगदीश कुमार गौतम (आई. डी.: 7957)	2006-07	25/2006-07 एम पी -2815	(-)14,89,631
112	पन्ना	जगदीश कुमार गौतम (आई. डी.: 7957)	2006-07	19/2006-07 एम पी-2853	(-)10,34,534
113	पन्ना	श्री पाल अग्रवाल (आई. डी.: 18213)	2012-13	08/2012-13 एम पी -2830 (बी /डब्ल्यू)	(-)21,619
114	पन्ना	सुरेश चन्द गुप्ता (आई. डी.: 20502)	2013-14	18/2013-14 एम पी -2849	(-)8,75,762
115	पन्ना	अशोक कुमार श्रीवास्तव (आई. डी.: 21050)	2006-07	20/2006-07 एम पी -2802 बी	(-)2,51,502
116	पन्ना	कैलाश सिंह (आई. डी.: 6639)	2008-09	07/2008-09 एम पी 2839	(-)2,74,930
117	पन्ना	अरूण कुमार दुबे (आई. डी.: 1141)	2004-05	05/2004-05	(-)3,37,333
118	पन्ना	अरूण कुमार दुबे (आई. डी.: 1141)	2004-05	4/2004-05 पैकेज क्र. 2806	(-)10,27,150
119	पन्ना	जी राजशेखर राव (आई. डी.: 21268)	2006-07	24/2006-07 एम पी 2813	(-)17,12,698
120	पन्ना	जी राजशेखर राव (आई. डी.: 21268)	2004-05	4/2004-05	(-)4,89,724
121	पन्ना	जगदीश प्रसाद गौतम (आई. डी.: 7957)	2005-06	13/2005-06 4001 सी	(-)1,68,948
122	पन्ना	जसबीर सिंह (आई.डी.: 4704)	2006-07	18/2006-07 एम पी-2814	(-)45,29,300
123	पन्ना	राकेश कुमार मलिक (आई.डी.: 4705)	2005-06	8/2005-06 एम पी -2851	(-)13,15,849
124	पन्ना	राकेश कुमार यादव (आई.डी.: 7200)	2003-04	13/2003-04	(-)1,20,120
125	पन्ना	राकेश कुमार यादव (आई.डी.: 7200)	2004-05	2/2004-05	(-)58,27,020
126	पन्ना	राकेश कुमार यादव (आई.डी.: 7200)	2003-04	7/2003-04	(-)9,23,428
127	पन्ना	रमेश कुमार सिवाच (आई.डी.: 9371)	2004-05	1/2004-05	(-)64,317

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
128	पन्ना	संजीव कुमार (आई.डी.: 20865)	2006-07	21/2006-07 एम पी -2854	(-)3,60,017
129	पन्ना	संतोष कुमार गुप्ता (आई.डी.: 18700)	2006-07	28/2006-07 एम पी 2802ए	(-)1,03,037
130	पन्ना	विनोद त्रिवेदी (आई.डी.: 13710)	2006-07	22/2006-07एम पी 2802	(-)33,475
131	पन्ना	बिनोद कुमार राय (आई.डी.: 6976)	2003-04	12/2003-04	(-)6,39,470
132	पन्ना	संतोष कुमार गुप्ता (आई.डी.: 18700)	2005-06	12/2005-06 4001ड़ी	(-)20,000
133	रायसेन	रविन्द्र कुमार झाला (आई.डी.: 9174)	2018-19	86/पी.एम.जी.एस.वाय -प्प्(ए.डी.बी.)/एम पी 29610/2018	(-)3,56,523
134	रायसेन	शिव सिंहं चौहान (आई.डी.: 9767)	2014-15	121/पी.एम.जी.एस.वाय./2014 (एम पी 2997)	(-)2,50,000
135	रायसेन	मदन लाल पार्टनर्स (आई.डी.: 8482)	2014-15	112/ पी.एम.जी.एस.वाय./2014	(-)1,56,000
136	रायसेन	एस मुनियान रायसेन (आई.डी.: 6027)	2006-07	9/ ए.ड़ी.बी./06 (2957)	(-)11,47,344
137	रायसेन	राकेश सक्सेना (आई.डी.: 9065)	2013-14	105/ पी.एम.जी.एस.वाय./13	(-)55,924
138	रायसेन	शिव सिंह चौहान (आई.डी.: 9767)	2018-19	202/ पी.एम.जी.एस.वाय.-प्प्/2018 (एम पी 29602)	(-)21,000
139	रायसेन	ए आर मोदी (आई.डी.: 9854)	2007-08	29/ पी.एम.जी.एस.वाय./07	(-)1,66,486
140	रायसेन	विनय कुमार ठाकुर (आई.डी.: 11094)	2010-11	63/ पी.एम.जी.एस.वाय./2010	(-)1,32,255
141	रायसेन	अरविन्दभाई अमसुतलाल दमोदिया (आई.डी.: 6024)	2006-07	12/ ए.ड़ी.बी./06	(-)48,65,389

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
142	रायसेन	देवेन्द्र बंसेदिया (आई.डी.: 7182)	2010-11	02/ ए.ड़ी.बी./2010 (बी.डब्ल्यू.)	(-)12,270
143	राजगढ़	अनिल कुमार शिवहरे (आई.डी.: 252)	2006-07	03/2006-07/ व्यावरा	(-)71,374
144	राजगढ़	अखिलेश कुमार तिवारी (आई.डी.: 6956)	2008-09	09/3037/ फेस - 9/30.05.2008	(-)2,00,000
145	राजगढ़	अनिल कुमार शिवहरे (आई.डी.: 252)	2005-06	04/2005-06/ व्यावरा/04-10-2005	(-)60,000
146	राजगढ़	अनिल कुमार शिवहरे (आई.डी.: 6716)	2008-09	06/3033/ फेस - 9/30.05.2008	(-)1,00,000
147	सतना	राजेश कैला (आई.डी.: 9291)	2005-06	1/ पी.आई.यू. / सतना /05	(-)1,85,856
148	सतना	विक्रमादित्य सिंह (आई.डी.: 71)	2005-06	8/ पी.आई.यू. / सतना /05-06	(-)2,89,787
149	सतना	विक्रमादित्य सिंह (आई.डी.: 71)	2005-06	9/ पी.आई.यू. / सतना /05-06	(-)10,17,937
150	सतना	अतुल सिंह परिहार (आई.डी.: 6735)	2006-07	8/ पी.आई.यू. / सतना /06	(-)40,556
151	सतना	मृगेन्द्र सिंह (आई.डी.: 21955)	2013-14	41/ पी.आई.यू./13-14	(-)2,45,285
152	सतना	कैलाश सिंह (आई.डी.: 6639)	2008-09	07/ पी.आई.यू. - 1/08/एम पी 3433	(-)9,24,000
153	सतना	मन्नी के सिंह (आई.डी.: 9414)	2016-17	04/ पी.आई.यू. / 16-17/एम पी 34107	(-)9,06,121
154	सतना	कुशल प्रसाद पटेल (आई.डी.: 5724)	2015-16	24/ पी.आई.यू. सतना /2015-16	(-)12,154
155	सतना	अजय कुमार सिंह (आई.डी.: 6810)	2006-07	4/ पी.आई.यू / 06/ सतना	(-)68,235
156	सतना	कैलाश सिंह (आई.डी.: 8134)	2008-09	7/ पी.आई.यू -2 /08-09 सतना	(-)61,172
157	सतना	कैलाश सिंह (आई.डी.: 6639)	2012-13	21/ पी.आई.यू /12-13/एम पी 34503	(-)70,000
158	सीहोर	मदन गोपाल अग्रवाल (आई.डी.: 6791)	2013-14	123/एमपी 35503/ ए.ड़ी.बी. -टप्/2013	(-)2,75,572

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
159	सीहोर	कुशल गुरू कन्सट्रक्शन (आई.डी.: 8298)	2005-06	62/ पी.एम.जी.एस.वाय./2005	(-)2,60,000
160	सिवनी	मनेश कुमार परमार (आई.डी.: 8547)	2011-12	07/ जी.एम./2011-12/एम पी 36-आई-140	(-)72,290
161	सिवनी	राजेन्द्र कुमार खजरे लोधी (आई.डी.: 8346)	2012-13	07/ जी.एम./ 2012-13/एम पी 36-आई-122	(-)23,720
162	सिवनी	नीलेश कनकेरिया (आई.डी.: 14422)	2018-19	03/2018-19/एम पी -36608	(-)1,82,507
163	शहड़ोल	प्रशान्त सिंह (आई.डी.: 21647)	2008-09	9 आफ 2008-2009 पी.आई.यू. क्र. 02 शहड़ोल पैकेज एम पी 3881	(-)7,68,000
164	शहड़ोल	सतीश कुमार गुप्ता (आई.डी.: 17698)	2011-12	02 आफ 2011-2012 पैकेज क्र. एम पी -38-आई-90 पी.आई.यू. क्र. 01	(-)20,000
165	शहड़ोल	शिव शंकर गोयल (आई.डी.: 4049)	2014-15	02 आफ 2014-2015 पैकेज एम पी 38101	(-)2,51,598
166	शहड़ोल	महिपाल सिंह (आई.डी.: 8375)	2012-13	02 आफ 2012-2013 पैकेज एम पी -38-99	(-)5,47,961
167	शाजापुर	देवी प्रसाद सोनानिया (आई.डी.: 3220)	2006-07	08 / 2006-07 / 3915	(-)15,28,372
168	शाजापुर	नरेन्द्र सिंह राजपुर (आई.डी.: 10724)	2006-07	07/2006-07/3921	(-)4,94,271
169	शाजापुर	बलवीर चन्द जेठी (आई.डी.: 1796)	2006-07	4/2006-07	(-)60,000
170	शाजापुर	राजेश कुमार गर्ग (आई.डी.: 8147)	2013-14	18/2013-14(एम पी -3989)	(-)18,10,610
171	शाजापुर	ओमप्रकाश महेश्वरी (आई.डी.: 8887)	2006-07	02/2006-2007	(-)19,996
172	शाजापुर	कैलाश नारायण दुबे (आई.डी.: 23142)	2015-16	37/2015-16(एम पी -39 बी 09)	(-)61916
173	शाजापुर	ओम प्रकाश महेश्वरी (आई.डी.: 8887)	2007-08	13/2007-08	(-)14,999

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
174	शाजापुर	राजेश कुमार गर्ग (आई.डी.: 8147)	2013-14	10/2013-14(एम पी -3982)	(-)20,000
175	शाजापुर	अनिल कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 6911)	2006-07	5/2006-07	(-)19,998
176	शाजापुर	अनिल कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 6912)	2006-07	10 / 2006-07	(-)4,82,277
177	शाजापुर	ओम प्रकाश महेश्वरी (आई.डी.: 8887)	2005-06	5/2005-06	(-)2,99,208
178	शाजापुर	अनिल कुमार अग्रवाल (आई.डी.: 6911)	2005-06	3/2005-06	(-)4,64,423
179	शाजापुर	गोवर्धन सिंह धांगी (आई.डी.: 4124)	2008-09	09 / 2008-09 (एम पी -3931)	(-)54,456
180	शाजापुर	रूपेश कुमार जानगीद (आई.डी.: 8241)	2015-16	40/2015-16(एम पी -3991)	(-)5
181	शाजापुर	विमल झुनझुनवाला (आई.डी.: 23418)	2016-17	37/2016-17(एम पी -39123)	(-)22,700
182	शाजापुर	ए एन एस कन्शट्रक्शन (आई.डी.: 1019)	2003-04	13/2003-2004	(-)11,02,823
183	श्योपुर	ओम प्रकाश अग्रवाल (आई.डी.: 14606)	2007-08	22	(-)9,70,875
184	श्योपुर	महेश चन्द गोयल (आई.डी.: 8521)	2013-14	03-3726	(-)2,50,761
185	श्योपुर	रमेश चन्द गोयल (आई.डी.: 9368)	2014-15	07-3728	(-)19,43,96
186	शिवपुरी	पवन कुमार जैन (आई.डी.: 20440)	2008-09	76/4038	(-)6,56,636
187	शिवपुरी	दिनेश गुप्ता (आई.डी.: 8914)	2016-17	184/4094	(-)4,00,000
188	शिवपुरी	दिनेश गुप्ता (आई.डी.: 8914)	2014-15	26	(-)2,41,063
189	शिवपुरी	दिनेश गुप्ता (आई.डी.: 8914)	2017-18	25	(-)1,41,644
190	शिवपुरी	सुनिल कुमार जैन (आई.डी.: 921)	2009-10	84	(-)1,65,920
191	शिवपुरी	हाकिम सिंह (आई.डी.: 7780)	2012-13	168	(-)29,000
192	शिवपुरी	सुनिल कुमार जैन (आई.डी.: 921)	2014-15	147/40503	(-)48,232
193	शिवपुरी	सुनिल कुमार जैन (आई.ड़ी.: 921)	2008-09	67	(-)7,07,721
194	शिवपुरी	अजाद कुमार जैन (आई.डी.: 6822)	2016-17	182/40116	(-)6,98,404
195	शिवपुरी	ओम प्रकाश गोयल (आई.डी.: 9013)	2008-09	15 5601 बी	(-)1,20,706
196	शिवपुरी	रूद्रपाल सिंह भदोरियां (आई.डी.: 8093)	2007-08	23-4016	(-)1,90,506
197	शिवपुरी	राकेश चौकसे (आई.डी.: 16211)	2010-11	16 5601 ए	(-)6,376

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
198	शिवपुरी	श्रीनिवासा राव पेडडू (आई.डी.: 7896)	2010-11	9	(-)85,287
199	सीधी	अभय मिश्रा (आई.डी.: 478)	2004-05	08 आफ 04-05	(-)29,61,000
200	सीधी	सी एस आनन्द (आई.डी.: 7310)	2005-06	09 आफ 05-06	(-)6,15,593
201	सीधी	गणेश प्रताप सिंह (आई.डी.: 3889)	2004-05	06 आफ 04-05	(-)10,472
202	सीधी	त्रिलोक चन्द गुप्ता (आई.डी.: 21044)	2007-08	01 आफ 07-08	(-)23,89,041
203	सीधी	विरेन्द्र कुमार पाठक (आई.डी.: 1310)	2003-04	02 आफ 2003-2004	(-)3,71,308
204	सीधी	बीरेन्द्र सिंह (आई.डी.: 9449)	2008-09	30 आफ 08-09	(-)21,15,052
205	सीधी	अनुराग सिंह (आई.डी.: 8110)	2011-12	03/एस 2 आफ 2011-2012	(-)44,241
206	सीधी	ब्रजेश प्रताप सिंह (आई.डी.: 20209)	2008-09	40 आफ 08-09	(-)39,72,231
207	सीधी	कृष्ण देव सिंह (आई.डी.: 8104)	2008-09	16/एस 4 आफ 08-09	(-)75,000
208	सीधी	एच एस पाण्डेय (आई.डी.: 4276)	2008-09	10 आफ 08-09	(-)6,63,200
209	सीधी	बुद्धिमन सिंह चंदेल (आई.डी.: 7303)	2011-12	11/ एस 2 आफ 11-12	(-)50,000
210	सीधी	राजेन्द्र सिंह बघेल (आई.डी.: 7127)	2012-13	10/ एस 2 आफ 2012-13	(-)2,30,349
211	सीधी	ग्यान चन्द जैन (आई.डी.: 9510)	2008-09	02/ एस -4 आफ 08-09	(-)11,80,000
212	सीधी	ब्रिजेश प्रताप सिंह (आई.डी.: 20209)	2008-09	39 आफ 08-09	(-)9,28,811
213	सीधी	गणेश प्रताप सिंह (आई.डी.: 7597)	2008-09	28 आफ 08-09	(-)7,81,097
214	सीधी	भागवती सिंह (आई.डी.: 8274)	2008-09	07/ एस 4 आफ 08-09	(-)5,75,500
215	सीधी	भागवती सिंह (आई.डी.: 8274)	2008-09	08/ एस 4 आफ 08-09	(-)2,39,000
216	सीधी	बिरेन्द्र सिंह (आई.डी.: 9449)	2007-08	06 आफ 07-08	(-)14,56,360
217	सीधी	सी एस आनन्द (आई.डी.: 7310)	2006-07	05 आफ 06-07	(-)2,69,564
218	सीधी	जे एल बक्शी (आई.डी.: 14253)	2002-03	05/ जी.एम. / सीधी /02-03	(-)21,70,735
219	सीधी	कृष्णकुमार भावसिंका (आई.डी.: 5204)	2007-08	04 आफ 07-08	(-)15,48,463

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
220	सीधी	कृष्ण प्रताप सिंह (आई.डी.: 20363)	2007-08	05 आफ 07-08	(-)74,110
221	सीधी	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2008-09	02 आफ 08-09	(-)11,05,558
222	सीधी	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2007-08	07 आफ 07-08	(-)85,000
223	सीधी	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2006-07	16 आफ 06-07	(-)1,10,000
224	सीधी	राजकुमार सिंह (आई.डी.: 6654)	2007-08	02 आफ 07-08	(-)15,59,274
225	सीधी	त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा (आई.डी.: 21061)	2006-07	03 आफ 06-07	(-)13,67,464
226	सीधी	त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा (आई.डी.: 21061)	2006-07	04 आफ 06-07	(-)3,58,505
227	सीधी	विनोद कुमार शुक्ला (आई.डी.: 9940)	2007-08	03 आफ 07-08	(-)1,65,327
228	सिंगरौली	नारायण दास वैश्य (आई.डी.: 25542)	2017-18	107 आफ 2017-18 पैकेज 5056	(-)2,49,781
229	सिंगरौली	जाकिर हुसैन (आई.डी.: 22429)	2014-15	05 आफ 2014-15 पैकेज 5029	(-)1,21,659
230	सिंगरौली	किशोर जायसवाल (आई.डी.: 10307)	2008-09	10 आफ 08-09 पैकेज एम पी -41100	(-)4,06,450
231	सिंगरौली	जगदीश तिवारी (आई.डी.: 10170)	2008-09	15 आफ 08-09 पैकेज 4181	(-)3,15,515
232	सिंगरौली	जगदीश तिवारी (आई.डी.: 6709)	2008-09	14 आफ 08-09 पैकेज 4123	(-)3,75,513
233	सिंगरौली	राजेन्द्र सिह बघेल (आई.डी.: 7126)	2007-08	05 डब्ल्यू आफ 07-08	(-)4,94,013
234	सिंगरौली	सदानन्द गुप्ता (आई.डी.: 9583)	2008-09	13 आफ 08-09 पैकेज 4143	(-)5,28,215
235	सिंगरौली	दया शंकर शुक्ला (आई.डी.: 7866)	2008-09	08 आफ 08-09 पैकेज क्र. एम.पी.-4191	(-)8,22,177
236	सिंगरौली	किशोर जायसवाल (आई.डी.: 10307)	2008-09	05/ डब्ल्यू3 आफ 08-09 पैकेज क्र. एम पी -5013	(-)6,92,489
237	सिंगरौली	गजेन्द्र सिंह परिहार (आई.डी.: 18513)	2008-09	10/ डब्ल्यू 3 आफ 08-09	(-)2,05,295
238	सिंगरौली	आनन्द कुमार शर्मा (आई.डी.: 6891)	2008-09	3/19-05-2008	(-)4,50,000
239	सिंगरौली	कुलवंत सिंह भराRA (आई.डी.: 8256)	2008-09	06/04-06-2008	(-)2,65,739

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
240	सिंगरौली	ज्योतिर भूषण शाही (आई.डी.: 7929)	2017-18	98 आफ 2017-18 पैकेज 5069	(-)4,28,285
241	सिंगरौली	मधुसूदन सिंह (आई.डी.: 8466)	2008-09	05/ॅ2 आफ 08-09 फोर पैकेज क्र. एम पी -5001	(-)10,89,193
242	सिंगरौली	मंगल प्रसाद अग्रहरि (आई.डी.: 8539)	2008-09	03/ डब्ल्यू2 आफ 08-09 पैकेज क्र. एम पी -5004	(-)3,70,889
243	सिंगरौली	संजय प्रताप सिंह (आई.डी.: 13488)	2008-09	06/ डब्ल्यू 2/20.10.08	(-)3,85,000
244	सिंगरौली	सुनील कुमार सिंह (आई.डी.: 8084)	2007-08	10 आफ 07-08 ड़ी.टी. 17-08-07 फोर पैकेज क्र. 4172	(-)22,58,742
245	सिंगरौली	श्याम सुन्दर गुप्ता (आई.डी.: 8775)	2012-13	02 आफ 12-13 पैकेज 5018	(-)10,36,494
246	सिंगरौली	श्याम सुन्दर गुप्ता (आई.डी.: 8775)	2017-18	99 आफ 2017-18 पैकेज 5068	(-)1,03,103
247	सिंगरौली	किशोर जायसवाल (आई.डी.: 10307)	2008-09	02/ डब्ल्यू3 आफ 08-09 फोर पैकेज क्र. एम पी -5008	(-)2,70,260
248	सिंगरौली	किशोर जायसवाल (आई.डी.: 10307)	2008-09	03/ डब्ल्यू 3 आफ 08-09 फोर पैकेज क्र. एम पी -5009	(-)4,22,092
249	सिंगरौली	किशोर जायसवाल (आई.डी.: 10307)	2008-09	04/ डब्ल्यू 3 आफ 08-09 फोर पैकेज क्र. एम पी -5010	(-)9,20,821
250	सिंगरौली	कृष्ण कुमार भावसिंका (आई.डी.: 8096)	2009-10	11/ डब्ल्यू 3 आफ पैकेज क्र. एम पी -5015	(-)2,32,407
251	सिंगरौली	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2007-08	07 आफ 07-08	(-)4,80,931
252	सिंगरौली	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2006-07	16 आफ 06-07	(-)88,034
253	सिंगरौली	राजेन्द्र सिंह बघेल (आई.डी.: 7127)	2008-09	04/ डब्ल्यू 2 आफ 08-09	(-)8,64,722
254	सिंगरौली	सोना बच्चा अग्रहरि (आई.डी.: 10213)	2009-10	06/ डब्ल्यू 3 आफ पैकेज क्र. एम पी -5011	(-)3,87,972

स.क्र.	डी.डी.ओ. का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष
255	सिंगरौली	विनोद कुमार जैन (आई.डी.: 10447)	2008-09	08/ डब्ल्यू 3 आफ 08-09 फोर पैकेज एम पी -5014	(-)5,61,279
256	सिंगरौली	नगेन्द्र राय (आई.डी.: 894)	2013-14	22 आफ 13-14 पैकेज क्र. एम पी 5033	(-)33,964
257	सिंगरौली	श्याम मुरारी सिंह (आई.डी.: 21933)	2013-14	24 आफ13-14 पैकेज 5017	(-)41,70,000
258	सिंगरौली	त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा (आई.डी.: 21061)	2006-07	04 आफ 06-07	(-)3,50,516
259	सिंगरौली	सदानंद गुप्ता (आई.डी.: 9583)	2008-09	12 आफ 08-09 पैकेज 4193	(-)3,38,481
260	उमरिया	सतीश कुमार गर्ग (आई.डी.: 7477)	2011-12	04-12.01.2012 पैकेज क्र. एम पी - 4419 (शेष कार्य)	(-)3,25,133
261	उमरिया	सतीश कुमार गुप्ता (आई.डी.: 17698)	2010-11	63 आफ 2010-2011	(-)54,91,000
262	उमरिया	चन्द्रा श्रीहरि नायडू (आई. डी.: 7582)	2012-13	03/2012-13	(-)25,772
263	विदिशा	प्रमाद कुमार गुप्ता (आई. डी.: 15325)	2016-17	06/2016-17/ पी.आई.यू. -2 (4578)	(-)5,16,769
264	विदिशा	रितेश आनन्द (आई. डी.: 6890)	2016-17	18/2016-17/ पी.आई.यू.-2 (4579)	(-)6
265	विदिशा	मंगल सिंह राजपूत (आई. डी.: 23170)	2019-20	05/2019-20/ पी.आई.यू. -2 (4591 बी.डब्ल्यू)	(-)10,26,926
266	विदिशा	अनिल कुमार शिवहरे (आई. डी.: 254)	2012-13	10/2012-13 (बी-2, पैकेज 4532)	(-)93,799
267	विदिशा	राज कुमार गुप्ता (आई.डी.: 11541)	2010-11	01/2010-2011 (ए.ड़ीबी.-वी-4564)	(-)10,76,095
उप योग (ब)					**(-)18,71,03,588**
महायोग (अ+ब)					**(-)22,87,80,466**

परिशिष्ट-2.1.19 (ब) (ii)

(संदर्भ: कंडिका 2.1.12.5, पृष्ठ संख्या 58)

ओ.एम.एम.ए.एस. में विविध जमा के 0: शीर्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध वर्ष	अनुबंध क्र.	31.03.2021 को शेष (₹ में)
1	अशोकनगर	-0(आई.डी.: 0)	0	0	(-)1,54,20,374
2	धार	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)36,51,456
3	रीवा	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)38,68,715
				उप योग (स)	**(-)2,29,40,545**
1	अनूपपुर	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)21,88,347
2	बालाघाट	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)5,39,327
3	भोपाल	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)61,36,149
4	छतरपुर	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)72,00,902
5	दमोह	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)16,17,046
6	डिडोरी	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)1,47,88,632
7	हरदा	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)1,46,74,309
8	होशंगाबाद	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)67,35,556
9	जबलपुर	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)4,93,562
10	झाबुआ	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)3,13,132
11	मंडला	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)21,97,553
12	नीमच	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)66,31,612
13	रायसेन	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)19,18,120
14	राजगढ़	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)4,84,365
15	सतना	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)2,08,31,261
16	शिवपुरी	-0(आई. डी.: 0)	0	0	(-)2,03,24,537
उप योग (द)					**(-)10,70,74,410**
महायोग (स+द)					**(-)13,00,14,955**

परिशिष्ट-2.1.20

(संदर्भ: कंडिका 2.1.12.6 (ii), पृष्ठ संख्या 60)

कार्यालय भवन के किराये के मद में भुगतान की गई राशि दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	पी.आई.यू. का नाम	अवधि	कुल भुगतान राशि
1	अशोकनगर-02	04/2017 से 03/2021	5,20,416
2	बैतूल-02	04/2017 से 06/2019 11/2020 से 02/2021	6,31,200
3	बुरहानुपर	04/2017 से 02/2021	3,88,902
4	छिंदवाड़ा-01	04/2017 से 02/2021	5,56,901
5	धार-03	04/2017 से 02/2021	5,09,315
6	ग्वालियर	04/2017 से 03/2021	6,83,346
7	रीवा-01	04/2017 से 10/2020	9,28,866
8	टीकमगढ़	08/2017 से 02/2021	2,68,800
9	उज्जैन-02	04/2017 से 02/2021	6,64,435
योग			**51,52,181**

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.2.9, पृष्ठ संख्या 72)

चयनित जिलों, परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण

स.क्र.	जिला	चयनित परियोजना	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र
1.	भोपाल	गोविंदपुरा (शहरी)	सागोनी कला
			1161
			1165
			609
			536
		बेरसिया-I (ग्रामीण)	मलकारी
			पसैया
			बरखेड़ा खुर्द
			सेमरा भैरोपुरा
			बिजावन कलां
2.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा नवीन (शहरी)	ए.डब्ल्यू.सी. क्र. 08, मरघट रोड, शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पास
			ए.डब्ल्यू.सी. क्र. 78, महावीर वार्ड, पाटनी स्कूल
			नोनिया करवाल क्र.06
			खजरी क्र.06
			लहगडुआ
		पांढुर्ना (ग्रामीण)	बनगांव-01
			तीगांव-02
			सिराठा- 01
			लेंडोरी -02
			बडचिचोली-02
3.	धार	धार (शहरी)	73, नालछा दरवाजा
			08, पिंजर वाड़ी
			71, अर्जुन कॉलोनी
			01, अरीठा पीर
			51, किला मैदान
		डही (आदिवासी)	04, अछाल्या पुरा
			रेबड़दा सतमात्रा
			02, सिदाडी पाटीपुरा
			07, हटैया मोहल्ला
			सागबारा बोडगांव
4.	झाबुआ	झाबुआ (आदिवासी)	करडावत बड़ी
			गडवाडा प्रथम

स.क्र.	जिला	चयनित परियोजना	चयनित आंगनवाड़ी केंद्र
			बामऊ सैमलिया ॥
			तड़वी फलिया कुंडला
			अमली फलिया
		पेटलावद (आदिवासी)	नाहरपुरा बरई
			मोटापाड़ा फलिया
			स्टेशन फलिया अमरगढ़
			आदिवासी फलिया पिपली पाड़ा
			सामली
5.	रीवा	रीवा (शहरी)	चिरहुला 43/4
			धोबिया टंकाई 28/2
			खुटेही 12/2
			कोतवाली 2
			लखौरी बाग क्र.2
		हनुमना-1 (ग्रामीण)	अटारिया 1
			बराव 3
			फुल फरमान सिंह
			सलैया 4
			तधार 1
6.	सागर	सागर -2 (शहरी)	30, शास्त्री वार्ड
			67, गांधी चौक वार्ड
			82, विवेकानंद वार्ड
			47, वल्लभ नगर वार्ड
			3, भगवानगंज वार्ड
		बीना (ग्रामीण)	मंडी बामोरा, 168
			परासरी
			गढोली
			बरखेडी माफ़ी
			बिल्धव, 66
7.	सतना	सतना (शहरी)	29, झंकार टॉकीज के पास
			127, कैलाश नगर
			119, मल्हान टोला
			147, हरिजन बस्ती
			67, शिव कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर
		रामनगर (ग्रामीण)	टटेहरा टोला
			मनकाहरी-2
			रामनगर -5
			सोनारी लोनियन टोला

स.क्र.	**जिला**	**चयनित परियोजना**	**चयनित आंगनवाड़ी केंद्र**
			बड़ा इटम – 5
8.	शिवपुरी	शिवपुरी नवीन (शहरी)	माधव नगर
			गणेश गली
			मुस्लिम बस्ती
			आदिवासी टपरा
			विवेकानंद
		शिवपुरी (ग्रामीण)	चिटोरकलां
			हातौद
			कुंवरपुर
			भोराना
			विलोकलां-1

परिशिष्ट-2.2.2

(सन्दर्भ : कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

बाड़ी संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
				मद : हलवा 600 ग्राम				
12-10-2018	खुजनेर	आरजे17जीए6677	39428	6142	5.064	4.728	0.336	20,998
25-10-2018	उदयपुरा	एमपी06एचसी1454	39489	152	6.864	6.672	0.192	11,999
25-12-2018	साँची	एमपी06 एचसी1454	36689	269	12.36	12.336	0.024	1,500
27-03-2019	कुरवाई	एमपी09एचजी4171	36979	623	8.952	8.88	0.072	4,500
20-06-2019	कोलार	एमपी07एचबी4556	37261	5309	4.248	4.008	0.24	14,999
							0.864	53,996
				मद : बाल आहार 600 ग्राम				
28-02-20	सुठालिया	एमपी09एचएच8397	42123	765	2.808	2.263	0.545	34,060
28-02-20	बरखेड़ी	एचआर55एल9887	42125	5923	4.248	0	4.248	2,65,479
29-02-20	बरेली	एमपी09एचजी4171	42127	767	5.52	0	5.52	3,44,972
							10.313	6,44,511
				मद : बर्फी 750 ग्राम				
19-07-2018	आष्टा	एमपी43एच7866	39160	5523	6.12	4.845	1.275	79,171
19-07-2018	आष्टा 2	एमपी43एच7866	39162	5525	1.965	0	1.965	1,22,017
29-07-2018	साँची	एमपी04एचइ4665	39192	5625	5.97	3.09	2.88	1,78,834
29-07-2018	बरेली	एमपी04एचइ2758	39199	5632	6.18	0	6.18	3,83,747
30-07-2018	चांदवड़	एमपी09केडी6842	39122	5655	7.98	1.605	6.375	3,95,856
30-07-2018	गोविन्दपुरा	एमपी04एचइ4290	39125	5658	6.39	0	6.39	3,96,787
30-07-2018	बेरासिया 2	एमपी04एचइ4290	39126	5659	2.805	0	2.805	1,74,176
30-07-2018	बेरासिया 1	एमपी04एचइ4290	39128	5661	4.89	0	4.89	3,03,645
30-07-2018	बेगमगंज	एमपी04एचइ3160	39130	5663	4.17	0	4.17	2,58,936
30-07-2018	विदिशा शहरी	एमपी04एचइ4665	39133	5666	3.405	0	3.405	2,11,433
30-07-2018	सिरोंज	एमपी04एचइ4665	39135	5668	7.215	0	7.215	4,48,015
30-07-2018	उदयपुरा	एमपी15एचए1067	39137	5670	3.825	0	3.825	2,37,513
							51.375	31,90,130
				मद :लड्डू 750 ग्राम				
03-05-2018	जावर (बाड़ी)	एमपी 04के5903	35063	2975	2.265	2.235	0.03	1,863

दिनांक	**परियोजना**	**ट्रक संख्या**	**चालान संख्या**	**बिल्टी संख्या**	**प्रेषण (मी. ट. में)**	**संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में**	**(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)**	**राशि (₹ में)**
19-10-2019	नरसिंहगढ़	आरजे09जीसी3391	40656	1297	5.1	0.565	4.535	2,81,601
24-10-2019	साँची	एमपी09एचजी4171	40682	1656	6.45	6.255	0.195	12,109
24-10-2019	साँची	एमपी04आरए6784	40685	1658	0.015	0	0.015	931
24-11-2019	कुरावर	एमपी09एचजी4171	40783	1708	1.575	1.53	0.045	2,794
							4.82	2,99,298
मद : बर्फी 900 ग्राम								
16-07-2018	जीरापुर	आरजे20जीए7234	39095	5508	3.834	2.7	1.134	70,416
16-07-2018	ब्यावरा	एमपी09केसी9571	39097	5510	1.332	0	1.332	82,711
12-11-19	बेगमगंज	एमपी07एचबी4563	40718	5597	1.116	1.094	0.022	1366
13-11-19	इछावर	जेएच 05एबी0511	40720	1683	0.018	0	0.018	1118
14-11-19	बरेली	एमपी07एचबी4563	40722	5599	0.648	0	0.648	40238
14-11-19	उदयपुरा	एमपी07एचबी4556	40724	5601	0.342	0	0.342	21236
14-11-19	सीहोर ग्रामीण	एमपी07एचबी1621	40726	5603	0.09	0	0.09	5589
							3.586	2,22,674
मद : खिचड़ी 625 ग्राम								
13-01-2020	बेरासिया 1	एमपी40 एचए0225	40932	5839	3.425	1.05	2.375	1,43,676
18-01-2020	चांदवड़	एमपी04एचई 0543	40951	5850	7.3	6.975	0.325	19,661
23-01-2020	उदयपुरा	एमपी07एचबी4563	40984	5869	3.625	1.875	1.75	1,05,866
							4.45	2,69,203
कुल							**75.408**	**46,79,812**

(स्रोत: संयंत्र द्‌वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

परिशिष्ट-2.2.3

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

धार संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद : हलवा 600 ग्राम								
23-10-19	गोगांव	एमपी09एचएफ1735	पी /184	179	5.928	2.784	3.144	1,96,500
मद: बाल आहार 600 ग्राम								
10-10-19	भगवानपुर	एमपी09केडी2044	पी /145	140	3.744	2.548	1.196	75946
23-07-20	कसरावद	एमपी09केडी7299	35764	847	0.648	0.312	0.336	21336
मद: लड्डू 750 ग्राम								
03-08-19	खालवा	एमपी09केडी2044	पी /29	27	1.065	1.05	0.015	908
06-09-19	पंधाना	एमपी09एचजी1613	पी /87	84	1.905	1.4775	0.4275	25864
09-09-19	खण्डवा ग्रामीण	एमपी09केडी 7299	पी /88	85	1.875	0	1.875	1,13,438
10-10-19	भगवानपुर	एमपी09केडी2044	पी /145	140	1.815	0	1.815	1,09,808
17-09-20	भगवानपुर	केए345968	54631	965	3.255	3.17925	0.07575	4583
मद: खिचड़ी 625 ग्राम								
23-10-19	गोगांव	एमपी09एचएफ1735	पी /184	179	5.8	3.237	2.563	1,55,830
योग							**11.44725**	**7,04,213**

(स्रोत: संयंत्र द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

परिशिष्ट-2.2.4

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

मण्डला संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद: हलवा 600 ग्राम								
23-04-2020	बीजाडांडी	एमपी20एचबी5167	48727	797	3.84	1.297	2.543	1,58,925
25-04-2020	नैनपुर	एमपी20एचबी5167	48728	798	7.752	-	7.752	4,84,461
26-04-2020	नरसिंहपुर	एमपी20एचबी1474	48730	800	10.368	-	10.368	6,47,948
26-04-2020	मवई	एमपी48एच0893	48729	799	5.832	-	5.832	3,64,471
03-05-2020	सिवनी ग्रामीण 1	एमपी48एच0893	48743	813	5.856	4.764	1.092	68,245
03-05-2020	कटंगी	एमपी20एचबी5167	48741	811	7.512	-	7.512	4,69,462
03-05-2020	खैर-लांजी	एमपी20एचबी1722	48742	812	6.048	-	6.048	3,77,970
01-10-2020	बिछुवा	एमपी20एचबी5157	56054	232	3.984	1.747	2.237	1,39,801
02-10-2020	नारायणगंज	एमपी20जी7151	56057	235	4.656	-	4.656	2,90,977
02-10-2020	बीजाडांडी	एमपी20जी7151	56056	234	0.96	-	0.96	59,995
02-10-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	56058	236	4.68	-	4.68	2,92,477
06-11-2020	करंजिया	एमपी20एचबी3844	56226	353	5.136	3.048	2.088	1,30,490
30-11-2020	सिवनी शहरी	एमपी20एचबी5371	56241	368	3.696	1.032	2.664	1,66,487
07-12-2020	जबलपुर -1	एमपी20जीए1349	56268	393	3.552	1.512	2.04	1,27,490
मद : बाल आहार 600 ग्राम								
29-02-2020	घनसौर	एमपी48एच0893	245	727	3.504	3.014	0.49	30,623
29-02-2020	बालाघाट नवीन	एमपी20जीए5141	250	731	1.512	-	1.512	94,492
29-02-2020	वारासिवनी	एमपी20जीए5141	251	732	3.432	-	3.432	2,14,483
29-02-2020	जबलपुर 3	एमपी20एचबी5167	246	728	2.256	-	2.256	1,40,989
29-02-2020	जबलपुर 5	एमपी20एचबी5167	247	729	3.024	-	3.024	1,88,985
01-03-2020	चौराई	एमपी22एच0889	255	2066	4.344	-	4.344	2,71,478
01-03-2020	अमरपुर	एमपी20एचबी4979	253	733	1.992	-	1.992	1,24,490
01-03-2020	मेहंदवानी	एमपी20एचबी4979	254	734	2.28	-	2.28	1,42,489
15-05-2020	परसवाड़ा	एमपी20एचबी5167	48769	839	2.544	1.323	1.221	76,306
15-05-2020	चावरपाठा	आरजे09जीसी5599	48768	838	4.152	-	4.152	2,59,479

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
22-05-2020	हरई	एमपी20एचबी5167	48794	18	3.648	2.67	0.978	61,120
22-05-2020	सौसर	एमपी20एचबी1722	48795	19	3.312	-	3.312	2,06,983
22-05-2020	चौरई	एमएच40बीजी8785	48796	20	4.368	-	4.368	2,72,978
22-05-2020	करंजिया	एमपी17सी 4781	48797	21	2.232	-	2.232	1,39,489
23-05-2020	छिन्दवाड़ा शहरी	एमपी20एचबी 5157	48799	23	4.92	-	4.92	3,07,475
23-05-2020	छिन्दवाड़ा ग्रामीण	एमपी20जीए5141	48851	25	3.24	-	3.24	2,02,484
23-05-2020	मोहखेड़	एमपी20एचबी3367	48852	26	3.648	-	3.648	2,27,982
24-05-2020	पांढ़ुर्ना	एमपी34एबी0357	48853	27	3.696	0	3.696	2,30,982
25-05-2020	तामिया	एमपी20एचबी5167	48765	34	3.552	-	3.552	2,21,982
25-05-2020	जबलपुर-2	एमपी20एचबी5157	48854	28	2.784	-	2.784	1,73,986
25-05-2020	जबलपुर-3	एमपी20एचबी5157	48855	29	2.256	-	2.256	1,40,989
25-05-2020	जबलपुर-4	एमपी24एचबी3367	48857	31	2.304	-	2.304	1,43,988
25-05-2020	जबलपुर-5	एमपी20जीए5141	48858	32	3.048	-	3.048	1,90,485
25-05-2020	जबलपुर-6	एमपी20जीए5141	48859	33	1.104	-	1.104	68,994
25-05-2020	जबलपुर-1	एमपी20जीए3844	48861	35	2.232	-	2.232	1,39,489
26-05-2020	परसिया	एमएच40बीएल818 3	48784	36	3.648	-	3.648	2,27,982
26-05-2020	बिछुआ	एमएच40बीएल818 3	48860	37	2.112	-	2.112	1,31,989
27-05-2020	किरनापुर	एमपी20एचबी1722	48866	42	4.68	-	4.68	2,92,477
27-05-2020	बालाघाट नवीन	एमपी20एचबी1722	48865	41	1.8	-	1.8	1,12,491
27-05-2020	लांजी	सीजी23बी0381	48864	40	4.416	-	4.416	2,75,978
27-07-2020	परसिया -2	एमएच40बीएल818 3	48513	140	3.216	1.203	2.013	1,25,802
27-07-2020	मैहर	एमपी19एचए5644	48511	138	5.784	-	5.784	3,67,284
29-07-2020	कुर्रई	एमपी20एचबी3367	48525	152	2.904	1.503	1.401	87,555
29-07-2020	जामई-2	एमपी20एचबी5157	48522	149	3.6	-	3.6	2,24,982
29-07-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	48521	148	2.232	-	2.232	1,39,489
30-07-2020	परसिया	एमपी20एचबी4075	48523	150	3.648	-	3.648	2,27,982

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
30-07-2020	जबलपुर-6	एमपी20जीए3506,	48526	155156	1.104	-	1.104	68,994
10-09-2020	परसिया	एमपी20एचबी5167	48527	157	3.768	3.72	0.048	3,000
02-10-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	56058	236	2.52	0.264	2.256	1,40,989
06-11-2020	करंजिया	एमपी20एचबी3844	56226	353	2.568	1.896	0.672	41,997
10-12-2020	कुण्डम	एमपी20जीए4392	56272	396	2.952	2.896	0.056	3,500
13-02-2021	गोटेगांव	एमपी20एचबी1310	37600	972	2.952	2.896	0.056	3,500
मद: बर्फी 750 ग्राम								
22-11-2019	चावरपाठा	एमपी33एच3387	5	405	4.05	3.57	0.48	29,520
मद: लड्डू 750 ग्राम								
26-02-2020	कटंगी	सीजी04जेडी3593	232	2059	1.905	1.455	0.45	27,799
26-02-2020	मझौली	एमपी20एचबी2817	233	2060	1.89	-	1.89	1,16,755
26-02-2020	शाहपुरा	एमपी20एचबी4145	234	2061	2.31	-	2.31	1,42,700
26-02-2020	पुष्पाराजगढ़	जीजी04एमबी9703	237	2063	2.91	-	2.91	1,76,230
27-02-2020	नैनपुर	एमपी48एच0893	238	722	1.92	-	1.92	1,18,608
27-02-2020	नरसिंहपुर	एमपी20एचजी8624	242	2065	2.46	-	2.46	1,51,967
27-02-2020	छिन्दवाड़ा ग्रामीण	एमपी20एचबी2754	241	2064	1.395	-	1.395	86,176
27-02-2020	बजाग	एमपी20एचबी4979	239	723	1.305	-	1.305	80,616
27-02-2020	समनापुर	एमपी20एचबी4979	240	724	1.53	-	1.53	94,516
03-03-2020	जबलपुर-1	एमपी20एचबी4417	266	741	1.32	0.279	1.041	64,308
03-03-2020	जबलपुर-2	एमपी20एचबी4417	267	742	1.53	-	1.53	94,516
03-03-2020	अनुपपुर	एमपी19एचए2634	268	2069	2.16	-	2.16	1,30,810
04-03-2020	निवास	एमपी48एच0893	271	745	0.84	-	0.84	51,891
04-03-2020	बाबईचिचली	एमपी20एचबी1474	272	746	1.92	-	1.92	1,18,608
04-03-2020	बालाघाट	एमपी20एचबी1722	269	743	2.415	-	2.415	1,49,187
04-03-2020	कुण्डम	एमपी48एच0893	270	744	1.32	-	1.32	81,543
05-03-2020	लांजी	एमएच30एबी4333	273	2070	2.475	-	2.475	1,52,893
05-03-2020	किरनापुर	सीजी23सी0392	274	2071	2.37	-	2.37	1,46,407
05-03-2020	सौसर	यूपी44टी0561	276	747	1.545	-	1.545	95,442
05-03-2020	जबलपुर-4	एमपी20एचबी5167	277	748	1.29	-	1.29	79,690

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
05-03-2020	जबलपुर-6	एमपी20एचबी5167	278	749	1.185	-	1.185	73,203
06-03-2020	परसवाड़ा	एमपी48एच0893	283	752	1.395	-	1.395	86,176
06-03-2020	शाहपुरा	एमपी20एचबी1722	280	750	1.725	-	1.725	1,06,562
06-03-2020	बरगी	एमपी20जीए5141	282	751	2.115	-	2.115	1,30,654
06-03-2020	पुष्पाराजगढ़	सीजी04एमबी9703	281	2072	3.18	-	3.18	1,92,581
07-03-2020	करेली	सीजी04जेसी3654	284	2073	1.665	-	1.665	1,02,855
07-03-2020	परसिया	एमपी20एचबी4979	285	754	1.77	-	1.77	1,09,342
07-03-2020	हरई	एमपी20एचबी2021	286	2074	1.725	-	1.725	1,06,562
08-03-2020	मवई	एमपी20जीए5141	288	756	1.47	-	1.47	90,809
08-03-2020	बैहर	एमपी20एचबी1722	287	755	1.71	-	1.71	1,05,635
12-03-2020	जामई	एमपी20एचबी4979	289	757	1.545	-	1.545	95,442
12-03-2020	जामई-2	एमपी20जीए5141	291	759	1.875	-	1.875	1,15,828
12-03-2020	परसिया-2	एमपी20जीए5141	292	760	1.68	-	1.68	1,03,782
12-03-2020	तामिया	एमपी20एचबी1722	293	761	1.785	-	1.785	1,10,268
14-03-2020	मोहखेड़	एमपी07एचबी3733	295	763	1.935	-	1.935	1,19,535
14-03-2020	पानढुरना	यूपी07बीटी8489	279	765	1.725	-	1.725	1,06,562
14-03-2020	अमरवाडा	एमएच18एए9675	297	766	2.235	-	2.235	1,38,067
14-03-2020	पनागर	एमपी20एचबी5167	296	764	1.755	-	1.755	1,08,415
15-03-2020	सिवनी-2	एमपी20जीए5141	301	770	1.695	-	1.695	1,04,709
15-03-2020	लालबर्रा	एमपी48एच0893	294	762	2.13	-	2.13	1,31,581
15-03-2020	बिछुआ	एमपी20जीए5141	300	769	1.095	-	1.095	67,644
15-03-2020	कोटमा	एमपी20एचबी1722	298	767	1.53	-	1.53	92,657
15-03-2020	जैतहरी	एमपी20एचबी4979	299	768	2.34	-	2.34	1,41,710
26-04-2020	मवई	एमपी48एच0893	48729	799	3.195	2.55	0.645	39,845
27-04-2020	बिछिया	एमपी20एचबी5167	48731	801	5.01	2.685	2.325	1,43,627
29-04-2020	कटनी	एमपी20एचबी5167	48734	803	3.63	-	3.63	2,24,243
30-04-2020	निवास	एमपी20एचबी6255	48737	806	1.65	-	1.65	1,01,929
27-05-2020	लांजी	सीजी23बी0381	48864	40	4.395	0.3	4.095	2,52,969
29-07-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	48521	148	2.07	1.895	0.175	10,811

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
29-07-2020	धीमरखेड़ा	एमपी21जी2589	48524	151	4.875	-	4.875	3,01,153
30-07-2020	परसिया	एमपी20एचबी4075	48523	150	3.45	-	3.45	2,13,124
30-07-2020	जबलपुर-6	एमपी20जीए3506,	48526	155156	1.095	-	1.095	67,644
06-11-2020	करंजिया	एमपी20एचबी3844	56226	353	1.365	1.125	0.24	14,826
मद : बर्फी 900 ग्राम								
15-03-2020	कोतमा	चालान में नहीं लिखा	229	0	0.378	0.3048	0.0732	4,502
16-03-2020	मझौली	एमपी20एचबी4145	48651	2075	0.0072	-	0.0072	443
17-03-2020	मैहर -2	एमपी20एचबी8662	48652	772	0.27	-	0.27	16,605
26-04-2020	मवई	एमपी48एच0893	48668	799	0.63	0.1044	0.5256	32,324
27-05-2020	उचेहरा	एमपी17सी4781	48829	39	0.666	0.5838	0.0822	5,055
मद: खिचड़ी 625 ग्राम								
04-12-2019	कटंगी	सीजी04जीसी3754	39	2008	3.925	2.75	1.175	70,500
05-12-2019	किरनापुर	एमएच40एके2835	42	2010	4.55	1.325	3.225	1,93,500
05-12-2019	लांजी	एमपी20एचबी5038	43	2011	4.775	0	4.775	2,86,500
18-03-2020	सतना	एमपी09एचजी6017	48711	780	7.325	3.361	3.964	2,37,840
20-03-2020	करंजिया	एमपी28जी0999	303	788	2.5	0.005	2.495	1,49,700
20-03-2020	रामपुर बाघेलन	एमपी18एच5171	48717	786	8.55	0	8.55	5,13,000
20-03-2020	रामपुर	एमपी20एचबी6221	48718	787	7.025	0	7.025	4,34,496
23-04-2020	घुघरी	एमपी48एच0893	48725	795	5.675	1.85	3.825	2,29,500
23-04-2020	नारायणगंज	एमपी20एचबी5167	48726	796	4	0	4	2,40,000
23-04-2020	बीजाडांडी	एमपी20एचबी5167	48727	797	4	0	4	2,40,000
25-04-2020	नैनपुर	एमपी20एचबी5167	48728	798	8.075	7.825	0.25	15,000
26-04-2020	मवई	एमपी48एच0893	48729	799	6.075	5.925	0.15	9,000
30-07-2020	जबलपुर-6	एमपी20जीए3506, एमपी04जीए8411	48526	155, 156	2.3	0.807	1.493	89,580
02-10-2020	बीजाडांडी	एमपी20जी7151	56056	234	0.225	0.05	0.175	10,500
02-10-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	56058	236	2.625	0	2.625	1,57,500
06-11-2020	करंजिया	एमपी20एचबी3844	56226	353	2.675	2.175	0.5	30,000

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद: खिचड़ी 750 ग्राम								
23-12-2019	लाखनदौन	एमएच40बीजी4061	72	458	2.34	1.585	0.755	45,300
23-12-2019	बालाघाट नवीन	एमपी48एच0893	68	454	1.38	-	1.38	82,800
21-02-2020	लांजी	एमपी22एच2685	214	2052	2.475	2.47	0.005	300
24-02-2020	सिवनी	एमपी20जीए5141	222	714	1.215	0.96	0.255	15,300
24-02-2020	सिवनी ग्रामीण -1	एमपी20जीए5141	223	715	1.605	-	1.605	96,300
24-02-2020	खैर-लांजी	एमपी22एच1755	2214	2055	1.62	-	1.62	97,200
24-02-2020	अनूपपुर	एमपी21एच1354	225	2057	2.1	-	2.1	1,28,436
26-02-2020	शाहपुरा	एमपी20एचबी4145	234	2061	2.31	1.23	1.08	64,800
26-02-2020	पुष्पाराजगढ़	जीजी04एमबी9703	237	2063	2.91	-	2.91	1,77,976
28-07-2020	बरघाट	एमपी22एच1267	48515	142	2.385	1.025	1.36	81,600
28-07-2020	सिवनी	एमएच40बीजी5864	48520	147	1.335	-	1.335	80,100
28-07-2020	धीमरखेडा	एमपी20एचबी8877	48519	146	2.43	-	2.43	1,45,800
28-07-2020	नागोद -2	एमपी20एचबी5167	48517	144	1.41	-	1.41	87,209
28-07-2020	सतना	एमपी20जीए5141	48518	145	1.77	-	1.77	1,09,475
29-07-2020	कुर्रई	एमपी20एचबी3367	48525	152	1.71	-	1.71	1,02,600
29-07-2020	जामई-2	एमपी20एचबी5157	48522	149	1.86	-	1.86	1,11,600
29-07-2020	करंजिया	एमपी 48एच0893	48521	148	1.035	-	1.035	62,100
30-07-2020	परसिया	एमपी20एचबी4075	48523	150	1.725	-	1.725	1,03,500
30-07-2020	जबलपुर-6	एमपी20जीए3506,	48526	155, 156	0.555	-	0.555	33,300
02-10-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	56058	236	2.385	1.95	0.435	26,100
06-11-2020	करंजिया	एमपी20एचबी3844	56226	353	1.365	0.405	0.96	57,600
मद: खिचड़ी 900 ग्राम								
02-03-2020	डिंडोरी	एमपी20एचबी1722	202	735	0.45	0.0094	0.4406	26,436
29-07-2020	करंजिया	एमपी48एच0893	48553	148	0.594	0.3232	0.2708	16,248
29-07-2020	धीमरखेड़ा	एमपी21जी2589	48556	151	0.144	-	0.144	8,640
30-07-2020	परसिया	एमपी20एचबी4075	48555	150	0.018	-	0.018	1,080
30-07-2020	जबलपुर-6	एमपी 04जीए8411	48558	156	0.018	-	0.018	1,080

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
25-09-2020	घंसौर	एमपी20एचबी1504	48583	203	0.18	0.162	0.018	1,080
02-10-2020	करंजिया	एमपी 48एच0893	56109	236	0.576	0.054	0.522	31,320
02-11-2020	समनापुर	एमपी20एचबी4784	56147	345	0.378	0.342	0.036	2,160
13-02-2021	गादरवाडा	एमपी20एचबी1310	37536	971	0.468	0.45	0.018	1,080
योग							**346.342**	**2,13,93,407**

परिशिष्ट-2.2.5

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

रीवा संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद : हलवा 600 ग्राम								
25-09-20	सीधी 1 ग्रामीण	एमपी17एचएच1114	49365	740	4.104	3.768	0.336	21,588
01-10-20	पुष्पाराजगढ़	एमपी09एचएच1020	49377	749	6.816	2.928	3.888	2,49,804
28-10-20	जवा	एमपी17एचएच0582	49279	828	6.672	5.664	1.008	64,764
14-12-20	रामनगर	एमपी16एच1437	43055	75	4.128	0.216	3.912	2,51,346
14-12-20	मैहर 2	एमपी16एच1437	43057	1130	5.016	0	5.016	3,22,278
14-12-20	रीवा ग्रामीण 2	एमपी17एचएच2535	43059	77	5.4	0	5.4	3,46,950
14-12-20	कुसमी	एमपी17एचएच1811	43061	1132	4.248	0	4.248	2,72,934
14-12-20	अनूपपुर टी	यूपी63एटी6867	43063	1134	6.048	0	6.048	3,88,584
14-12-20	कोतमा	यूपी63एटी6867	43065	1136	5.28	0	5.28	3,39,240
31-12-20	रायपुर कर्चुलियान 2	एमपी17एचएच1811	43071	83	2.904	0.984	1.92	1,23,360
31-12-20	रायपुर कर्चुलियान	एमपी17एचएच1811	43073	85	5.256	0	5.256	3,37,698
31-12-20	सीधी ग्रामीण 2	एमपी09एचएच1020	43075	1138	6.048	0	6.048	3,88,584
मद : बाल आहार 600 ग्राम								
03-11-20	कोतमा	एमपी17एचएच1229	49294	843	3.168	3.144	0.024	1,524
03-11-20	कुसमी	एमपी17एचएच0320	49296	845	3.048	0	3.048	1,93,548
04-11-20	पुष्पाराजगढ़	एमपी09एचएच1020	49298	847	2.616	0	2.616	1,66,116
14-12-20	कुसमी	एमपी17एचएच1811	43061	1132	3.072	0.456	2.616	1,66,116
14-12-20	अनूपपुर टी	यूपी63एटी6867	43063	1134	3.048	0	3.048	1,93,548
14-12-20	कोतमा	यूपी63एटी6867	43065	1136	2.664	0	2.664	1,69,164
21-03-21	सीधी	एमपी53एचए1607	43411	1524	4.8	3.26	1.54	97,790
मद : बर्फी 750 ग्राम								
22-10-20	हनुमना 2	एमपी17एचएच0320	49254	805	3.735	1.695	2.04	1,26,276
28-10-20	जवा	एमपी17एचएच0582	49279	828	3.645	1.215	2.43	1,50,417
26-11-20	रामपुर बघेलान	एमपी17एचएच0631	49205	53	3.045	0.585	2.46	1,52,274
26-11-20	ब्योहारी	एमपी09एचएच1020	49300	849	3.375	0	3.375	2,08,912
05-12-20	पुष्पाराजगढ़	यूपी71एडी1364	43010	1090	5.1	2.625	2.475	1,53,202
06-12-20	जैतहरी	एमपी 19एचए0885	43012	1092	4.14	4.125	0.015	928

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
14-12-20	कोतमा	यूपी63एटी6867	43065	1136	2.25	1.515	0.735	45,496
15-01-21	रामपुर नयकिन	एमपी16एच1437	43279	101	2.295	1.536	0.759	46,982
15-01-21	कुसमी	एमपी16एच1437	43281	1428	1.125	0	1.125	69,637
31-01-21	रायपुर कर्चुलियान	एमपी17एचएच1495	43315	109	3.99	2.28	1.71	1,05,849
26-03-21	सिंगरौली ग्रामीण	एमपी19एचए2422	43425	1536	0.45	0.3	0.15	9,285
मद: लड्डू 750 ग्राम								
28-10-2020	ब्योहारी	एमपी09एचएच1020	49277	826	3	2.76	0.24	14,868
28-10-2020	जवा	एमपी17एचएच0582	49279	828	1.815	0	1.815	1,12,439
14-12-2020	अनूपपुर टी	यूपी63एटी6867	43063	1134	1.515	0.855	0.66	40,887
14-12-2020	कोतमा	यूपी63एटी6867	43065	1136	1.185	0	1.185	73,411
31-12-2020	सीधी-2 ग्रामीण	एमपी09एचएच1020	43075	1138	3.075	0.48	2.595	1,60,760
मद : बर्फी 900 ग्राम								
16-10-2020	सिंगरौली 3ग्रामीण	एमपी17एचएच1811	49328	798	1.944	1.8	0.144	8,914
मद : खिचड़ी 625 ग्राम								
04-11-2020	पुष्पाराजगढ़	एमपी09एचएच1020	49298	847	2.725	1.625	1.1	68,035
14-12-2020	सिंगरौली 3 ग्रामीण	एमपी 09एचएच1020	43048	1123	3.1	2.025	1.075	66,489
14-12-2020	देओसर ग्रामीण	एमपी 09एचएच1020	43050	1125	1.975	0	1.975	1,22,154
14-12-2020	चित्रकूट ग्रामीण 2	एमपी17एचएच0631	43051	1126	2.725	0	2.725	1,68,541
14-12-2020	सतना शहरी	एमपी17एचएच0631	43053	1128	2.325	0	2.325	1,43,801
14-12-2020	रामनगर	एमपी16एच1437	43055	75	2.675	0	2.675	1,65,449
14-12-2020	मैहर ग्रामीण 2	एमपी16एच1437	43057	1130	3.15	0	3.15	1,94,827
14-12-2020	रीवा ग्रामीण 2	एमपी17एचएच2535	43059	77	2.825	0	2.825	1,74,726
14-12-2020	कुसमी	एमपी17एचएच1811	43061	1132	3.2	0	3.2	1,97,920
14-12-2020	अनूपपुर टी	यूपी63एटी6867	43063	1134	3.225	0	3.225	1,99,466
14-12-2020	कोतमा	यूपी63एटी6867	43065	1136	2.775	0	2.775	1,71,634
मद : खिचड़ी 900 ग्राम								
07-01-21	चितरंगी 2 ग्रामीण	एमपी53एचए1442	43123	1382	0.684	0.378	0.306	18,834
07-01-21	सिंगरोली 3 ग्रामीण	एमपी19एचए2422	43125	1388	0.738	0	0.738	45,424
04-02-21	सिंगरौली नवीन शहरी	एमपी19एचए2422	43127	1386	0.144	0	0.144	8,863
योग							**116.067**	**73,21,639**

(स्रोत: संयंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.2.6

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

सागर संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद : हलवा 600 ग्राम								
09-01-2021	सागर ग्रामीण -2	एमपी15एसी4193	64011	1309-1310	4.272	1.68	2.592	1,66,925
09-01-2021	छतरपुर-1 ग्रा.	एमपी 16एच1975	64013	1335-1336	6.144	-	6.144	3,95,674
09-01-2021	छतरपुर-2 श.	एमपी 16एच1975	64015	1337-1338	0.96	-	0.96	61,824
09-01-2021	छतरपुर-2 श.	एमपी15एचए2375	64017	1334	2.976	-	2.976	1,91,654
09-01-2021	ईशानगर-2	एमपी15एचए2375	64018	1339-1340	6.048	-	6.048	3,89,491
मद : बाल आहार 600 ग्राम								
09-01-2021	सागर ग्रामीण -2	एमपी15एसी4193	64011	1309-1310	3.504	0.12	3.384	2,16,576
09-01-2021	छतरपुर -1 ग्रा.	एमपी16एच1975	64013	1335-1336	4.848	-	4.848	3,10,272
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी16एच1975	64015	1337-1338	0.96	-	0.96	61,440
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी15एचए2375	64017	1334	1.536	-	1.536	98,304
09-01-2021	ईशानगर -2	एमपी15एचए2375	64018	1339-1340	4.56	-	4.56	2,91,840
मद : गेंहू सोया बर्फी 750 ग्राम								
09-01-2021	सागर ग्रामीण -2	एमपी15एसी4193	64011	1309-1310	2.055	-	2.055	1,25,766
09-01-2021	छतरपुर -1 ग्रा.	एमपी16एच1975	64013	1335-1336	3.18	-	3.18	1,94,616
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी 16एच1975	64015	1337-1338	0.6	-	0.6	36,720
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी15एचए2375	64017	1334	1.38	-	1.38	84,456
09-01-2021	ईशानगर -2	एमपी15एचए2375	64018	1339-1340	3.03	-	3.03	1,85,436
मद : आटा बेसन लड्डू 750 ग्राम								
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी16एच1975	64015	1337-1338	0.6	0.225	0.375	22,538
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी15एचए2375	64017	1334	0.81	-	0.81	48,681
09-01-2021	ईशानगर -2	एमपी15एचए2375	64018	1339-1340	2.715	-	2.715	1,63,172
मद : खिचड़ी 625 ग्राम								
09-01-2021	छतरपुर -2 श.	एमपी15एचए2375	64017	1334	1.3	0.825	0.475	28,738
09-01-2021	ईशानगर -2	एमपी15एचए2375	64018	1339-1340	3.9		3.9	2,35,950
मद : खिचड़ी 750 ग्राम								
08-01-2021	बलदेवगढ़	एमपी15एचए2075	64009	1332-1333	3.735	1.755	1.98	1,19,790
योग							**54.508**	**34,29,863**

परिशिष्ट-2.2.7

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.2, पृष्ठ संख्या 83)

शिवपुरी संयंत्र में सम्बंधित स्टॉक नहीं होने के बावजूद टी.एच.आर. आपूर्ति किये जाने का विवरण

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
1: ग्वालियर संभाग								
मद : बाल आहार 600 ग्राम								
18-10-2020	डबरा ग्रामीण -2	एमपी07एचबी1325	21811	6018	2.976	0.84	2.136	1,34,141
28-10-2020	करेरा	एमपी07एचबी4610	20382	436	4.32	1.008	3.312	2,07,993
02-01-2021	शिवपुरी शहरी	एमपी07एचबी4610	33366	471	3.984	3.048	0.936	58,781
08-01-2021	बमोरी	एमपी09एचजी0960	33391	6147	4.056	3.6	0.456	28,637
मद : बर्फी 750 ग्राम								
13-10-2020	ग्वालियर -1	एमपी06एचसी5179	21993	6003	5.685	5.25	0.435	26,600
18-10-2020	डबरा ग्रामीण 2	एमपी07एचबी1325	21811	6018	3.54	1.272	2.268	1,38,688
20-10-2020	ग्वालियर-3	एमपी07एचबी2265	21820	6024	4.2	0.69	3.51	2,14,637
21-10-2020	इन्दरगढ़	एमपी07एचबी4563	21826	6028	2.865	-	2.865	1,75,195
04-01-2021	भांडेर	एमपी07एचजी5712	33378	6137	0.78	0.675	0.105	6,421
04-01-2021	इन्दरगढ़	एमपी33एच2242	33379	6138	0.975	0	0.975	59,621
04-01-2021	ईशागढ़	एमपी 33एच2242	33380	474	2.175	0	2.175	1,33,001
07-01-2021	पिछोर	एमपी06जीए0489	33388	476	1.71	0.315	1.395	85,304
मद : हलवा 600 ग्राम								
20-10-20	सेवड़ा	एमपी07एचबी4563	21817	6022	8.376	8.064	0.312	19,750
20-10-20	गिर्द	आरजे11जीबी6118	21818	6023	10.44	-	10.44	6,60,852
20-10-20	शिवपुरी शहरी	एमपी07एचबी4610	21819	428	8.952	-	8.952	5,66,662
20-10-20	ग्वालियर-3	एमपी07एचबी2265	21820	6024	7.776	-	7.776	4,92,221
21-10-20	दतिया ग्रामीण	यूपी93बीटी7154	21823	6026	7.128	1.44	5.688	3,60,050
21-10-20	पिछोर	एमपी 33एच4376	21824	430	6.528	-	6.528	4,13,222
21-10-20	इन्दरगढ़	एमपी07एचबी4563	21826	6028	5.616	-	5.616	3,55,493
मद :खिचड़ी 625 ग्राम								
01-01-21	चंदेरी	एमपी67एच0899	33364	6126	2.725	2.025	0.7	42,385
मद :खिचड़ी 750 ग्राम								
04-01-21	चाचोड़ा	एमपी07एचजी5712	33377	6136	5.07	0.675	4.395	2,66,117
04-01-21	भांडेर	एमपी33एच2242	33378	6137	0.855	-	0.855	51,770
04-01-21	इन्दरगढ़	एमपी33एच2242	33379	6138	0.855	-	0.855	51,770
04-01-21	ईशागढ़	यूपी80सीटी6375	33380	474	1.74	-	1.74	1,05,357

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
मद :खिचड़ी 900 ग्राम								
15-09-2020	पोहरी	एमपी33एच1909	3634	416	0.36	0.126	0.234	14,169
15-09-2020	अशोकनगर ग्रामीण	एमपी33एच2094	3635	4536	0.738	-	0.738	44,686
16-09-2020	ईशागढ़	आरजे28जीए1146	3636	417	0.846	-	0.846	51,225
16-09-2020	पोहरी	एमपी07एचबी4610	3637	418	0.36	-	0.36	21,798
मद : लड्डू 750 ग्राम								
04-09-20	पोहरी	एमपी09एचजी0511	3515	404	6.495	6.435	0.06	3,708
05-09-20	बदरवास	एमपी67एच0391	3518	406	2.445	-	2.445	1,51,101
08-09-20	खनियाधाना	एमपी67एच0216	3524	412	3.615	2.205	1.41	87,138
08-09-20	पिछोर	एमपी08एचए7111	3523	411	3.42	-	3.42	2,11,356
16-10-20	ग्वालियर-5	एमपी07एचबी1954	21803	6012	2.46	0.165	2.295	1,41,831
20-10-20	सेवड़ा	एमपी07एचबी4563	21817	6022	2.28	1.5	0.78	48,204
20-10-20	गिर्द	आरजे11जीबी6118	21818	6023	2.82	-	2.82	1,74,276
20-10-20	शिवपुरी शहरी	एमपी07एचबी4610	21819	428	2.175	-	2.175	1,34,415
20-10-20	ग्वालियर-3	एमपी07एचबी2265	21820	6024	2.1	-	2.1	1,29,780
कुल 1: ग्वालियर संभाग							**94.108**	**58,68,355**
2: चम्बल संभाग								
मद: बाल आहार 600 ग्राम								
16-10-20	श्योपुर शहरी	एमपी06एचसी1895	21805	6014	2.352	1.644	0.708	44,038
29-10-20	भिंड शहरी	आरजे11जीबी2017	21851	440	3.96	-	3.96	2,46,312
06-11-20	कराहल	एमपी09एचएच0573	21862	442	5.712	3.768	1.944	1,20,917
06-11-20	विजयपुर 2	एमपी33एच1361	21863	6054	4.488	-	4.488	2,79,154
मद: बर्फी 750 ग्राम								
12-10-20	भिंड ग्रामीण	आरजे11जीए2117	21986	422	0.78	0.752	0.028	1,730
21-10-20	लहार	एमपी07एचबी4563	21825	6027	4.275	3.72	0.555	34,299
22-10-20	विजयपुर 1	आरजे11जीबी0936	21831	6032	4.305	3.855	0.45	27,810
23-10-20	सबलगढ़	आरजे11जीए1233	21834	6034	4.755	2.55	2.205	1,36,269
28-10-20	खड़ियाहार	एमपी07एमएच5454	21846	6041	2.475	1.335	1.14	70,452
28-10-20	मुरैना शहरी	एमपी07एमएच5454	21847	6042	3.15	-	3.15	1,94,670
07-01-21	अम्बाह	यूपी93एटी5227	33389	6145	2.835	-	2.835	1,75,203
07-01-21	पोरसा	यूपी93एटी5227	33390	6146	4.62	-	4.62	2,85,516
मद: बर्फी 900 ग्राम								
26-09-2020	जौरा	एमपी07एचबी5416	10824	5416	1.152	0.738	0.414	25,585
27-09-2020	पोरसा	एमपी06एचसी2101	10825	5418	0.036	-	0.036	2,225

दिनांक	परियोजना	ट्रक संख्या	चालान संख्या	बिल्टी संख्या	प्रेषण (मी. ट. में)	संयंत्र में उपलब्ध स्टॉक उक्त दिनांक की स्थिति में	(-) प्रेषण के विरुद्ध ऋणात्मक मात्रा (मी. ट. में)	राशि (₹ में)
27-09-2020	विजयपुर 2	एमपी33एच1065	10826	5420	1.674	-	1.674	1,03,453
27-09-2020	मुरैना ग्रामीण	आरजे11जीए2986	10827	5422	1.35	-	1.35	83,430
29-09-2020	खड़ियाहार	एमपी07जीए6937	10828	5424	0.054	-	0.054	3,337
29-09-2020	विजयपुर 2	एमपी06एचसी6285	10829	5425	1.674	-	1.674	1,03,453
मद: हलवा 600 ग्राम								
19-10-2020	लहार	एमपी07एमएच5454	21813	6019	6.216	0.024	6.192	3,91,334
19-10-2020	पहाड़गढ़	एमपी07एचबी1560	21814	6020	10.848	-	10.848	6,85,594
21-10-2020	लहार	एमपी07एचबी4563	21825	6027	7.2	-	7.2	4,55,040
मद: खिचड़ी 625 ग्राम								
04-11-20	मौ	एमपी09एचएच4657	21856	6049	2.075	1.475	0.6	36,390
05-11-20	मिहोना रौन	एमपी07एचबी1954	21859	6052	3.775	-	3.775	2,28,954
05-11-20	बरोही	एमपी07एचबी1954	21860	6053	1.525	-	1.525	92,491
05-01-21	मुरैना शहरी	आरजे11जीबी2017	33382	6140	6	3.075	2.925	1,77,401
मद: खिचड़ी 750 ग्राम								
30-10-20	जौरा 2	एमपी07एचबी1017	21853	6046	1.725	1.695	0.03	1,820
30-10-20	जौरा	यूपी93एटी1637	21854	6047	2.37	-	2.37	1,43,741
04-11-20	गोरमी	एमपी09एचएच4657	21855	6048	1.08	-	1.08	65,502
04-11-20	मौ	एमपी09एचएच4657	21856	6049	1.02	-	1.02	61,863
05-11-20	मिहोना रौन	एमपी 07एचबी1954	21859	6052	1.875	-	1.875	1,13,719
05-11-20	बरोही	एमपी 07एचबी1954	21860	6053	0.72	-	0.72	43,668
मद: लड्डू 750 ग्राम								
16-10-2020	श्योपुर ग्रामीण 2	एमपी06एचसी1895	21804	6013	1.335	-	1.335	81,702
16-10-2020	श्योपुर शहरी	एमपी06एचसी1895	21805	6014	1.305	-	1.305	79,866
23-10-2020	सबलगढ़	आरजे11जीए1233	21834	6034	2.385	1.14	1.245	76,194
योग 2 चम्बल संभाग							**75.33**	**46,73,132**
महायोग 1 और 2 (ग्वालियर और चम्बल संभाग)							**169.438**	**1,05,41,487**

(स्रोत: संयंत्र द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

परिशिष्ट-2.2.8

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.3 (अ), पृष्ठ संख्या 85)

उन चालानों का विवरण जिसमे उल्लिखित ट्रक संख्या अस्तित्व में नहीं हैं

स. क्र.	चालान संख्या/ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
1	443/ 03.06.2018	एमपी 09एचजी6510	टैंकर	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	गंगेव-1, रीवा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार600, खिचड़ी 625	25.518	16,01,663
2	442/ 03.06.2018	एमपी 09एचजी6510	टैंकर	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	गंगेव-1, रीवा	बर्फी 900, खिचड़ी- 900	0.108	6,666
3	913/ 13.07.2019	एमपी 20एचबी4290	टैंकर	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	रायपुर कर्चुलियान-1, रीवा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625	30.390	19,12,115
4	1583/ 13.10.2019	सीजी10एसी9807	एग्रीकल्चर ट्रेक्टर (एल एम व्ही)	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	गंगेव-2, रीवा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार600, खिचड़ी 625	22.521	14,12,655
5	1584/ 13.10.2019	सीजी10एसी9807	एग्रीकल्चर ट्रेक्टर (एल एम व्ही)	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	गंगेव-2, रीवा	बर्फी 900, खिचड़ी- 900	0.108	6,666
6	1585/ 13.10.2019	सीजी10एसी9807	एग्रीकल्चर ट्रेक्टर (एल एम व्ही)	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	गंगेव-2, रीवा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार600, खिचड़ी 625	12.35	7,71,812
7	35037/ 30.04.2018	एमपी09 एचइ2760	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	आष्टा 2/ सीहोर	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	12.162	5,34,871
8	35098/ 26.05.2018	एमपी04के2815	ऑटो आर. (गुड्स)	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	मोतियापार्क/ भोपाल	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	28.422	17,71,661

स. क्र.	चालान संख्या/ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
9	35099/ 26.05.2018	एमपी04के2815	ऑटो आर. (गुड्स)	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	मोतियापार्क/ भोपाल	बर्फी 900	0.288	17,883
10	36999/ 10.04.2019	एमपी 04एचए0225	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ग्यारसपुर/ विदिशा	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	28.62	17,84,887
11	42484/ 11.07.2020	एमपी 04एचए0225	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	गोविन्दपुरा/ भोपाल	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750 खिचड़ी 750	27.396	17,06,236
12	42485/ 11.07.2020	एमपी 04एचए0225	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	गोविन्दपुरा/ भोपाल	बर्फी, 900 खिचड़ी900	0.252	15,509
13	37000/ 10.04.2019	एमपी 04एचए0225	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ग्यारसपुर/ विदिशा	बर्फी 900	0.234	14,530
14	37211/ 12.06.2019	जेएच05बीए0511	एम-साइकिल/ स्कूटर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	बुधनी/ सीहोर	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	18.75	11,69,177
15	37212/ 12.06.2019	जेएच05बीए0511	एम-साइकिल/ स्कूटर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	बुधनी/ सीहोर	बर्फी 900	0.324	20,119
16	37213/ 12.06.2019	जेएच05बीए0511	एम-साइकिल/ स्कूटर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ओबेदुल्लागंज/ रायसेन	हलवा 600	7.2	4,49,964
17	40685/ 24.10.2019	एमपी04 आरए6784	ऑटो आर. पैसेंजर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	विदिशा ग्रामीण/ विदिशा	हलवा 600, बर्फी 750, लड्डू 750	0.324	20,224
18	38192/ 17.10.2020	एमपी 18जीए3107	टैंकर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	सीहोर ग्रामीण/ सीहोर	हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625, बर्फी 750	28.13	17,44,180
19	38193/ 17.10.2020	एमपी 18जीए3107	टैंकर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	सीहोर ग्रामीण/ सीहोर	खिचड़ी 900 बर्फी 900	0.576	35,450
20	35178/ 11.06.2018	एमपी 09एचसी 0355	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	बाणगंगा/ भोपाल	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750	15.684	9,79,428
21	35179/ 11.06.2018	एमपी 09एचसी0355	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	बाणगंगा/ भोपाल	बर्फी 900	0.162	10,059
22	36616/ 09.12.2018	एमपी 09एचइ4080	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	राजगढ़/ राजगढ़	बर्फी 900	2.268	1,40,831
23	38342/ 08.12.2020	एमपी 09एचइ9901	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	गोविन्दपुरा/ भोपाल	बर्फी 900, खिचड़ी 900	0.072	4,431
24	786/ 11.07.2019	एमपी 09एचइ4058	कार	एम.पी.ए.एफ. आई.एल.	कोलर/ भोपाल	खिचड़ी 900	0.36	21,958

स. क्र.	चालान संख्या/ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
25	36617/ 09.12.2018	एमपी 09एचइ4058	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ब्यावरा/ राजगढ़	बालआहार 600, बर्फी 750	9.384	5,84,485
26	36615/ 09.12.2018	एमपी 09एचइ4058	कार	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	राजगढ़/ राजगढ़	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	22.182	13,83,180
27	43960/ 18.01.2021	एमएच14एचसी 0160	एम-साइकिल/ स्कूटर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल. धार	बाघ, धार	बर्फी 750, लड्डू750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625	28.274	16,66,005
28	43961/ 18.01.2021	एमएच14एचसी 0160	एम-साइकिल/ स्कूटर	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल. धार	बाघ, धार	बर्फी 900, खिचड़ी 900	2.502	1,45,777
29	एमपी ए2673/ 10.12.2018	एमपी 09एचएफ 0357	टैंकर	एम पी एग्रो न्यूट्री फूड्ज लिमिटेड, इंदौर	बदनावर, धार	बर्फी 900, खिचड़ी 900	0.504	30,820
30	एमपी ए2672/ 10.12.2018	एमपी 09एचएफ 0357	टैंकर	एम पी एग्रो न्यूट्री फूड्ज लिमिटेड, इंदौर	बदनावर, धार	हलवा, बालआहार, खिचड़ी 625 एवं 750, बर्फी 750, लड्डू 750	15.354	9,50,345
31	884/ 07.08.2018	यूपी77एल1548	पल्सर मोटर साइकिल	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	नागौद-1, सतना	हलवा, बालआहार, खिचड़ी 625 एवं 750, बर्फी 750, लड्डू 750	11.5	7,21,205
32	885/ 07.08.2018	यूपी77एल1548	पल्सर मोटर साइकिल	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	नागौद-1, सतना	खिचड़ी 900 बर्फी 900	2.52	1,55,547
33	730/ 10.07.2018	एचआर73ए8549	तीन पहिया (पैसेंजर) (3डब्ल्यू टी)	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	सतना-2, सतना	हलवा, बालआहार, खिचड़ी 625 एवं 750, बर्फी 750, लड्डू 750	27.2690	17,16,396
34	731/ 10.07.2018	एचआर73ए8549	तीन पहिया (पैसेंजर) (3डब्ल्यू टी)	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	सतना-2, सतना	खिचड़ी 900 और बर्फी 900	0.3960	24,443

स. क्र.	चालान संख्या/ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
				मंडीदीप, रायसेन				
35	882/ 07.08.2018	यूपी77एल1548	पल्सर मोटर साइकिल	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	नागौद- 2, सतना	हलवा, बालआहार खिचड़ी 625 और 750, बर्फी 750, लड्डू 750	15.8060	9,94,830
36	883/ 07.08.2018	यूपी77एल1548	पल्सर मोटर साइकिल	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	नागौद- 2, सतना	खिचड़ी 900 बर्फी 900	0.5760	35,554
37	3417/11.03. 2019	एमपी09एचजी 2901	ट्रक (आर आई जी)	एम पी एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, इंदौर	रानापुर, झाबुआ	हलवा, बालआहार, खिचड़ी 625 एवं 750, बर्फी 750, लड्डू 750	28.4	17,58,358
38	एमपी आर26/ 03.04.2019	आरजे 14जीबी2351	लाइन ट्राली	के.डी.एम.आर.	अमरवाड़ा/ छिन्दवाड़ा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625	32.853	20,18,131
39	35774/ 24.08.2020	एमपी09जी7396	मोटर साइकिल	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	माखन/ खण्डवा	बर्फी 750, लड्डू 750, खिचड़ी 750, हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625	19.345	11,95,928
40	35775/ 24.08.2020	एमपी09जी7396	मोटर साइकिल	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	माखन/ खण्डवा	बर्फी 900, खिचड़ी 900	0.378	23,121
योग							**479.462**	**2,95,57,100**

(स्रोत: संयंत्र एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया चालान)

परिशिष्ट-2.2.9

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.3 (ब), पृष्ठ संख्या 85)

उन चालानों का विवरण जिसमे उल्लिखित वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल में उपलब्ध नहीं है

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
1	37341/ 18.07.2019	एमपी09जीए4694	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	इछावर/ सीहोर	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	28.578	17,82,442
2	40598/ 05.10.2019	आरजे 17जीबी0877	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	सिरोंज/ विदिशा	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	29.088	18,12,095
3	36749/ 14.01.2019	आरजे 09सीजी2769	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	खिलचीपुर/ राजगढ़	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750	29.481	18,39,013
4	42167/ 15.03.2020	एमपी 06एचए0246	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	नसरुल्लागंज/ सीहोर	खिचड़ी 625, लड्डू 750, खिचड़ी 750	21.235	12,95,687
5	42390/ 24.06.2020	सीजी04इ6070	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ग्यारसपुर/ विदिशा	हलवा 600, बालआहार 600, बर्फी 750, लड्डू 750 खिचड़ी 625, खिचड़ी 750	24.673	15,23,378
6	42413/ 30.06.2020	आरजे 17जीबी5345	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	खिलचीपुर/ राजगढ़	हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625, लड्डू 750	27.16	16,77,028
7	41125/ 31.03.2021	एमपी 09एचजी9559	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	ब्यावरा/ राजगढ़	हलवा 600, बालआहार 600, खिचड़ी 625, बर्फी 750,	26.217	16,20,310

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
						लड्डू 750, खिचड़ी 750		
8	36750/ 14.01.2019	आरजे 09सीजी2769	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	खिलचीपुर/ राजगढ़	बर्फी 900	2.538	1,57,597
9	37342/ 18.07.2019	एमपी 09जीए4694	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	इछावर/ सीहोर	बर्फी 900	0.072	4,471
10	40599/ 05.10.2019	आरजे 17जीबी0877	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	सिरोंज/ विदिशा	बर्फी 900	4.014	2,49,249
11	42168/ 15.03.2020	एमपी 06एचए0246	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	नसरुल्लागंज/ सीहोर	बर्फी 900, खिचड़ी 900	1.224	75,331
12	42383/ 23.06.2020	एमपी 16एचसी1748	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	विदिशा ग्रामीण/ विदिशा	बर्फी 900, खिचड़ी 900	1.008	62,037
13	279/ 24.03.2020	यूपी70बीटी8489	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.ए.ए.एस.ए स.एम.	पान्ढुरना/ छिन्दवाड़ा	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 हलवा 600 बालआहार 600 खिचड़ी 625	21.489	13,24,952
14	56223/ 04.11.2020	यूपी70बीटी8489	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	पान्ढुरना/ छिन्दवाड़ा	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 हलवा 600 बालआहार 600 खिचड़ी 625	23.634	14,56,992

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
15	एमपी आर228/ 05.06.2019	आरजे 37जीसी 2122	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	के.डी.एम.आर.	जामई-2/ छिन्दवाड़ा	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 हलवा 600 बालआहार 600 खिचड़ी 625	23.299	14,36,393
16	एमपी एस 155/ 05.06.2019	आरजे 37जीसी 2122	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	के.डी.एम.आर.	जामई-2/ छिन्दवाड़ा	बर्फी 900 खिचड़ी 900	0.90	54,675
17	363/ 24.01.2020	जीजे 20एक्स 1294	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.ए.ए.एस.ए स.एम., धार	मेघनगर/ झाबुआ	बर्फी 900 खिचड़ी 900	7.920	4,84,308
18	443/ 24.01.2020	जीजे20एक्स1294	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.ए.ए.एस.ए स.एम., धार	मेघनगर/ झाबुआ	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 हलवा 600 बालआहार 600 खिचड़ी 625	32.562	20,21,394
19	54578/ 09.09.2020	एमएच14बी2386	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	रामा/ झाबुआ	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 खिचड़ी 625	21.69	13,20,096
20	54579/ 09.09.2020	एमएच14बी2386	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	रामा/ झाबुआ	बर्फी 900	8.550	5,25,825
21	36210/ 04.05.2021	एमपी 41एच1369	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.एल.	बड़वानी/ बड़वानी	बर्फी 750 लड्डू 750 खिचड़ी 750 हलवा 600 बालआहार 600 खिचड़ी 625	25.313	15,59,713

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	वाहन का पंजीयन क्र., जो चालान में ट्रक के रूप में अंकित है	वाहन पोर्टल के अनुसार उस वाहन का प्रकार	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना/ जिले का नाम, जहाँ टी.एच.आर. आपूर्ति की गई	टी.एच.आर. सामग्री जो उस चालान में दर्शायी गई	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
22	1590/ 02.11.2018	आरजे 20जीएफ 9375	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एमपी एग्रोटोनिक्स लिमिटेड	त्योंथर/ रीवा	बर्फी 900 खिचड़ी 900	3.456	2,13,322
23	1853/ 10.12.19	टीएस07युवी 2220	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप रायसेन	अमरपाटन, सतना	बर्फी-750 लड्डू-750 खिचड़ी-750 हलवा-600 बालआहर-600 खिचड़ी-625	2.849	1,76,525
24	1851/ 10.12.19	टीएस07युवी 2220	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप, रायसेन	मैहर-2, सतना	बर्फी-750 लड्डू-750 खिचड़ी-750 हलवा-600 बालआहर--600 खिचड़ी-625 बर्फी-900 खिचड़ी-900	34.875	21,96,499
25	1852/ 10.12.19	टीएस07युवी 2220	कोई अभिलेख नहीं पाया गया	एम.पी. एग्रोटोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप रायसेन	मैहर-2, सतना	गेंहू सोया बर्फी-900 खिचड़ी-900	2.268	1,39,992
योग							**404.093**	**2,50,09,324**

(स्रोत: संयंत्र एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त चालान)

परिशिष्ट-2.2.10

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.4 (ब), पृष्ठ संख्या 91)

उन मामलों का विवरण जहां चालान में उल्लिखित मात्रा परियोजना पर प्राप्त नहीं होने पर भी सत्यापन कर दिया गया

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
1	347/ 02.08.2018	के.डी.एम. आर.	परसिया -2, छिन्दवाड़ा	महिला	खिचड़ी-750	125	0	125	1.875	1,12,500
2	667/ 31.10.2018	के.डी.एम. आर.	छिन्दवाड़ा (शहरी), छिन्दवाड़ा	महिला	लड्डू-750	152	0	152	2.28	1,40,847
3	495/ 30.11.2018	के.डी.एम. आर.	छिन्दवाड़ा (ग्रामीण), छिन्दवाड़ा	बालिकायें	बर्फी - 900	3	0	3	0.054	3,321
					खिचड़ी-900	3	0	3	0.054	3,240
4	एमपी आर 151/ 10.05.2019	के.डी.एम. आर.	छिन्दवाड़ा (शहरी), छिन्दवाड़ा	बच्चे	हलवा-600	170	0	170	4.08	2,54,980
5	एमपी आर 444 & 480 12.08.2019 & 28.08.2019	के.डी.एम. आर.	सौसर, छिन्दवाड़ा	महिला	खिचड़ी-750	246	245	1	0.015	900
6	एमपी R661/ 01.12.2019	के.डी.एम. आर.	चौरई, छिन्दवाड़ा	बच्चे	खिचड़ी-625	187	183	4	0.1	6,000
7	48530/14. 09.20	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	परसिया -2, छिन्दवाड़ा	बच्चे	बाल आहार - 600	195	183	12	0.288	17,999
8	44805/20. 09.20	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	तामिया, छिन्दवाड़ा	बच्चे	हलवा-600	293	223	70	1.679	1,04,929
9	56098/ 21.10.20	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	हर्रई, छिन्दवाड़ा	बच्चे	बाल आहार-600	165	164	1	0.024	1,500
				महिला	बर्फी - 750	265	263	2	0.03	1,848

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
10	56306/ 27.11.2020	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा	बालिकायें	बर्फी-900	1	0	1	0.018	1,107
11	39342/19. 09.2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	बाणगंगा, भोपाल	महिला	बर्फी	374	314	60	0.9	55,886
12	35066/17. 05.2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	बाणगंगा, भोपाल	बालिकायें	बर्फी	9	0	9	0.162	10,059
13	35196/15. 06.2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	चांदवड़, भोपाल	महिला	लड्डू	188	0	188	2.82	1,75,108
14	20984/14. 04.2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	गोविन्दपुरा, भोपाल	बच्चे	बाल आहार	431	0	431	10.344	6,46,448
15	596/11.07. 2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	गोविन्दपुरा, भोपाल	बालिकायें	खिचड़ी	40	0	40	0.72	43,916
16	729/07.08. 2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	गोविन्दपुरा, भोपाल	बच्चे	खिचड़ी	226	0	226	5.65	3,41,797
				महिला	खिचड़ी	240	0	240	3.6	2,19,582
17	730/07.08. 2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	गोविन्दपुरा, भोपाल	बालिकायें	खिचड़ी	14	0	14	0.252	15,371
18	39010/21. 06.2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	कोलार, भोपाल	महिला	लड्डू	179	0	179	2.685	1,66,725
19	192/20.05. 2018	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी. एल.	मोतिया पार्क, भोपाल	महिला	खिचड़ी	191	0	191	2.865	1,74,751
20	2003/ 10.10.2018	म.प्र.एन.एफ. एल.	रामा, झाबुआ	बच्चे	हलवा	94	0	94	2.256	1,41,000
					बाल आहार	97	0	97	2.328	1,47,828
					खिचड़ी	294	0	294	7.35	4,46,880

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
				महिला	बर्फी	4	0	4	0.06	3,690
					लड्डू	4	0	4	0.06	3,630
					खिचड़ी	2	0	2	0.03	1,824
21	1684/5.11.2018	एम.पी.ए.टी.एल.	सिरमौर-2, रीवा	महिला	बर्फी	246	0	246	3.69	2,28,411
					लड्डू	98	0	98	1.47	91,067
					खिचड़ी	98	0	98	1.47	90,919
				बच्चे	हलवा	250	0	250	6.00	3,85,500
					बाल आहार	100	0	100	2.40	1,52,400
					खिचड़ी	100	0	100	2.50	1,54,625
22	1894/10.12.2018	एम.पी.ए.टी.एल.	रीवा ग्रामीण-2, रीवा	बालिकायें	बर्फी	5	0	5	0.09	5,571
					खिचड़ी	5	0	5	0.09	5,540
23	2259/04.02.2019	एम.पी.ए.टी.एल.	हनुमना-1, रीवा	बालिकायें	बर्फी	6	0	6	0.108	6,685
					खिचड़ी	6	0	6	0.108	6,647
24	29/ 06.05.2018	एम.पी.ए.टी.एल.	चित्रकूट-1, सतना	बच्चे	बाल आहार-600	76	70	6	0.1440	9,144
25	1951/ 12.12.2019	एम.पी.ए.टी.एल.	नागौद-1, सतना	बच्चे	खिचड़ी-625	305	286	19	0.475	29,379
26	48863/ 26.05.2020	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	उचेहरा, सतना	महिला	खिचड़ी-750	201	191	10	0.1500	9,277
27	48709/ 18.03.2020	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	नागौद-2, सतना	महिला	बर्फी-750	189	0	189	2.8350	1,75,486
					लड्डू-750	189	0	189	2.8350	1,75,628
					खिचड़ी-750	94	0	94	1.4100	87,208
				बच्चे	हलवा-600	212	0	212	5.0880	3,26,904
					बाल आहार-600	106	0	106	2.5440	1,61,544
					खिचड़ी-625	212	0	212	5.3000	3,27,805

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
28	48654/18.03.2020	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	नागौद-2, सतना	बालिकायें	बर्फी-900	14	0	14	0.2520	15,599
					खिचड़ी-900	14	0	14	0.2520	15,511
29	48993/ 22.07.2020	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	रामनगर, सतना	महिला	बर्फी-750	352	0	352	5.2800	3,26,832
					लड्डू-750	352	0	352	5.2800	3,27,096
					खिचड़ी-750	176	0	176	2.6400	1,63,284
				बच्चे	हलवा-600	417	0	417	10.0080	6,43,014
					बाल आहार-600	208	0	208	4.9920	3,16,992
					खिचड़ी-625	417	0	417	10.4250	6,44,786
30	43295/ 27.01.2021	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	रामपुर बघेलान -2, सतना	महिला	बर्फी-750	43	0	43	0.6450	39,925
					लड्डू-750	38	0	38	0.5700	35,312
					खिचड़ी-750	33	0	33	0.4950	30,616
				बच्चे	हलवा-750	50	0	50	1.2000	77,100
					बाल आहार-600	41	0	41	0.9840	62,484
					खिचड़ी-625	35	0	35	0.8750	54,119
31	43296/ 27.01.2021	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	रामपुर बघेलान -2, सतना	बालिकायें	बर्फी-900	6	0	6	0.1080	6,685
					खिचड़ी-900	8	0	8	0.1440	8,863
32	43112/ 06.01.2021	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	नागौद-2, सतना	महिला	बर्फी-750	71	0	71	1.0650	65,923
					लड्डू-750	56	0	56	0.8400	52,038
					खिचड़ी-750	55	0	55	0.8250	51,026
				बच्चे	हलवा-600	79	0	79	1.8960	1,21,818
					बाल आहार-600	57	0	57	1.3680	86,868

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
					खिचड़ी-625	48	0	48	1.2000	74,220
33	43113/06.01.2021	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	नागौद-2, सतना	बालिकायें	खिचड़ी-900	2	0	2	0.0360	2,228
					गेंहू सोया बर्फी-900	5	0	5	0.0900	5,540
34	43374/ 09.02.2021	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	नागौद-2, सतना	महिला	बर्फी-750	40	0	40	0.6000	37,140
					लड्डू-750	42	0	42	0.6300	39,029
					खिचड़ी-750	28	0	28	0.4200	25,977
				बच्चे	हलवा-600	38	0	38	0.9120	58,596
					बाल आहार-600	23	0	23	0.5520	35,052
					खिचड़ी-625	22	0	22	0.5500	34,017
35	1039/ 05.08.2019	एम.पी.ए.टी.एल.	नागौद-2, सतना	महिला	बर्फी-750	169	0	169	2.5350	1,56,916
					लड्डू-750	85	0	85	1.2750	78,986
					खिचड़ी-750	85	0	85	1.2750	78,859
				बच्चे	हलवा-600	203	0	203	4.8720	3,13,026
					बाल आहार-600	101	0	101	2.4240	1,53,924
					खिचड़ी-625	101	0	101	2.5250	1,56,171
36	1040/ 05.08.2019	एम.पी.ए.टी.एल.	नागौद-2, सतना	बालिकायें	खिचड़ी-900	19	0	19	0.3420	21,170
					गेंहू सोया बर्फी-900	19	0	19	0.3420	21,050
37	677/ 06.07.2019	एम.पी.ए.एफ.आई.एल	कोलारस, शिवपुरी	बच्चे	हलवा-600	118	0	118	2.832	1,79,266
					बाल आहार-600	118	0	118	2.832	1,77,850

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
38	52/ 09.05.2018	एम.पी.ए.एफ .आई.एल	बदरवास, शिवपुरी	बच्चे	खिचड़ी-625	100	0	100	2.500	1,51,375
39	1048/ 06.10.2018	एम.पी.ए.एफ .आई.एल	बदरवास, शिवपुरी	महिला	बर्फी-750	155	0	155	2.325	1,42,174
					लड्डू-750	155	0	155	2.325	1,43,685
				बच्चे	हलवा-600	190	0	190	4.560	2,88,648
					खिचड़ी-625	190	0	190	4.750	2,87,613
40	1360/ 04.11.2019	एम.पी.ए.एफ .आई.एल	शिवपुरी (ग्रामीण), शिवपुरी	बालिकायें	बर्फी-900	113	0	113	2.034	1,24,379
					खिचड़ी-900	113	0	113	2.034	1,23,159
41	33702/ 02.12.2020	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.ए ल.	शिवपुरी (ग्रामीण), शिवपुरी	बच्चे	खिचड़ी-625	186	185	1	0.025	1,514
42	33710/ 04.12.2020	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.ए ल.	शिवपुरी (श.), शिवपुरी	महिला	लड्डू-750	98	96	2	0.03	1,854
43	33990/ 29.01.2021	एम.पी.एस.ए. आई.डी.सी.ए ल.	शिवपुरी (श.), शिवपुरी	महिला	खिचड़ी-750	212	209	3	0.045	2,725
44	एमपी A 2672/ 10.12.2018	एम.पी.एन.ए फ.एल.	बदनावर-2, धार	बच्चे	हलवा-600	211	0	211	5.064	3,16,500
					बाल आहार-600	105	0	105	2.52	1,60,020
					खिचड़ी-625	105	0	105	2.625	1,59,600
				महिला	सोया बर्फी-750	171	0	171	2.565	1,57,748
					आटा बेसन लड्डू-750	86	0	86	1.29	78,045
					खिचड़ी-750	86	0	86	1.29	78,432
45	एमपीए-2673/	एम.पी.एन.ए फ.एल.	बदनावर-2, धार	बालिकायें	सोया बर्फी-900	14	0	14	0.252	15,498

स. क्र.	चालान क्र./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	परियोजना कार्यालय, जिले के नाम सहित	हितग्राही की श्रेणी	सामग्री का नाम	चालान के अनुसार सामग्री की मात्रा बैग में	परियोजना कार्यालय के स्टॉक पंजी के अनुसार वास्तविक प्राप्ति की मात्रा	बैगों का अंतर	मात्रा मीट्रिक टन में	राशि ₹ में
	10.12.2018				खिचड़ी-900	14	0	14	0.252	15,322
46	226/ 15.05.2018	एम.पी.ए.टी. एल.	सागर ग्रामीण -2, सागर	महिला	बर्फी-750	10	0	10	0.15	9,180
					लड्डू-750	10	0	10	0.15	9,015
					खिचड़ी-750	10	0	10	0.15	9,075
				बच्चे	हलवा-600	10	0	10	0.24	15,456
					बाल आहार-600	10	0	10	0.24	15,360
					खिचड़ी-625	10	0	10	0.25	15,125
योग						**12,842**	**2,612**	**10,230**	**205.34**	**1,27,89,816**

(स्रोत: जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त चालान एवं परियोजना कार्यालय से प्राप्त स्टॉक पंजी)

परिशिष्ट-2.2.11

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.5, पृष्ठ संख्या 93 एवं 94)

स्व-सहायता समूहों को संदेहास्पद भुगतान का विवरण

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
1	37121991954	एसबीआइएन 0030088	माँ वैष्णो देवी, पारुल, गिरजा	भूरी जाटव	सुश्री भूरी जाटव	67,014	20007480232
						58,559	20007599288
						28,456	20006632844
						30,176	20006843263
2	3680760747	सीबीआइएन 0282774	गंगा, पूनम, पवन पटेरियानाथ, बंजारा बाबा	तदर्थ समिति	ग्राम सभा स्वस्थ तदर्थ समिति	34,614	20006632844
						8,984	20006843263
						42,486	20007480232
						24,624	20007599288
3	63038861016	एसबीआइएन 0030088	जय ठाकुर बाबा, जय कमलेश, श्री साईं नाथ और प्रियंका	प्रियंका गोचोनी	प्रियंका एसएचजी	38,580	20006632844
						12,285	20006843263
						50,624	20007480232
						27,926	20007599288
4	63023524237	एसबीआइएन 0030088	जय शिव, सोनू, चंदा, सरस्वती, जवाहर लाल नेहरु, ज्योति	ज्योति बडेरा	ज्योति एसएचजी	37,177	20006632844
						21,200	20006843263
						56,182	20007480232
						39,389	20007599288
5	63024264196	एसबीआइएन 0030088	लिटल, जय संतोषी माँ, गणेश	गदेसा दरगुवा	गणेश एसएचजी	13,494	20006843263
						76,430	20007480232
						25,745	20007599288
6	3465268583	सीबीआइएन 0282774	गंगा, दीपिका, खाटी बाबा, दीपक, जय श्री राम, जय माँ, दिमन बाबा	जय माँ एसएचजी	जय माँ एसएचजी पगारा	71,929	20006632844
						67,809	20007480232
						1,22,471	20007599288
7	3455599208	सीबीआइएन 0282774	सन्देश, राहुल, जय दुर्गे, ढाई महादेव, राधा स्वामी	सन्देश	सन्देश एसएचजी चांदवानी	17,979	20006843263
						97,719	20007480232
						38,458	20007599288
8	3452024027	सीबीआइएन 0282774	जय महादेव, तपकेश्वर, वन देवी, माँ एसएचजी, जय माता दी, जय गोंड बाबा, सिद्ध बाबा, नंदिनी	जय माता दी	जय माता दी	75,638	20006632844
						12,020	20006843263
						70,281	20007480232
						67,319	20007599288
9	63022771720	एसबीआइएन 0030088	श्री राम, सरस्वती, हिमांश, सिद्धेश्वर	श्री राम		28,598	20006632844
						12,129	20006843263

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
					श्री राम एसएचजी करारखेड़ा	38,944	20007480232
						27,285	20007599288
10	3452029354	सीबीआइएन 0282774	भोले बाबा, जय खाटी बाबा, साईं बाबा	जय महादेव तपकेश्वर	जय महादेव एसएचजी	19,509	20006632844
						7,722	20006843263
						22,060	20007480232
						49,431	20007599288
11	33385854165	एसबीआइएन 0030088	सोनम, लक्ष्मी, गोपाल, प्रियंका, हीरा, जय करीला, बाबा, सोनम, जय करीला	जय काली हीरापुर	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति हीरापुर	27,388	20006632844
						57,309	20007480232
12	33572542211	एसबीआइएन 0030088	जय माँ दुर्गे, चंदा, श्री राम, महाराना प्रताप	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति, कछुआ प्रथम	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति	32,232	20006632844
						28,076	20007480232
13	35562884808	एसबीआइएन 0030088	जय दुर्गे, मनीषा, महिमा, वैशाली	मनीषा	मनीषा एसएचजी ग्राम सलैया	23,283	20006843263
						75,055	20007480232
						22,626	20007599288
14	33394159137	एसबीआइएन 0030088	जय शिव, तदर्थ समिति, आंबेडकर	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति बुधोन करेरा	ग्राम सभा स्वस्थ्य तदर्थ समिति बुधोन	27,123	20006632844
						7,020	20006843263
						32,973	20007480232
						13,441	20007599288
15	3804047398	सीबीआइएन 0281940	वर्षा, बड़ी माता	माँ रतनघर	जय माँ रतनगढ़	30,847	20006632844
						5,772	20006843263
						34,806	20007480232
						13,328	20007599288
16	33392226663	एसबीआइएन 0030088	तदर्थ समिति, ढाई महादेव, शंकर	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति खोड़ द्वितीय	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति	14,664	20006843263
						45,832	20007480232
						83,713	20007599288
17	33973134057	एसबीआइएन 0030088	खेड़ापति, अंशिका, जय माँ, प्रीती	प्रीती	प्रीती एसएचजी	48,939	20006632844
						12,322	20006843263
						50,678	20007480232
						21,665	20007599288
18	39026856237	एसबीआइएन 0030088		जय शिव शंकर	जय नायक एसएचजी	20,894	20006632844
						8,992	20006843263

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
			जय नायक, जय शिव शंकर, कृष्णा, ठाकुर बाबा,			24,728	20007480232
						13,438	20007599288
19	3465261190	सीबीआइएन 0282774	गंगा, जय निर्मल देवी, जय खाटी बाबा, बड़े बाबा, माँ अन्नपूर्णा	सत्यम	सत्यम एसएचजी भोंती	33,638	20006632844
						6,594	20006843263
						41,841	20007480232
						1,06,234	20007599288
20	5302103499 7	एसबीआइएन 0030088	जय ठाकुर बाबा, जय शिव शक्ति	जय माँ महिला एसएचजी बछरोन आगे, इस खाते में सूखा राहत राशि का भी भुगतान किया गया है	अध्यक्ष, जेएमएम एसएचजी वाचरों पी	38,272	20006632844
						9,109	20006843263
						42,114	20007480232
21	3338634450 6	एसबीआइएन 0030088	खाटी बाबा, मनीषा, महिला कवीर पंथी,	तदर्थ समिति	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति जरई	14,418	20006632844
						14,419	20007480232
22	3458743422	सीबीआइएन 0281940	महादेव, सिद्धि विनायक	सिद्धि विनायक	सिद्धि विनायक	16,593	20006632844
						5,772	20006843263
						20,332	20007480232
						34,133	20007599288
23	6301618572 4	एसबीआइएन 0030333	कान्हा, मंशापूर्ण, महादेव, पूजा, खाटी बाबा, सिराधना	मंशा पूर्ण सेमरी 02	मंशा पूरण एसएचजी सेमरी	33,900	20006632844
						12,324	20006843263
						40,332	20007480232
						22,117	20007599288
24	3338679807 2	एसबीआइएन 0030088	राम राजा सरकार	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति गुरकुड़बाया	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति गुरकुड़बाया	2,382	20006632844
						5,148	20006843263
						2,382	20007480232
						6,203	20007599288
25	3338648311 9	एसबीआइएन 0030088	झरनापुरी तदर्थ समिति	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति, मसूदा	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति	20,750	20006632844
						6,240	20006843263
						26,470	20007480232
						13,614	20007599288
26	3338590687 3	एसबीआइएन00 30088	महिला कबीर पंथी, सुरई सरकार, शौर्यन	मात्र शेयोनी समिति खाचुया	ग्राम सभा तदर्थ समिति कछोवा	12,490	20006632844
						12,491	20007480232
27	3537117742 1	एसबीआइएन 0030088		माँ पीताम्बरा	माँ पीताम्बरा एसएचजी	27,144	20006632844
						12,948	20006843263

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
			माँ पीताम्बरा, जभारलाल, जय खाटी बाबा			35,178	20007480232
						34,280	20007599288
28	3466169896	सीबीआइएन 0281940	महिला, सरस्वती, श्री राम	सरस्वती	सरस्वती एसएचजी	18,185	20006632844
						5,460	20006843263
						14,098	20007480232
						14,884	20007599288
29	3415588137	सीबीआइएन 0281940	विद्या, खेड़ापति, राधा कृष्णा	खेड़ापति	जय खेड़ापति	43,800	20006632844
						17,316	20006843263
						55,742	20007480232
						35,593	20007599288
30	3403880452	सीबीआइएन 0282774	पूजा, खाटी बाबा	तपकेश्वर हथिया	तपकेश्वर एसएचजी	19,056	20006632844
						11,360	20006843263
						27,158	20007480232
						29,911	20007599288
31	3338573972 0	एसबीआइएन 0030088	माँ बीजासेन, जय शिव शक्ति	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति बचरों	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति बचरों	17,660	20006632844
						17,664	20007480232
32	8003174009 0	एसबीआइएन0 आरआरएमबीजी बी	सावित्री, खेड़ापति माँ	खेड़ापति माँ	खेड़ापति माँ	10,876	20006632844
						4,212	20006843263
						14,161	20007480232
						10,744	20007599288
33	6304836014 2	एसबीआइएन 0030333	संतोषी मैया, लक्ष्मी, बजरंग, गणेश, पूनम,	लक्ष्मी बरेला	लक्ष्मी एसएचजी नया गाँव	50,429	20006632844
						6,240	20006843263
						45,869	20007480232
						11,650	20007599288
34	3387210512 2	एसबीआइएन 0030088	जन जागृति, महिला हरिजन, सिद्धेश्वर	सिद्धेश्वर पेशवार	सिद्धेश्वर एसएचजी	13,692	20006632844
						17,240	20006843263
						32,203	20007480232
						14,435	20007599288
35	3451373943	सीबीआइएन 0282774	ढाई महादेव, जय माँ, जय माँ काली	जय काली माँ	जय काली माँ एसएचजी	28,890	20006632844
						15,795	20006843263
						34,953	20007480232
						24,484	20007599288
36	3339416060 7	एसबीआइएन 0030088	जय गणेश बाबा, जय संतोषी माँ, लिटल	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति बरेला	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति बरेला	48,618	20006632844
37	3537807740			जय दुर्गे	जय दुर्गे	12,558	20006843263

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
		सीबीआइएन 0282774	राहुल, सन्देश, जय दुर्गे			12,064	20007480232
						19,078	20007599288
						48,436	20006632844
38	3123452027	सीबीआइएन 0282774	शंकर, ढाई महादेव, पूनम, माँ संतोषी	पूनम एसएचजी खोड़ा	पूनम एसएचजी खोड़	32,747	20006632844
						4,992	20006843263
						9,828	20007480232
						10,957	20007599288
39	38674931656	एसबीआइएन 0030088	वैशाली, महिमा, मनीषा, जय दुर्गे	जय माँ वैष्णो	माँ वैष्णो एसएचजी सलैया	55,443	20006632844
						7,486	20007599288
40	33394162413	एसबीआइएन 0030088	ढाई महादेव, राधा स्वामी	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति उदयपुरा	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति उदयपुरा	24,019	20006632844
						11,558	20007480232
						20,283	20007599288
41	33386343035	एसबीआइएन 0030088	गोपाल, लक्ष्मी, बाबा	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति खैरवास	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति खेरवास	21,718	20006632844
42	3463891271	सीबीआइएन 0282774	स्व. विजयराजे सिंधिया, जय माता दी	जय माता दी	जय माता दी चिन्नोदी	7,915	20006632844
						5,148	20006843263
						4,485	20007480232
						11,915	20007599288
43	33385499936	एसबीआइएन 0030088	माँ गायत्री	मातृ सहयोगिनी समिति भगवा	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति भगवा	2,010	20006632844
						5,265	20006843263
						16,945	20007480232
						14,327	20007599288
44	37094062511	एसबीआइएन 0030088	शंकर	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति टापरिया खोड़	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति खोड़	9,998	20006632844
						8,520	20006843263
						6,435	20007480232
						11,900	20007599288
45	33394142566	एसबीआइएन 0030088	जय रतनगढ़ माता	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति सदमायापुर	ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति सदमायापुर	4,580	20006632844
						3,120	20006843263
						7,834	20007480232
						9,519	20007599288
46	417102010981972	यूबीआइएन 0541711	शिव बाबा एसएचजी	किरण एसएचजी धानदर		9,210	20007163941
						7,042	20007613815

स.क्र.	खाता क्र.	आई.एफ.एस.सी.	भौतिक देयकों में नाम	ई भुगतान सूची में नाम	बैंक में नाम	भुगतान की गई राशि ₹ में	देयक क्र. जिसके द्वारा भुगतान किया गया
					दीपक सेन पुत्र सुरेन्द्र सेन	26,910	20008122846
47	4664020100 19170	यूबीआइएन 0546640	लक्ष्मी एसएचजी पहाड़िया	लक्ष्मी एसएचजी पहाड़िया	श्वेता तिवारी	5,699	20006230994
						3,156	20006427455
						14,467	20006496210
						13,102	20007061885
						15,134	20007111901
						7,988	20007163941
						7,659	20007613815
						9,421	20008100453
						24,832	20008122846
						11,964	20008693638
						10,652	20008711044
						3,836	20008753703
						6,872	20009022695
48	3974020101 10753	यूबीआईइन 0539741	सत्य एसएचजी उमारिहा	सत्य एसएचजी उमारिहा	वंदना सिंह पत्नी अंजनी सिंह	500	20006194453
						4,652	20006230994
						500	20006249930
						2,269	20006426583
						500	20006454118
						8,554	20006516634
						500	20006914921
						25,701	20007061885
						24,356	20007111901
						500	20007386361
						5,837	20007613815
						1,000	20007637609
						20,368	20007646427
						19,155	20008122846
						11,058	20008693858
						9,629	20008723738
						8,038	20008739862
						1,000	20008878109
						500	20008997584
						4,340	20009022722
योग						**44,88,614**	

परिशिष्ट-2.2.12

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.6, पृष्ठ संख्या 95)

टी.एच.आर. की उपलब्धता के बावजूद आर.टी.ई. के लिए किये गए भुगतान का विवरण

स. क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना पर प्राप्त / वितरित टी.एच.आर. (मीट्रिक टन में)	माह, जिसमें परियोजना पर टी.एच.आर. प्राप्त हुआ	माह जिसमें आर.टी.ई. वितरण किया गया	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या (एक माह में)		राशि ₹ में		कुल राशि ₹ में
					6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चे	गर्भवती/ धात्री माता/ किशोरी बालिकाएं	6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चे @₹7.81 प्रति दिवस	गर्भवती/ धात्री माता/ किशोरी बालिकाएं @₹9.38 प्रति दिवस	
1	खनियाधाना, शिवपुरी	116.144	जुलाई 2020	अगस्त 2020	14,010	5,662	92,149	6,89,132	7,81,281
2	खनियाधाना, शिवपुरी			सितम्बर 2020	5,319	0	3,11,452	0	3,11,452
3	खनियाधाना, शिवपुरी			सितम्बर 2020	14,010	5,662	1,15,147	6,94,131	8,09,278
4	कोलारस, शिवपुरी	38.166	जुलाई 2020	अगस्त 2020	9,099	3,521	1,47,468	82,779	2,30,247
5	कोलारस, शिवपुरी			सितम्बर 2020	21,639	10,395	1,69,001	97,505	2,66,506
6	करेरा, शिवपुरी	47.688	जुलाई 2020	अगस्त 2020	9,233	4,039	3,67,437	1,19,792	4,87,229
7	करेरा, शिवपुरी			सितम्बर 2020	9,233	4,039	2,50,225	1,19,145	3,69,229
8	पिछोर, शिवपुरी	45.271	जुलाई 2020	सितम्बर 2020	11,778	4,727	3,65,258	1,75,528	5,40,786
9	बेरासिया-1, भोपाल	13.944	03.04.2020	अप्रैल 2020	1,422	577	1,17,348	64,473	1,81,821
10	बेरासिया-1, भोपाल	14.504	10.05.2020	मई 2020	15,300	23,317	1,17,810	2,14,516	3,32,326
11	बेरासिया-2, भोपाल	10.301	10.05.2020	मई 2020	0	675	0	6,210	6,210
12	फंदा, भोपाल	26.24	09.05.2020	मई 2020	36,030	17,148	2,77,431	1,57,762	4,35,193
13	गोविन्दपुरा, भोपाल	41.978	09.05.2020	मई 2020	3,632	1,904	27,966.4	17,516.8	45,483.2
14	जे पी नगर, भोपाल	32.707	11.05.2020	मई 2020	6,489	3,696	49,965.3	34,003.2	83,968.5
15	कोलार, भोपाल	33.155	06.05.2020	मई 2020	9,584	8,480	73,796.8	78,016	1,51,812.8

स. क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना पर प्राप्त / वितरित टी.एच.आर. (मीट्रिक टन में)	माह, जिसमें परियोजना पर टी.एच.आर. प्राप्त हुआ	माह जिसमें आर.टी.ई. वितरण किया गया	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या (एक माह में)		राशि ₹ में		कुल राशि ₹ में
					6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चे	गर्भवती/ धात्री माता/ किशोरी बालिकाएं	6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के बच्चे @₹7.81 प्रति दिवस	गर्भवती/ धात्री माता/ किशोरी बालिकाएं @₹9.38 प्रति दिवस	
16	बेरासिया-2, भोपाल	19.466	02.07.2020	जुलाई 2020	89	42	685.3	386.4	1,071.7
17	फंदा, भोपाल	26.24	23.07.2020	जुलाई 2020	55,258	28,584	4,25,487	2,62,973	6,88,460
18	गोविन्दपुरा, भोपाल	41.978	11.07.2020	जुलाई 2020	3,413	1,706	26,280.1	15,695.2	41,975.3
19	जे पी नगर, भोपाल	32.707	23.07.2020	जुलाई 2020	1,408	792	10,841.6	7,286.4	18,128
20	कोलार, भोपाल	33.155	10.07.2020	जुलाई 2020	9,940	7,740	76,538	71,208	1,47,746
21	झाबुआ, झाबुआ	38.68	12.03.2020	अप्रैल 2020	19,763	15,933	1,54,349	1,49,452	3,03,801
22	झाबुआ, झाबुआ	81.839	01.05.2020 और 04.05.2020	मई 2020	18,873	12,476	1,42,491	1,12,908	2,55,399
23	झाबुआ, झाबुआ	120.519	05.07.2020	जुलाई 2020	19,703	13,875	1,48,758	1,25,569	2,74,326
24	झाबुआ, झाबुआ	64.642	29.08.2020	अगस्त 2020	27,686	15,814	2,09,029	1,43,117	3,52,146
25	झाबुआ, झाबुआ	24.948	16.09.2020	सितम्बर 2020	27,665	14,324	2,08,871	1,29,632	3,38,503
योग					**3,50,576**	**2,05,128**			**74,54,378.50**

(स्रोत: जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र. 541 दिनांक 27.03.2020 के अनुसार आर.टी.ई. भुगतान की दर)

परिशिष्ट-2.2.13

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.7 (अ), पृष्ठ संख्या 97)

टी.एच.आर. के आपूर्ति आदेश का विवरण, जिसमे प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई गई एवं इस आधार पर देयकों से रोकी गई राशि

संयंत्र	संचालनालय का प्रदाय आदेश क्र.	प्रदाय आदेश का दिनांक	आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा (मीट्रिक टन में)	टी.एच.आर. की राशि (राशि करोड़ ₹ में)	15 प्रतिशत की राशि रोक कर भुगतान की गई राशि (राशि करोड़ ₹ में)	रोकी गई राशि (राशि करोड़ ₹ में)
देवास	1039	28.02.2019	263.08	1.63	1.38	0.25
	1600	28.03.2019	1,029.78	6.34	5.39	0.95
	2176	29.04.2019	1,091.88	6.75	5.74	1.01
	2727	01.06.2019	1,835.16	11.35	9.65	1.7
	3240	27.06.2019	2,326.58	14.41	12.25	2.16
	4070	27.07.2019	1,851.23	11.45	9.73	1.72
	4206	13.08.2019	1,852.21	11.45	9.73	1.72
	5206	28.09.2019	2,210.71	13.62	11.58	2.04
	5715	30.11.2019	2,179.67	13.51	11.48	2.03
	6244	31.10.2019	1,735.51	10.73	9.12	1.61
	6244	27.12.2019	1,712.55	10.59	9	1.59
धार	3240	27.06.2019	292.40	1.81	1.54	0.27
	3464	29.06.2019	262.65	1.63	1.39	0.24
	4070	27.07.2019	1,317.60	8.14	6.92	1.22
	4206	13.08.2019	1,317.62	8.14	6.92	1.22
	5206	28.09.2019	1,568.35	9.66	8.21	1.45
	5715	30.11.2019	2,481.02	15.36	13.06	2.3
	6244	31.10.2019	2,025.97	12.52	10.64	1.88
	6244	27.12.2019	2,000.79	12.36	10.51	1.85
मंडला	5715	30.11.2019	1,938.56	11.95	10.16	1.79
	6244	31.10.2019	755.26	4.65	3.96	0.69
	6244	27.12.2019	1,583.84	9.77	8.3	1.47
होशंगाबाद	3240	27.06.2019	333.24	2.07	1.76	0.31
	4070	27.07.2019	275.98	1.71	1.45	0.26
	4206	13.08.2019	275.98	1.71	1.45	0.26
	5206	28.09.2019	313.44	1.94	1.65	0.29
	6244	31.10.2019	492.66	3.06	2.6	0.46
	5715	30.11.2019	575.45	3.57	3.03	0.54
	6244	27.12.2019	476.00	2.95	2.51	0.44
सागर	6244	31.10.2019	439.42	2.73	2.32	0.41
	5715	30.11.2019	818.27	5.09	4.33	0.76
	6244	27.12.2019	671.45	4.17	3.55	0.62
योग			**38,304.31**	**236.82**	**201.31**	**35.51**

(स्रोत: संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.14
(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.8, पृष्ठ संख्या 101)
टी.एच.आर. आपूर्ति में विलम्ब से प्रदायगी पर फर्मो से जुर्माना नहीं काटे जाने का विवरण

जिला	फर्म का नाम	प्रदाय आदेशों की संख्या, जिनकी आपूर्ति में 01 से 21 दिनों का विलम्ब हुआ था	विलंब से आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा (मीट्रिक टन में)	विलम्ब (दिनों में)	जुर्माना, जो नहीं काटा गया (राशि करोड़ ₹ में)	प्रदाय आदेशों की संख्या, जिनकी आपूर्ति में 22 दिनों अथवा उससे अधिक दिनों का विलम्ब हुआ था	विलंब से आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा (मीट्रिक टन में)	विलम्ब (दिनों में)
भोपाल	एम.पी.ए.एफ.आई.एल.	15	659.885	1 से 17	0.27	-	-	-
छिन्दवाड़ा	के.डी.एम.आर.	16	2,037.308	1 से 19	0.89	01	16.508	23
धार	एम.पी.ए.एन.एफ.एल.	18	2,185.893	1 से 21	0.91	01	8.196	27
झाबुआ	एम.पी.ए.एन.एफ.एल.	11	1,248.234	1 से 17	0.54	-	-	-
रीवा	एम.पी.ए.टी.एल.	20	5,587.356	1 से 21	2.46	02	51.46	36 से 37
सागर	एम.पी.ए.टी.एल.	16	2,246.955	1 से 16	0.92	-	-	-
सतना	एम.पी.ए.टी.एल.	20	3,483.719	1 से 18	1.30	08	1556.997	22 से 73
अन्य जिले: चालान संचालनालय से प्राप्त किये गए	बी.ए.एफ.एल., एफ.ओ.एफ.जे., के.डी.एम.आर., एम.पी.ए.एफ.आई.एल., एम.पी.ए.एन.एफ.एल., एम.पी.ए.टी.एल.	22	11,508.57	1 से 19	5.56	01	31.753	22 से 24
योग		**138**			**12.85**	**13**		

परिशिष्ट-2.2.15

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.12.8, पृष्ठ संख्या 101)

एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल. से किये गए अनुबंध में अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं होने के कारण शासन को हुई हानि का विवरण

जिला	फर्म का नाम	प्रदाय आदेशो की संख्या, जिनकी आपूर्ति में 01 से 21 दिनों का विलम्ब हुआ था	विलंब से आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा (मीट्रिक टन में)	विलम्ब (दिनों में)	अर्थदण्ड जो नहीं काटा गया (राशि करोड़ ₹ में)	प्रदाय आदेशो की संख्या, जिनकी आपूर्ति में 22 दिनों या उससे अधिक दिनों का विलम्ब हुआ था	विलंब से आपूर्ति किये गए टी.एच.आर. की मात्रा (मीट्रिक टन में)	विलम्ब (दिनों में)
भोपाल	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	30	5,775.762	1 से 21	3.53	12	1,415.807	22 से 56
छिन्दवाड़ा	एम.ए.ए.एस.एस.एम. और एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	09	958.975	1 से 21	0.93	11	2,919.318	22 से 72
धार	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल./ एस.आर.एल.एम.	09	1,826.49	1 से 21	1.22	08	1,738.17	22 से 50
झाबुआ	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल./ एस.आर.एल.एम.	12	3,826.521	1 से 21	2.57	12	2,355.809	22 से 50
रीवा	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	06	1,372.491	1 से 21	1.17	09	2,094.77	22 से 64
सागर	एम.ए.ए.एस.एस.एम. और एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	05	1,122.076	5 से 21	1.01	07	1,595.359	22 से 74
सतना	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	06	806.176	3 से 21	0.59	01	43.321	26 से 67
अन्य जिले: चालान संचालनालय से प्राप्त किये गए	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	01	1,148.894	11 से 21	1.10	01	1,661.867	22 से 50
योग		**78**			**12.12**	**61**		

परिशिष्ट -2.2.16

(सन्दर्भ: कंडिका 2.2.15.1, पृष्ठ संख्या 108)

एस.आर.एल.एम. को किये गए भुगतान का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

स.क्र.	देयक क्र./ दिनांक	विवरण	अग्रिम की राशि
1.	792/ 04.01.2019	देवास में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	21.10
2.	358/ 29.07.2019	धार में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	25.00
3.	359/ 29.07.2019	होशंगाबाद में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करना	5.50
4.	813/ 13.11.2019	सागर में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	10.00
5.	814/ 13.11.2019	मण्डला में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	10.00
6.	1014/17.12.2019	मण्डला में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	8.00
7.	1013/17.12.2019	धार में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	5.00
8.	1012/17.12.2019	सागर में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	10.40
9.	1138/17.01.2020	शिवपुरी में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	26.00
10.	1139/17.01.2020	रीवा में स्थापित संयंत्र से टी.एच.आर. प्रदान करने हेतु	20.00
योग			**141.00**

(स्रोत: संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख)

संक्षिप्तों की शब्दावली

2.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर लेखापरीक्षा

स. क्र.	संक्षिप्त नाम	पूर्ण शब्द
1.	ए.एम.	सहायक प्रबंधक
2.	बी.आर.आर.पी.	ब्लॉक ग्रामीण सड़क योजना
3.	सी.बी.आर.	कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात
4.	सी.सी.	सीमेंट कंक्रीट
5.	सी.डी.	क्रॉस ड्रेनेज
6.	सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
7.	सी.जी.एम.	मुख्य महाप्रबंधक
8.	सी.यू.सी.पी.एल.	व्यापक उन्नयन सह समेकन प्राथमिकता सूची
9.	डी.जी.एस.एंड डी.	आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय
10.	दिशा	जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति/जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति
11.	डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
12.	डी.आर.आर.पी.	जिला ग्रामीण सड़क योजना
13.	जी.ई.एम.	सरकारी ई बाज़ार
14.	जी.एफ.आर.	सामान्य वित्तीय नियम
15.	जी.एम.	महाप्रबंधक
16.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
17.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
18.	ग्राम	ग्रामीण कृषि बाजार
19.	जी.एस.बी.	दानेदार-उप-आधार
20.	आई.आर.सी.	इंडियन सड़क कांग्रेस

स. क्र.	संक्षिप्त नाम	पूर्ण शब्द
21.	जे.पी.	जनपद पंचायतें
22.	के.एम.	किलोमीटर
23.	एल.डी.	परिनिर्धारण हर्जाना
24.	एल.ओ.ए.	स्वीकृति के पत्र
25.	एल.एस.बी.	लम्बे विस्तार वाला पुल
26.	एम.डी.	विविध जमा
27.	एम.एल.ए.	विधायक
28.	एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
29.	एम.पी. एल.यू.एन.	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम
30.	एम.पी.आर.सी.पी.	मध्य प्रदेश सड़क संपर्क कार्यक्रम
31.	एम.पी.आर.आर.डी.ए.	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
32.	एम.पी.	सांसद
33.	एम.आर.एल.	प्रमुख ग्रामीण लिंक
34.	एम.टी	मीट्रिक टन
35.	एन.ए.बी.एल.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
36.	एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
37.	एन.क्यू.एम.	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर
38.	एन.आर.आर.डी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
39.	ओ.एम.एम.ए.एस.	ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली
40.	पी.सी.आई.	पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स
41.	पी.डी ए/सी	व्यक्तिगत जमा खाता
42.	पी.एच.ई.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
43.	पी.आई.यू.	परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ
44.	पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

स. क्र.	संक्षिप्त नाम	पूर्ण शब्द
45.	पी.आर.डी.डी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
46.	पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
47.	क्यू.सी.आर.	गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर
48.	एस.बी.डी.	मानक बोली दस्तावेज़
49.	एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय स्थायी समिति
50.	एस.क्यू.सी.	पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण
51.	एस.क्यू.एम.	राज्य गुणवत्ता मॉनिटर
52.	एस.एस.आर.	दरों की मानक अनुसूची
53.	एस.टी.ए.	राज्य तकनीकी एजेंसी
54.	टी.ओ.आर.	टर्म ऑफ़ रेफेरेंस
55.	टी.आर.	थ्रू रूट्स

2.2 टेक होम राशन पर लेखापरीक्षा

स. क्र.	संक्षिप्त नाम	पूर्ण शब्द
1.	ए.ए.एस.आर.	आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन
2.	ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
3.	ए.एम.पी.आर.	आंगनवाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन
4.	ए.डब्ल्यू.सी.	आंगनवाड़ी केंद्र
5.	ए.डब्ल्यू.एच.	आंगनवाड़ी सहायिका
6.	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
7.	सी.डी.पी.ओ.	बाल विकास परियोजना अधिकारी
8.	डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
9.	डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
10.	एफ.एस.एस.ए.	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
11.	एफ.एस.एस.ए.आई.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
12.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
13.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
14.	आई.सी.डी.एस.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
15.	आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
16.	एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
17.	एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु अनुपात
18.	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी.एल.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
19.	एम.पी.एस.सी.एस.सी.एल.	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
20.	एम.पी.एस.आर.एल.एम.	मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

स. क्र.	संक्षिप्त नाम	पूर्ण शब्द
21.	एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
22.	एम.टी.	मीट्रिक टन
23.	एन.ए.बी.एल.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
24.	एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
25.	एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
26.	ओ.ओ.एस.ए.जी.	शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं
27.	आर.डी.ए.	अनुशंसित आहार भत्ता
28.	आर.टी.ई.	रेडी-टू-इट
29.	एस.ए.जी.	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना
30.	एस.एच.जी.	स्व-सहायता समूह
31.	एस.एन.पी.	पूरक पोषण कार्यक्रम
32.	एस.आर.एस.	नमूना पंजीकरण प्रणाली
33.	टी.सी.एस.	कोषालय कम्प्यूटरीकरण प्रणाली
34.	टी.एच.आर.	टेक होम राशन
35.	डब्ल्यू.बी.एन.पी.	गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम
36.	डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास